महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी)
www.mahanadicoal.in

सतत रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर



वर्षों का जश्न



वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा 2024-25



सूची

1.	प्रबंधन /बैंकर्स/लेखा परीक्षक	0-02
2.	ग्राफ़	03-06
3.	विगत 10 वर्षों के प्रमुख वित्तीय आंकड़ें	07-07
4.	सूचना	08-15
5.	अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	16-17
6.	निदेशकों के प्रतिवेदन	20-78
7.	सीएसआर गति विधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	79-84
8.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	85-89
9.	निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	90-91
10.	कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र	92-99
11.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	100-103
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	104-116
13.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	117-143
14.	तुलन पत्र	145-146
15.	लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण	147-150
16.	नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण	151-153
17.	वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणियाँ	154-235
18.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमसीएल और उसकी सहायक कंपनियों का समेकित लेखा	236-330

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
यूको बैंक,
केनेरा बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
एक्सिस बैंक,
एचडीएफ़सी बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसिज बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
पंजाब एंड सिंड बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स कदमावाला एंड कंपनी,
बुधराम ओराम मार्केट,
कचेरी रोड, राउरकेला-769012,
ओडिशा.

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स एसएस टेकरीवाल एंड कंपनी.
प्लॉट नं.542, शहीद नगर,
महादेव टावर,
भुवनेश्वर-751007,

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स,
प्लॉट नंबर-एन 4/232, प्रथम तल, आईआरसी विलेज नयापल्ली,
रिलायंस फ्रेश के पीछे, भुवनेशर - 751015

शाखा लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स रे नायक एंड असोसिएट्स,
MIG-26, मनाराम एस्टेट, रसूलगढ़,
भुवनेशर, ओडिशा-751010

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स जेके दास एण्ड असोसियट्स

कंपनी सचिव,

भुवनेशर, ओड़िशा

पंजीकृत कार्यालय

पोस्ट: जागृति विहार,
संबलपुर- 768020, ओड़िशा
Website: www.mahanadicoal.in

वर्तमान प्रबंधन (15.04.2025)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



श्री उदय अनंतराव कावले

कार्यकारी निदेशकगण



श्री केशव राव
निदेशक (कार्मिक)



श्री जुगल कुमार बोरा
निदेशक (तक./संचालन)



श्री ए. के. बेहरा
निदेशक (तक./ पारियो. एवं योजना)



श्री संजय कुमार झा
निदेशक (तक./ पारियो. एवं योजना)

आधिकारिक अंशकालिक निदेशक



श्री एस. के. कस्सी
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली



श्री मुकेश चौधरी
श्री(विपणन), सीआईएल, कोलकाता

स्थायी आमंत्रित



श्री वाई नागेंद्र बाबू
मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर

गैर- आधिकारिक अंशकालिक निदेशक



डॉ. राजेश कुमार वर्मा



श्री दयाशंकर चन्द्रशेखर तिवारी

कंपनी सचिव

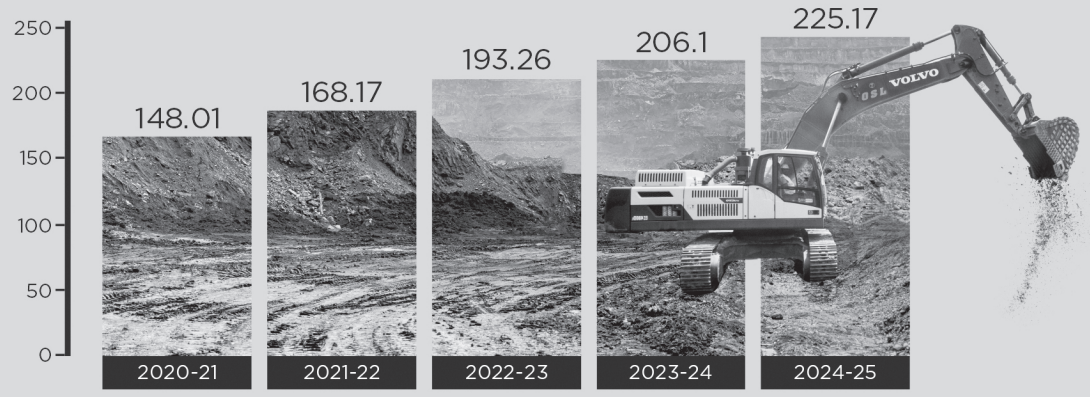


श्री सौभाग्य परिडा

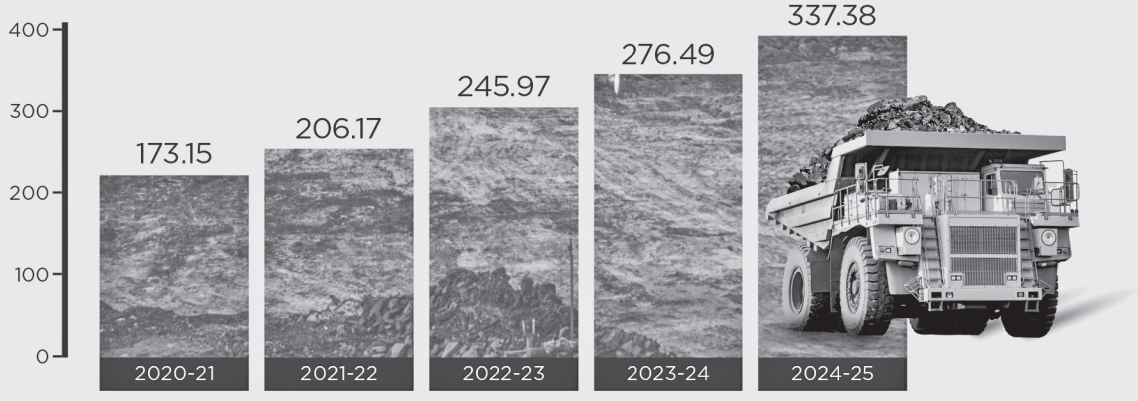
2024-25 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	**श्री उदय अनंतराव कावले**
कार्यकारी निदेशकगण	:	**श्री केशव राव** निदेशक (कार्मिक)
		श्री जुगल कुमार बोरा निदेशक (तक./संचालन)
		श्री ए. के. बेहुरा निदेशक (वित्त)
		श्री अक्षय श्रीकांत बापट निदेशक (तक./ पारियो. एवं योजना) (30.11.2024 तक)
		श्री जुगल कुमार बोरा निदेशक (तक./ पारियो. एवं योजना) (1.12.2024 से 06.03.2025 तक)
		श्री संजय कुमार झा निदेशक (तक./ पारियो. एवं योजना) (07.03.2025 से)
आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	:	**श्री एस. के. कस्सी** संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री मुकेश चौधरी श्री(विपणन), सीआईएल, कोलकाता
गैर- आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	:	**डॉ. आशा लाकरा(31.10.2024 तक)**
		डॉ. राजेश कुमार वर्मा
		श्री दयाशंकर चन्द्रशेखर तिवारी
स्थायी आमंत्रित	:	**श्री वाई नागेंद्र बाबू** मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	**श्री सौभाग्य परिडा**

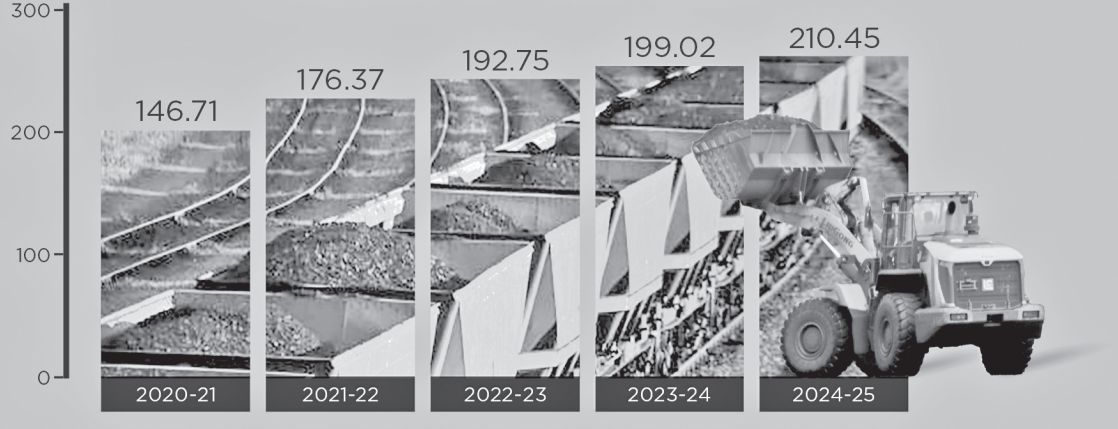
कोयला उत्पादन (एमटीई)



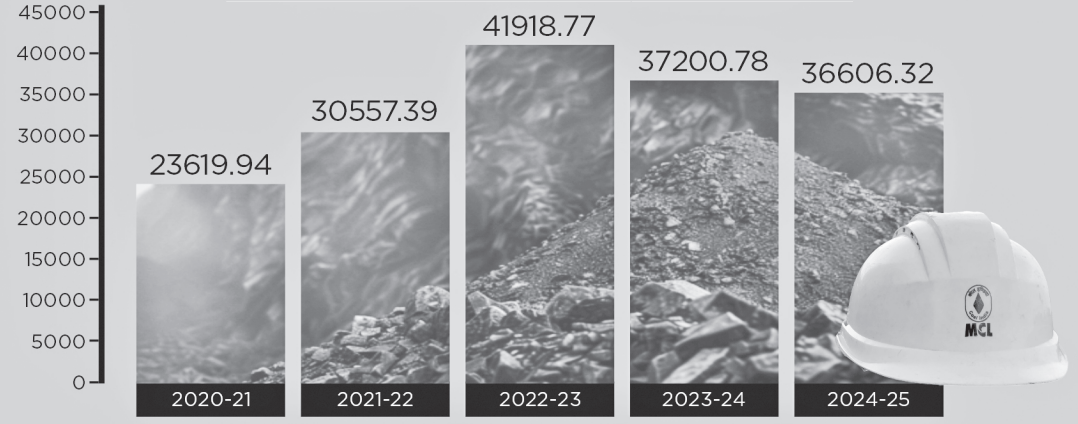
ओवर बर्डन रिमूवल (एम.सी.यू.एम)



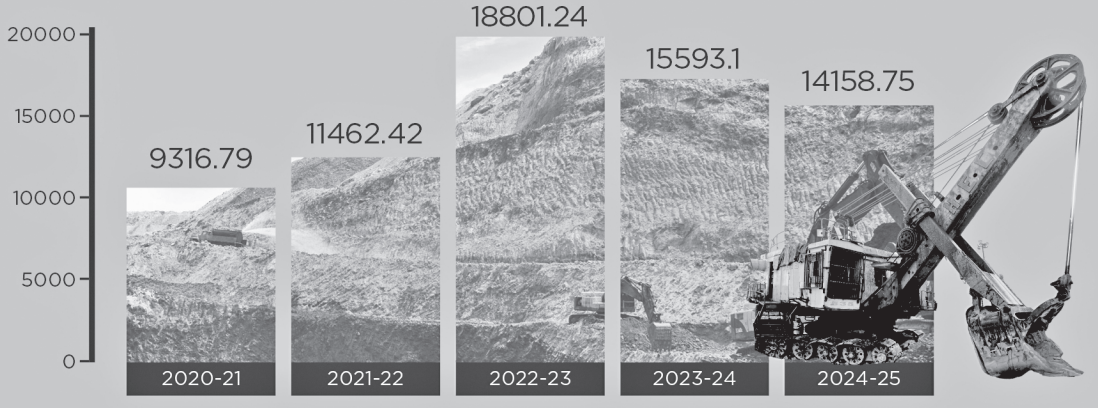
कोयले का प्रेषण (एमटीई)



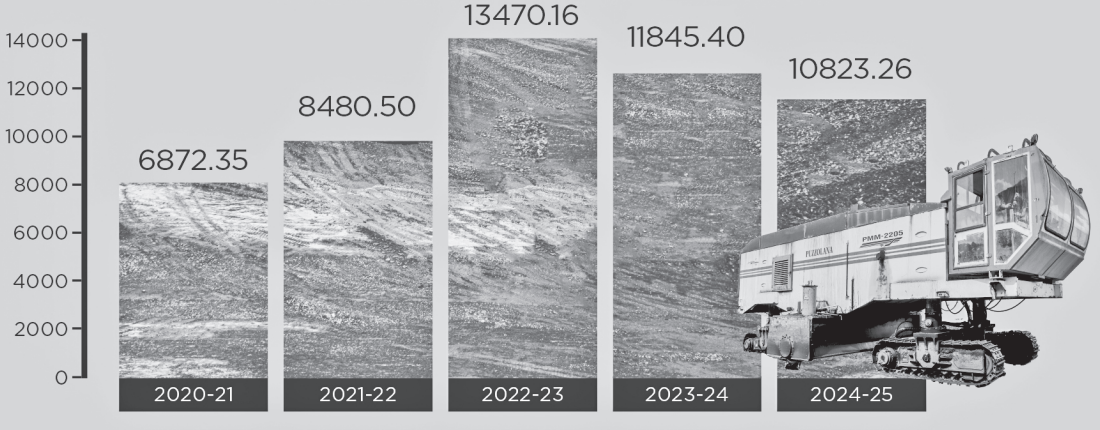
सकल बिक्री (करोड़ रुपये में)



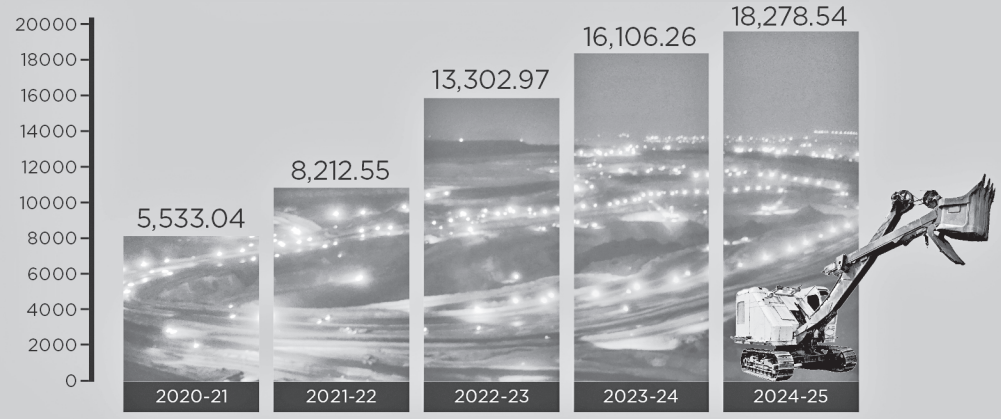
कर पूर्व लाभ(करोड़ रुपये में)



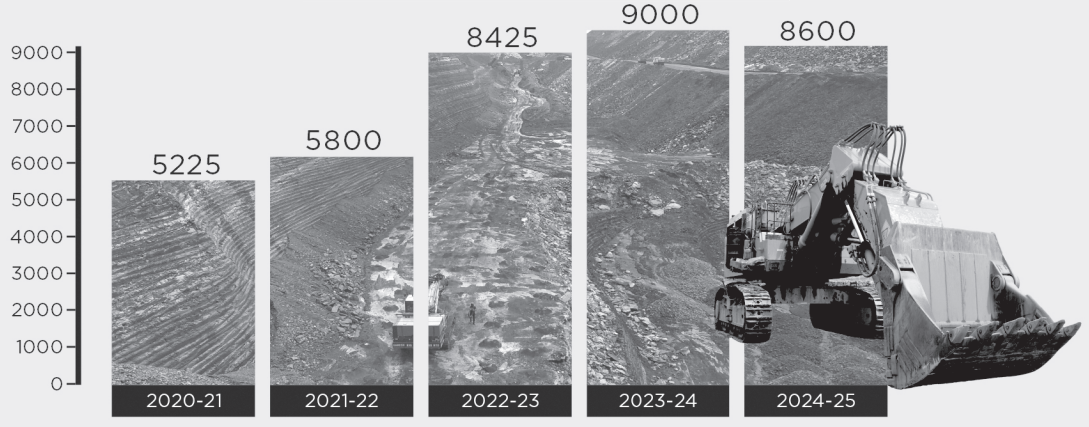
कर के बाद लाभ(करोड़ रुपये में)



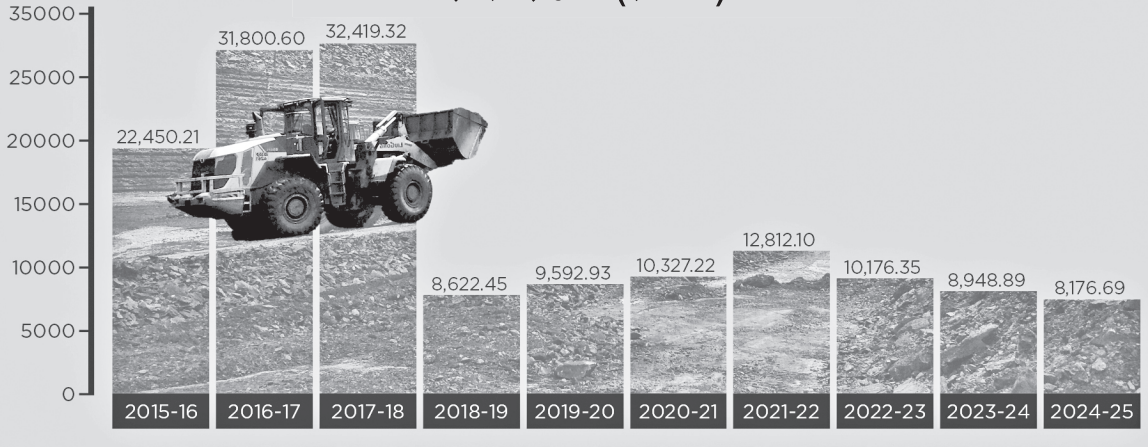
नेट वर्थ(करोड़ रुपये में)



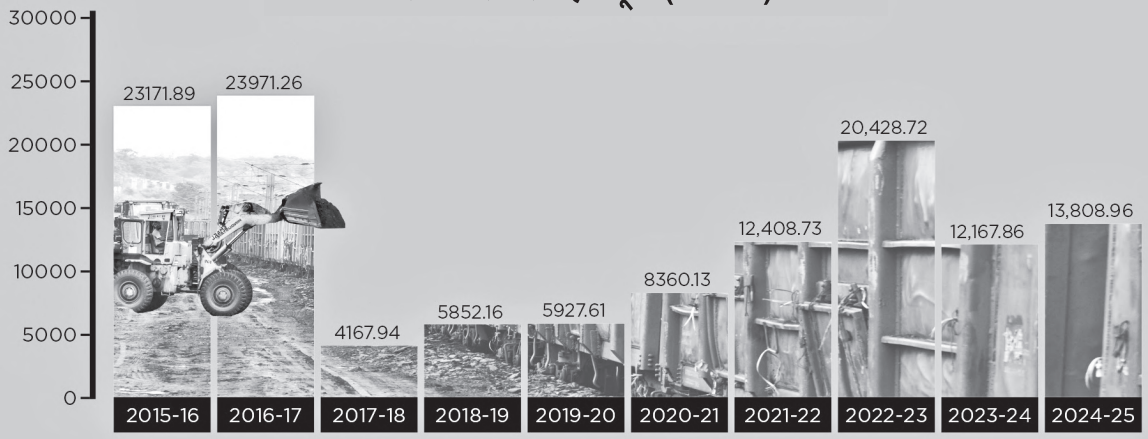
लाभांश(करोड़ रुपये में)



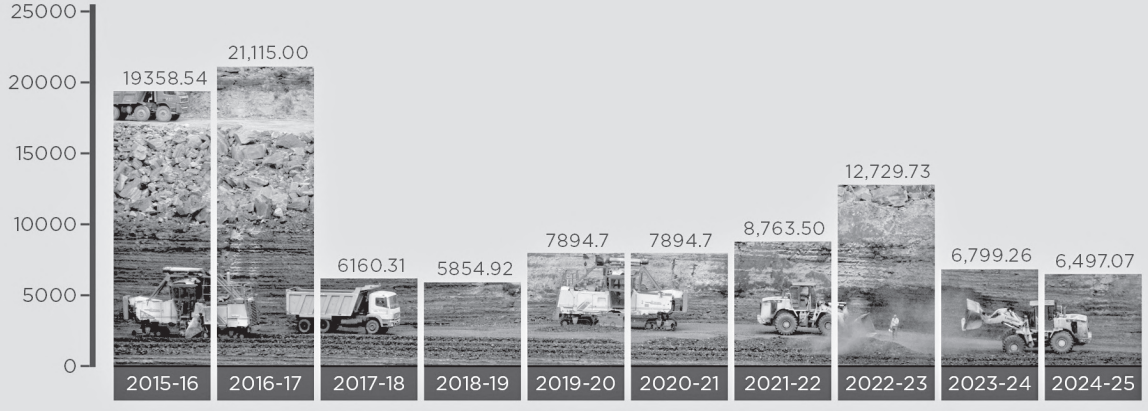
प्रति शेयर अर्जन(रुपये में)



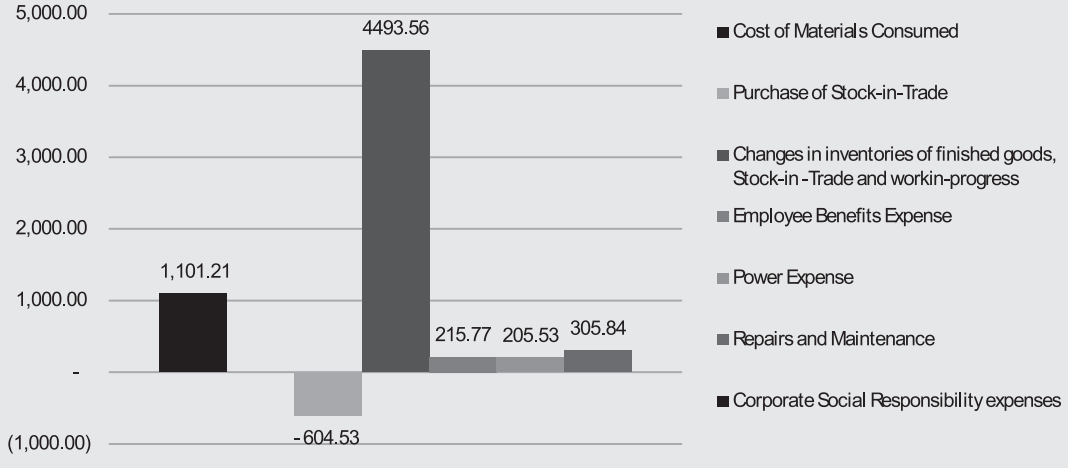
प्रति शेयर पर बही मूल्य(रुपये में)



प्रति शेयर लाभांश(रुपये में)



उत्पादन की लागत



विगत 10 वर्षों के प्रमुख वित्तीय आंकड़ें

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (पुनर्वर्णित)	2023-24	2024-25
1	कोयले का उत्पादन	मीट्रिक टन (मिलियन टन)	137.90	139.21	143.01	144.15	140.36	148.01	168.17	193.26	206.10	225.17
2	कोयले का प्रेषण	मीट्रिक टन (मिलियन टन)	140.22	143.01	138.26	142.30	134.02	146.71	176.37	192.75	199.02	210.45
3	कोयले की बिक्री (सकल)	करोड़ रूपये	19829.58	23450.72	22379.91	24607.68	22834.92	23619.94	30557.39	41918.77	37200.78	36606.32
4	पीबीटी	करोड़ रूपये	6260.43	6854.72	7339.66	9281.08	8645.47	9316.79	11462.42	18801.24	15593.10	14158.75
5	पीएटी	करोड़ रूपये	4184.74	4492.01	4761.29	6039.54	6427.39	6872.35	8480.50	13470.16	11845.40	10823.26
6	लाभांश का भुगतान	करोड़ रूपये	3608.45	2982.00	4350.00	3875.00	5225.00	5225.00	5800.00	8425.00	9000.00	8600.00
7	शुद्ध अचल परिसंपतियाँ	करोड़ रूपये	3252.55	3943.29	4534.24	6433.84	7248.57	8232.15	9944.72	12460.46	13792.84	16373.74
8	नेटवर्थ	करोड़ रूपये	4319.26	3385.38	2943.12	3873.17	3923.11	5533.04	8212.55	13302.97	16106.26	18278.54
9	दीर्घ अवधि ऋण	करोड़ रूपये	7.21	6.64	7.09	6.29	6.10	5.67	4.93	4.58	3.95	3.35
10	नियोजित पूंजी (पुनर्वर्णित)	करोड़ रूपये	19969.11	20550.66	21101.53	23352.55	24607.56	25314.77	28762.4	34936.44	37281.07	39316.62
11	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	21%	22%	23%	26%	26%	27%	29%	39%	32%	28%
12	मूल्य संवर्धन (पुनर्वर्णित)	करोड़ रूपये	8629.48	9638.58	10787.19	12836.41	12375.37	13176.55	15867.11	24331.25	21176.23	19810.26
13	प्रति शेयर अंकित मूल्य	रूपये	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
14	प्रति शेयर पर बही मूल्य	रूपये	23171.89	23971.26	4167.94	5852.16	5927.61	8360.13	12408.73	20100.09	12167.86	13808.96
15	प्रति शेयर लाभांश	रूपये	19358.54	21115.00	6160.31	5854.92	7894.70	7894.70	8763.50	12729.73	6799.26	6497.07
16	प्रति शेयर अर्जन	रूपये	22450.21	31800.60	32419.32	8622.45	9592.93	10327.22	12,812.10	10176.35	8948.89	8176.69
17	इक्विटी शेयर की सं	संख्या	1864009	1412266	7061330	6618363	6618363	6618363	6618363	6618363	13236726	13236726

स्थगित वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि महंदी काओलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (जो 01 अगस्त 2025 को शुक्रवार को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, एटी/पीओ- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020 पर बुलाई गई थी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103(2)(ए) के अनुसार कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई थी) अब निम्नलिखित व्यवसाय के संचालन के लिए शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, एटी/पीओ- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020 पर आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य:

1. विचार करना और अपनाना:

क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर निदेशक मंडल, वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।

ख) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर भारत के सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।

2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 7500 करोड़ रुपये (अर्थात् 5666.06 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) का अंतरिम लाभांश स्वीकृत करना तथा 1250 करोड़ रुपये अर्थात 944.34 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना। इस प्रकार, वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश 8750 करोड़ रुपये (अर्थात 6610.40 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) होगा।

3. श्री केशव राव, निदेशक (डीआईएन: 08651284) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

4. श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (डीआईएन: 09632444) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

II. विशेष कार्य:

मद सं.-01

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स और मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्रमशः केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक और शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तदनुसार, निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया जाना प्रस्तावित हैः

सामान्य संकल्प:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के तहत, वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कंपनी, मुख्यालय और इसकी इकाइयों, ईब फील्ड्स क्षेत्र, बसुंधरा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(ईब वैली) के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 4,40,000.00 रुपये और पाकेट खर्च 2,20,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

"पुनः संकल्प लिया गया कि मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कनिहा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(तालचेर) सहित तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्रों के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 2,92,000.00 रुपये, पाकेट खर्च 1,46,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

निदेशक मंडल के आदेश से

S. Parida

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020

टिप्पणी:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं, बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए केवल उस चरण पर cs.mcl@coalindia.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।
2. सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों के अधिकृत मेल आईडी से पहले से ही लिंक प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाना है। आपकी कंपनी के सदस्यों ने 14 सितंबर 2002 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल को वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया है।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
5. विशेषकार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार प्रासंगिक विवरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भी इसके साथ संलग्न है।

सदस्यगण

1. मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156

   (कृपया ध्यान दें: श्री बी.पी. दुबे, कंपनी सचिव, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156)
2. श्री पीएम प्रसाद, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156
3. श्री उदय ए. कावले, सीएमडी, एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020
4. श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर संख्या 04, प्लॉट संख्या एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156। (कृपया ध्यान दें: श्री बी.पी. दुबे, सीएस, सीआईएल)

Auditors

1. प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II, ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता- 700020
2. मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राउरकेला, ओडिशा।
3. मेसर्स जेके दास एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखा परीक्षक, कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओडिशा ।

निदेशकगण एमसीएल

1. 1.श्री संजीव कुमार कस्सी, संयुक्त सचिव, एमओसी, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115
2. श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
3. श्री जे.के. बोरा, निदेशक (तकनीकी/संचालन), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
4. श्री ए.के. बेहुरा, निदेशक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
5. श्री संजय कुमार झा, निदेशक (तकनीकी/पीएंडपी), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020।
6. श्री डी.सी. तिवारी, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल, हाउस नंबर 1038, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग छोटा राम मंदिर के पास हंसपुरी नागपुर महाराष्ट्र-440018
7. डॉ. राजेश कुमार वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल, आशीर्वाद भवन, बांध रोड, बालूघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001
7. Dr. Rajesh Kumar Verma, Independent Director, MCL, Ashirwad Bhawan, Bandh Road, Balughat, Muzaffarpur, Bihar-842001

व्याख्यात्मक वक्तव्य

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार)

मद सं.-01

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन ।

भारत सरकार के राजपत्र प्रकाशन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय अधिसूचना संख्या जीएसआर 430 (ई) दिनांक 3 जून 2011 और बाद के आदेश के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की लागत लेखा परीक्षा शाखा द्वारा जारी एफ. संख्या 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 और बाद में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पत्र संख्या 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 24 जनवरी 2012 के अनुसार कोयला उद्योग के संबंध में लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य बना दिया गया है।

लेखा परीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर, निदेशक मंडल ने 23 सितंबर 2024 को आयोजित अपनी 273वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमसीएल में लागत लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी। लागत लेखा परीक्षा और लागू वैधानिक करों/शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क संरचना शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार होगी:

1. संकल्प लिया गया कि मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कंपनी, मुख्यालय और इसकी इकाइयों, ईब फील्ड्स क्षेत्र, बसुंधरा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला (ईब वैली) के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 4,40,000.00 रुपये और पाकेट खर्च 2,20,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

2. आगे संकल्प लिया गया कि मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कनिहा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(तालचेर) सहित तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्रों के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 2,92,000.00 रुपये, पाकेट खर्च 1,46,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाएगा और उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा बाद में शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या अन्य रूप से इस संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

बोर्ड ने आपके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की सिफारिश की है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
बोर्ड के आदेश से

S. Parida

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 01.08.2025

वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले तथा पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:

In compliance of Secretarial Standard on General Meeting ("SS-2"), the requisite details of Directors seeking re-appointment in Annual General Meeting is as tabulated below-

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक)	Shri Ajit Kumar Behura Director (Finance)
डीआईएन	08651284	08651284
जन्म तिथि	10.06.1966	21.06.1966
राष्ट्रीयता	भारतीय	Indian
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	18-12-2019	01-08-2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम बार लिए गए पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार।	As per appointment Letter issued by Ministry of Coal, GOI.
योग्यता और अनुभव	आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र। मानव संसाधन में पीजी डिप्लोमा।	Master of Commerce and a qualified Cost and Management Accountant from the Institute of Cost Accountants of India.
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य	शून्य
वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	09	10
अन्य कम्पनियों में निदेशक पद की सूची	1. महानदी बेसिन पावर लिमिटेड 2. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	1. एमजेएसजे कोल लिमिटेड 2. महानदी कोल रेल लिमिटेड
एमसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष/सदस्यता	1. सीएसआर और सतत विकास उप-समिति 2. एमसीएल के भूमि विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति	1. सीएसआर और सतत विकास उप-समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. एमसीएल के भूमि विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति

तैतीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 1 अगस्त, 2025 को मध्यान्हन 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, पता/पोस्ट- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य:

1. विचार करना और अपनाना:

   क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर निदेशक मंडल, वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।

   ख) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर भारत के सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।

2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 7500 करोड़ रुपये (अर्थात् 5666.06 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) का अंतरिम लाभांश स्वीकृत करना तथा 1250 करोड़ रुपये अर्थात 944.34 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना। इस प्रकार, वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश 8750 करोड़ रुपये (अर्थात 6610.40 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) होगा।

3. श्री केशव राव, निदेशक (डीआईएन: 08651284) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

4. श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (डीआईएन: 09632444) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

II. विशेष कार्य:

मद सं.-01

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स और मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्रमशः केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक और शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तदनुसार, निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया जाना प्रस्तावित है:

सामान्य संकल्प:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के तहत, वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कंपनी, मुख्यालय और इसकी इकाइयों, ईब फील्ड्स क्षेत्र, बसुंधरा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(ईब वैली) के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 4,40,000.00 रुपये और पाकेट खर्च 2,20,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

"पुनः संकल्प लिया गया कि मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कनिहा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(तालचेर) सहित तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्रों के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 2,92,000.00 रुपये, पाकेट खर्च 1,46,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

निदेशक मंडल के आदेश से

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020

टिप्पणी:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं, बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए केवल उस चरण पर cs.mcl@coalindia.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।
2. सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों के अधिकृत मेल आईडी से पहले से ही लिंक प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाना है। आपकी कंपनी के सदस्यों ने 14 सितंबर 2002 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल को वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया है।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
5. विशेषकार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार प्रासंगिक विवरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भी इसके साथ संलग्न है।

सदस्यगण

1. मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156

   (कृपया ध्यान दें: श्री बी.पी. दुबे, कंपनी सचिव, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156)
2. श्री पीएम प्रसाद, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156
3. श्री उदय ए. कावले, सीएमडी, एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020
4. श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर संख्या 04, प्लॉट संख्या एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156। (कृपया ध्यान दें: श्री बी.पी. दुबे, सीएस, सीआईएल)

लेखा परीक्षक

1. प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II, ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता- 700020
2. मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राउरकेला, ओडिशा।
3. मेसर्स जेके दास एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखा परीक्षक, कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओडिशा ।

निदेशकगण एमसीएल

1. श्री संजीव कुमार कस्सी, संयुक्त सचिव, एमओसी, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115
2. श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
3. श्री जे.के. बोरा, निदेशक (तकनीकी/संचालन), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
4. श्री ए.के. बेहुरा, निदेशक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
5. श्री संजय कुमार झा, निदेशक (तकनीकी/पीएंडपी), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020।
6. श्री डी.सी. तिवारी, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल, हाउस नंबर 1038, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग छोटा राम मंदिर के पास हंसपुरी नागपुर महाराष्ट्र-440018
7. डॉ. राजेश कुमार वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल, आशीर्वाद भवन, बांध रोड, बालूघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001

व्याख्यात्मक वक्तव्य

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार)

मद सं.-01

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन ।

भारत सरकार के राजपत्र प्रकाशन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय अधिसूचना संख्या जीएसआर 430 (ई) दिनांक 3 जून 2011 और बाद के आदेश के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की लागत लेखा परीक्षा शाखा द्वारा जारी एफ. संख्या 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 और बाद में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पत्र संख्या 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 24 जनवरी 2012 के अनुसार कोयला उद्योग के संबंध में लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य बना दिया गया है।

लेखा परीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर, निदेशक मंडल ने 23 सितंबर 2024 को आयोजित अपनी 273वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमसीएल में लागत लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी। लागत लेखा परीक्षा और लागू वैधानिक करों/शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क संरचना शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार होगी:

1. "संकल्प लिया गया कि मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कंपनी, मुख्यालय और इसकी इकाइयों, ईब फील्ड्स क्षेत्र, बसुंधरा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला (ईब वैली) के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 4,40,000.00 रुपये और पाकेट खर्च 2,20,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

2. "आगे संकल्प लिया गया कि मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कनिहा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(तालचेर) सहित तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्रों के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 2,92,000.00 रुपये, पाकेट खर्च 1,46,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाएगा और उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा बाद में शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या अन्य रूप से इस संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

बोर्ड ने आपके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की सिफारिश की है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
बोर्ड के आदेश से

S. Parida

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

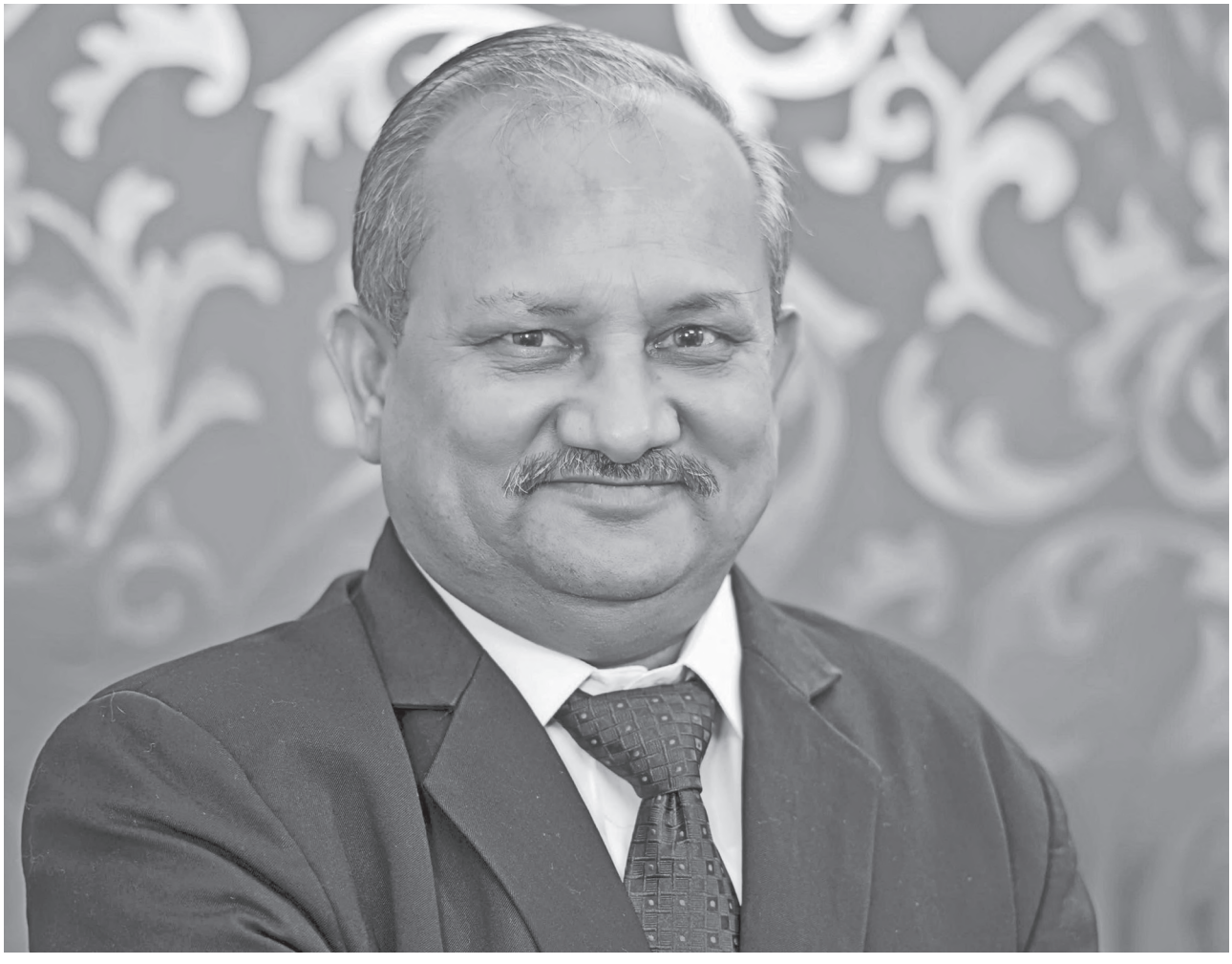
स्थान: संबलपुर
दिनांक: 28.07.2025

वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले तथा पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:

आम बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध है-

निदेशक का नाम और पदनाम	**श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक)**	**श्री जे. के. बोरा, निदेशक(तकनीकी-संचालन)**
डीआईएन	08651284	08651284
जन्म तिथि	10.06.1966	21.06.1966
राष्ट्रीयता	भारतीय	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	18-12-2019	01.08.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम बार लिए गए पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार।	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार।
योग्यता और अनुभव	आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र। मानव संसाधन में पीजी डिप्लोमा।	वाणिज्य में स्नातकोत्तर तथा भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से लागत एवं प्रबंधन लेखाकार की योग्यता।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य	शून्य
वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	9	10
अन्य कम्पनियों में निदेशक पद की सूची	1. महानदी बेसिन पावर लिमिटेड 2. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	1. एमजेएसजे कोल लिमिटेड 2. महानदी कोल रेल लिमिटेड
एमसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष/ सदस्यता	1. सीएसआर और सतत विकास उप-समिति 2. एमसीएल के भूमि विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति	1. सीएसआर और सतत विकास उप-समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 4. एमसीएल के भूमि विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति

अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक महोदय का वक्तव्य



प्रिय शेयरधारकों,

अपने सभी बोर्ड सदस्यों की ओर से, मैं आप सभी का महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में स्वागत करता हूँ। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निदेशकों के रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते, सांविधिक लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और समीक्षा, जो आपको पहले ही प्रेषित कर की जा चुकी है, मैं मान लेता हूँ कि उसे आप लोगों ने अवश्य ही पढ़ा होगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 एमसीएल के लिए एक उत्कृष्ट वर्ष रहा है। आपकी कंपनी एक बार फिर अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन और उत्कृष्ट परिचालन क्षमता द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में नंबर 1 कोयला उत्पादन कंपनी के रूप में उभरी है । एमसीएल ने अपने 225 मिलियन टन के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 225.17 मिलियन टन (जो इसके पिछले सर्वश्रेष्ठ 206.10 मिलियन टन को पार करते हुए) कोयला उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 35 मीट्रिक टन की क्षमता वृद्धि हासिल की है, जिससे एमसीएल में एफएमसी क्षमता 66 मीट्रिक टन हो गई है। आपकी कंपनी ने मार्च 2025 में एफएमसी से एक महीने में अपने उच्चतम औसत रेक लोड किए हैं, अर्थात, 25.94 रेक/दिन।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने बलांगीर जिले में स्थित पटनागढ़, में 50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट चालू किया है और कंपनी के 46 साइटों पर 2.5 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट भी चालू किए हैं।

परिचालन उत्कृष्टता :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी देश की नंबर 1 कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक 210.41 मिलियन टन कोयला ऑफ-टेक दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्शाता है। आपकी कंपनी ने 337.89 मिलियन क्यूबिक मीटर का अब तक का सर्वाधिक ओबी निष्कासन हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि और 2902 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय दर्ज करता है।

वित्तीय कार्य निष्पादन :

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने सकल बिक्री 36,606.32 करोड़ रुपये, शुद्ध बिक्री 23,071.39 करोड़ रुपये, कर-पूर्व लाभ 14,158.75 करोड़

रुपये और कर पश्चात लाभ 10,823.26 करोड़ रुपये दर्ज किया है। वर्ष के दौरान, अंतरिम लाभांश के रूप में 7,500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई तथा आगामी वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन हेतु 1,250 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई है । आपकी कंपनी सरकारी राजकोष में सर्वाधिक योगदान देने वाली कंपनी भी है और इस वित्तीय वर्ष में रॉयल्टी, उपकर, माल और सेवा कर, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, एनएमईटी, डीएमएफ और अन्य शुल्कों के रूप में 16,938.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

निगमित प्रशासन :

एमसीएल ने भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन कर रही है। आपकी कंपनी को भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग रिपोर्ट निदेशकों के रिपोर्ट का हिस्सा है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी :

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक उद्देश्यों में योगदान देने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता जारी रखी है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर के अधिनियमन के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 286.57 करोड़ रुपये के बजटीय आंकड़े की तुलना में मुकाबले 228.08 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कंपनी के सीएसआर मद के अंतर्गत प्रमुख व्यय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता आदि पर किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशकों की रिपोर्ट के साथ सीएसआर पर एक रिपोर्ट संलग्न की गई है।

हरित पहल :

हमने आपकी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिसने पर्यावरण अनुकूल सरफेस माइनर के माध्यम से 98% तक उच्चतम मात्रा में कोयला उत्पादन किया है। परिवहन में भी आपकी कंपनी ने लगभग 63% कोयला पर्यावरण-अनुकूल रेल माध्यम से प्रेषित किया है। आवासीय क्षेत्रों में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए, आपकी कंपनी ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों को दूर अलग अलग कोयला गलियारों के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान, एमसीएल ने कुल 270.3 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया, जिसमें से 123.43 हेक्टेयर खनन भूमि के भीतर और 146.88 हेक्टेयर खनन भूमि के बाहर किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान ओरिएंट एरिया की खदान संख्या 4 में चंद्रशेखर आज़ाद इको-पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसमें कोयला संग्रहालय, बच्चों का पार्क और खदान संख्या 4 की ढलान, जो एक अद्वितीय भूमिगत अनुभव प्रदान करती है, शामिल हैं।

मैं निदेशक मंडल की ओर से कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय-सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), कोल इंडिया लिमिटेड, ओडिशा राज्य सरकार के अलावा संबद्ध वैधानिक प्राधिकरणों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय ग्रामीणों एवं स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों और उनके संगठनों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त समर्थन के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं कोयला योद्धाओं के समर्पित कार्यों व प्रयासों की सराहना करता हूं तथा ट्रेड यूनियनों, नियामक निकायों और अन्य हितधारकों को धन्यवाद देता हूं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सतत विकास सुनिश्चित करने और अपने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाकर अपने परिचालन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

(उदय अनंत कावळे)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09715213)





Mine Closure towards Sustainable Mining : Chhendipada OCP



निदेशकों के प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारको,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारको,

मुझे निदेशक मण्डल की ओर से कंपनी की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग सभी मोर्चों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और कोयला के उत्पादन, ओबी और प्रेषण के मामले में यह वर्ष भी सफल रहा।

1. संगठन

आपकी कंपनी के संगठनात्मक संरचना में 2 कोलफील्ड्स अर्थात तालचेर कोलफील्ड्स तथा ईब-वैली कोलफील्ड्स शामिल हैं, जिसमें 13 खनन क्षेत्र के साथ 3 संचालित भूमिगत खदानें एवं 16 खुली खदान है। यहाँ दो केंद्रीय कार्यशालाएं, दो केंद्रीय अस्पताल एवं कंपनी के दो कार्यालय है जो भुवनेश्वर के साथ, बुर्ला, संबलपुर मुख्यालय में स्थित है। दो कोयला क्षेत्रों के खनन क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

क	तालचेर कोलफील्ड्स
(i)	जगन्नाथ क्षेत्र
(ii)	भरतपुर क्षेत्र
(iii)	हिंगुला क्षेत्र
(iv)	लिंगराज क्षेत्र
(v)	कनिहा क्षेत्र
(vi)	सुभद्रा क्षेत्र
(vii)	बलभद्र क्षेत्र
(viii)	तालचेर क्षेत्र (भूमिगत)

ख	ईब-वैली कोलफील्ड्स
(i)	लखनपुर क्षेत्र
(ii)	ईब-वैली क्षेत्र
(iii)	बसुंधरा क्षेत्र
(iv)	महालक्ष्मी क्षेत्र
(v)	ओरिएंट क्षेत्र (भूमिगत)

2.0 एमसीएल की अनुषंगी कंपनियां:

एमसीएल की एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमएनएच शक्ति लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड नामक चार (04) अनुषंगी कंपनियां हैं ।

दिनांक 31.03.2025 तक समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक कंपनी में प्रवर्तक संस्थाओं की इक्विटी शेयरधारिता पैटर्न और वर्तमान शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार हैं:

2.1 एमजेएसजे कोल लिमिटेड

प्रमोटर इकाइयों का नाम	एमओयू के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न	दिनांक 31.03.2025 तक शेयरधारिता पैटर्न
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (एमसीएल)	60%	60%
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	11%	11%
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	11%	11%
जेएसएल स्टेनलेस लिमिटेड	09%	09%
श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड	09%	09%
कुल	100%	100%

2.2 एमएनएच शक्ति लिमिटेड

प्रमोटर इकाइयों का नाम	एमओयू के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न	दिनांक 31.03.2025 तक शेयरधारिता पैटर्न
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (एमसीएल)	70%	70%

मेसर्स नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15%	15%
मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रिस लिमिटेड	15%	15%
कुल	100%	100%

2.3 महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

प्रमोटर इकाइयों का नाम	शेयरधारिता पैटर्न	दिनांक 31.03.2025 तक शेयरधारिता पैटर्न
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (एमसीएल)	100%	100%

2.4 महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

प्रमोटर इकाइयों का नाम	एमओयू के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न	दिनांक 31.03.2025 तक शेयरधारिता पैटर्न
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (एमसीएल)	64%	71.107%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)	26%	28.887%
ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ)	10%	0.006%
कुल	100%	100%

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीएल की प्रमुख विशेषताएं / उपलब्धियां:

कोयला उत्पादन :

- पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 19.075 मिलियन टन (9.25%) के मुक़ाबले वृद्धि दर्ज करते हुए इस वर्ष 225.174 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन।
- सरफेस माइनर के माध्यम से लगभग 220.30 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल कोयला उत्पादन (कुल कोयला उत्पादन का 98.05%)।

कोयला ऑफ-टेक :

- पिछले वर्ष की तुलना में 5.7% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सर्वाधिक कुल प्रेषण 210.4 मिलियन टन।
- पिछले वर्ष की तुलना में 5.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में बिजली क्षेत्र को कुल प्रेषण 158.02 मिलियन टन।
- वित्त वर्ष 2024-25 में रेल मोड में अब तक का उच्चतम प्रेषण 143.2 मिलियन टन है।
- पिछले वर्ष की तुलना में 98% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 24-25 में एफएमसी के माध्यम से लोड किए गए रैक 16.90 आरपीडी हैं।
- वित्त वर्ष 24-25 में बंदरगाहों के माध्यम से औसत रैक/दिन 33.5 आरपीडी है।
- एमसीएल ने दिनांक 12.03.2025 को 19 दिन पहले ही पिछले वित्त वर्ष की 199.02 मिलियन टन मात्रा को पार कर लिया।
- दिनांक 18.12.2024 को एक दिन में अब तक का सर्वाधिक 6.81 लाख टन का प्रेषण किया गया।
- 13 अगस्त 2024 को एक दिन में लोड किए गए रैकों की सबसे अधिक संख्या 117 रैक (ईब कोलफील्ड्स = 59 रेक और तालचेर कोलफील्ड्स = 58 रेक)
- एक दिन में अर्थात् 13 अगस्त 2024 को विद्युत क्षेत्र को सर्वाधिक 103 रैक/दिन।
- एक दिन में अर्थात 13 अगस्त 2024 को सबसे अधिक रेल द्वारा प्रेषण 4.37 लाख टन।
- दिसंबर 2024 माह में अब तक का सर्वाधिक रेक प्रेषण प्रतिदिन 105 रैक दिन।
- तीसरी तिमाही में अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 40.57 मिलियन टन के साथ विद्युत क्षेत्र को अब तक का सर्वाधिक प्रेषण।
- वित्त वर्ष 2024-25 में रेल मोड में अब तक का उच्चतम प्रेषण 143.2 मिलियन टन।

ओबी निष्कासन (रिमुवल)

- पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 60.898 मिलियन क्यूबिक मीटर (22.02%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 337.39 मिलियन क्यूबिक मीटर का अब तक का सर्वाधिक ओबी निष्कासन।

अन्य उपलब्धियाँ:

- दिनांक 13 अगस्त 2024 को ईब कोलफील्ड्स से एक दिन में लोड किए गए रैकों की सबसे अधिक यानी 59 रैक
- लजकुरा आरएलएस ने 21 जून 2024 से, सरडेगा आरएलएस ने 25 दिसंबर 2024 से और भुवनेश्वरी साइलो ने 27 जून 2024 से परिचालन शुरू किया।

- दिनांक 13.07.2024 को लिंगराज साइलो से एक दिन में अब तक का सबसे अधिक रेक लोडिंग (14 रैक)
- एफएमसी परियोजनाओं के माध्यम से एक ही दिन में अर्थात 13.07.2024 को अब तक का सबसे अधिक रैक लोडिंग 25 रैक
- दिनांक 13 अगस्त 2024 को एक दिन में ईब कोलफील्ड्स से सबसे अधिक रैक, यानी 59 रैक (एसईसीआर=43 रैक और एसईआर=16 रैक)
- दिसंबर 2024 में अब तक का सर्वाधिक मासिक प्रेषण 19.41 मिलियन टन।

3. उत्पादन कार्यनिष्पादन

पिछले वर्ष के लक्ष्य और उपलब्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमसीएल का उत्पादन कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

उत्पादन	2024-25		2023-24		लक्ष्य के तुलना में % उपलब्धि	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
i) कोयला (मिलियन टन)	एमओयू/ एएपी लक्ष्य	वास्तविक	एमओयू/ एएपी लक्ष्य	वास्तविक		
खुली खदान	224.5	224.69	203.54	205.64	100.1	9.3
भूमिगत खदान	0.5	0.48	0.46	0.46	95.8	5.0
कुल (खुली खदान+भूमिगत खदान)	225.000	225.17	204.000	206.10	100.1	9.3
ii) ओबीआर (मिलियन घन मीटर)	302.00	337.387	278.80	276.489	111.7	22.0

फेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन (विभाग + संविदात्मक) **(आंकड़े मिलियन टन में)**

वित्त वर्ष	विभागीय और संविदात्मक एसएमएस उपलब्धि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		कुल उत्पादन के मुकाबले एसएम द्वारा % उत्पादन शेयर
		पूर्ण	प्रतिशत	
2018-19	133.804	2.912	2.2	92.8
2019-20	129.096	-4.707	-3.5	92
2020-21	139.138	10.041	7.8	94
2021-22	161.355	22.217	16.0	95.9
2022-23	188.623	27.268	16.9	97.6
2023-24	202.204	13.581	7.2	**98.1**
2024-25	220.303	18.099	9.0	**97.8**

कोल उत्पादन **(आंकड़े मिलियन टन में)**

वित्त वर्ष	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		% उपलब्धि
			पूर्ण	प्रतिशत	
2018-19	151.50	144.151	1.09	0.80	95.1
2019-20	160.00	140.358	-3.794	-2.6	87.7
2020-21	160.00	148.013	7.655	5.5	92.5
2021-22	163.00	168.168	20.155	13.6	**103.2**
2022-23	176.00	193.262	25.094	14.9	**109.8**
2023-24	204.00	206.099	12.838	6.6	**101.0**
2024-25	225.00	225.174	19.074	9.3	**100.1**

ओबी निष्कासन (मिलियन क्यूबिक मीटर)

वित्त वर्ष	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		% उपलब्धि
			पूर्ण	प्रतिशत	
2018-19	157.00	130.002	-8.18	-5.90	82.8
2019-20	160.00	124.514	-5.488	-4.2	77.8

वित्त वर्ष	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		% उपलब्धि
			पूर्ण	प्रतिशत	
2020-21	203.00	173.150	48.636	39.1	85.3
2021-22	200.00	206.173	33.023	19.1	103.1
2022-23	208.00	245.964	39.791	19.3	118.3
2023-24	278.80	276.489	30.525	12.4	99.2
2024-25	302	337.387	60.898	22.0	111.7

4. उत्पादकता

4.1 कंपनी ने प्रति मैनशिफ्ट आउटपुट (ओएमएस) के संदर्भ में उत्पादकता हासिल की है जो निम्नानुसार है

(आंकड़े टन/मैनशिफ्ट में)

	2024-25		2023-24	लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि %	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %
	एएपी लक्ष्य (बजट)	वास्तविक	वास्तविक		
खुली खदान	37.50	34.99	32.66		
भूमिगत खदान	0.77	0.60	0.53	77.92	13.21
समग्र	27.26	29.56	27.24	108.43	8.52

4.2 2023-24 के दौरान ओएमएस 35.41 टन/मैनशिफ्ट था।/

क्रमांक		2024-25	2023-24	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %
1	खुली खदान ओएमएस	34.99	32.66	7.13
2	भूमिगत ओएमएस	0.60	0.53	13.21
3	ओसी का समायोजित एम/एस (लाख में)	64.212	62.96	1.99
4	भूमिगत खदान का मैनशिफ्ट (लाख में) Manshift of UG (Lakhs)	8.048	8.65	-6.96
5	**समग्र OMS के लिए कुल मैनशिफ्ट**	**3.920**	**4.05**	**-3.21**
A	खुली खदान कोयला (लाख टन में)	76.180	75.66	0.69
6	भूमिगत खदान कोयला (लाख टन में)	2246.95	2056.429	9.26
7	**कुल कोयला (लाख टन में)**	**4.79**	**4.563**	**4.97**
B	**समग्र(बी/ए)**	**2251.74**	**2060.992**	**9.25**
8	फॉर्मूला ओएमएस	29.56	27.24	8.52
9	भूमिगत खदान =			
	खुली खदान OC =	कोयला उत्पादन/ वास्तविक मैनशिफ्ट		
		कोयला उत्पादन + (1.4 x ओबी उत्पादन)		
		वास्तविक मैनशिफ्ट x (1+(1.4xSt. Ratio))		
	कुल मिलकर =	भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन + खुली खदानों से कोयला उत्पादन		
		भूमिगत मैनशिफ्ट + खुली खदानों की समायोजित मैनशिफ्ट		

10	समायोजित मैनशिफ्ट (खुली खदान के लिए खदान वार) =	कोयला उत्पादन/ओएमएस	
	समग्र ओएमएस की गणना	2246.95+4.79	2056.43+4.56
			54.208+6
		2251.74	2060.99
		76.180	75.66
		29.56	**27.24**

5. एचईएमएम की संख्या और कार्य निष्पादन

5.1 एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोगिता का विवरण, सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्ति के साथ-साथ फ्लीट की संख्या नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

क. एचईएमएम की संख्या एवं कार्यक्षमता

I. प्रमुख एचईएमएम की संख्या तथा उपलब्धता एवं उपयोगिता (पूर्ण आंकड़े):

क्र.सं.	उपकरण	वर्तमान संख्या		% उपलब्धता			% उपयोग		
		31.03.25	31.03.24	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक	अप्रैल 23 से मार्च 24 तक	सीएमपीडीआई मानदंड	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक	अप्रैल 23 से मार्च 24 तक	सीएमपीडीआई मानदंड
1	शावेल	73	75	84	79	80	19	20	58
2	सर्फेस/ माइनर	21	21	85	81	--	40	40	--
3	डम्पर	316	324	84	80	67	11	13	50
4	डोजर	128	127	75	69	70	19	19	45
5	ड्रिल	62	62	92	83	78	8	8	40
कुल		**600**	**609**						

II. प्रमुख एचईएमएम के लिए प्राप्त कार्य घंटे:

क्र.सं.	उपकरण	कार्य के घंटे	
		2024-25	**2023-24**
1	शावेल	110055	121835
2	सर्फेस/माइनर	65467	61905
3	डम्पर	277170	327969
4	डोजर	184930	195084
5	ड्रिल	23557	27356

III. निष्पादन का सारांश:

क) वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त शॉवेल, डम्पर, डोजर और ड्रिल की उपलब्धता सीएमपीडीआई मानदंडों से अधिक है और सरफेस माइनर की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

ख) वर्ष के दौरान, शॉवेल और डम्पर के उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी आई है। इस गिरावट का कारण विभागीय उपकरणों की सीमित उपलब्धता को माना जा सकता है।

उपयोगिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण:

1. प्रमुख एचईएमएम के लिए ऑपरेटरों की कमी।
2. विभागीय एचईएमएम के लिए सीमित उपलब्धता

क. पूरे वर्ष भूमि की भारी कमी के कारण गरजनबहाल, बसुंधरा और बलराम खदानों की परिचालन दक्षता प्रभावित हुई है। लखनपुर, भरतपुर, समलेश्वरी और जगन्नाथ खदानों की परिचालन दक्षता भी वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान आंशिक रूप से प्रभावित रही।

ख. लिंगराज एवं अनंत ओसीपी में विभागीय कार्य-क्षेत्र संकुचित एवं तंग हैं।

ग. बसुंधरा ओसीपी ने 19.02.2025 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक उत्पादन रोक दिया।

IV. उपयोगिता में सुधार के लिए उठाए गए कदमः

1. पुराने और अविश्वसनीय उपकरणों का सर्वेक्षण और नए उपकरणों की खरीद।
2. एमसीएल प्रबंधन भूमि अधिग्रहण के लिए गांवों को स्थानांतरित करने का काम सक्रिय रूप से कर रहा है।
3. एचईएमएम के उपयोग को बढ़ाने के लिए पीआईएस योजना का कार्यान्वयन।

V. एचईएमएम की ब्रेकडाउन की स्थिति

उपकरण	संख्या		ब्रेकडाउन> 3 महीने	
	31.03.25 तक	31.03.24 तक	31.03.25 तक	31.03.24 तक
शावेल	73	75	0	02
सर्फेस/माइनर	21	21	1	00
डम्पर	316	324	8	18
डोजर	128	127	3	02
ड्रिल	62	62	7	06
एमसीएल कुल	**600**	**609**	**19**	**28**

नोट: पिछले वर्ष की तुलना में 3 महीने से अधिक समय तक ब्रेकडाउन में 32.14% की कमी आई है।

ख. क्षमता उपयोग (खुली खदान परियोजनाएँ)

क्र.सं.	विवरण	क्षमता (वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर)		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)
		2024-25	2023-24	
1	विभागीय क्षमता (मि.क्यूमी)	102.57	98.26	4.39
2	सिस्टम क्षमता (मि.क्यूमी)	648.96	547.86	18.45
3	विभागीय उत्पादन (मि.क्यूमी)	40.322	40.223	0.25
4	कुल उत्पादन (मि.क्यूमी)	472.762	399.924	18.21
5	विभागीय क्षमता उपयोग	39.31	40.93	-3.96
6	प्रणाली क्षमता उपयोग	72.85	72.99	-0.19

नोट: एमसीएल की प्रणाली क्षमता सीएमपीडीआईएल से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।

C. CONSERVATION OF ENERGY:

A. Fuel & Lubricants:

Efforts to reduce fuel and lubricant consumption include the following measures:

1.Periodic maintenance and monitoring of equipment.

2.Continuous monitoring of Specific Diesel Consumption to ensure compliance with norms set by CMPDI.

3.Regular checking of tire inflation to optimize fuel efficiency.

4.Periodic inspection of hoses and routing to minimize hydraulic oil leakage from the system.

5.Awareness has been provided to operator to minimize equipment idling.

6.Routine inspection of all Auto electrical items like self-starters, alternators, and batteries.

7.Provision of an adequate number of batteries to ensure equipment self-start capabilities.

8.The recovery of burnt oil has improved by 4.88 % in FY: 2024 - 25 over FY: 2023-24. Burnt oil recovery: FY 2024-25: 50.88 % & FY 2023-24: 46 % which indicates better health of HEMM and good maintenance practices.

B. Impact of measures of Energy Conservation and consequent impact on the parameters of production:

Sl.no	Description	2024-25	2023-24	% change over previous year
1	Consumption of HSD, in Ltrs/Cum for Departmental Production.	1.00	1.09	-8.25
2	Consumption of lubricants, in Ltrs/Cum for Departmental Production.	.019	0.0239	-20.50
3	Consumption of HSD, in Ltrs/Tonne of Coal Production	1.02	1.219	-16.32
4	Consumption of Lubricants, in ltrs/Tonne of Coal Production.	0.020	0.027	-25.92

6. 1. ऊर्जा आपूर्ति

i) तालचेर कोलफील्ड्स: नंदीरा में 120 एमवीए (2X40 एमवीए + 2X20 एमवीए), 132/33 केवी, ग्रिड सब-स्टेशन को ओपीटीसीएल अंगुल सब-स्टेशन से 11 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट ओवर-हेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली प्राप्त हो रही है, जो टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीसीओडीएल), पूर्व में सीईएसयू के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसकी अनुबंध मांग 42 एमवीए है।

ii) ईब-वैली कोलफील्ड्स: जोराबगा, 80 एमवीए (2X20 एमवीए + 40 एमवीए), 132/33 केवी, ग्रिड सब-स्टेशन में 30 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ टाटा पावर वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडब्ल्यूओडीएल), पूर्व में वेस्को के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत ओपीटीसीएल बूढ़ीपदर सब-स्टेशन से 19 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट ओवर-हेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली प्राप्त हो रही है।

iii) बसुंधरा कोलफील्ड्स: बसुंधरा क्षेत्र को टाटा पावर वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडब्ल्यूओडीएल), पूर्व में वेस्को के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत ओपीटीसीएल, लेफ्रिपड़ा सब-स्टेशन से 12 किलोमीटर लंबी 220 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 8 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ 220 केवी पर बिजली प्राप्त हो रही है।

iv) मुख्य बिजली आपूर्ति बिंदुओं के अलावा, एमसीएल को जोराडा सबस्टेशन, कनिहा क्षेत्र में अनुबंध मांग 665.5 केवीए, भुवनेश्वर कार्यालय में अनुबंध मांग 115 केवीए, जागृति विहार कार्यालय में अनुबंध मांग 900 केवीए, जागृति विहार कॉलोनी में अनुबंध मांग 560 केवीए और आनंद विहार कॉलोनी में अनुबंध मांग 1400 केवीए के साथ बिजली मिल रही है।

v) ऊर्जा की उपलब्धता और उपयोग

पैरामीटर	2024-25	2023-24
अनुबंध मांग (एमवीए)	83.640	75.640
अधिकतम मांग (एमवीए) (वित्त वर्ष के दौरान किसी एक माह में सर्वाधिक)	88.553	69.556
ऊर्जा की खपत (मिलियन kWh)	425.84	373.32
कुल राशि (करोड़ रु)	292.85	247.64
यूनिट मूल्य (रु/ kWh)	6.88	6.64
विशिष्ट ऊर्जाखपत (kWh/टन)	1.89	1.81
बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला + ओबी निष्कासन), kWh/क्यू मीटर में	0.90	0.93
छूट की तारीख से पहले अर्थात हर महीने के 4थे या 5वें दिन के पहले बिजली के भुगतान पर लाख रु की छूट।	263.87	236.89

1. एमसीएल के प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या और कार्य-निष्पादन क्षमता

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या और उनकी उपलब्धता नीचे दी गई है:

क्र.	उपकरण का नाम	पंजीगत संख्या		2024-25		2023-24	
		2024-25	2023-24	% उपलब्धता	% उपयोगिता	% उपलब्धता	% उपयोगिता

1	एसडीएल*	6	6	60.00	25.09	63.82	24.76
2	एलएचडी*	14	15	61.06	35.11	73.51	30.60

यूजी उत्पादन	**2024-25**	**2023-24**
वास्तविक (एमटी)	0.48	0.46
लक्ष्य(एमटी)	0.50	0.46

सीआईएल मानदंड के अनुसार एसडीएल और एलएचडी के लिए सूत्र है

$$* \% \text{ उपलब्धता} = \frac{H_w + H_i}{H_s} \times 100$$

जहां,
H_w = वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष,
H_i = निष्क्रिय घंटे/ वर्ष
H_s = शिफ्ट घंटे / वर्ष

$$* \% \text{ उपयोगिता} = \frac{H_w}{H_s} \times 100$$

जहां,
H_w = वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष,
H_s = शिफ्ट घंटे / वर्ष

2. कोल हैंडलिंग संयंत्रों वेब्रिजों की संख्या और उनके कार्यक्षेत्र आदि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6.45 मीट्रिक टन कोयला क्रश किया जाएगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएचपी और फीडर ब्रेकर्स के माध्यम से 5.82 मीट्रिक टन कोयला क्रश किया गया।

वर्ष	**2024-25**		**2023-24**	
	क्रशिंग क्षमता(एमटीवाई)	**क्रश किया गया कोयला (एमटी))**	**क्रशिंग क्षमता(एमटीवाई)**	**क्रश किया गया कोयला (एमटी))**
क्षमता बनाम क्रश्ड कोयला	10.50	6.45	10.50	5.82
संयंत्र की क्रशिंग क्षमता का % उपयोगिता	61.40		55.41	

एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में सरफेस माइनर्स के आने के बाद क्रशर/सीएचपी का उपयोग काफी हद तक कम हो गया है और इस प्रकार उन्हें स्टैंडबाय के रूप में उपयोग किया जाता है और जहां भी पारंपरिक रूप से कम मात्रा में कोयला उत्पादन होता है, केवल उसी मात्रा को क्रश किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल कोयला उत्पादन का 97% से अधिक सरफेस माइनर के माध्यम से किया गया था। सीएचपी के नवीनीकरण और पे लोडर लोडिंग से बचने के लिए रोड-सेल ट्रकों में कोयले की ट्रक लोडिंग प्रणाली शुरू करने और स्टॉकपाइल्स पर मोबाइल क्रशर लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2.2 सीएचपी/एसआईएलओ के कार्यात्मक बिंदु निम्नानुसार हैं :-

क्षेत्र	**सीएचपी का स्थान**	**क्षमता (एमटीवाई)**
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	3.0
	अनंता ओसीपी	1.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
	न्यू साइलो	15.0
लिंगराज	न्यू सीएचपी(साइलो I & II)	16.0
ईब-वैली	लजकुरा ओसीपी	15.0
भुवनेश्वरी	भुवनेश्वरी साइलो चरण 1	10.0
कुल		**63.5**

2.3 कोयला प्रेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए एमसीएल की सभी प्रमुख ओपन कास्ट खदानों में सीएचपी/साइलो का निर्माण कार्य निष्पादन/निविदा/योजना को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में है।

एमसीएल में पूर्ण/कार्यशील सीएचपी/साइलो परियोजनाएं

क्र.सं.	सीएचपी/एसआईएलओ विवरण	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	एमजीआर भरतपुर ओसीपी पर साइलो लोडिंग व्यवस्था के साथ पुराना कोयला हैंडलिंग प्लांट।	5 एमटीवाई	संयंत्र चालू है।
2	भरतपुर साइडिंग, भरतपुर ओसीपी में साइलो लोडिंग व्यवस्था के साथ नया कोयला हैंडलिंग प्लांट।	15 एमटीवाई	इस संयंत्र को दिनांक 09.10.2018 को एमसीएल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है और यह दिसंबर 2018 से परिचालन में है।
3	लिंगराज ओसीपी पर कोयला परिवहन और साइलो लोडिंग व्यवस्था	16 एमटीवाई	प्लांट का ट्रायल रन 25.04.2020 को पूरा हो गया है। प्लांट की कमिशनिंग हो गई है और यह चालू है।
4	भुवनेश्वर ओसीपी से जगन्नाथ वाशरी को बायपास करते हुए स्पर साइडिंग-III के पास साइलो तक कच्चे कोयले का परिवहन, (फेज-I, सीएचपी/साइलो)	10 एमटीवाई	संयंत्र का निर्माण पूरा हो गया है और यह 24 नवंबर से वाणिज्यिक रूप से प्रचालन में है।
5	हिंगुला ओसीपी से पाइप कन्वेयर द्वारा बलराम साईडिंग, हिंगुला क्षेत्र में साइलो व्यवस्था तक कोयला परिवहन।	10 एमटीवाई	संयंत्र के 31.12.2025 तक चालू होने की उम्मीद है
6	ईब-वैली वाशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति के लिए लखनपुर में साइलो के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट और रैपिड लोडिंग सिस्टम	10 एमटीवाई	साइलो का निर्माण पूरा हो चुका है और रेल संपर्क स्थापित होने के बाद ट्रायल रन किया जाएगा। ईब वैली वाशरी में कच्चे कोयले की आपूर्ति व्यवस्था के लिए पीजी परीक्षण पूरा हो चुका है और उपरोक्त भाग 15 अप्रैल 2024 से परिचालन में है।
7	लजकुरा कोल हैंडलिंग प्लांट और समलेश्वरी ओसीपी में सर्ज बंकर के साथ रैपिड लोडिंग सिस्टम।	15 एमटीवाई	संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन 24 दिसंबर से शुरू हो गया है और तब से यह प्रचालनाधीन है।

3.3 वेब्रिजों का विवरण

क्र.सं.	वेब्रिज का प्रकार	2024-25	2023-24
1	इलेक्ट्रॉनिक रोड वेब्रिज (स्थिर)	127	109
2	इलेक्ट्रॉनिक रोड वेब्रिज (गतिशील)	46	51
3	रेलवे ब्रिज (इलेक्ट्रॉनिक)	40	39

दोनों छोरों (स्टॉक यार्ड और साइडिंग) पर 100% वजन सुनिश्चित करने के लिए, 100T के 40 स्टैटिक रोड वेब्रिज के लिए एक (01) आपूर्ति आदेश दिया गया है, जिसमें से 28 पहले ही चालू हो चुके हैं। इसके अलावा, 32 रेल इन-मोशन वेब्रिज को एफओआईएस के साथ एकीकृत किया गया है।

3.4 अनुषंगी और एमएसई उद्योगों का विकास

एमसीएल स्थानीय उभरते उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने तथा स्टोर/उपभोज्य/मरम्मत आदि के क्षेत्रों में राजस्व का पर्याप्त हिस्सा आवंटित करके उन्हें स्थायी व्यवसाय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपरोक्त उद्देश्य हेतु, एमसीएल के पास पूर्ण एमएसएमई-सहायक विकास प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है:

- ओडिशा राज्य में अपने परिचालन क्षेत्राधिकार में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने और उन्हें विकसित करने के लिए सभी प्रयासों को शुरू करना, अनुमति देना और प्रोत्साहित करना।
- राज्य के उद्योग निदेशालय और डी.आई.सी. की सहायता से एमसीएल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुर्जों की उपलब्धता में सुधार, आयात प्रतिस्थापन करना।
- राज्य के स्थानीय युवा आबादी के बीच स्वरोजगार और इस प्रकार आत्म निर्भरता बढ़ाने की गुंजाइश बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण।
- राज्य में आम जनता की समृद्धि और राष्ट्र के औद्योगिक मानचित्र में इस राज्य का उत्थान तथा इस राज्य के एससी/एसटी एमएसई और महिला एमएसई सहित एमएसई के औद्योगिक उत्पादों को समायोजित करना, ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक मानक को प्राप्त करने की नई गतिशीलता तक पहुंचा जा सके।

कंपनी की स्थापना के बाद से ही एमसीएल ने ओडिशा के एमएसई की मदद की है और उनका विकास किया है। एमएसई इकाइयों को एमसीएल के इंजीनियरिंग और खनन अनुभाग में शामिल उत्पादन प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े विभिन्न उपभोज्य पुर्जों/वस्तुओं और सेवा-संबंधी कार्यों के लिए निविदाएं दी गईं।

एमएसई का अस्तित्व बनाए रखने के अपने निरंतर प्रयासों में, एमसीएल उन सहायक इकाइयों को स्थायी व्यवसाय दे रहा है जो गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति और शीघ्र वितरण कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार द्वारा एमएसई के लिए 358 मदें आरक्षित की गई है जिन्हें विशेष रूप से एमएसई से ही खरीदा जाता है जिसके लिए एक विशेष एनआईटी भी तैयार की गई है।

एमसीएल लगातार सहायक इकाइयों के साथ संपर्क में है और समय-समय पर संवादात्मक सत्र/बैठकें आयोजित करके उनकी शिकायतों का निवारण करने का प्रयास कर रहा है। एमसीएल हमेशा राज्य के एमएसएमई के साथ है ताकि राष्ट्रीय हित के साथ गुणवत्ता, विपणन और समग्र व्यवसाय विकास के मामले में उनके उत्थान को बढ़ावा दिया जा सके। इसे राज्य और राष्ट्रीय निकायों द्वारा विभिन्न मंचों पर भी मान्यता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, एमसीएल ने एमएसई को बढ़ावा देने और एमसीएल में व्यावसायिक अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए सात (07) विक्रेता विकास कार्यक्रमों का आयोजन/भागीदारी की है।

एमसीएल द्वारा अपनाई गई नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई आदेश 2012 के अनुसार, वर्ष 2015-16 से सार्वजनिक क्रय नीति का कार्यान्वयन अनिवार्य हो गया है। एमसीएल ने जुलाई 2013 से मौजूदा सहायक नीति के साथ इस नीति को तैयार और लागू किया था। एमएसई और सहायक के लिए नई खरीद नीति, एमसीएल द्वारा अपनाई गई, सहायक और एमएसई शीर्षक के अंतर्गत एमसीएल पोर्टल पर उपलब्ध हैः-

(http://www.mahanadicoal.in/About/pdf/ANCILLARY_POLICY.pdf)।

- एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत एमएसई से खरीदा जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद के 25 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाएगा। हालांकि, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा आवश्यकताओं और एल 1 मूल्य को पूरा करने में ऐसे एमएसई की विफलता की स्थिति में, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित खरीद हेतु 4% उप-लक्ष्य अन्य एमएसई से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भी खरीदा जाएगा।
- निविदा में, एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर कीमत उद्धृत करने वाले भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपनी कीमत एल1 मूल्य तक कम करके आवश्यकता के एक हिस्से की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, ऐसी स्थिति में जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा किसी अन्य से हो और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति करने की अनुमति होगी।
- व्यापार करने की लेन-देन लागत को कम करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निःशुल्क निविदा सेट उपलब्ध कराकर सुविधा प्रदान की जाएगी, तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बयाना राशि के भुगतान से छूट दी जाएगी।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 358 वस्तुओं की खरीद, जिन्हें विशेष रूप से उन्हीं से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। नई नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक एनआईटी पहले ही लागू की जा चुकी है, जिसमें केवल एमएसई या एमएसई के अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकते हैं तथा अन्य से प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

एमसीएल की वार्षिक खरीद और पिछले तीन वर्षों की एमएसई से खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

		2020-21 (रु करोड़ में)	2021-22 (रु करोड़ में)	2022-23 (रु करोड़ में)	2023-24 (रु करोड़ में)	2024-25 (रु करोड़ में)
1	एचईएमएम, पीओएल, इमारती लकड़ी, विस्फोटक आदि को छोड़कर कुल वार्षिक खरीद (करोड़ रुपए में)	86.22	427.18	216.72	730.51	309.31
2	एमएसई से कुल खरीद (करोड़ रुपए में)	34.40	166.03	150.16	439.52	117.54
3	कुल खरीद में से एमएसई से खरीद का प्रतिशत	39.89	38.87	69.29	60.16	38.00

एमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल वार्षिक खरीद में से एमएसई के लिए 38% खरीद (एचईएमएम, पीओएल, इमारती लकड़ी, विस्फोटक आदि को छोड़कर एमएसएमई के माध्यम से खरीद का लक्ष्य 35% है) की है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएसई से 1553.09 करोड़ रुपये की सेवा खरीद (सीएमसी अनुबंध) की गई है। एमसीएल एमएसएमई के माध्यम से लगातार खरीद लक्ष्य हासिल कर रहा है और भविष्य में भी इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

एमसीएल को आरएक्सआईएल (रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीआरईडीएस (ट्रेड्स रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। एमएसएमई विक्रेताओं को टीआरईडीएस पोर्टल पर पंजीकरण करने और आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एमसीएल खरीद प्रक्रिया की निगरानी कर रही है, ई-खरीद पोर्टल में बोलीदाताओं के डेटाबेस को अद्यतन कर रही है, 25% का लक्ष्य प्राप्त करने और उसमें सुधार करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है।

7. पूंजीगत संरचना

31.03.2025 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹1600.00 करोड़ है, जिसे ₹1000/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के 1,39,58,200 शेयरों में तथा ₹1,000/- प्रत्येक के 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर के 20,41,800 शेयरों में विभाजित किया गया है।

8. शेयर पूंजी

31.03.2025 तक कंपनी की जारी/भुगतान की गई शेयर पूंजी ₹1323.67 करोड़ है, जिसे ₹1,000/- प्रत्येक के 1,32,36,726 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

9. वित्तीय समीक्षा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व वर्ष ₹37,200.78 करोड़ के मुकाबले ₹36,606.32 करोड़ का सकल बिक्री मूल्य दर्ज किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के ₹15,593.10 करोड़ के मुकाबले ₹14,158.75 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर-पश्चात लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के ₹11,845.40 करोड़ के मुकाबले ₹10,823.26 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय परिणाम नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

[₹ करोड़ में]

		2024-25	2023-24
क	सकल लाभ (मूल्यह्रास और ब्याज से पहले)	15,318.16	16,626.93
ख	वियोग : मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	1,088.19	966.99
ग	वित्तीय लागत	71.22	66.84
घ	कर पूर्व निवल लाभ	14,158.75	15,593.10
ड़	वियोग : आयकर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान	3,335.49	3,747.70
च	कर पश्चात निवल लाभ	10,823.26	11,845.40
छ	प्रतिधारित आय में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि	11,193.12	8,939.99
ज	वियोग : सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	541.17	592.27
झ	वियोग : इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश	7,500.00	7,500.00
ञ	वियोग : गत वर्ष का अंतिम लाभांश	1,100.00	1,500.00
ट	उपर्युक्त विनियोग के बाद लाभ/हानि	12,875.21	11,193.12
ठ	कर पूर्व अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(68.13)	(56.26)
ड	वियोग : ओसीआई पर आयकर का प्रावधान	17.15	14.16
ढ़	कर पश्चात अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(50.98)	(42.10)
ण	कर पश्चात कुल व्यापक आय (एफ+एन)	10,772.28	11,803.30

10.1 रिज़र्व में स्थानांतरण

वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ का 5% अर्थात ₹541.17 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई है।

10.2.1 लाभांश

निदेशक मंडल ₹7,500.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश सहर्ष घोषित करता है तथा ₹1,250.00 करोड़ का अंतिम लाभांश अनुशंसित किया गया है, जिसे वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन घोषित करने का प्रस्ताव है, जो ₹1323.67 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर है। जिसे अनुमोदन हेतु इस वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹8,750 करोड़ अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 661.04% (पिछले वर्ष 649.71%) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 1,100 करोड़ का अंतिम लाभांश एजीएम में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया गया है और शेयरधारकों को इसका भुगतान किया गया है।

10.2.2 बाहरी लोगों को दिए गए ऋण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को कोई ऋण नहीं दिया गया है और 31.03.2025 तक कोई ऋण बकाया नहीं है।

11. निवेश:

11.1 एमसीएल की सहायक कंपनियों एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में गैर-वर्तमान निवेश क्रमशः ₹24.57 करोड़, ₹57.06 करोड़, ₹0.05 करोड़ और ₹64.00 करोड़ हैं।

11.2 एमसीएल की सहायक कंपनी महानदी कोल रेलवे लिमिटेड को ₹208.00 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण (अर्ध इक्विटी) और 31.03.2025 तक बकाया ऋण ₹208.00 करोड़ है।

11.3 31.03.2025 तक म्यूचुअल फंड में निवेश ₹822.73 करोड़ था (पिछले वर्ष ₹1,214.28 करोड़)।

12. पूंजीगत व्यय

वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 2907.52 करोड़ था जबकि पिछले वर्ष यह व्यय ₹ 3839.80 करोड़ था।

13. उधार

31.03.2025 तक बैंक नेशनले डे पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस को मेसर्स लिबरर फ्रांस एसए से आस्थगित ऋण पर चार हाइड्रोलिक शॉवेल की खरीद के लिए देय राशि ₹3.35 करोड़ है।

14. विक्रय प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीएल की अन्य परिचालन आय सहित सकल बिक्री ₹40,045.87 करोड़ थी (कोयला गुणवत्ता भिन्नता और पीआई/मुआवजा के प्रावधान को छोड़कर)। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरंभिक व्यापार प्राप्य और समापन व्यापार प्राप्य (कोयला गुणवत्ता भिन्नता और पीआई/मुआवजा के प्रावधान को छोड़कर) क्रमशः ₹2089.62 करोड़ और ₹2456.90 करोड़ थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्राप्ति ₹39,678.59 करोड़ थी जो कुल आरंभिक देनदारों और चालू वर्ष की सकल बिक्री का 94.17% है।

15. राजकोष में भुगतान

आपकी कंपनी केंद्र और राज्य के राजकोष में प्रमुख योगदानकर्ता बनी हुई है। पिछले वर्ष के दौरान किए गए भुगतानों की तुलना में वर्ष के दौरान रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ, जीएसटी, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, आयकर के रूप में कंपनी द्वारा किया गया भुगतान इस प्रकार है:

[₹ करोड़ में)]

	2024-25	**2023-24**
रॉयल्टी	2,860.12	3,183.53
एनएमईटी	58.75	61.93
डीएमएफ	881.93	929.74
माल एवं सेवा कर	720.40	756.98
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	8,417.17	7,879.50
आयकर	4,000.00	4,350.00
कुल	**16,938.37**	**17,161.68**

16.1. विदेशी मुद्रा और व्यय

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल,उत्पादों, निर्यात गतिविधियों, सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएँ। : Company is not engaged in export activities.

(ii) प्रयुक्त एवं अर्जित विदेशी मुद्रा

विवरण	**चालू वर्ष**	**विगत वर्ष**
(क) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा:		
(i) आयात का सीआईएफ मूल्य		
(क) घटक, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	0.00	0.00
(ख) पूंजीगत माल	0.00	0.00
(ii) यात्रा	0.14	0.24

(iii) ब्याज	0.04	0.04
(iv) अन्य	0.67	0.72
(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा:	0.00	0.00

विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय -

वर्ष के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर व्यय ₹15.57 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष यह व्यय ₹15.68 करोड़ था।

ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान हेतु अदेय सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

विवरण	**जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण**	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	3.95	-	3.95
ii) अप्रदत्त देय ब्याज	-	-	-	-
iii) अदेय उपार्जित ब्याज	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	**-**	**3.95**	**-**	**3.95**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़ना	-	0.00	-	0.00
* घटाना	-	0.60	-	0.60
निवल परिवर्तन	-	(0.60)	-	(0.60)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	3.35	-	3.35
ii) अप्रदत्त देय ब्याज	-	-	-	-
iii) अदेय उपार्जित ब्याज	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	**-**	**3.35**	**-**	**3.35**

अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी -

1. एएमआरसीडी के माध्यम से एनटीपीसी के साथ विवाद के समाधान के पश्चात, 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु सतही परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए 62.29 करोड़ रुपये की राशि के लिए पहले से विचार किए गए अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते को वर्ष के दौरान वापस ले लिया गया है और समझौते के अनुसार एनटीपीसी को आवश्यक क्रेडिट नोट जारी कर दिया गया है।
2. रेलवे बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अपने पत्र संख्या 2018/इन्फ्रा/12/19 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेल लाइन के लिए एमसीएल को बढ़ी हुई माइलेज को मंजूरी दी है। उपरोक्त के लिए रियायत समझौता 11.03.2024 को दक्षिण पूर्व रेलवे और एमसीएल के बीच निष्पादित किया गया था। पूर्वोक्त समझौते के अनुसार, बढ़ी हुई माइलेज के माध्यम से रियायत का पुनर्भुगतान 17.04.2023 से प्रभावी होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, रेलवे की ओर से रेलवे रसीद (आरआर) विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप एमसीएल को दिए जाने वाले बढ़े हुए माइलेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और अंतिम रूप देने से पहले रेलवे के साथ एक परिशिष्ट समझौता करने की आवश्यकता थी। 17.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए गणना की गई 122.65 करोड़ की राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्त खातों में आय के रूप में दर्ज किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ा हुआ माइलेज भी अनुमान के आधार पर खातों में शामिल किया गया है।

17. परियोजना निर्माण /पूंजीगत परियोजना

योजना :

एमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 239 एमटीई कोयला उत्पादन करने की योजना बनाई है। वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय 2700.00 करोड़ है, जिसका बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास (कोयला परिवहन सड़कों के निर्माण, ऐफएमसी की रेल कनेक्टिविटी सहित), सौर संयंत्रों और भारी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा।

अन्वेषण :

अन्वेषण का कार्य सीएमपीडीआईएल द्वारा किया जा रहा है। 2024-25 के दौरान अन्वेषण तथा 2025-26 के लिए प्रस्तावित अन्वेषण का विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	ब्लॉक	क्षेत्र	कोलफील्ड	2024-25 के दौरान ड्रिलिंग (एम)	प्रस्तावित ड्रिलिंग 2025-26 (एम)	जीआर अनुसूची
1	ओरिएंट वेस्ट (गौतमधारा)	4.14	ईब वैली	0.00	3000.00	2027-28
2	ब्लॉक IV का डिपसाइड	5.00	ईब वैली	0.00		2029-30
3	उत्पादन सहायता (समलेश्वरी ओसीपी उत्पादन सहायता)		ईब वैली	1612.00		उपलब्ध
ईब वैली कुल				**1612.00**	**3000.00**	
4	त्रिबिरा, सुभद्रा पश्चिम (सीम -I) रबीपुर बलभद्र उत्तरी विस्तार, बलभद्र पश्चिम विस्तार. और उत्पादन सहायता	12.91	तालचेर	2250.00 (त्रिबिरा)	10000	2025-26 (त्रिबिरा) 2027-28 (रबीपुर)
5		5.99	तालचेर	0.00		
6		14.53	तालचेर	4148.00 (रबीपुर)		
7		4.93	तालचेर	4330.00 (बलभद्र उत्तर विस्तार))		
8		6.43	तालचेर	2795.00 (बलभद्र पश्चिम विस्तार)		
9			तालचेर			
तालचेर कुल				**13523.00**	**10000.00**	
कुल एमसीएल				**15135.00**	**13000.00**	

परियोजना निर्माण: शून्य

परियोजना कार्यान्वयन:

2024-25 के दौरान कंपनी का कुल पूंजीगत व्यय 2767.05 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 2907.52 करोड़ रुपये है।

कोयला परियोजनाएं: -

एमसीएल में कुल 51 कोयला खनन परियोजनाएँ हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की निर्धारित उत्पादन क्षमता 352.78 एमटीवाई है, जिसका स्वीकृत पूंजीगत व्यय 41120.30 करोड़ रुपये है। कुल 51 परियोजनाओं में से 40 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, तथा 11 परियोजनाएँ चालू हैं। 51 परियोजनाओं की वर्तमान क्षमता तथा पूंजीगत व्यय निम्नानुसार है:

वर्ग (करोड़ रु.)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्थिति		
				समाप्त	पूर्ण	चालू
100 और उससे अधिक	22	301.40	40402.27	01	10	11
50 से 100	09	16.00	427.58	00	09	00
20 से 50	13	28.10	225.93	01	12	00
20 से कम	07	7.28	64.52	01	06	00
कुल	**51**	**352.78**	**41120.30**	**03**	**37**	**11**

पूर्ण परियोजनाएं: - 40

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रु. करोड़ में)	पूर्ण करने की तिथि
TALCHER COALFIELDS				
1.	अनंता ओ/सी	4.00#	338.44	Mar 2008
2.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-I	5.50#		
3.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-II	12.00#		
4.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-III	15.00	467.94	Mar-2022
5.	बलाण्डा ओ/सी तथा आरपीआर (समाप्त)	1.00	33.20	Mar 1984
6	बलराम ओ/सी	8.00#	344.63	Mar 2000
7.	भरतपुर ओ/सी	3.50#	158.97 (RCE)#	Mar 1991
8.	भरतपुर विस्तार चरण -I	5.00#	48.02#	Mar 1998
9.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण -II	11.00#	95.87#	Mar 2007
10.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण -III	20.00#	131.39#	Mar 2010
11.	छेंडिपाड़ा ओ/सी (समाप्त)	0.35	19.75	Mar 2007
12.	हिंगुला -II ओ/सी	2.00#	47.93	Mar 2002
13.	हिंगुला-II विस्तार चरण -I	4.00#	89.78	Mar 2009
14.	हिंगुला -II ओ/सी विस्तार चरण -II	8.00	35.67	Mar 2009
15.	जगन्नाथओ/सी / जगन्नाथ विस्तार	4.00#	66.71 / 4.71	Mar 1991
16.	जगन्नाथओ/सी विस्तार चरण -II	6.00#	4.95	Mar 2008
17.	जगन्नाथ पुनः संगठन ओसी	6.00	437.011	Oct 2020
18.	लिंगराज ओ/सी	5.00#	229.84	Mar 1998
19.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -I	10.00#	98.89	Mar 2007
20.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -II	13.00#	2.18	Mar 2008
21.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -III	16.00	306.18	Mar 2014
22.	नंदिरा भूमिगत (आवर्धन)	0.33	17.96	Mar 1995
उप कुल (क्षमता समाप्त खदानों सहित)		**46.68**	**2545.77**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
23.	बसुंधरा (पूर्व) ओ/सी (समाप्त)	0.60	19.70	Mar 1998
24.	बसुंधरा (पश्चिम) ओ/सी	2.40#	68.74 (RCE)	Mar 2007
25.	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार. चरण -I	7.00	46.52	Mar 2011
26.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00#	246.93	Mar 2015
27.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण -I	3.50#		
28.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण -II	8.00#		
29.	कुल्डा ओसीपी	10.00	487.06	Feb-2020
30.	लजकुरा ओ/सी / लजकुरा विस्तार.	1.00#	38.98 (RCE) /3.22	Mar 1991
31.	लजकुरा ओ/सी विस्तार चरण -I	2.50	194.99	Mar 2013

32.	लाखनपुर ओ/सी	5.00#	215.02	Mar 2000
33.	लाखनपुर ओ/सी विस्तार चरण -I	10.00#	98.74	Mar 2010
34.	लाखनपुर ओ/सी विस्तार चरण -II	15.00#	116.54	Mar 2011
35.	लिलारी ओ/सी/ लिलारी विस्तार.	0.80#	19.78 / 0.63	Mar 1992
36.	समलेश्वरी ओ/सी	3.00#	636.24	Mar 2013
37.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -I	4.00#		
38.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -II	5.00#		
39.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -III	7.00#		
40.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -IV.	12.00		
उप योग (क्षमता समाप्त खदानों सहित)		**32.10**	**2193.09**	
कुल (पूर्ण परियोजना)		**78.78**	**4738.861**	

(#) विस्तार/प्रसार /पुनर्गठन/डोव-टेल्ड परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद इन खदानों की क्षमता और/या पूंजी को बाहर रखा गया है।

चालू परियोजनाएं: -11

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रु. करोड़ में)	पीआर अनुमोदन की तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1	बलराम विस्तार ओसीपी	15.00	3504.21	04.08.2020
2	भूबनेश्वर विस्तार ओसीपी	50.00	6321.73	26.03.2024
3	गोपालजी - कनिहा ओसीपी	30.00	6107.87	25.04.2022
4	हिंगुला का आरपीआर -II विस्तार चरण-III ओसीपी	15.00# (7 incr.)	2264.68	07.11.2022
5	भरतपुर पुन: संगठन ओसी	20.00	2838.87	12.11.2018
6	सुभद्रा ओसीपी	25.00	1693.81	29.05.2021
7	बलभद्र ओसीपी	10.00	978.44	19.04.2023
	उप कुल	**157.00**	**23709.61**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
8	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार	7.00	620.42	07.05.2014
9	सियारमल ओसीपी	50.00	5194.95	02.02.2021
10	एकीकृत लखनपुर -बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी	30.00	2434.75	22.05.2018
11	कुल्डा-गर्जनबहाल ओसीपी विस्तार	40.00	4421.71	19.04.2023
	उप कुल	**117.00**	**12671.83**	
कुल (चालू परियोजनाएं)		**274.00**	**36381.44**	
कुल योग (समाप्त खदानों की क्षमता सहित)		**352.78**	**41120.30**	

(#) विस्तार/प्रसार /पुनर्गठन/डोव-टेल्ड परियोजना रिपोर्ट के लिए क्षमता में कोई वृद्धि/आंशिक वृद्धि नहीं।

भावी परियोजना: -

क्र.	परियोजना का नाम	पीआर क्षमता (एमटीवाई)	टिप्पणियां
1.	अनंता भूमिगत	3.36	परियोजना रिपोर्ट आगामी टीएससी बैठक में रखी जाएगी
2	बैतरणी पूर्व ओ.सी.पी.	20.00	परियोजना रिपोर्ट अप्रैल-2025 में योजना समिति की बैठक में रखी जाएगी
3	बलभद्र ओसीपी, उत्तर और पश्चिम विस्तार	20.00	सीएमपीडीआई में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है
कुल		**कुल अतिरिक्त परियोजना क्षमता = 43.36**	

मौजूदा पुरानी भूमिगत उत्पादन खदानें : - 02

क्र.	परियोजना का नाम	सीएमपीडीआईएल द्वारा मूल्यांकित क्षमता (एमटीवाई में) (मिलियन टन /वर्ष)					
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1.	हीराखंड बुंदिया खदान	0.428	0.468	0.247	0.219	0.219	0.250
2.	ओरिएंट खदान 1और 2	0.328	0.321	0.350	0.219	0.219	0.219
	कुल	**0.756**	**0.789**	**0.597**	**0.438**	**0.438**	**0.469**
	कुल क्षमता (मौजूदा भूमिगत खदानों सहित) = 352.78 +0.469 = 353.249						

एमसीएल की भूमिगत खदान संकल्पना योजना:

नई/विस्तारित खदान का नाम	निष्कासन योग्य कोयला भंडार (एमटी)	उत्पादन चरण (एमटी)				
			26-27	27-28	28-29	29-30
अनंता भूमिगत	37.87 मि. टन (चरण-I)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
तालचेर भूमिगत	11.00 मि. टन	0.00	0.00	0.10	0.27	0.36
नंदिरा भूमिगत	9.21 मि. टन अनुमोदित योजना के अनुसार	0.05	0.07	0.11	0.45	0.51
ओरिएंट खदान 1और 2	35.26 (वर्जिन)+ 30.04 (पिलरों पर) = 65.30	0.21	0.215	0.215	0.22	0.22
एचबीएम	8.53 मि. टन, अनुमोदित योजना के अनुसार	0.22	0.215	0.230	0.56	0.60
कुल भूमिगत कोयला उत्पादन		**0.48**	**0.50**	**0.65**	**1.50**	**1.69**

- नंदिरा भूमिगत खदान (यूजी) में कंटिन्युअस माइनर (सीएम) की तैनाती के लिए एक योजना आरआई-V बिलासपुर द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना एमसीएल बोर्ड की 275वीं बैठक, जो 16 नवंबर 2024 को आयोजित की गई थी, में स्वीकृत की गई।
- एचबीएम भूमिगत खदान (UG) में कन्टिन्यूअस माइनर (CM) की तैनाती के लिए एक योजना आरआई-VII द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना एमसीएल बोर्ड की 275वीं बैठक, जो 16 नवंबर 2024 को आयोजित की गई थी, में स्वीकृत की गई।
- तालचेर भूमिगत खदान को राजस्व साझेदारी के आधार पर एमडीओ दिया गया है। इस संबंध में अनुबंध दिनांक 12.01.2024 को हस्ताक्षरित हुआ। अनुबंध के अनुसार, शर्त को पूरा करने की समयावधि अनुबंध की तारीख से 365 दिन निर्धारित की गई थी, जो कि 11.01.2025 को समाप्त हो गई। इसके बाद, एमडीओ को पहली बार 180 दिनों का विस्तार प्रदान किया गया, जो कि 09.07.2025 को समाप्त होगा।
- एक नई भूमिगत खदान के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसका नाम अनंता यूजी है। यह खदान पदमा, भरतपुर नॉर्थ, जगन्नाथ, अनंता और इसका विस्तार ब्लॉकों को कवर करेगी। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट आरआई-IV, नागपुर में तैयार की जा रही है। टीएससी की बैठक जून 2025 में होने की संभावना है।

गैर-खनन परियोजनाएं

एमसीएल की प्रमुख चालू गैर-खनन परियोजनाएं जिनकी लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक है:

क्र.	परियोजना का नाम	पूंजीगत लागत (रु. करोड़ में)
1	लखनपुर क्षेत्र के बेलपहाड़ बाईपास पर 4-लेन कैरिज वे रोड का निर्माण।	65.26
2.	सुंदरगढ़ जिले में एसएच-10 पर बांकीबहाल से भेड़ाबहाल तक समर्पित कोल कॉरिडोर रोड का निर्माण। लंबाई-31 किमी	671.19
3.	लिंगराज ओसीपी, लिंगराज क्षेत्र के मौजूदा कोल कॉरिडोर रोड को उत्तरी तरफ से दक्षिणी तरफ स्थानांतरित करना।	51.01
4.	जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ओसीपी के विभिन्न स्थानों पर स्थायी कोयला परिवहन कंक्रीट सड़क का निर्माण।	49.75
5.	अनंता सीएचपी-आरएलएस (20 एमटीवाई)	278.48
6.	भुवनेश्वरी साइलों (चरण-II) (15 एमटीवाई)	247.69
7.	कनिहा सीएचपी-आरएलएस (10 एमटीवाई)	268.05
8	सरड़ेगा सीएचपी-आरएलएस S (20 एमटीवाई)	311.68
9.	हिंगुला न्यू सीएचपी लिंक	218.30
10.	भुवनेश्वरी साइलों (चरण -I) (10 एमटीवाई)	334.81
11.	हिंगुला साइलो (10 एमटीवाई)	168.95
12.	भुवनेश्वरी साइलो को इनपुट कोयला फीडिंग व्यवस्था (चरण -I)	40.52
13.	लखनपुर साइलो (10 एमटीवाई) चरण-I	164.38
14.	अनंता सीएचपी-आरएलएस से रेल संबद्धता (20 एमटीवाई) 19.0 कि.मी.	260.00
15.	भुवनेश्वरी साइलो से रेल संबद्धता (चरण -II) (15 एमटीवाई) 13.40 किमी	265.70
16.	कनिहा सीएचपी-आरएलएस रेल संबद्धता (10 एमटीवाई) 2.50 किमी	19.17
17.	लजकुरा सीएचपी-आरएलएस से रेल संबद्धता (15 एमटीवाई) 9.0 किमी	89.92
18.	सरड़ेगा सीएचपी-आरएलएस से रेल संबद्धता (20 एमटीवाई) 14.70 किमी	224.78
19.	लखनपुर साइलो से रेल संबद्धता चरण -I (8.32 किमी)	146.77
20.	लखनपुर साइलो से रेल संबद्धता चरण -II	230.00
21.	लखनपुर क्षेत्र में वाई-कर्व साइडिंग का स्थानांतरण (17.20 किमी)	360.00
22.	तालचेर कोलफील्ड्स की मौजूदा रेल साइडिंग पर स्वचालित सिग्नलिंग का प्रावधान।	58.00
23.	50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।	301.91
24.	झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेल लाइन चरण-II कार्य (जिसमें 52 किमी लाइन का दोहरीकरण, 47.70 किमी बरपाली में लोडिंग बल्ब और 26.00 किमी झारसुगुड़ा में दोहरी लाइन फ्लाईओवर शामिल है)	3198.12
25.	तालचेर में मेडिकल कॉलेज (MIMSR) का निर्माण	492.62
26	झारसुगुड़ा में 100 बिस्तरों वाला कार्डियक इंस्टीट्यूट	103.58
27	ओडिशा के 232 रेलवे स्टेशनों के परिसंचारी क्षेत्रों में प्रीफैब्रिकेटेड शौचालयों की स्थापना	57.55
28.	अंगुल जिले के तालचेर और कनिहा ब्लॉक के 35 गांवों के लिए 2 पाइप जलापूर्ति योजनाएं	55.07
29.	घंटापाड़ा गांव के पास लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण	27.80
30.	झारसुगुड़ा जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं (78) का निर्माण।	27.30

31.	जिला स्टेडियम, झारसुगुड़ा का निर्माण	25.41
32.	सीटी रोड लखनपुर ओसीपी पर नई वाई कर्व साइडिंग का काम शुरू	26.22
33.	महालक्ष्मी क्षेत्र के अंतर्गत बसुंधरा (पश्चिम) ओसीपी में सरडेगा साइडिंग तक मौजूदा कोयला परिवहन सड़क का चौड़ीकरण और सरडेगा सीएचपी के ट्रक रिसीविंग हॉपर तक नई सड़क का निर्माण	24.59
34.	रेल अवसंरचना परियोजनाओं का विकास: क) 6 आरओबी का निर्माण, ख) तालचेर कोलफील्ड में एमसीएल के रेलवे साइडिंग/रेल नेटवर्क में 4 स्थानों/खंडों पर रेल लाइनों का दोहरीकरण, ग) ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर द्वारा जमा आधार पर तालचेर स्टेशन से एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड में स्पर संख्या 7-8 तक अलग नई रेल लाइन।	662.43
35	रेलवे ट्रैक का उन्नयन जिसमें 14.626 किलोमीटर ट्रैक लंबाई का पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण (सीटीआर) और तालचेर कोलफील्ड में एमसीएल की रेलवे साइडिंग के विभिन्न स्थानों पर 7.5 किलोमीटर का थ्रू रेल नवीनीकरण (टीआरआर) शामिल है, अर्थात देउलबेरा-1 साइडिंग यार्ड, अनंत साइडिंग के स्पर-5, बलराम साइडिंग के स्पर-9, भरतपुर साइडिंग 7 और 8 से बलराम साइडिंग 9 और 10 (ब्लॉक सेक्शन), जगन्नाथ साइडिंग नंबर 3 और 4 से भरतपुर साइडिंग नंबर 7 और 8 (ब्लॉक सेक्शन), भरतपुर साइडिंग 7 और 8 यार्ड ई/आर लाइन, टीएलएसबी केबिन से दक्षिण बलंदा साइडिंग नंबर 1 और 2 ई/आर लाइन और टीआरआर जैसे स्थानों पर जगन्नाथ, तालचेर यार्ड से टीएलएसबी केबिन ब्लॉक सेक्शन, दक्षिण बलंदा साइडिंग नंबर 1 और 2 से भरतपुर साइडिंग 7 और 8 ब्लॉक सेक्शन रेलवे को जमा आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।	42.82
36.	i) जल निकासी प्रणाली में प्रस्तावित नवीनीकरण/सुधार, ii) लोडिंग प्लेटफार्मों से ट्रैक पर कोयले के फैलाव को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल का प्रावधान और iii) प्रस्तावित विविध सुरक्षा संबंधी कार्य जैसे टो वॉल, रिटेनिंग वॉल, साइड ड्रेन, स्टोन पिचिंग, सेस मरम्मत आदि को ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा तालचेर में एमसीएल साइडिंग के गहरे कटाव और उच्च तटबंध स्थानों में निष्पादित किया जाना है।	31.18
37	सरडेगा आरओबी में आरओबी	45.00
38.	बलराम एफएमसी रेल कनेक्टिविटी के लिए एफएसआर और डीपीआर की तैयारी	85.30
39	अतिरिक्त साइडिंग और लॉन्ग-हॉल लूप्स, जिसमें वाई-कर्व, लखनपुर क्षेत्र में लोड एडजस्टमेंट लाइन्स शामिल हैं	150.00
40	कनिका में दूसरी साइडिंग का निर्माण	50.00
41	**लखनपुर क्षेत्र में 10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना**	48.73
42	**ओरिएंट और ईबी वैली क्षेत्र में 25 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना**	149.25
	कुल	**10129.30**

2024-25 में पूरी होंगी एमसीएल की 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख गैर-खनन परियोजनाएं:

क्र.	**परियोजना का नाम**	**पूंजीगत लागत (रु. करोड़ में)**
1	लजकुरा सीएचपी-आरएलएस (15 मी. टन)	285.05
2	अंगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी-उत्थान)	20.29
3	लखनपुर ओसीपी, लखनपुर क्षेत्र के डब्ल्यूबीएम सीटी रोड का निर्माण	9.39
4	सरडेगा साइडिंग पर प्लेटफार्म का चौड़ीकरण	51.60
	कुल	**366.33**

विदेशी सहयोग: शून्य

आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण:

- एमसीएल सरफेस माइनर तकनीक द्वारा खुली खदानों में कोयला खनन के लिए ब्लास्ट-फ्री प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने में अग्रणी है।
- एमसीएल ने विस्फोट मुक्त ओबी रिमुवल के लिए वर्टिकल रिपर्स भी शुरू किया है।
- एमसीएल की प्रमुख खुली खदान परियोजनाओं में रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ साइलो/सीएचपी शुरू किए जा रहे हैं।
- धुले हुए कोयले के प्रेषण के लिए लखनपुर परियोजना में एक कोल वाशरी अर्थात ईब-वैली वाशरी का निर्माण कार्य पूरा हो

गया है।

- एमसीएल ने दिनांक 13.10.2014 से अपना पहला (सीआईएल का पहला) ग्रिड से जुड़ा 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक शुरू किया है और 10 विभिन्न स्थानों पर 1.21 मेगावाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया है। एमसीएल अक्षय ऊर्जा के एक भाग के रूप में विभिन्न स्थानों पर ग्राउंड माउंटेड 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.50 मेगावाट रूफ टॉप सौर संयंत्र को भी स्थापित कर रहा है।
- खुली खदानों की लघु एवं मध्यम अवधि की योजना के लिए 'माइनक्स जियोविया योजना एवं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर' की शुरूआत।
- खदान से इंटरनेट प्लेटफॉर्म तक रियल टाइम हवाई वीडियो प्रसारण के लिए 'विहंगम' पोर्टल की शुरूआत।
- प्रभावी धूल दमन के लिए फॉग कैनन और रोबोटिक नोजल की शुरुआत।
- सतही खनिक, ड्रिल, डम्पर, डोजर और उत्खननकर्ताओं के संचालकों के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण की शुरूआत।
- बेहतर और पर्यावरण अनुकूल रोशनी के लिए विभिन्न एचईएमएम में एलईडी लाइटें लगाना।
- लखनपुर ओसीपी में 100 टन के 2 डम्परों में एलएनजी के साथ दोहरे ईंधन मोड की शुरुआत की गई।
- डीजल चोरी रोकने के लिए निगरानी उपाय के रूप में एचईएमएम में ईंधन निगरानी प्रणाली (एफएलएमएस) की स्थापना।

सरकार की मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाएं : शून्य।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण और अधिकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.	क्षेत्र	पट्टे की भूमि		सरकारी गैर-वन		वन भूमि		कुल अधिग्रहित	कुल कब्जे में	टिप्पणी
		अधिग्रहित	कब्जे में	अधिग्रहित	कब्जे में	अधिग्रहित	कब्जे में			
1	जगन्नाथ	58.45	36.65	28.91	1.40	13.82	0.00	101.17	38.05	
2	भुवनेश्वरी	325.33	0.49	127.76	4.05	77.08	0.00	530.17	4.53	
3	हिंगुला	-	24.63	-	487.21	-	-	0.00	511.84	
4	सुभद्रा	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	
5	भरतपुर	-	17.36	-	0.79	-	-	0.00	18.15	
6	लिंगराज	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	
7	कनिहा	-	54.85	-	2.48	-	-	0.00	57.34	
8	ईब वैली	-	13.19	-	0.66	-	-	0.00	13.85	
9	लखनपुर	-	21.51	-	110.49	-	-	0.00	132.01	
10	बसुंधरा-गर्जनबहाल	-	9.00	-	149.88	-	-	0.00	158.89	
11	महालक्ष्मी	-	28.93	-	71.97	-	-	0.00	100.90	
कुल		**383.78**	**206.63**	**156.66**	**828.92**	**90.90**	**0.00**	**631.34**	**1035.55**	

18. एमसीएल में वाशरीप्लांट के निर्माण की स्थिति (दिनांक 31.03.2025 तक)

एमसीएल में नॉन-कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा उच्च राख वाले कोयले की किफायती धुलाई के लिए बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन (बीओएम) आधार पर कोल वाशरियों की स्थापना के निर्णय के अनुरूप, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने लखनपुर क्षेत्र में 10.0 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता की ईबी-वैली कोल वाशरी बीओएम मॉडल पर स्थापित की है।

एमसीएल ने क्रमशः बलराम ओसीपी में 15 एमटीपीए और बसुंधरा क्षेत्र में कुलदा-गर्जनबहाल वाशरी, 12 एमटीपीए डीशेलिंग प्लांट/वॉशरी स्थापित करने की भी योजना बनाई है।

इन वाशरियों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है

क. लखनपुर में ईबी-वैली वॉशरी (10.0 एमटीपीए क्षमता)।

- लखनपुर क्षेत्र में ईबी-वैली वाशरी की स्थापना के लिए 14/03/2018 को एलओए जारी किया गया।

- लखनपुर क्षेत्र में ईबी-वैली वाशरी की स्थापना के लिए अनुबंध पर 15/10/18 को मेसर्स ग्लोबल कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए।
- ईबी-वैली वाशरी का निर्माण कार्य 27/11/2018 को शुरू किया गया।
- ईबी-वैली वाशरी का ट्रायल रन 09.10.2023 से 30.11.2023 तक आयोजित किया गया।
- ईबी-वैली वाशरी का टेस्ट रन 10.05.2023 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
- सीएमपीडीआई के मार्गदर्शन में ईबी-वैली वाशरी का प्रदर्शन गारंटी परीक्षण (पीजीटी) 18.12.2023 से 05.02.2024 तक आयोजित किया गया।
- ईबी-वैली वाशरी का वाणिज्यिक संचालन 15/04/2024 से शुरू किया गया है।
- 31.03.2025 तक, 5.36 मीट्रिक टन (लगभग) कच्चे कोयले को संसाधित किया गया है, 4.31 मीट्रिक टन (लगभग) धोया हुआ कोयला ईबी-वैली वाशरी से उत्पन्न किया गया है (राख = 33.5 ± 0.5%, उपज = 80.41%) और 3.81 मीट्रिक टन (लगभग) धोया हुआ कोयला पहले ही विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजा जा चुका है।

ख. बलराम ओसीपी, हिंगुला क्षेत्र में डीशेलिंग प्लांट/वाशरी की स्थापना (क्षमता-15 मीट्रिक टन प्रति वर्ष)।

- हिंगुला क्षेत्र के बलराम ओसीपी में 15 एमटीपीए क्षमता के डीशेलिंग प्लांट/वाशरी की स्थापना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने के लिए कार्य आदेश 23.04.2024 को सीएमपीडीआई को जारी किया गया।
- बलराम ओसीपी में डीशेलिंग प्लांट/वाशरी की स्थापना के लिए मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट जनवरी 2025 में सीएमपीडीआई से प्राप्त हुई है।
- बलराम ओसीपी में 15 एमटीपीए क्षमता के डीशेलिंग प्लांट/वाशरी की स्थापना के लिए मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट पर एमसीएल की टिप्पणियाँ पहले ही सीएमपीडीआई को सौंप दी गई हैं और अप्रैल 2025 में सीएमपीडीआई से अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
- व्यवहार्यता रिपोर्ट के सक्षम अनुमोदन के बाद, बलराम ओसीपी में 15 एमटीपीए क्षमता के डीशेलिंग प्लांट/वाशरी की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ग. बसुंधरा क्षेत्र में 12 एमटीपीए कुलदा-गर्जनबहाल वाशरी की स्थापना:

- बसुंधरा क्षेत्र में 12 एमटीपीए क्षमता वाली कुल्दा-गर्जनबहाल वाशरी की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु कार्य आदेश सीएमपीडीआई को फरवरी 2025 में पहले ही जारी किया जा चुका है।
- यह रिपोर्ट वर्तमान में सीएमपीडीआई द्वारा तैयार की जा रही है और इसके सितंबर 2025 तक पूरी होने की संभावना है।
- व्यवहार्यता रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, बसुंधरा क्षेत्र में 12 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल्दा-गर्जनबहाल वाशरी की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया एमसीएल द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

19. पर्यावरण प्रबंधन

19.1 वैधानिक मंजूरी और अनुपालन

19.1.1 मंजूरी:

19.1.1.1 पर्यावरण मंजूरी

ईआईए अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित) के अनुसार, किसी भी खदान, वाशरी के संचालन/निर्माण या किसी भी खदान के विस्तार/विस्तार के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। तदनुसार, एमसीएल नियमित रूप से सभी खदानों (नई और विस्तार) के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन कर रहा है और उसे प्राप्त कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त टीओआर और पर्यावरण मंजूरी नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं।

क) 2024-25 के दौरान प्राप्त टीओआर

क्रम सं.	परियोजना का नाम क्षमता	क्षमता (एमटीवाई)	पत्र सं. और दिनांक
1.	बलभद्र ओसीपी- न्यू ग्रीनफील्ड	10	जे-11015/71/2024-आईए-II(एम)दिनांक 17.02.2025

ख) 2024-25 के दौरान प्राप्त पर्यावरण मंजूरी(ईसी)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पर्यावरण मंजूरी का प्रकार	पत्र सं. और दिनांक
1	एकीकृत एलबीएल	40	संशोधन	जे-11015/15/2019आईए-II (एम) दिनांक 13.08.2024
2	कुलदा ओसीपी	21	संशोधन	जे-11015/10/1995-आईए-II (एम) दिनांक 21.02.2025
3	बलराम ओसी विस्तार	15	विस्तार	जे-11015/09/2013-आईए-II (एम) दिनांक 24.02.2025

4	अनंत ओसी विस्तार	24	विस्तार	जे-11015/397/2008-आईए.II (एम) दिनांक 15.03.2025

सी) एमसीएल संचालित खदानों के लिए कुल उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी

क्रम. सं.	विवरण	तालचेर कोलफ़ील्डस	ईब-वैली कोलफ़ील्डस	कुल
1	31.03.2025 तक उपलब्ध कुल पर्यावरण मंजूरी	171.10 एमटीवाई	151.71 एमटीवाई	322.81 एमटीवाई

वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में एमसीएल की सभी कार्यरत खदानों के लिए कुल ईसी क्षमता 322.81 मीट्रिक टन उपलब्ध होगी, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत में यह 318.35 मीट्रिक टन उपलब्ध होगी।

19.1.2 वन मंजूरी

वन संरक्षण एवं अधिनियम, 1980 और इसके संशोधनों के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), गैर-वनीय उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए आवश्यक वन मंजूरी (एफसी) प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में MoEF&CC से निम्नलिखित वन मंजूरी प्राप्त की गई हैं:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमोदन प्रकार (चरण I/ चरण II)	पत्र संख्या और दिनांक
1.	भुवनेश्वरी ओसी विस्तार	26.41	चरण I	8-18/2002-FC (वॉल्यूम) दिनांक 24.09.2024
2.	बलराम ओसी विस्तार	193.845	चरण I	8-143/1989-FC (वॉल्यूम) दिनांक 22.11.2024
3.	सुभद्रा ओसीपी	125.24	चरण II	8-06/2023-FC दिनांक 24.01.2025
4.	एकीकृत एलबीएल ओसी	417.073	चरण II	8-280/1989-FC वॉल्यूम दिनांक 19.02.2025

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल्दा ओसी विस्तार (134.69 हेक्टेयर), भरतपुर ओसी विस्तार (44.64 हेक्टेयर और 13.07 एक जैसे) और बसुंधरा (डब्ल्यू) एक्सटेंशन (227.62 हेक्टेयर) के प्रस्ताव चरण I अनुमोदन प्रदान करने के लिए एफएसी में विचार के लिए एमओईएफ और सीसी के पास प्रस्तुत किए गए।

ए) एमसीएल के लिए कुल उपलब्ध वन मंजूरी

क्रमांक	विवरण	तालचेर कोलफ़ील्डस	ईब-वैली कोलफ़ील्डस	कुल
1	01.04.2025 तक कुल उपलब्ध एफसी	2452.782 हेक्टेयर	2498.425 हेक्टेयर	4951.207 हेक्टेयर

वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में एमसीएल की सभी खदानों के लिए कुल उपलब्ध एफसी क्षमता 4951.207 हेक्टेयर है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत में यह 4408.894 हेक्टेयर थी।

1.1.3. भूजल निष्कर्षण मंजूरी:

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर के तहत 20 सितंबर 2020 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सभी नए/मौजूदा उद्योगों, विस्तार चाहने वाले उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और भूजल निष्कर्षण करने वाली खनन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 13 परियोजनाओं को सीजीडब्ल्यूए से एनओसी प्रदान की गई।

क्र.सं.	ईब-वैली कोलफ़ील्डस	क्र.सं.	तालचेर कोलफ़ील्डस
1.	समलेश्वरी ओसीपी	1.	जगन्नाथ ओसीपी
2.	लजकुरा ओसीपी	2.	सुभद्रा ओसीपी
3.	बेलपहाड़ ओसीपी	3.	भुवनेश्वरी ओसीपी
4.	सियारमल ओसीपी	4.	लिंगराज ओसीपी
5.	गर्जनबहाल ओसीपी	5.	अनंता ओसीपी
		6.	कनिहा ओसीपी
		7.	हिंगुला ओसीपी
		8.	बलराम ओसीपी

19.1.4 एसपीसीबी, ओडिशा से स्थापना की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ)

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमसीएल की सभी चालू खदानों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), ओडिशा सरकार से जल

और वायु अधिनियमों के तहत "सीटीई और सीटीओ" प्राप्त कर लिया गया है, जिसकी कुल क्षमता 265.23 मीट्रिक टन है। विस्तार खदानों यानी अनंत और बलराम ओसीपी के लिए सीटीई और सीटीओ भी प्राप्त कर लिए गए हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमसीएल की सभी चालू खदानों के लिए उपलब्ध कुल सीटीओ क्षमता 265.23 मीट्रिक टन है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह 242.278 मीट्रिक टन थी।

19.1.5 खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 और इसके बाद के संशोधन

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सभी संचालित खदानों द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 और इसके बाद के संशोधनों के तहत "प्राधिकरण" भी ओडिशा सरकार के एसपीसीबी से प्राप्त किया गया है।

19.2 वैधानिक अनुपालन:

- ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त सभी संचालित खदानों की पर्यावरण मंजूरी शर्तों की अर्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट एमओईएफ और सीसी, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, नई दिल्ली और एसपीसीबी को 2024-25 के दौरान समय पर प्रस्तुत की गई है।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम-14 के अंतर्गत प्रपत्र-V में पर्यावरण विवरण तैयार करने के लिए, वर्ष 2024-25 के दौरान 24 खदानों, 02 रेलवे साइडिंग और 01 वाशरी में से प्रत्येक के लिए अधिकारियों की बहु-विषयक टीम द्वारा पर्यावरण लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी। इसकी रिपोर्ट 30 सितंबर 2024 को एसपीसीबी को सौंप दी गई है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में, एकीकृत एलबीएल के लिए LiDAR तकनीक का उपयोग करके मृदा और नमी संरक्षण योजना की तैयारी को मंजूरी दी गई और बलराम ओसीपी के लिए शुरू किया गया। सुभद्रा, एकीकृत एलबीएल, बलराम, कुल्दा और भुवनेश्वर ओसीपी के लिए साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण योजना को मंजूरी दी गई।
- प्रयुक्त बैटरियों और पुनर्प्राप्त जले हुए तेल और ग्रीस को अधिकृत पुनर्संसाधनकर्ताओं को नीलाम किया जाता है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार, बैटरियों के लिए अर्ध-वार्षिक रिटर्न और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, खतरनाक अपशिष्टों के लिए वार्षिक रिटर्न एसपीसीबी, ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

19.3 पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए किए गए उपाय।

19.3.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए, वायु प्रदूषण की जाँच के लिए कई दीर्घकालिक सर्वोत्तम अभ्यास हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं।

- एमसीएल ने पर्यावरण अनुकूल सरफेस माइनर तकनीक (1999-2000 में 4.2% से 2024-25 में 98% तक) के माध्यम से कोयला उत्पादन को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरफेस माइनर के माध्यम से कोयला उत्पादन नीचे सारणीबद्ध है।

  2024-25 का वार्षिक औसत नीचे सारणीबद्ध है।

कुल कोयला उत्पादन (एमटीवाई)	ओपन कास्ट द्वारा कोयला उत्पादन (एमटीवाई)	सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन	
		एमटीवाई	%
225.2	224.69	220.33	97.8 %

  यह जल छिड़काव व्यवस्था के साथ विस्फोट रहित खनन तकनीक है जो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग जैसे धूल पैदा करने वाले कार्यों को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, क्रशर तक परिवहन-अनलोडिंग और पुनः लोडिंग जैसे बुनियादी इकाई संचालन के उन्मूलन और इन कार्यों में डीजल की खपत में काफी मात्रा में बचत के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन में भी कमी आई है (यदि पारंपरिक तरीके से कोयला उत्पादन हुआ होता)।
- 2024-25 के दौरान, लगभग 68.08% (143.284 मीट्रिक टन) कोयला प्रेषण सबसे पर्यावरण अनुकूल अंतर्देशीय जन परिवहन प्रणाली यानी रेल, बेल्ट और एमजीआर के माध्यम से किया गया, जबकि सड़क के माध्यम से प्रेषण केवल 31.92% (67.176 मीट्रिक टन) है।
- आरएलएस और 05 साइलो के साथ एमजीआर। लजकुरा सीएचपी-आरएलएस (15 एमटीवाई), भुवनेश्वर सीएचपी-एसआईएलओ फेज-I (10 एमटीवाई) और सरदेगा आरएलएस साइडिंग को 2024-25 में चालू किया गया।
- आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों और अन्य क्षेत्रों को दरकिनार करते हुए अलग समर्पित कोयला परिवहन गलियारे का निर्माण में टीसीएफ में समर्पित कोयला परिवहन गलियारे की लंबाई 22.58 किमी, आईबीसीएफ में 17.03 किमी और बसुंधरा क्षेत्र में 30.811 किमी है।
- **कोयला परिवहन सड़कों पर धूल दमन उपकरणों की तैनाती:**
  - ट्रक पर लगे 40 मीटर छिड़काव वाले फ़ॉग कैनन
  - मोबाइल वाटर टैंकर
  - फिक्स्ड मिस्ट/वाटर स्प्रिंकलर
  - मैकेनिकल रोड स्वीपर/मैनुअल स्वीपिंग और कोयला परिवहन सड़कों पर फैले कोयले और धूल की सफाई
- **रेलवे साइडिंग पर धूल दमन उपकरणों की तैनाती:**
  - **100/40 मीटर छिड़काव वाले फ़ॉग कैनन**

- **फिक्स्ड स्प्रिंकलर**
- **मोबाइल वाटर टैंकर**

- **कोयला हैंडलिंग प्लांट में धूल दमन उपकरणों की तैनाती:**
  - मिस्ट, फिक्स्ड स्प्रिंकलर
  - धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेन गन।

    हालांकि, नगण्य पारंपरिक कोयला उत्पादन (केवल 1.89%) ने सीएचपी में क्रशिंग ऑपरेशन को सीमित कर दिया है, जिसके कारण सीएचपी से धूल उत्पादन में काफी कमी आई है।
- स्थायी और अर्ध-स्थायी सड़कों की ब्लैक टॉपिंग को बनाए रखा गया है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसे और मजबूत किया जाएगा।
- खदान परिसर से बाहर निकलने से पहले सभी रोड सेल ट्रकों को तिरपाल से ढक दिया जाता है।
- कोयला परिवहन सड़कों पर फैले कोयले और धूल की मैन्युअल सफाई की जाती है।
- सभी ड्रिल में धूल निकालने की प्रणाली और गीली ड्रिलिंग प्रणाली लगी हुई है।
- आवासीय और खनन क्षेत्रों के बीच ग्रीन बेल्ट विकसित की गई है जो धूल अवरोधक के रूप में कार्य करती है।
- कोयला स्टॉकयार्ड, सीटी रोड, गांवों और खदान सीमा के बीच और एमसीएल की आवश्यकता के अनुसार 4262 मीटर की पवन अवरोधक का निर्माण किया गया है।
- स्थापित धूल दमन उपकरणों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	उपकरण	2024-25 में स्थापित	कुल संख्या	2024-25 में स्थापित उपकरणों का स्थान
1	मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर टैंकर	8	84	भरतपुर ओसीपी (01), जगन्नाथ ओसीपी (01), हिंगुला ओसीपी (01), लिंगराज ओसीपी (02), बलराम ओसीपी (01), बीबीएसआरआई ओसीपी (02)।
2	फिक्स्ड स्प्रिंकलर (नोजल की संख्या)	-	1060	---
3	मिस्ट स्प्रिंकलर (ट्रक माउंटेड)	---	9	---
4	फॉग कैनन (ट्रॉली माउंटेड)	05	105	105 सियारमल ओसीपी: 05
5	फॉग कैनन (ट्रक माउंटेड)	1	45	सियारमल ओसीपी: 01
6	व्हील वॉशिंग सिस्टम	02	16	कनिहा ओसीपी और भरतपुर ओसीपी खदान निकास बिंदु
7	रोड स्वीपिंग मशीन की संख्या	04	21	कनिहा क्षेत्र: 01 नग; लखनपुर क्षेत्र
8	इंस्टेंट शावर सिस्टम	01	17	हिंगुला क्षेत्र में 01

19.3.2 जल संसाधन प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ:

- अपवाह जल और स्ट्रेटा रिसाव को संग्रहीत करने के लिए कोयला निष्कासित रिक्त भूस्थलों का उपयोग किया जाता है जो जलभृत को रिचार्ज करता है।
- खदानों के नाबदानों का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बरसात के मौसम में सतही अपवाह जल के लिए निपटान माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
- खदान जल का उपयोग:
  - खदानों में संग्रहीत अधिशेष खुली खदान जल का उपयोग एचईएमएम की धुलाई, धूल दमन, वृक्षारोपण, अग्निशमन, जलभृतों के पुनर्भरण आदि जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
  - अधिशेष भूमिगत खदान जल का उपयोग घरेलू, सिंचाई आदि के लिए समुदाय को आपूर्ति के लिए किया जाता है।
  - भूमिगत जल का उपयोग उपचार के बाद कॉलोनियों और परिधीय गांवों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है।
  - ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (OSPCB) से उचित अनुमति के साथ, कुछ खुली खदानों के उपचारित खदान जल को बाहरी स्रोतों में छोड़ा गया है जिसका उपयोग घरेलू उद्देश्य के लिए किया जाता है।
  - एनआईटी, राउरकेला द्वारा "एमसीएल की खदानों में जल उत्पादन का अध्ययन और खदान-वार जल प्रबंधन योजना की तैयारी" नामक एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- वर्ष 2024-25 के लिए समुदायों को उपचारित खदान जल आपूर्ति का विवरण।

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि				
	घरेलू/ पेयजल (एलकेएल)	सिंचाई (एलकेएल)	कुल (एलकेएल)	घरेलू/ पेयजल (एलकेएल)	सिंचाई (एलकेएल)	कुल (एलकेएल)	निर्मित संभावित सिंचाई क्षेत्र (एकड़)	घरेलू/पेयजल के लाभार्थी (संख्या)
2024-25	189	53	242	195.31	47.44	242.76		147696

- एमसीएल में भूजल पुनर्भरण के लिए कुल 93 छत वर्षा जल संचयन संरचनाएँ और 8 ग्राउंड रिचार्ज पिट मौजूद हैं।
- मिट्टी और जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाए गए हैं।
- सतही अपवाह को चैनलाइज़ करने के लिए कैच ड्रेन और गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया गया है।
- सतही अपवाह के उपचार के लिए अवसादन तालाब/माइन डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट (एमडीटीपी) प्रदान किए गए हैं।
- एमसीएल की खदानों के विभिन्न स्थानों में ईटीपी (19 नंबर) और एसटीपी (09 नंबर) संचालित हो रहे हैं।

19.3.3 शोर और ग्राउंड कंपन नियंत्रण उपाय:

- कुल कोयला उत्पादन का 97.8% विस्फोट-रहित पर्यावरण-अनुकूल सरफेस माइनर तकनीक के माध्यम से किया जाता है; जिससे पारंपरिक खनन की तुलना में शोर और ग्राउंड कंपन में भारी कमी आती है, जिसमें ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और सीएचपी संचालन की आवश्यकता होती है।
- उच्च शोर वाले कार्यस्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों को इयरमफ और इयर प्लग प्रदान किए गए हैं।
- शोर और ज़मीनी कंपन को कम करने के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक अपनाई गई है। ब्लास्टिंग के लिए आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का भी उपयोग किया गया, जिससे शोर और ज़मीनी कंपन कम हुआ।
- सभी एचईएमएम को पर्याप्त शोर स्तर कम करने वाली तकनीकें प्रदान की गई हैं।
- विकसित हरित पट्टी शोर प्रदूषण को कम करने के साधन के रूप में कार्य करती है।

19.3.4 भूमि सुधार और वृक्षारोपण:

- कोयला निष्कासित क्षेत्र को ओवरबर्डन सामग्री से भर दिया जाता है और उसके बाद जैविक सुधार के रूप में वृक्षारोपण किया जाता है।
- एमसीएल ने अपनी परित्यक्त खदानों के कोयला निष्कासित खाली स्थान को फ्लाई-ऐश से भरने की पेशकश की है, जिसे पाइपलाइनों में स्लरी मोड के माध्यम से ले जाया जाता है। साउथ बालंदा, जगन्नाथ और भरतपुर ओसीपी में फ्लाई ऐश भरने के लिए टीटीपीएस, एनबीवीएल, टीएसटीपीएस (एनटीपीसी)-कनिहा, नाल्को, भूषण स्टील के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में जगन्नाथ ओसीपी की खदान संख्या IV से जेआईटीपीएल को 6 मिलियन क्यूबिक मीटर खाली जगह आवंटित की गई।
- 31.03.2025 तक एमसीएल का प्रगतिशील फ्लाई ऐश भरने का डेटा:

क्रम संख्या	खान	एजेंसी	रिक्त स्थल क्षमता (एमसीयूएम)	राख भरने की स्थिति
1	साउथ बलंदा खदान - 2 और 3	टीटीपीएस (एनटीपीसी)	14.73 (7.74+6.99)	01.10.2020 तक 14.570 मि.घनमी. भरा गया (भराई कार्य पूर्ण) सुधार कार्य जारी है।
2	साउथ बलंदा खदान-1	एनबीवीएल	0.883 (3.97 में से)	31.03.2025 तक 0.667 मि.घनमी. भरा गया (जारी)
3	जगन्नाथ ओसीपी IV	भूषण स्टील	17.00	0.416 मि.घनमी. भरा गया। फरवरी, 2016 से भरना बंद कर दिया गया और खाली जगह को फिर से आवंटित किया गया है ।
4	जगन्नाथ ओसीपी, IV &VII	टीटीपीएस (एनटीपीसी)	6.43 &3.96	31.03.2021 तक 0.462 मि.घनमी. (पूर्ण)
5	क्वारी VIII	टीटीपीएस (एनटीपीसी) (कनिहा)	17.82	3.73 मि.घनमी. 31.03.2025 तक भरा गया (जारी)
6	भरतपुर ओसीपी	**नालको**	13.91	5.57 मि.घनमी. 31.03.2025 तक भरा गया। (जारी)

कुल फ्लाइ		**74.73**	**25.415 मि.घनमी.**

- पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए, एमसीएल ने खदानों में बाहरी डंपों, बैकफिल्ड आंतरिक डंपों (पर्याप्त भौतिक सुधार के बाद) के साथ-साथ अन्य भूमि और मार्गों के खाली हिस्सों में मिश्रित देशी प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। जैविक सुधार और वृक्षारोपण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक सं.	प्रकार	अवधि	कुल
1	वृक्षारोपण/ जैव-पुनर्ग्रहण	2024-25	4,83,773 नग 270.3 हे.
2		प्रारंभ से	78,63,558 नग 3825.10 Ha (ग्रासिंग - 127 हे.)
3	वितरण	2024-25	75,800 नग
4		प्रारंभ से	2,96,627 नग

- कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन: जैविक सुधार के कारण निर्मित कार्बन सिंक प्रारंभ से अब तक 1,87,445.10 टन CO2 eq है।
- स्वच्छता पखवाड़ा 2024-25 के दौरान, एमसीएल में और उसके आसपास लगभग 2000 पौधे लगाए गए और वितरित किए गए।
- आवासीय टाउनशिप और कार्यालय परिसरों में भी विशेष रूप से फलदार, फूलदार और औषधीय पौधों और पेड़ों के साथ वृक्षारोपण किया जाता है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान सीएमपीडीआईएल के माध्यम से ईब-वैली और तालचेर कोलफील्ड्स और पूरे ईब कोलफील्ड्स की 13 ओपनकास्ट खदानों और <5 Mm3/Yr क्षमता वाली 01 ओपनकास्ट कोयला खदानों के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा उत्पन्न रिमोट सैंसिंग डेटा के माध्यम से भूमि बहाली/पुनर्ग्रहण की निगरानी की गई है।

19.3.5 अपशिष्ट प्रबंधन:

- खतरनाक अपशिष्ट (एचईएमएम, टायर, खाली ड्रम और प्रयुक्त बैटरियों से जला हुआ तेल) और ई-कचरा अधिकृत रिसाइकिलर्स को नीलामी में बेचा जाता है।
- 2024-25 के दौरान, खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि 455 किलोलीटर मात्रा का जला हुआ तेल जिसकी कीमत ₹187.58 लाख है, खाली ड्रम - ₹0.199 लाख के 75 ड्रम, ₹28.02 लाख की 966 बैटरियाँ, ₹43.25 लाख के 505 बेकार टायर और ₹14.96 लाख के 6.5 मीट्रिक टन के अन्य खतरनाक अपशिष्ट (सीयू) अधिकृत रिसाइकिलर्स को बेचे गए हैं।
- चिकित्सा इकाइयों से जैव चिकित्सा और अन्य खतरनाक अपशिष्टों का निपटान निर्धारित विधियों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।
- कचरा एकत्र करने के लिए कॉलोनियों के निर्दिष्ट स्थानों पर अलग-अलग डस्टबिन रखे गए।
- अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न ई-कचरे का निपटान लागू पर्यावरण नियमों के अनुपालन में अधिकृत रिसाइकिलर्स के माध्यम से किया जाता है।

19.3.6 पर्यावरण निगरानी:

- वर्ष 2024-25 के दौरान एनएबीएल मान्यता प्राप्त सीएमपीडीआई, आरआई-VII के माध्यम से वायु, जल और ध्वनि की नियमित पर्यावरण निगरानी (आरईएम) एमसीएल की 28 इकाइयों के लिए 38.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से की गई, जिसमें चालू, बंद खदानें, अस्पताल और मुख्यालय शामिल हैं। आरईएम कार्य जीएसआर.742(ई), ईसी/सीटीओ/सीटीई शर्तों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या किसी अन्य वैधानिक निकाय के निर्देशों के अनुपालन में किए जाते हैं।
- कार्यप्रणाली, आवृत्ति आदि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से बनाए रखा गया था।
- निगरानी के परिणाम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और एमओईएफ एंड सीसी को क़ानून के अनुसार प्रस्तुत किए गए थे। पर्यावरण निगरानी के परिणाम मासिक आधार पर कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं।
- ईब नदी और ब्राह्मणी नदी के जलग्रहण कुओं और कनिहा ओसीपी और समलेश्वरी ओसीपी के निर्वहन बिंदु पर क्रमशः चार सतत जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीडब्ल्यूक्यूएमएस) स्थापित की गई हैं। हिंगुला ओसीपी के लिए दो नग खरीद के अधीन हैं।
- खनन संचालन के कारण भूजल की गुणवत्ता और उतार-चढ़ाव की नियमित निगरानी 37 पीजोमीटर के नेटवर्क के साथ-साथ अन्य बोर/खुले कुओं के माध्यम से की जाती है।
- सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) की कुल 21 इकाइयां - तालचेर कोलफील्ड्स में 10, ईब-वैली कोलफील्ड्स में 04 और बसुंधरा कोलफील्ड में 07 इकाइयां, विभिन्न स्थानों पर चालू हैं जो 24 x 7 वायु गुणवत्ता डेटा रिकॉर्ड

करती हैं, जिनमें से 5 सीएएक्यूएमएस वर्ष 2024-25 में चालू किए गए हैं (कुलदा ओसीपी, गर्जनबहाल ओसीपी, जगन्नाथ ओसीपी, अनंत ओसीपी और भुवनेश्वर ओसीपी में प्रत्येक में 01)

19.4 वर्ष 2024-25 के लिए खदान बंद करने की गतिविधियाँ:

19.4.1 खदान बंद करने की प्रगामी प्रतिपूर्ति:

सीसीओ मुख्यालय ने खदान बंद करने की प्रगामी गतिविधियों के तहत छह खदानों के एस्क्रो खातों से प्रतिपूर्ति के लिए धनराशि जारी करने का आदेश जारी किया है-

Sl. No.	खदान का नाम	दावा अवधि (फेज)	प्रतिपूर्ति राशि (रूपये में)
1	बलराम ओसीपी	2012-13 to 2016-17 (फेज I)	रु. 8,42,97,475/-
2	ओरिएण्ट खान नं.-3	2011-12 to 2015-16 (फेज I)	रु.34,96,000/-
3	हिगुला ओसीपी	2009-10 to 2013-14 (फेज I)	रु. 32,36,000/-
4	हिगुला ओसीपी	2014-15 to 2018-19 to (फेज II)	रु. 37,34,000/-
5	तालचेर भूमिगत खदान	2016-17 to 2020-21 (फेज II)	रु. 15,65,268/-
6	नंदिरा भूमिगत खदान	2016-17 to 2020-21 (फेज II)	रु. 23,07,397/-
7	ओरिएण्ट खान नं.-4	2011-12 to 2015-16 (फेज I)	रु. 20,01,081/-
कुल			**रु.10,06,37,221/-**

19.4.2 खदान बंद करना:

- **2009 से पहले बंद की गई खदानें**

  "वर्ष से पहले बंद/छोड़ी/बंद की गई खदानों के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश" पर एमओसी द्वारा जारी दिनांक 28.10.2022 के ओएम के अनुसार।

  हांडीधुआ यूजी और देउलबेरा यूजी की अस्थायी खदान बंद करने की योजना को एमसीएल बोर्ड ने 16.11.2024 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, इसे 20.01.2025 को सीसीओ मुख्यालय दिल्ली को सौंप दिया गया है।

19.4.3 सीएमपीडीआई और सीसीओ को प्रतिपूर्ति फाइलें प्रस्तुत की गईं:

प्रगामी खदान बंदी

खदान का नाम	फेज	सीएमपीडीआई	सीसीओ
बलराम ओसीपी	II	√	
ओरिएण्ट खान सं.4	II	√	√
हिनगिर रामपुर खदान	II	√	√
हीराखंड बुंदिया खान	III	√	

19.4.4 पुनः प्राप्त भूमि का पुनः उपयोग:

- बसुंधरा (पूर्व) ओ.सी.पी. - खदान के खाली स्थान में जल निकाय को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है (कार्यादेश 18.12.2024 को 3.039 करोड़ की राशि के लिए जारी किया गया, कार्य प्रगति पर है)

19.5 पर्यावरण जागरूकता:

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह: एम.सी.एल. मुख्यालय में 30.05.2024 से 05.06.2024 तक "भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने में तेजी" विषय पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

- पर्यावरण जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में इकाइयों/क्षेत्रों/मुख्यालय स्तर पर दीवार पेंटिंग, फोटो-निबंध, एक्सटेम्पोर, क्विज़ और बेस्ट आउट ऑफ़ वेस्ट जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। उपरोक्त के अलावा, अंतिम दिन एकीकृत एल.बी.एल. ओपनकास्ट खदान और नंदीरा भूमिगत खदानों को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल खदान पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
- प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए कर्मचारियों को 5,000 से अधिक जूट बैग वितरित किए गए।
- हीराकुंड बांध के जलाशय क्षेत्र के पास झांकराणी मंदिर में सफाई अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें एमसीएल के

कर्मचारियों ने अपशिष्ट/छोड़े गए प्लास्टिक के सामान एकत्र किए और उन्हें नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल को सौंप दिया। प्रतिभागियों की कुल संख्या 200 से अधिक थी और अपशिष्ट बैग ओडिशा के बुर्ला में "मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर" को सौंप दिए गए।

19.6. एमसीएल द्वारा शुरू की गई मिशन लाइफ़ गतिविधियाँ:

लाइफ़ (अर्थात पर्यावरण के लिए जीवनशैली) को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में पेश किया था। यह हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए "विचारहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग" के विचार को बढ़ावा देता है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के हिस्से के रूप में, सात श्रेणियों में 75 व्यक्तिगत लाइफ़ क्रियाओं की एक व्यापक सूची की पहचान की गई थी। 7 श्रेणियों की सूची इस प्रकार है-

- ऊर्जा की बचत,
- जल की बचत,
- एकल-उपयोग प्लास्टिक का कम उपयोग,
- टिकाऊ खाद्य प्रणालियाँ,
- अपशिष्ट में कमी (स्वच्छता कार्य)
- स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, और
- ई-कचरा प्रबंधन

उपर्युक्त में से, छह श्रेणियों में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं

LiFE एक्शन की श्रेणी	LiFE कार्रवाई नं.	वित्तीय वर्ष 24-25 में की गई कार्रवाई/गतिविधियाँ
ऊर्जा बचत	1	एलईडी (1,695 संख्या), ऊर्जा कुशल एसी (402 नग), सुपर फैन (5,159 नग), ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर (71 नग), ऊर्जा कुशल मोटर (37 नग), कैपेसिटर बैंक (नग संख्या) की स्थापना। वित्त वर्ष 24-25 में ऊर्जा कुशल उपायों के कारण कुल ऊर्जा बचत 6073367 kWh/वर्ष है और परिणामस्वरूप 4980160 किलोग्राम CO2 का कार्बन ऑफसेट है।
	7	ई-वाहन की खरीद (16)
जल बचत	21	अनुमोदन प्रक्रिया के तहत, बसुंधरा (ई) के लिए अमृत सरोवर योजना तैयार की गई।
		खदान जल उपयोग 242.76 एलकेएल है।
	24	Roof-top rain water harvesting system and ground recharge pits constructed.
एकल उपयोग प्लास्टिक	35	खदानों के आसपास के गांवों में जूट के बैग वितरित किए गए। 5000 से अधिक जूट के बैग वितरित किए गए।
	38	सफाई अभियान में भागीदारी और लामबंदी के लिए हीराकुंड बांध के पास एक स्थान का चयन किया गया। प्लास्टिक कचरे को अलग करके एकत्र किया गया, जिसे बाद में निपटान से पहले आगे की प्रक्रिया और संसाधन पुनर्प्राप्ति के लिए संबलपुर नगरपालिका सहयोग को सौंप दिया गया।
टिकाऊ खाद्य प्रणालियाँ अपनाई गई	48	आहार मंडल, सीएसआर के तहत सुंदरगढ़ जिले के ग्रामीण समुदाय के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने की एक पहल है।
	65	इको-पार्कों का विकास करके सामुदायिक स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, ओरिएंट इको-पार्क और लिलारी इको-पार्क में खनन पर्यटन।
	68	प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए एमसीएल मुख्यालय, क्षेत्रों/इकाइयों और एमएल क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण। कुल वृक्षारोपण: 270.30 हेक्टेयर।
ई-कचरा कम हुआ	73	पेन-ड्राइव पर निर्भर रहने के बजाय क्लाउड सेवाओं का उपयोग करें। पीसी, बाह्य उपकरणों, सर्वर और अन्य कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर का निपटान केवल अधिकृत रीसाइकिलर्स को ही करें।

19.7 पर्यावरण पुरस्कार:

- एमसीएल को दिसंबर 2024 को ओडिशा के बरहामपुर विश्वविद्यालय में आयोजित ओडिशा पर्यावरण कांग्रेस 2024 में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के सम्मान में एस.बी. मिश्रा ग्रीन कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला।

19.8 आईएमएस/आईएसओ प्रमाणन:

एमसीएल आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015-पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018-व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का अनुपालन करते हुए कंपनी-व्यापी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) का अनुसरण कर रही है जो 08.11.2025 तक वैध है। "क्यूएमएस प्रमाणन सेवा प्राइवेट लिमिटेड" ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के साथ एमसीएल के कंपनी-व्यापी आईएमएस प्रमाणन को मान्यता दी है। जनवरी 2025 में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 9001:2015 पर बीआईएस, कोलकाता के अधिकारियों की बैठक।

19.8.1 वर्ष 2024-25 में आईएमएस से संबंधित की जाने वाली गतिविधियाँ

- सीएमपीडीआईएल को परामर्श और आईएसओ मानकों के उन्नयन और एमसीएल में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लगाया गया है। इसके बाद सीएमपीडीआईएल ने एमसीएल के अधिकारियों के साथ चर्चा के माध्यम से एमसीएल में आईएमएस का व्यापक अध्ययन किया।
- आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 का अनुपालन करने वाले नए आईएमएस मैनुअल सीएमपीडीआई, रांची के परामर्श से तैयार किए गए हैं। नए मैनुअल को अनावश्यक विशेषताओं को मिलाकर और अप्रचलित आवश्यकताओं को दूर करके अपेक्षाकृत सरल, समझने में आसान और सुलभ बनाया गया है।
- पहली बार, भारतीय मानक ब्यूरो, कोलकाता ने 20 छात्रों के लिए लीड ऑडिटर कोर्स आयोजित किया है। आईएसओ 9001:2015 में अधिकारियों की भर्ती की जाएगी तथा आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 पर लीड ऑडिटर कोर्स का आयोजन भी किया जाएगा।

19.8.2 आईएमएस का उद्देश्य

- कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक दक्षता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवस्थित और एक साथ प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
- विभिन्न प्रबंधन-प्रणाली को लागू करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों की दोहराव और लागत को समाप्त करना, जो अन्यथा विविध और असंबंधित लग सकते हैं।
- एक बेहतर कार्य संस्कृति को शामिल करना, संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करना और एक अच्छी तरह से नेटवर्क प्रबंधन-प्रणाली और स्वस्थ कार्य वातावरण के तहत भूमिकाओं, जिम्मेदारी, जवाबदेही और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके परिचालन संघर्ष को समाप्त करना।
- रूटिंग कामकाज के दौरान बेकार और गैर-मूल्य-वर्धित संचालन को कम करना, जिससे संचालन के दौरान समय, लागत और संसाधनों पर प्रत्यक्ष बचत हो और पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत हो।
- अपने सभी इच्छुक पक्षों को निम्नलिखित विश्वास प्रदान करने में सक्षम बनाना
  - कोयले का खनन और आपूर्ति जो ग्राहक, नियामक निकायों और समाज की आवश्यकताओं को लगातार पूरा कर सके।
  - पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक और ऊर्जा संबंधी चिंताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध।
  - निरंतर सुधार प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण
  - सभी कानूनी और अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन
  - कुछ अल्पकालिक उपलब्धियों के बजाय निरंतर और सतत सुधार पर जोर दिया जाता है।
  - chievements.

19.9 अन्य गतिविधियाँ

- MCL ने 8 मार्च, 2024 को ग्रीन क्रेडिट पोर्टल पर एक इकाई के रूप में पंजीकरण कराया, और अब तक ICFRE द्वारा अपलोड किए गए उपलब्ध विकल्पों में से 226.36 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है।
- मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वनरोपण (ACA), 239 हेक्टेयर खनन की गई गैर-वन जैविक रूप से पुनः प्राप्त भूमि की पहचान की गई है, जिसमें वित्त वर्ष 24-25 में पहचानी गई 30 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

19.10 वेबसाइट प्रकाशन:

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, एमसीएल अपनी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर निम्नलिखित पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रकाशित और नियमित रूप से अपडेट कर रहा है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी पत्र और उसका अर्ध-वार्षिक अनुपालन।
- प्रत्येक डायवर्सन प्रस्ताव के विरुद्ध पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन मंजूरी पत्र।
- प्रत्येक परियोजना के लिए एसपीसीबी द्वारा जारी स्थापना और संचालन की सहमति।
- एसपीसीबी द्वारा जारी परियोजनाओं के खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण।
- एमसीएल की सभी चालू खदानों का पर्यावरण विवरण।
- सैटेलाइट डेटा के आधार पर भूमि उपयोग योजना पर रिपोर्ट।
- परित्यक्त ओसी खदान गड्ढों में फ्लाई ऐश भरने की रिपोर्ट।



MCL received the S.B. Mishra Green Corporate Award in recognition of its commitments towards excellence in the field of environment at Odisha Environment Congress 2024.

20. 2024 -25 के दौरान बिक्री और विपणन कार्य-निष्पादन

एमसीएल ने हड़ताल, बंद और रेलवे द्वारा रैको की कम आपूर्ति के बावजूद वर्ष 2024 -25 के दौरान 210.458 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक प्रेषण हासिल किया है।

20.1 मांग और उठाव

2024-25 के दौरान 225 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 210.458 मिलियन टन प्रेषण किया गया, जो लक्ष्य का 93.54% है। 2024-25 के दौरान क्षेत्रवार प्रेषण नीचे संलग्न है।

आँकड़े मिलियन टन में

क्षेत्र	2024-25			2023-24
	लक्ष्य	वास्तविक	% हासिल	वास्तविक
पावर	166.000	158.363	95.39	150.165
सीमेंट	0.187	0.192	102.67	0.120
सीपीपी, अन्य तथा टेडर्स	58.813	51.903	88.25	48.734
कोल खपत	0.000	0.000	0.00	0.00
कुल	**225.000**	**210.458**	**93.54**	**199.019**

वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला प्रेषण में होने वाली हानि के विभिन्न कारण नीचे दिए गए हैं:

आँकड़े मिलियन टन में

क्षेत्र का नाम	2024-25		वास्तविक हानि	टिप्पणियाँ
	आप लक्ष्य	वास्तविक		
जगन्नाथ क्षेत्र/ भुवनेश्वरी क्षेत्र	56.64	48.73	7.91	भुवनेश्वरी क्षेत्र से कम लोड योग्य कोयला उपलब्धता के कारण रेल और सड़क मार्ग से कम प्रेषण के कारण प्रेषण में कमी आई है। इसके अलावा, ई-नीलामी योजना के तहत प्रस्तावित मात्रा के मुकाबले उपभोक्ताओं द्वारा कम बुकिंग के कारण कम सड़क मार्ग से प्रेषण के कारण भी प्रेषण में कमी आई है।
भरतपुर क्षेत्र	15.12	13.21	1.91	भरतपुर साइलो में बेल्ट रखरखाव की समस्या के कारण कम एम.जी.आर. प्रेषण के कारण प्रेषण में कमी आई। इसके अलावा, ई-नीलामी योजना के तहत पेश किए गए कोयले की मात्रा के मुकाबले कम कोयला बुकिंग के कारण सड़क प्रेषण कम हुआ।
कनिहा क्षेत्र	13.33	10.59	2.74	ग्रामीणों/ठेका श्रमिकों/पेलोडर ऑपरेटरों/अन्य संस्थाओं द्वारा हड़ताल के कारण सड़क और एमजीआर मोड से कम प्रेषण तथा लोड करने योग्य कोयले की कम उपलब्धता के कारण प्रेषण में हानि।
हिंगुला क्षेत्र	21.87	18.06	3.81	ई-नीलामी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मात्रा के मुकाबले उपभोक्ताओं द्वारा कम कोयला बुक किए जाने के कारण सड़क मार्ग से प्रेषण कम के कारण प्रेषण में हानि।
तालचेर यूजि	0.07	0.046	0.024	ई-नीलामी योजना के तहत प्रस्तावित मात्रा के मुकाबले उपभोक्ताओं द्वारा बुक की गई कोयले की कम मात्रा के कारण प्रेषण में हानि
ईब वैली क्षेत्र	17.14	16.62	0.52	जुलाई 2024 और अगस्त 2024 के दौरान बारिश के कारण कम सड़क प्रेषण के कारण प्रेषण की हानि और i3 एमएस प्रणाली (परमिट / सॉफ्टवेयर / वाहन टैगिंग समस्या आदि) से संबंधित मुद्दे।
लखनपुर क्षेत्र	32.25	32.17	0.08	मेसर्स ओपीजीसी द्वारा लगाए गए कोयला आपूर्ति विनियमन के कारण एमजीआर के माध्यम से कम प्रेषण के कारण प्रेषण में हानि, साथ ही पर्यावरण मंजूरी के मुद्दे के कारण लगाए गए प्रतिबंध के कारण सड़क मार्ग से कम प्रेषण।
ओरिएंट यूजी	0.430	0.272	0.158	ई-नीलामी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मात्रा के मुकाबले उपभोक्ताओं द्वारा बुक की गई कोयला मात्रा की कम मात्रा के कारण प्रेषण में हानि।

उपरोक्त विभिन्न कारणों से प्रेषण में कुल हानि 17.15 मिलियन टन है, लेकिन प्रभावी हानि 14.54 मिलियन टन रही, क्योंकि अन्य खदानों ने 2024-25 के दौरान लक्ष्य से अधिक प्रेषण किया है।

20.2 वैगन लोडिंग

एमसीएल में 2024-25 के दौरान दैनिक औसत वैगन लोडिंग 98.2 रेक/दिन थी, जबकि 2023-24 के दौरान यह 85.4 रेक/दिन थी, जिसमें 12.8 रेक/दिन की वृद्धि हुई। लक्ष्य और आपूर्ति के विरुद्ध क्षेत्रवार लोडिंग नीचे दी गई है।

(Fig in Rakes/Day)

क्षेत्र	2024-25			2023-24
	लक्ष्य	आपूर्ति	लोडिंग	वास्तविक
ईब-वैली	51.8	47.7	47.7	35.9
तालचेर	54.9	50.5	50.5	49.5
कुल	**106.8**	**98.2**	**98.2**	**85.4**

20.3 ई-नीलामी

2024-25 के दौरान, एमसीएल ने सिंगल विंडो मोड एग्नॉस्टिक ई-नीलामी योजना के तहत 45.473 मिलियन टेस की पेशकश की थी, जिसके मुकाबले विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा अधिसूचित मूल्य पर 893.36 करोड़ रुपये का प्रीमियम दर्ज करते हुए 22.057 मिलियन टन की बुकिंग की गई थी।

20.4 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) और समझौता ज्ञापन

एमसीएल ने 2024-25 के दौरान कोयला की आपूर्ति हेतु 31.89 मिलियन टन की कुल वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के लिए उपभोक्ताओं के साथ एक सौ इक्यानबे (191) एफएसए/एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

21. कोयला गुणवत्ता सुधार

एमसीएल ने विभिन्न बिजली घरों के साथ-साथ अन्य उपभोक्ताओं को भी उचित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण कोयला उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की संतुष्टि पूरी हो सके। वर्ष के दौरान उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- नमूना मात्रा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रेड अनुरूपता लगभग 83% (अनंतिम) है और प्रेषण मात्रा आधार 87% (अनंतिम) है, जो पिछले वर्ष के बराबर है।
- एमसीएल 9 एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का संचालन करता है और समय-समय पर एनएबीएल मान्यता का नवीनीकरण करता है, जिसकी एनएबीएल मान्यता बोर्ड के विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन जांच की जाती है।
- सीआईएमएफआर द्वारा 11.11.2023 से नमूनाकरण रोक दिए जाने के बाद नमूनाकरण गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए पीएफसी द्वारा पैनलबद्ध नई तृतीय-पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों(क्यूएसएस प्राइवेट, केसीएस क्वालिटी इंस्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इंस्पेक्टरेट ग्रिफिथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कोटेकना इंस्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड) को शामिल किया गया था। क्यूसीआई की तृतीय-पक्ष नमूनाकरण पहले से ही प्रचलन में थी।
- भारित औसत विश्लेषित ग्रेड अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले के लिए भारित औसत घोषित ग्रेड के समान है, जिसका अर्थ है कि वर्ष भर उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता कोयले के सुनिश्चित ग्रेड के अनुसार है।
- नमूना मात्रा में 8% की वृद्धि: 24-25 के दौरान कोयले की बड़ी मात्रा का नमूना लिया गया, जिससे अधिक व्यापक गुणवत्ता मूल्यांकन और नियामक निरीक्षण संभव हुआ।
- वित्तीय वर्ष 24-25 में घोषित ग्रेड के समान नमूना मात्रा में 29% की वृद्धि हुई है, गुणवत्ता मूल्यांकन की सटीकता में सुधार हुआ है, जो घोषित कोयला ग्रेड के साथ अधिक निकटता से संरेखित है। यह घोषित और विश्लेषित ग्रेड के बीच एकरूपता सुनिश्चित करता है, जो गुणवत्ता आश्वासन और अनुपालन में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
- उपभोक्ता शिकायतें: वित्तीय वर्ष 23-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 24-25 में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या में 28% की गिरावट आई।
- ग्रेड सामंजस्य: 24-25 में 100% ग्रेड सामंजस्य प्राप्त कर लिया गया है, जिससे व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हुई है।
- एसएपी में अतिरिक्त सतही नमी वाले ओएस पत्थरों और अनसैंपल मामलों के निपटान की शुरुआत वित्तीय वर्ष 24-25 में अतिरिक्त सतही नमी और बड़े आकार के पत्थरों के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के साथ-साथ अनसैंपल मामलों के निपटान की शुरुआत एसएपी/ईआरपी के माध्यम से की गई है। यह एक लम्बे समय से लंबित समझौता था, जिससे उपभोक्ताओं को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत मिली।
- उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करने और उसे मजबूत करने के लिए उपभोक्ताओं के साथ लगातार बातचीत और उपभोक्ता बैठकें की जा रही हैं।
- उपभोक्ताओं को एमसीएल के विभिन्न लोडिंग पॉइंटों पर कोयला लोडिंग प्रणाली की व्यक्तिगत निगरानी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- पारदर्शिता के लिए तथा गुणवत्ता के मोर्चे पर उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी साइडिंग/लोडिंग प्वाइंटों पर रजिस्टर रखे गए थे, जिसमें लोडिंग के समय उपस्थित उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणी/सुझाव व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच की गई और संबंधित क्षेत्रों द्वारा तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की गई, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हुआ।
- सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता और आकार का कोयला भेजने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा सभी रेलवे साइडिंगों की निरंतर निगरानी की जाती है।
- गुणवत्ता नियंत्रण विभाग (क्षेत्र एवं मुख्यालय) द्वारा गुणवत्ता के मोर्चे पर खदानों, साइडिंग और कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं का नियमित निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी विसंगति या दोष पाए जाने पर, तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित क्षेत्र को सूचित किया गया।
- नवंबर 2023 में सीआईएमएफआर द्वारा नमूनाकरण गतिविधियों को रोकने के बाद भी 24-25 के दौरान 77% कोयला प्रेषण तीसरे पक्ष के नमूने के तहत कवर किया गया था और बाकी उपभोक्ताओं को भी इसे चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- उपभोक्ताओं को (-)100 मिमी आकार का कोयला उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त सतर्कता बरती गई। इसके लिए, पारंपरिक तरीके से निकाले गए कोयले को सीएचपी और फीडर-ब्रेकर द्वारा क्रश किया गया और हॉपर पर कोयले को उतारना आसान हो गया।
- वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीएल में लगभग 98% कोयला उत्पादन सरफेस माइनर्स के उपयोग द्वारा चयनात्मक खनन के माध्यम से प्राप्त किया गया। इससे नमूना मात्रा के आधार पर ग्रेड अनुरूपता को 83% के स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है।

- पारादीप बंदरगाह पर उतारे जा रहे रेकों से बड़े आकार के कोयले के प्रकरणों को नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी की गई।
- कोयले की गुणवत्ता पर नियमित "गुणवत्ता संवेदीकरण" बैठकें सभी क्षेत्रों में जमीनी स्तर से लेकर विभागीय/संविदा वेतन लोडर ऑपरेटरों, सरफेस माइनर ऑपरेटरों, कोल फेस सुपरवाइजरों, कोल लोडिंग सुपरवाइजरों, कोल फेस ओवरमैन और माइनिंग सरदारों, कोल इंचार्ज, डिस्पैच इंचार्ज, साइडिंग इंचार्ज, कोयला उत्पादन के शिफ्ट इंचार्ज और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों जैसे कर्मचारियों को शामिल करके आयोजित की गईं ताकि कोयले के उत्पादन और प्रेषण में शामिल सभी कर्मियों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके।
- आईएसओ/आईईसी 17025:2017 प्रमाणन: एनएबीएल दिशानिर्देशों के अनुसार "आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखा परीक्षा" विषय पर 9 अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अगस्त-2024 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

22. सुरक्षा और बचाव

कोयला खनन कई अंतर्निहित, परिचालन और व्यावसायिक खतरों और संबंधित जोखिमों की उपस्थिति के कारण एक अत्यधिक विनियमित उद्योग है। शून्य दुर्घटना प्राप्त करने के लिए "सुरक्षित खनन" हमारी कंपनी का मुख्य लक्ष्य है।

दुर्घटना की संभावना शून्य करने के लिए सभी खदानों को वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन और संचालित किया जाता है। विभिन्न पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। व्यावसायिक खतरों और संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

22.1 एमसीएल की सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन:

एमसीएल के "मिशन स्टेटमेंट" में सन्निहित एमसीएल के संचालन में सुरक्षा को हमेशा प्रमुख महत्व दिया जाता है। एमसीएल सीआईएल की सुरक्षा नीति का पालन करता है। सुरक्षा नीति को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं:

- सभी खानों की वैज्ञानिक डिजाइन और योजना।
- सभी खनन कार्यों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति की नियुक्ति ।
- खान सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन और आधारभूत संरचना का प्रावधान।
- सक्षम पर्यवेक्षी कर्मचारियों और खान अधिकारियों के माध्यम से पर्याप्त पर्यवेक्षण का प्रावधान।
- खदान सुरक्षा की निगरानी के लिए बहु-विषयक आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ)।
- खनन कार्य के लिए तकनीकी इनपुट में निरंतर एवं सतत सुधार।
- खदानों में सुरक्षा की निगरानी के लिए प्रत्येक मंच पर श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और उन्हें चिकित्सा बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना।

22.2 दुर्घटना सांख्यिकी

क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	3	4
2	मृत्यु की संख्या	3	6
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	1	2
4	गंभीर चोटों की संख्या	1	3
5	मृत्यु दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	 0.013 0.094	 0.029 0.189
6	गंभीर चोट की दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	 0.004 0.031	 0.015 0.094
7	स्थानवार मृत्यु दर यूजी ओसी एजी	 1 2 0	 0 5 1

22.3. सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

एमसीएल ने वर्ष 2024-2025 में खदानों में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, सुरक्षा संबंधी चल रही पहलों के साथ-साथ कई उपायों को सख्ती से लागू किया है, जो नीचे दिए गए हैं-

A. वैज्ञानिक अध्ययन -

कुल 10 वैज्ञानिक अध्ययन पूरे हो चुके हैं, जिनमें छह ओसी खदानों (भरतपुर, समलेश्वरी, आईएलबीएल, जगन्नाथ, भुवनेश्वरी और लिंगराज ओसीपी) के लिए सीएमआर 2017 के विनियमन 196(3) के अनुसार नियंत्रित विस्फोट के लिए वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। इसके अतिरिक्त, चार खदानों: कनिहा, भरतपुर, समलेश्वरी और लिंगराज ओसीपी के लिए विनियमन 143(7) के अनुसार मुक्त सिलिका निर्धारण अध्ययन पूरा हो चुका है।

B. सुरक्षा प्रबंधन योजना

(i) सभी खानों के लिए जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजना को अद्यतन किया गया है तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

(ii) प्रत्येक खदान की सुरक्षा प्रबंधन योजना के जोखिम की तीव्रता को कम करने/समाप्त करने के लिए उपयुक्त संसाधनों और नियंत्रण उपायों के साथ पीएचएमपी-प्रमुख खतरा प्रबंधन योजना विकसित करने को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है।

(iii) सुरक्षा प्रबंधन योजना में आपातकालीन निकासी और पुन: प्रवेश प्रोटोकॉल के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश भी शामिल हैं, जो ट्रिगर एक्शन रिस्पांस प्लान (टीएआरपी) के आधार पर सभी प्रमुख खतरों के लिए संभावित हैं, जिनमें कई घातक घटनाएँ हैं।

(iv) साइट विशिष्ट, जोखिम मूल्यांकन आधारित सभी परिचालनों की एसओपी मानक संचालन प्रक्रियाएं विभिन्न विशिष्ट स्थानों पर तैयार, परिचालित और प्रदर्शित की गई हैं।

C. पर्याप्त सुरक्षा निधि का प्रावधान और सुरक्षा उपकरणों की खरीद: -

सुरक्षा मदों की खरीद के लिए पर्याप्त सुरक्षा निधि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, पूंजीगत और राजस्व प्रकृति के वस्तुओं की खरीद, कार्य और सेवाओं के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) दिया गया है। तदनुसार, मुख्यालय और क्षेत्र स्तर पर विभिन्न सुरक्षा वस्तुओं की खरीद की जाती है:

- अग्निशामक यंत्र - 850
- पर्सनल डस्ट सैम्पलर -08
- मल्टी गैस डिटेक्टर-02
- डिजिटल वेईंग बैलेंस-02
- श्वास विश्लेषक- 10
- इलेक्ट्रिक सायरन -10
- वीओडी मीटर -04
- एक्सपलोडर-04
- लिफ्टिंग एयर बैग-01
- स्मार्ट बोर्ड -04
- लक्समीटर -18
- एलसीडी टीवी - 30
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम - 08
- यूनिवर्सल टेस्टर -01
- वर्षा मापन यंत्र -08
- वाईब्रोमीटर -03
- ऑक्सीजन बूस्टर पम्प - 01
- फॉल अरेस्टर सिस्टम- 02
- फुल बॉडी हार्नेस- 5 नग
- रिचार्जेबल इनकैंडेसेंट लाइटिंग सिस्टम- 4 नग
- सिलेंडर के परिवहन के लिए ट्रॉली- 2 नग
- एससीबीए (बायो पाक-240R) के स्पेयर पार्ट्स
- CO_2 अवशोषक- 5000 KG
- सांस लेने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन उपकरण- 500 क्यूबिक मीटर।
- हाई प्रेशर फायर फाइटिंग होज़- 10 नग
- न्यूमेटिक इम्पैक्ट टूल्स- 1
- फायर टेंडर- 1 नग

D. प्रशिक्षण और लगातार सुरक्षा जागरूकता अभियान द्वारा कार्यबल के ज्ञान, कौशल और जवाबदेही में निरंतर सुधार -

a. प्रशिक्षण -

(i) कंपनी में सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सुरक्षित प्रथाओं से पूरी तरह परिचित कराने और उनके कौशल को उन्नत करने के लिए कामगारों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को कार्य से संबंधित पूरा प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एमईईटीआई, तालचेर और बीटीआई, बेलपहाड़ में स्थापित सिमुलेटरों पर 340 एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर प्रशिक्षण दिया गया है।

(ii) स्कूलों और निकटवर्ती कॉलोनियों में बचाव स्टेशन द्वारा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) सहित प्राथमिक चिकित्सा प्रदर्शन परिवार के सदस्यों और महिलाओं के लिए किए गए, ताकि सामुदायिक तैयारी को बढ़ाया जा सके, व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए सशक्त बनाया जा सके और समग्र सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।

(iii) एमसीएल की बचाव सेवाओं के इतिहास में पहली बार, दो महिला कर्मचारी खनन सरदार योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भूमिगत खदानों में प्रशिक्षण ले रही हैं।

(iv) महिला सशक्तिकरण पहल के रूप में, एमसीएल की बचाव सेवाओं के इतिहास में पहली बार, 8 सदस्यों की महिला टीम ने एमआरएस ओरिएंट क्षेत्र में बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य पर प्रारंभिक प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लिया और दिसंबर 2024 में बीसीसीएल, धनबाद में डीजीएमएस के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय बचाव प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते।

(v) अनंत ओसीपी और भुवनेश्वरी ओसीपी में सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) और इसके कार्यान्वयन पर छह दिवसीय कौशल विकास कक्षाएं 21.10.2024 से 26.10.2024 तक कॉन्फ्रेंस हॉल, जीएम कार्यालय, जगन्नाथ क्षेत्र में सेवानिवृत उप महानिदेशकों द्वारा आयोजित की गईं। कौशल विकास वर्ग में 287 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(vi) एमसीएल के 21 अधिकारियों ने जून 2024 में आईआईटी (आईएसएम), धनबाद में सुरक्षा ऑडिट प्रशिक्षण लिया है और एमओसी के दिशानिर्देश के अनुसार खानों के प्रमाणित सुरक्षा लेखा परीक्षक बन गए हैं।

(vii) एमआरएस, ओरिएंट एरिया, एमसीएल में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र में 11 दिनों के प्रमाणन पाठ्यक्रम के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का 7th ,8th एवं 9th बैच में 27,9 एवं 26 प्रतिभागियों के लिए दिनांक 29/06/2024, 14/11/2024- 26/11/2024 एवं 13.01.2025-24.01.2025 तक आयोजित किया गया।

(viii) एमसीएल विभागीय और संविदा कर्मचारियों को वर्चुअल रियलिटी आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने में अग्रणी है। विभिन्न विभागों जैसे बिजली बंद करना, ऊंचाई पर काम करना, डम्पर का रखरखाव, खान सुरक्षा निरीक्षण, कोयला स्टॉक में अग्निशमन के तहत 21 प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए पहल की गई है। बीटीआई, बेलपहाड़ और एमईईटीआई, सीडब्ल्यूएस, तालचेर में 5618 कर्मचारियों को वीआर प्रशिक्षण दिया गया।

b. जागरूकता

(i) खदान कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए खदानों में नियमित रूप से विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। 2024-25 के दौरान, विभिन्न विषयों पर सभी खानों में चलाए गए विशेष सुरक्षा अभियान इस प्रकार है -

क्रमांक	विशेष सुरक्षा अभियान की तिथियाँ	विषय-वस्तु
1.	18/04/2024 से 24/04/2024	खानों में आग से बचाव एवं अग्निशमन व्यवस्था तथा गर्म लहरों से बचाव।
2.	17/06/2024 से 22/06/2024	• ओपनकास्ट माइंस में ओबी डंप और पिट स्लोप का सुरक्षित • प्रबंधन सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा
3.	15/07/2024 से 20/07/2024	• खदानों से लेकर डंपिंग गंतव्य तक सभी प्रकार के कोयले, ओबी परिवहन के लिए यातायात प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (विभागीय और संविदात्मक) में सुरक्षा प्रणालियाँ। • कोयला धूल प्रबंधन में सुरक्षा प्रणालियाँ और भूमिगत खदानों में अग्निशमन व्यवस्था
4.	16/08/2024 से 21/08/2024	• रेल, एमजीआर मोड के माध्यम से कोयला प्रेषण प्रक्रियाओं में सुरक्षा प्रणाली जिसमें साइडिंग और साइलो इंस्टॉलेशन शामिल हैं। • मानसून के दौरान पंपिंग ऑपरेशन में सुरक्षा प्रणाली। • छत बोल्टिंग में सुरक्षा प्रणाली, यूजी कामकाज में छत का अवलंबन। • भूमिगत खदानों में पंपिंग ऑपरेशन में सुरक्षा प्रणाली
5.	19/09/2024 से 24/09/2024	खदानों में ड्रिलिंग, विस्फोटकों के प्रयोग और विस्फोट से संबंधित कार्यों में सुरक्षा प्रणाली

6.	16/10/2024 से 21/10/2024	• ओपनकास्ट खदानों में विद्युत प्रतिष्ठानों, ट्रांसमिशन लाइनों, अर्थिंग प्रोटेक्टिव रिले, सबस्टेशनों के संचालन और रखरखाव में सुरक्षा प्रणाली; यूजी में विद्युत प्रतिष्ठानों और बिजली आपूर्ति में सुरक्षा प्रणाली • खदानों में रोशनी योजना, रोशनी योजना और रोशनी का मानक
7.	22/11/2024 से 27/11/2024	• पानी के टैंकर/स्प्रिंकलर, मोबाइल मिस्ट स्प्रेयर, रखरखाव वैन, डीजल बॉजर, डीजल वितरण व्यवस्था, विस्फोटक वैन और खदानों में काम करने वाले लोगों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के संचालन और रखरखाव में सुरक्षा प्रणाली • यूजी बेल्ट और कन्वेयर में सुरक्षा प्रणाली
8.	20/01/2025 से 25/01/2025	• खदानों के विभिन्न भागों में धूल दमन व्यवस्था और खदान में अग्निशमन व्यवस्था • कोयला धूल प्रबंधन में सुरक्षा प्रणालियाँ और यूजी खदान में अग्निशमन व्यवस्था
9.	17/02/2025 से 22/02/2025	• डम्पर, टिपर, ट्रक के संचालन और रखरखाव में सुरक्षा प्रणालियाँ। • यूजी माइनिंग मशीनों (एसडीएल, एलएचडी, यूडीएम आदि) में सुरक्षा प्रणालियाँ
10.	17/03/2025 से 22/03/2025	• खदानों में प्रकाश व्यवस्था में सुरक्षा प्रणालियाँ, खुली खदानों के लिए धूल दमन व्यवस्था। • भूमिगत खदानों के लिए यात्रा सड़कों और निकास मार्गों में सुरक्षा प्रणालियाँ।

(ii) कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु खान पर्यवेक्षकों, पदाधिकारियों, अधिकारियों (विभागीय और संविदात्मक) द्वारा उनके अधीन काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को टूलबॉक्स सुरक्षा वार्ता की जाती है।

(iii) आईएलओ का विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 28.04.2024 को एमसीएल की सभी खदानों एवं प्रतिष्ठानों में मनाया गया। इस वर्ष का विषय था "जलवायु परिवर्तन का व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव।"

(iv) सभी खानों/कार्यशालाओं/सबस्टेशनों/जीवीटीसी/एमसीएल के संविदात्मक प्रतिष्ठानों में दिनांक 05 दिसंबर से 18 दिसंबर 2024 तक वार्षिक सुरक्षा पखवाड़ा 2023-24 के उत्सव के माध्यम से एक भव्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया,

(v) एमसीएल और सीआईएल के सुरक्षा वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से खदान कर्मचारियों के बीच साझा किया गया है और जहां साझा करना संभव नहीं था, वहां खदान कर्मचारियों के बीच इसे प्रदर्शित किया गया है।

c. संगोष्ठी और कार्यशाला -

(i) खदानों में कार्यरत खान प्रबंधकों के लाभ के लिए 11.06.2024 को डीजीएमएस कार्यालय, भुवनेश्वर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(ii) 07/11/2024 को कल्याण मंडप, सीडब्ल्यूएस कॉलोनी तालचेर, जगन्नाथ क्षेत्र में "कोयला खदानों में सुरक्षित विस्फोटक संचालन और विस्फोट अभ्यास" पर एक इंटरैक्टिव कार्यशाला आयोजित की गई। डीएमएस (खनन) भुवनेश्वर क्षेत्र-1, डीएमएस (मैकेनिकल), एसईजेड, रांची, डीडीएमएस (खनन), भुवनेश्वर क्षेत्र-1, डीडीएमएस (इलेक्ट्रिकल) एसईजेड, रांची, जीएम (एस एंड आर), जीएम (जगन्नाथ क्षेत्र) और तालचेर कोयला क्षेत्रों के सभी क्षेत्रीय जीएम कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला का लक्ष्य समूह परियोजना अधिकारी, प्रबंधक, क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी, परियोजना इंजीनियर, सुरक्षा अधिकारी, विस्फोटकों के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों की जांच/रखरखाव में शामिल इंजीनियर, सुरक्षा अधिकारी, विस्फोटन अधिकारी, विस्फोटन ओवर मैन/सरदार, विस्फोटक वाहक, मैगजीन क्लर्क, विस्फोटक वैन चालक, बीएमडी ऑपरेटर, बीएमडी मजदूर, बीएमडी तकनीशियन/इंजीनियर, जेएसपीएल, नाल्को के प्रतिनिधि थे।

(iii) 14 नवंबर 2024 को ईब वेल्ली एरिया में "सुरक्षित ब्लास्टिंग अभ्यास" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में ईब कोलफील्ड्स की विभिन्न खदानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 70 सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यशाला में कोलियरी मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, ब्लास्टिंग ओवरमैन, ब्लास्टिंग कैरियर और मैगज़ीन क्लर्क सहित विभिन्न भूमिकाओं के पेशेवरों ने भाग लिया। सत्र में आधुनिक तकनीकों, नियामक अनुपालन और जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा के साथ ब्लास्टिंग संचालन में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने इंटरैक्टिव सत्रों में भाग लिया, क्षेत्र के अनुभव साझा किए और उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए ब्लास्टिंग दक्षता में सुधार करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की।

E. आईटी पहल:

खान सुरक्षा ऐप- एमसीएल ने सभी हितधारकों के बीच सुरक्षा संबंधी जानकारी को आसानी से साझा करने के लिए सुरक्षा ऐप विकसित किया है। सभी सुरक्षा संबंधी जानकारी जैसे डीजीएमएस परिपत्र, दुर्घटना के आंकड़े, महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठकों के कार्यवृत्त, आईएसओ परिपत्र आदि ऐप में अपलोड किए जाते हैं। ऐप को "माइन सेफ्टी इन्फो" टैग के तहत गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

F. एमसीएल की अंतर-क्षेत्रीय बहु-विषयक टीमों द्वारा 2023-24 के दौरान एमसीएल की सभी खुली और भूमिगत खदानों में सुरक्षा लेख परीक्षा पूरा किया गया।

G. खदानों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए सभी क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों, विद्युत सुरक्षा अधिकारियों और क्षेत्र के भू-तकनीकी सेल और स्ट्रेटा नियंत्रण सेल के प्रमुखों के साथ नियमित समन्वय बैठक आयोजित की गई।

H. बीमारियों का पता लगाने के लिए कामगारों और पर्यवेक्षकों की नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि उनका समय पर इलाज किया जा सके। 2023-24 के दौरान, एमसीएल के पीएमई केंद्रों पर 4590 विभागीय कर्मचारियों और 1186 संविदा कर्मियों की आवधिक चिकित्सा जांच की गई।

I. परियोजना स्तरीय सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और सहायक स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों में कामगार प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श आयोजित किया जाता है। सहायक स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 27/09/2023 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

22.4 अवॉर्ड/पुरस्कार:

- कनिहा ओसीपी, कुल्दा ओसीपी और बसुंधरा (डब्ल्यू) को कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कारों के स्वर्ण श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि सियारमल ओसीपी और अनंत ओसीपी को कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कारों के प्लैटिनम श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 18 दिसंबर, 2024 को ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा के माननीय उपमुख्यमंत्री, ओडिशा सरकार के कृषि और किसान सशक्तिकरण, ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।
- 16.12.2024 से 20.12.2024 तक बस्ताकोला क्षेत्र के एमआरएस, धनसार और बस्ताकोला-3/4 इनक्लाइन में बीसीसीएल द्वारा आयोजित 53वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता में भाग लिया और निम्न पुरस्कार प्राप्त किए: -
  - बचाव और रिकवरी में तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
  - फ्रेश एयर बेस में तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
  - वैधानिक परीक्षण में तीसरा सर्वश्रेष्ठ
  - सिद्धांत परीक्षण में दूसरा सर्वश्रेष्ठ
  - समग्र तीसरा स्थान (महिला टीम)
  - फ्रेश एयर बेस में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार (महिला टीम)
  - मिस कमलिनी नाएक, सर्वश्रेष्ठ सदस्य (महिला टीम)

22.5 खान आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और बचाव सेवाएँ

- प्रत्येक खदान में कानून के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार की गई है तथा आपात स्थितियों से निपटने के लिए संगठन भी गठित की गई है।
- डंप विफलता, आग, जलप्लावन, बड़े पैमाने पर छत गिरने जैसे विभिन्न विषयों पर आपातकालीन कार्य योजना की प्रभावकारिता की जांच के लिए नियमित रूप से मॉक रिहर्सल आयोजित की गई है।
- सभी भूमिगत खदानों में निकास मार्ग चिन्हित किए गए हैं।

इसके अलावा एमसीएल की खदानों में आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए ईब-वैली कोलफील्ड्स में सुसज्जित खान बचाव स्टेशन, ओरिएंट क्षेत्र और तालचेर कोलफील्ड्स में आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र भी है। यह बचाव स्टेशन न केवल एमसीएल की खदानों को बल्कि पड़ोसी निजी भूमिगत खदानों को भी सेवा प्रदान करता है।

एमसीएल की बचाव सेवाओं द्वारा पूरी की गई विभिन्न गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. माइंस रेस्क्यू स्टेशन और आरआरआरटी ने कुल 24 आपातकालीन/अग्निशमन कार्यों में भाग लिया, जिनमें से 08 माइंस परिसर में और 16 ऐसी थीं जो किसी खनन गतिविधि से संबंधित नहीं थीं, लेकिन निकटवर्ती सोसायटी/सिविल टाउनशिप में उत्पन्न हुई थीं।
2. 8 महिला कर्मचारियों सहित 32 व्यक्तियों को बचाव एवं पुनर्प्राप्ति कार्य पर प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया।
3. रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन में 229 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को खान बचाव स्टेशन, ओरिएंट क्षेत्र और आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया।
4. एमसीएल के 229 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें स्वस्थ पाया गया।
5. दो निजी भूमिगत खदानों मेसर्स अंबुजा सीमेंट, रायगढ़ क्षेत्र की गारे पाल्मा IV/8, मेसर्स आईएमएफए की क्रोमाइट खदान और एक सरकारी भूमिगत खदान मेसर्स ओएमसी, बांगुर को प्रशिक्षण और आपातकालीन सहायता दी गई।
6. खान बचाव स्टेशन, ओरिएंट एरिया और आरआरआरटी, तालचेर में अग्निशमन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 117 व्यक्तियों ने भाग लिया।
7. निकटवर्ती विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को संभावित अग्नि खतरों और संबंधित सुरक्षा के बारे में जागरूक करने हेतु अग्नि-सुरक्षा पर प्रदर्शन आयोजित किए गए।
8. खानों और एमआरएस में नियमित अंतराल पर सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) और स्वयं बचाव प्रदर्शन आयोजित किए गए।

9. कुल 61 पुरुष (दस महिला कर्मचारियों सहित) को डीजीएमएस द्वारा अनुमोदित माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ओरिएंट क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र में 3 बैचों में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया गया।
10. दिनांक 24.10.2024 से 26.10.2024 तक एमआरएस, ओरिएंट क्षेत्र और खदान नंबर 4 में क्षेत्रीय खान बचाव प्रतियोगिता आयोजित की गई ।
11. तालचेर क्षेत्र में दिनांक 21.02.2025 को कंपनी स्तरीय प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता आयोजित की गई।

23. कम्प्यूटरीकरण

एमसीएल का प्रणाली/ईआरपी विभाग कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सुरक्षित, विश्वसनीय और नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीएल में विभिन्न गतिविधियों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

23.1 ईआरपी कार्यान्वयन. एमसीएल ने निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यात्मकताओं को एकीकृत करने के लिए 01/04/2021 से सैप लागू किया है।

a) माल और सेवाओं के लिए सामग्री प्रबंधन (एमएम)
b) संयंत्र रखरखाव (पीएम)
c) मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम)
d) परियोजना प्रणाली (पीएस)
e) वित्त और नियंत्रण (एफआईसीओ)
f) बिक्री और वितरण (एसडी)

सैप ईआरपी को निम्नलिखित बाह्य प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है।

(i) ऑनलाइन भुगतान और रसीद के लिए कई विभिन्न बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी आदि।
(ii) एम-जंक्शन और एमएसटीसी कोयले की ई-नीलामी हेतु ।
(iii) गुणवत्ता संबंधी डेटा के लिए क्यूसीआई।
(iv) एफओआईएस पोर्टल से सैप सर्वर तक रेल बिक्री डेटा (आरआर विवरण आदि) के प्रवाह के लिए एफओआईएस।
(v) I3 एमएस पोर्टल और सैप प्रणाली के बीच डेटा प्रवाह (बिक्री आदेश और प्रेषण विवरण आदि) के लिए I3एमएस पोर्टल ।
(vi) एमजीआर वेब्रिज डेटा एकीकरण ।
(vii) बीजी/एसडी जब्त दस्तावेज की ईएमडी ट्रिगरिंग।

23.2 अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस): एचआईएमएस एक गैर-ईआरपी अनुप्रयोग है, जो केन्द्रीय अस्पताल, ईब-वैली क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसमें रोगी पंजीकरण, ओपीडी प्रबंधन, आईपीडी प्रबंधन, बीमार/दुरुस्त प्रमाण पत्र, आईएमई, पीएमई, ओटी प्रबंधन, डॉक्टरों/नर्सों की समय-सारणी, रोगी बिलिंग, ईएमआर, बीमा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, चित्र संग्रह और संचार प्रणाली (पीएसीएस) आदि की सुविधाएं हैं। एचआईएमएस को सैप ईआरपी के साथ भी एकीकृत किया गया है।

23.3 वेब और ई-मेल सेवाएं: एमसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.mahanadicoal.in है, जिसे कॉर्पोरेट मुख्यालय में स्थापित वेबसर्वर पर इन-हाउस होस्ट किया गया है। वेबसाइट को एसएसएल प्रमाणपत्र के माध्यम से सुरक्षित बनाया गया है। पोर्टल को एसटीक्यूसी, एमईआईटीवाई, भारत सरकार से वेब अनुप्रयोग सुरक्षा अनुपालन प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

ईमेल सर्वर "mail.mahanadicoal.in" को सैप ईआरपी सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर और एकीकृत किया गया है ताकि सैप प्रणाली से वितरण आदेश, बिक्री चालान और भुगतान जानकारी ई-मेल के माध्यम से उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को भेजी जा सके।

23.4 दो लाख से कम का निविदा पोर्टल: 2 लाख रुपये से कम की निविदाओं का विवरण दर्ज करने के लिए एक पोर्टल आधारित अनुप्रयोग सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने और इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा स्वीकार्य समय अवधि के भीतर उन्हें डाउनलोड करने की सुविधा है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है।

23.5 **सतर्कता निरीक्षण पोर्टल :** सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न इकाइयों और उपकरणों में किए गए निरीक्षण का परिणामों को डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन करने हेतु यह पोर्टल विकसित किया गया है । यह पोर्टल प्रगति को ट्रैक करने, पिछले रिकॉर्ड के साथ वर्तमान निष्कर्षों की तुलना करने, विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने और अनुपालन स्थिति के साथ-साथ टिप्पणियों को संग्रहीत करने में मदद करता है।

23.6 सिस्टम हेल्पडेस्क पोर्टल: यह हेल्पडेस्क पोर्टल सभी पीसी से संबंधित शिकायतों के लिए विकसित किया गया है। तत्काल प्रभाव से मुख्यालय स्तर पर सभी पीसी और संबंधित उपकरणों की समस्याओं को अन्य संचार चैनलों के बजाय इस पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा जिससे शीघ्र समाधान और निगरानी सुनिश्चित किया जा सके।

23.7 एमसीएल इंट्रानेट पोर्टल: एमसीएल इंट्रानेट परिपत्रों/मैनुअल/निर्देशों को साझा करने के लिए एक आंतरिक पोर्टल है और आंतरिक कर्मचारियों द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। इंट्रानेट कहीं से भी और कभी भी वर्तमान, अतीत की जानकारी प्रदान करता है, और इसका उद्देश्य कंपनी के अधिकारियों के बीच सूचना के अंतर को दूर करना और साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से बचना है।

23.8 इंटरनेट लीज्ड लाइन: मुख्यालय में सभी उपयोगकर्ताओं को बीएसएनएल (100एमबीपीएस) से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। क्षेत्रों और परियोजनाओं के कार्यालयों में स्थानीय स्तर पर अलग से इंटरनेट कनेक्टिविटी है।

23.9 ई-ऑफिस: दस्तावेजों के प्रेषण/प्राप्ति तथा फाइलों के निर्माण/आवागमन के लिए पूरे संगठन में ई-ऑफिस पूरी तरह कार्यात्मक है। एमसीएल के सभी उपयोगकर्ताओं को आवश्यकतानुसार ई-ऑफिस की सुविधा दी गई है, ताकि कार्यालय और घर से फाइलों का तेजी से निपटान हो सके। सभी स्थानों पर ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से फाईलों का तेजी से निपटान और आवाजाही में तेजी आई है।

23.10 आईटी अवसंरचना का सृजन:

क) लैन कवरेज का विस्तार: एमसीएल मुख्यालय में पहले से अनकवरेज क्षेत्र को GeM पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लैन अवसंरचना स्थापित करके नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंतर्गत लाया गया है।

ख) लाइसेंस प्राप्त एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर: 2k+ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सभी एमसीएल उपयोगकर्ताओं को अधिकृत और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान सिस्टम विभाग ने सर्वेक्षण और नई आवश्यकताओं के आधार पर GeM पोर्टल के माध्यम से 1166 ऑल-इन-वन पीसी खरीद की हैं। इस खरीद प्रक्रिया में पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटरों के लिए बायबैक व्यवस्था भी शामिल थी ।

23.11 साइबर सुरक्षा.

(i) उपयोगकर्ता अभिगम नियंत्रण के लिए एडी (एक्टिव डायरेक्ट्री) एमसीएल, मुख्यालय में पूर्णतः कार्यात्मक है।

(ii) एमसीएल, मुख्यालय नेटवर्क पर भंडारण उपकरणों के लिए सभी यूएसबी पोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं।

(iii) एमसीएल ने साइबर सुरक्षा वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में उल्लिखित सभी गतिविधियों का अनुपालन किया है।

(iv) वास्तविक समय में संभावित साइबर खतरों की निगरानी और रोकथाम के लिए एमसीएल मुख्यालय, जगन्नाथ क्षेत्र और बसुंधरा क्षेत्र में नई पीढ़ी के फ़ायरवॉल (एनजीएफडब्ल्यू) स्थापित किए गए हैं।

(v) ईएससीआई, हैदराबाद के प्रतिष्ठित संकायों की मदद से एमसीएल के कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 3 अक्टूबर 2024 को एमसीएल मुख्यालय में एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें एमसीएल मुख्यालय के 360 कर्मचारियों ने भाग लिया।

(vi) 03/10/2023 को सभी निदेशकों की उपस्थिति में सीएमडी, एमसीएल द्वारा 'सिक्योर अवसर वर्ल्ड' नामक एक स्मारिका का विमोचन किया गया।

(vii) महिला कर्मचारियों और पुरुष कर्मचारी के जीवनसाथियों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 4 अक्टूबर 2024 को एमसीएल मुख्यालय में एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में कुल 220 प्रतिभागी उपस्थित थे।

(viii) साइबर सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए ईब वैली कोलफील्ड्स के कर्मचारियों, तालचेर कोलफील्ड्स और एमसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लखनपुर क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र और एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय में आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें क्रमशः56,161 और 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ix) ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग, क्विज, स्लोगन राइटिंग और एक ऑफलाइन भाषण प्रतियोगिता क्रमशः 5 जून 2024, 3 जुलाई 2024,11 सितंबर 2024 एवं7 अगस्त 2024 को एमसीएल के अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के बीच आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार राशि वितरित की गई ।

(x) एनआईटी,राउरकेला के प्रतिष्ठित संकाय द्वारा क्रमशः 6 नवंबर 2024, 4 दिसंबर 2024, 22 जनवरी 2025, 5 फरवरी 2025 और 5 मार्च 2025 को प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान(एमटीआई एमसीएल मुख्यालय, एमईईटीआई ,तालचेर और बीटीआई,लखनपुर में ऑफ़लाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित की गई। ।

(xi) भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण: भेद्यता का आकलन करने और पता लगाने के लिए वेब सर्वर और नेटवर्क उपकरणों का नियमित ऑडिट एसटीक्यूसी द्वारा किया गया।

23.12 एमसीएल में ई-खरीद: एमसीएल की ई-खरीद प्रणाली 15.08.2009 को शुरू की गई थी। यह सफलतापूर्वक चल रही है और आज तक इस माध्यम से 174359 करोड़ रुपये की वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस वेब-आधारित सॉफ्टवेयर समाधान के कार्यान्वयन से एमसीएल को अत्यधिक लाभ हुआ है। निविदा प्रबंधन प्रक्रिया के चक्र समय में उल्लेखनीय कमी, बेहतर पारदर्शिता और सुविधा आई है। ईएमडी का प्रबंधन स्वचालित कर दिया गया है और अस्वीकृति के अगले दिन असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि स्वचालित रूप से वापस कर दी जाती है। बोलीदाताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा के कारण एमसीएल की साख बढ़ी है। सैप के कार्यान्वयन के बाद, खरीद प्रक्रिया की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ई-खरीद प्रणाली को सैप के साथ एकीकृत किया गया है।

23.13 भविष्य की योजना/अन्य चल रही गतिविधियाँ

क. वेबसाइट और अन्य वेब/मोबाइल अनुप्रयोगों को ऑन-प्रिमाइसेस अवसंरचना से सीआईएल की केंद्रीकृत क्लाउड सेवाओं में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

ख. सीईआरटी-आईएन (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एमसीएल ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा समाधान के कार्यान्वयन की पहल की है।

ग. ग्राहक संबंध प्रबंधन और सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से एमसीएल में वर्तमान में एक समर्पित ग्राहक पोर्टल का विकास किया जा रहा है।

24. दूरसंचार

आपकी कंपनी ने एमसीएल के आधुनिकीकरण की परिचालनात्मक और कार्यनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी दूरसंचार और डिजिटल आधारभूत संरचना को सुदृढ़ और विस्तारित करने में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- **एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी):**

  एमसीएल ने अपने परिचालन क्षेत्र में स्थापित 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए एकीकृत आईसीसीसी की स्थापना की पहल की है। यह प्रणाली उन्नत एआई-आधारित विश्लेषण, वास्तविक समय-निगरानी और विसंगति का पता लगाने में लाभदायक है, जिससे खदान की सुरक्षा और अनुपालन को बेहतर बनाया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म एमसीएल में डिजिटल निगरानी का केंद्र बनने के लिए तैयार है।

- **एएनपीआर एकीकरण के साथ बूम बैरियर सिस्टमः**

  एमसीएल की खदानों के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर आरएफआईडी-आधारित बूम बैरियर सिस्टम को 116 स्थानों पर पूरी तरह से लागू किया गया है। अब ये स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों से सुसज्जित हैं, जो बिना अनुमति वाले वाहनों की आवाजाही और चोरी को रोकने के लिए दोहरी सत्यापन क्षमता प्रदान करते हैं।

- **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली:**

  आपकी कंपनी ने अपने संचालन और आवासीय बुनियादी ढांचे में एक मजबूत और तेजी से विस्तार करने वाली **सीसीटीवी निगरानी** प्रणाली लागू की है। मार्च 2025 तक :

- 2800 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है और इसे एमसीएल मुख्यालय में केंद्रीय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है, जिससे खदानों, वेब्रिज, कार्यालयों और कार्यशालाओं सहित महत्वपूर्ण स्थानों की रियल-टाइम केंद्रीकृत निगरानी संभव हो सकी है।

- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) असामान्य गतिविधियों का पता लगाने, स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने और किसी भी सुरक्षा या सुरक्षा घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए एआई-संचालित विश्लेषण का उपयोग करता है।

खदान और कार्यालय निगरानी के अतिरिक्तः

- सीसीटीवी कवरेज को अब आवासीय कॉलोनियों तक बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करना है।

- इसके अलावा, एमसीएल ने संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से, जमा आधार पर तालचेर टाउन, बेलपहाड़, ब्रजराजनगर और झारसुगुड़ा के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करने का कार्य भी अपने हाथ में लिया है।

- **जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस):**

  3000 से अधिक वाहनों, जिनमें एचइएमएम (हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी) और कोयला परिवहन ट्रक शामिल हैं, को जीपीएस/जीपीआरएस-आधारित ट्रैकिंग से एकीकृत किया गया है। इन वाहनों में जियो-फेंसिंग और रूट विचलन के लिए स्वचालित अलर्ट की सुविधा है, जिससे कोयला लॉजिस्टिक्स में नियंत्रण और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

  इसके अलावा, एमसीएल ने ओवर-बर्डन (ओबी) वाहनों में जीपीएस लगाने और इसे 24x7 केंद्रीकृत ट्रैकिंग के दायरे में लाने की पहल की है।

- **रिडंडेंट ईआरपी संचार नेटवर्क:**

  एमपीएलएस नेटवर्क का दो-स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है, जिसमें 284 स्थानों को मेसर्स रेलटेल के माध्यम से और 116 बैकअप पॉइंट्स को बीएसएनएल के माध्यम से कवर किया गया है, जो ईआरपी सिस्टम की उच्च उपलब्धता और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है। मुख्यालय में स्थित 24x7 नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) सभी लिंक की निगरानी करता है, जिससे किसी भी खराबी का त्वरित समाधान और पुनर्स्थापन सुनिश्चित होता है।

- **ईआरटी-ईन सुसंगत एंटरप्राइज़ वाई-फाई और साइबर सुरक्षा उपाय:**

  एमसीएल मुख्यालय में सीईआरटी-इन साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक मजबूत, एंटरप्राइज-ग्रेड वाई-फाई नेटवर्क स्थापित किया गया हैं, जो सुरक्षित, और उच्च गति की वायरलेस संचार सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, एमसीएल की सभी आईटी और नेटवर्क अवसंरचना की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसटीक्यूसी द्वारा एक व्यापक साइबर सुरक्षा ऑडिट भी किया गया है, जिससे डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है।

- **जागृति विहार में स्मार्ट सिटी कार्यान्वयन:**

  अपने डिजिटल परिवर्तन के एक भाग के रूप में, एमसीएल ने जागृति विहार में स्मार्ट सिटी कार्यान्वयन परियोजना शुरू की है । इसमें स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट निगरानी, डिजिटल सूचना बोर्ड और सार्वजनिक वाई-फाई जैसी आधुनिक तकनीकों का एकीकरण किया गया है, जो भविष्य की कॉलोनी विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।

- **एंटरप्राइज़ ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो सिस्टम:**

  एमसीएल मुख्यालय में वायरलेस माइक्रोफोन और लाइसेंस प्राप्त एमसीयू/क्लाइंट सर्वर-आधारित वीसी प्लेटफॉर्म के साथ आधुनिक अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। इससे हजारों ऑनलाइन बातचीत- साक्षात्कार, प्रशिक्षण, वेबिनार- की सुविधा मिली है, जिससे यात्रा लागत और समय की काफी बचत हुई है।

- **कर्मचारी कल्याण के लिए कॉल सेंटर सेवाएं:**

  एमसीएल ने कर्मचारियों की शिकायतों और क्वार्टर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया है। इस त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली ने सेवा वितरण और कर्मचारी संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार किया है।

- **आईपी-आधारित सुरक्षित टेलीफोनी और मोबाइल सीयूजी नेटवर्क**

  शीर्ष प्रबंधन के लिए एक आंतरिक आईपी-आधारित सुरक्षित टेलीफोन नेटवर्क बनाए रखा गया है, जबकि सीयूजी मोबाइल सेवाएँ हजार से अधिक फील्ड अधिकारियों को दी गई हैं, जिससे कम लागत पर निर्बाध संचार सुनिश्चित किया जा सके।

- **अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस):**

  सेंट्रल हॉस्पिटल, इब वैली में एक डिजिटल एचएमएस प्रणाली चालू है, जो एक सुरक्षित, उच्च गति वाले लैन बैकबोन के तहत रोगी के रिकॉर्ड, नुस्खे और उपचार चक्रों को एकीकृत करती है।

- **आउटडोर सूचना प्रदर्शन:**

  एमसीएल ने सुरक्षा संदेश, उपलब्धियां, स्वास्थ्य अलर्ट और अन्य आवश्यक जानकारी के वास्तविक समय के प्रसार के लिए कई क्षेत्रों में डिजिटल आउटडोर डिस्प्ले स्थापित किए हैं। इनके और विस्तार के लिए योजनाएं चल रही हैं।

- **वीएचएफ एवं भूमिगत संचार:**

  एमसीएल अपने ओपनकास्ट और भूमिगत परियोजनाओं में वीएचएफ संचार का विस्तार जारी रखे हुए है। इसके अलावा, सभी भूमिगत खदानें पर्यावरण टेली-निगरानी प्रणाली और सुरक्षित संचार लिंक से सुसज्जित हैं, जो संचालन और आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं।

- **बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली:**

  कंपनी ने एसएपी के साथ एकीकृत एक नई बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की खरीद और रोलआउट का काम शुरू कर दिया है। यह प्रणाली पुराने प्लेटफ़ॉर्म की जगह लेगी और केंद्रीकृत, छेड़छाड़-रहित उपस्थिति निगरानी की सुविधा प्रदान करेगी।

25. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)

प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधनों का विकास किसी भी उद्योग के संगठनात्मक विकास की कुंजी है। मानव संसाधन का प्रशिक्षण और विकास एमसीएल की कॉर्पोरेट नीति का अभिन्न अंग है, और मानव संसाधन विकास विभाग को एमसीएल के मौजूदा मानव संसाधनों और नए शामिल किए गए जनशक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से काम करने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि:

1) उत्पादन की मांग को सुरक्षा, संरक्षण, गुणवत्ता और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पूरा करना।
2) राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति हेतु उभरती रणनीतियों से निपटना।
3) कार्य-जीवन संतुलन, तनाव मुक्ति, शिष्टाचार, संचार कौशल, व्यापारिक नैतिकता, आचरण आदि को बनाए रखना।
4) गलतियों को कम करना और त्रुटियों से जुड़ी लागत को घटाना, जिससे अधिक कुशल और लागत-कुशल संचालन संभव हो सके।

एमसीएल की कुल मानव संसाधन को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. अधिकारी
2. गैर अधिकारी
3. पर्यवेक्षक
4. कामगार (ठेकेदार एवं विभागीय)

प्रदान किए गए प्रशिक्षण के प्रकार को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i) तकनीकी
ii) प्रबंधकीय
iii) व्यवहारिक

एमसीएल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केंद्र और संस्थान हैं:

1. जगन्नाथ क्षेत्र, तालचेर क्षेत्र, ओरिएंट क्षेत्र, लखनपुर क्षेत्र और बसुंधरा क्षेत्र में समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
2. बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान (बीटीआई), खनन-सह-उत्खनन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (एमईईटीआई), केंद्रीय कार्यशाला तालचेर और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), एमसीएल मुख्यालय।
3. भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) रांची।

4. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई), भारतीय इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज (ईएससीआई), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास अकादमी (एनएएचआरडी), आईआईएम, आईआईटी, परिवर्तन राजभाषा अकादमी, गांधी श्रम फाउंडेशन, आदि।

एमसीएल का मानव संसाधन विकास विभाग प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक "वार्षिक प्रशिक्षण योजना" तैयार करता है, ताकि सीआईएल/एमसीएल में परिकल्पित शिक्षण एवं विकास नीति, परामर्श नीति, प्रतिभा प्रबंधन नीति, कौशल विकास नीति आदि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सभी संस्थानों के साथ अपने प्रयासों को एकीकृत किया जा सके।

क. अधिकारी:

आईआईसीएम, रांची में नए प्रवेशक :-

क) प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख) तकनीकी कौशल विकास प्रशिक्षण

ग) कार्यात्मक कौशल विकास प्रशिक्षण

घ) प्रबंधकीय कौशल विकास प्रशिक्षण

इसके अलावा, नए प्रवेशकों को सीआईएल की मेंटरिंग योजना में शामिल किया जाता है ताकि उन्हें एमसीएल की कार्य संस्कृति, जलवायु और वातावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

मौजूदा अधिकारी: मौजूदा कर्मचारियों को बीटीआई, एमईईटीआई, एमटीआई, आईआईसीएम और भारत के बाहरी प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्रों में उनके कैरियर के विकास के साथ-साथ उनके संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा और भविष्य के तकनीकी विकास पर विकास/उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

क. गैर-अधिकारी

i) **पर्यवेक्षक: पर्यवेक्षकों को उनके कौशल विकास और उन्नयन के लिए बीटीआई, एमईईटीआई, एमटीआई, जीएलएफ आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है।**

ii) **कर्मचारी (पर्यवेक्षकों के अलावा) संविदात्मक कार्यों सहित:**

क. **मूल प्रशिक्षण:** मूल प्रशिक्षण उन नव-नियुक्त कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण सभी पाँच जीवीटीसीएस (ग्रुप व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों) में प्रदान किया जाता है।

ख. **पुनश्चर्या प्रशिक्षण:** पुनश्चर्या प्रशिक्षण उन कर्मचारियों को हर पाँच वर्षों में एक बार दिया जाता है, जिन्होंने पहले से मूल प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होता है। यह प्रशिक्षण भी व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अनुसार सभी पाँच जीवीटीसीएस में दिया जाता है।

ग. **विशिष्ट प्रशिक्षण:** जब खदानों में नई तकनीक या मशीनरी को पेश किया जाता है, तब कर्मचारियों को उस तकनीक/मशीन से परिचित कराने के लिए सभी पाँच जीवीटीसीएस और उपकरण निर्माताओं की कार्यशालाओं में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

घ. **कार्य परिवर्तन प्रशिक्षण:** जब किसी कर्मचारी का कार्य बदलता है, तो उसकी नई भूमिका, तकनीक, मशीन या कार्यस्थल के अनुसार उसे उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह नई जिम्मेदारी से भली-भांति परिचित हो सके।

नई पहल:

1. प्रशिक्षुओं को दिए गए वृत्ति की प्रतिपूर्ति के रूप में बीओपीटीईआर, कोलकाता से ₹1,43,68,311/- की राशि का दावा किया गया है।
2. मार्च 2025 के अंत तक एमसीएल में कुल 1502 (3.76%) प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर 2.5% प्रशिक्षु नियोजन लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
3. सीवीओ सीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार विभिन्न विभागों के लिए नवीनतम नियमों, दिशानिर्देशों, नियमावली एवं एसओपी पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
4. नई अवधारणाओं जैसे ई-एमबी पोर्टल, सिविल ओवरसियरों के प्रशिक्षण, कर्मचारियों के कौशल उन्नयन, नेतृत्व, वित्तीय कल्याण, कर प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन एवं अन्य तकनीकी एवं सामान्य विषयों पर सभी विभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
5. तालचेर कोलफील्ड्स के सभी परियोजना/यूनिट स्थलों पर विभागीय एवं संविदा कर्मचारियों को वर्चुअल रियलिटी मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान कंपनी के समझौता ज्ञापन मापदंडों और प्रशिक्षण लक्ष्य, उपलब्धियों का विवरण।

क्र.सं.	मापदंड	2023-24			2024-25		
		लक्ष्य (कुल अधिकारियों का 5%.)	उपलब्धि	%प्राप्त	लक्ष्य (कुल अधिकारियों का 5%.)	उपलब्धि	%प्राप्त
1	कुल अधिकारियों के 5% को उत्कृष्टता केंद्रों, अर्थात आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीडब्ल्यूए, एएससीआई आदि में कम से कम एक सप्ताह/पांच दिन और उससे अधिक का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर प्रगति।	90	227	252	90	296	328

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 संशोधित 2016 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करना

क्र. सं.	नियोजित प्रशिक्षु	2023-24	2024-25
1	प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त आईटीआई पास आउट की संख्या (एनएपीएस के माध्यम से)	1028	751
2	कार्यरत पीडीपीटी की संख्या (एनएटीएस के माध्यम से)	411	368
3	कार्यरत पीडीपीटी की संख्या (एनएटीएस के माध्यम से)	230	382
	कुल	**1669**	**1501**

3. प्रशिक्षण - वर्ष 2023-24 और 2024-25 में एमटीआई, बीटीआई, एमईईटीआई, और जीवीटीसी

क्र. सं.	कर्मचारी	2023-24	2024-25
1	अधिकारी	2104	2739
2	पर्यवेक्षक	863	1534
3	कामगार	5023	4918
	कुल	**7990**	**9191**

4. वर्ष 2023-24 और 2024-25 में बाह्य प्रशिक्षण विवरण

क्र. सं.	कर्मचारी	2023-24	2024-25
1	अधिकारी	1267	1110
2	पर्यवेक्षक	122	30
3	कामगार	143	46
	कुल	**1532**	**1168**

5. वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल प्रशिक्षण (आंतरिक और बाह्य)

क्र. सं.	कर्मचारी	2023-24	2024-25
1	अधिकारी	3371	3849
2	पर्यवेक्षक	985	1582
3	कामगार	5166	4936
	कुल	**9522**	**10349**

6. कॉरपोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता और आचरण संहिता पर एमसीएल बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

क्र. सं.	प्रशिक्षण प्रदान किया गया	2023-24	2024-25
1	भारत में	NIL	NIL
2	विदेश	NIL	NIL

7. वर्ष 2023-24 और 2024-25 में प्राप्त प्रशिक्षण मानव दिवस

क्र. सं.	कर्मचारी	2023-24	2024-25
1	अधिकारी	10530	9584
2	पर्यवेक्षक	3643	3508
3	कामगार	43936	48204
	कुल	**58109**	**60234**

8. वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण

क्र. सं.	विद्यार्थी	2023-24	2024-25
1	खनन अभियांत्रिकी	124	125
2	खनन डिप्लोमा	136	40
3	बी. टेक	135	154
4	एमबीए	217	220
5	अन्य	72	144
	कुल	**684**	**683**

9. विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	कर्मचारी	2023-24	2024-25
1	परियोजना प्रबंधन	19	8
2	अनुबंध प्रबंधन	90	79
3	जोखिम प्रबंधन	5	6
4	पर्यावरण, वन प्रबंधन और अधिग्रहण	35	65
5	एचईएमएम संचालन का सिम्युलेटर प्रशिक्षण	95	53
6	पॉश अधिनियम, लैंगिक संवेदनशीलता और महिला संवेदनशीलता	12	21
7	आंतरिक संकाय/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	77	5
	कुल	**333**	**231**

26. कल्याण

26.1 शिक्षा

कल्याणकारी उपाय के रूप में, एमसीएल के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस संबंध में, एमसीएल में 11 परियोजना डीएवी पब्लिक स्कूल और 2 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं।

स्कूल की स्थिति एक नजर में:

क्र.	स्कूल के प्रकार	स्कूलों की संख्या	बजट प्रावधान
01	परियोजना स्कूल घाटे का वित्तपोषण (कुल)	11	रु. 70,91,14,660.47 स्वीकृत घाटा बजट (2024-25)
02	निजी तौर पर प्रबंधित स्कूल (अनुदान सहायता)	17	रु. 82,06,800/- स्वीकृत बजट (2024-25)
03	केन्द्रीय विद्यालय	02	वित्त वर्ष 2024-25 में 2,04,98,583 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

26.2 सीआईएल छात्रवृत्ति योजना:-

मेधावी छात्रों यानी कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, दो श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, अर्थात i. मेरिट छात्रवृत्ति ii. सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार सामान्य छात्रवृत्ति।

सीआईएल छात्रवृत्ति योजना		
वित्तीय वर्ष 2024-25	**कुल मामलों की संख्या**	**राशि का भुगतान**
सामान्य छात्रवृत्ति	164	रु. 9,31,920.00
मेरिट छात्रवृत्ति	6	रु. 1,40,640.00
कुल	170	रु. 10,72,560.00

26.3 फीस और छात्रावास शुल्क की लागत के लिए वित्तीय सहायता के वितरण के लिए सीआईएल योजना: -

मेधावी छात्रों यानी कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, दो श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, अर्थात i. मेरिट छात्रवृत्ति ii. सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार सामान्य छात्रवृत्ति।

सीआईएल ट्यूशन प्रतिपूर्ति		
वर्ष	कुल मामलों की संख्या	राशि का भुगतान
वित्तीय वर्ष 2024-25	117	रु. 50,03,415.00

26.4 एमसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसाइटी (ईबीएफएस) :

- एमसीएल ईबीएफएस योजना का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए तत्काल राहत प्रदान करना है।
- इस योजना का सदस्य बनने के लिए एक दिन का वेतन एकमुश्त अंशदान के रूप में काटा जाता है।
- इस योजना के लिए सदस्यों के वेतन से हर महीने 50 रुपये की कटौती की जाती है और योजना के तहत मृतक कर्मचारी के परिवार को 1,00,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है, जो 1.4.2024 से प्रभावी होगा, जैसा कि 2024 में ईबीएफएस शासी निकाय की बैठक में निर्णय लिया गया था। पहले यह 10 रुपये की कटौती और 25,000 रुपये का वित्तीय लाभ था।

एमसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसाइटी (ईबीएफएस)		
वर्ष	**कुल मामलों की संख्या**	**राशि का भुगतान**
वित्तीय वर्ष 2024-25	17	₹ 10,25,000/-

26.5 वित्तीय सहायता: -

एमसीएल अपने कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन क्लब, कैंटीन, शैक्षिक संस्थानों आदि जैसी आंतरिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा कोयला क्षेत्र के परिधीय क्षेत्र और पूरे भारत में खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बाहरी संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष	**मामलों की संख्या**	**राशि रू. में**
वित्तीय वर्ष 2024-25	94	77,01,045.00

वैधानिक सुविधाओं और मनोरंजन सुविधाओं का विवरण: -

वैधानिक सुविधाएं		**मनोरंजन की सुविधाएं**	
क्रेच	03	प्ले ग्राउन्ड	09
रेस्ट शेल्टर	79	स्टेडियम	05
कैंटीन	35	चिल्ड्रन पार्क	19
बैंक शाखाएँ	23	लाइब्रेरी	08
		ऑफिसर्स क्लब	19
		वर्कर्स क्लब	16
		ऑडिटोरीयम	8

		स्विमिंग पूल	03
		कल्याण मंडप	04
		गोल्फ कोर्स	04

26.7 अस्पताल:

उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की कंपनीवार स्थिति:

कंपनी	औषधालय	बेड	डॉक्टर	एम्बुलेंस	अस्पताल	आयुर्वेदिक औषधालय	मोबाइल वैन
एमसीएल	13	144	99	52	6	1	2

26.8 इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश:

एमसीएल कर्मचारियों के बच्चों के करियर विकास के लिए आईजीआईटी, सारंग और ओएसएमई, क्योंझर में खनन, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विषयों में 40% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। विवरण नीचे दिया गया है:

संस्था का नाम	अनुशासन	40% एमसीएल कोटा के अंतर्गत सीटों की संख्या
इंदिरा गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईजीआईटी), सारंग, ढेंकनाल	सिविल	8
	इलेक्ट्रिकल	8
	मैकेनिकल	8
ओड़िशा स्कूल ऑफ माइनिंग एंड इंजीनियरिंग (ओएसएमई), क्योंझर	खनन	16
	कुल योग	**40**

हर साल, 10वीं बोर्ड के परिणाम की घोषणा के बाद, उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त परामर्श प्रक्रिया (एमसीएल, आईजीआईटी सारंग और ओएसएमई क्योंझर के अधिकारी) शुरू की जाती है।

26.9 सीआईएल हाफ मैराथन:

एमसीएल ने 2 मार्च 2025 को भुवनेश्वर में सीआईएल हाफ मैराथन का सफल आयोजन किया, जिसमें 6000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की स्वर्ण जयंती समारोहों का हिस्सा था तथा इसने व्यापक जनसंपर्क, मीडिया कवरेज और राष्ट्रव्यापी दृश्यता बनाई है। इस तरह की पहल व्यापक जनसांख्यिकी तक पहुँचने और राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी की सार्वजनिक छवि को मजबूत करने में मदद करती है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम सामाजिक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को भी समर्थन देता है और "फिट इंडिया मूवमेंट" और खेलों को बढ़ावा देने जैसी सरकारी पहलों के साथ जुड़ते हैं।

26.10 खेल/खेलकूद/समारोह:

1. कर्मचारियों के बीच खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, एमसीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 12 एमसीएल अंतर क्षेत्रीय खेलों का आयोजन किया । इसके साथ ही, एमसीएल ने सीआईएल स्थापना दिवस गोल्फ टूर्नामेंट 2024 तथा एमसीएल स्थापना दिवस गोल्फ टूर्नामेंट 2024 का भी सफलपूर्वक आयोजन किया।
2. एमसीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में सीआईएल इंटर कंपनी बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसके साथ ही, एमसीएल ने विभिन्न इंटर कंपनी खेल प्रतियोगिताओं तथा इंटर पीएसयू खेलों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।
3. बाह्य खेल आयोजनों के लिए एसओपी:- सीआईएल खेल नीति के अनुसार एसओपी तैयार की गई है और कर्मचारियों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न बाहरी प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इसे सभी क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है।
4. एमसीएल वॉलीबॉल टीम सीआईएल अंतर-कंपनी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024-25 में चैंपियन/विजेता रही।
5. एमसीएल टीम ने सीआईएल अंतर कंपनी ब्रिज प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम स्थान हासिल किया।
6. एमसीएल टीम ने सीआईएल अंतर कंपनी एथलेटिक मीट 2024-25 में प्रथम स्थान प्राप्त किया और सर्वोच्च पदक प्राप्त किए।
7. एमसीएल ने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, एमसीएल स्थापना दिवस, सीआईएल स्थापना दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, संविधान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।
8. एमसीएल ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 03 दिवसीय ध्यान कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
9. विप्स (डब्ल्यूआईपीएस), एमसीएल के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित किया गया।

26.11 क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियों का निरीक्षण:

कल्याण विभाग ने समुचित कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में कल्याण बोर्ड के सदस्यों द्वारा कल्याण गतिविधियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है।

26.12 एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य कल्याणकारी गतिविधियाँ:

1. वृक्षारोपण अभियान-2024 के अंतर्गत ईब वैली कोलफील्ड्स क्षेत्र(एमसीएल) में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया
2. सीडब्ल्यूएस ईब वैली (एमसीएल) के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवार के सदस्यों के लिए नुआखाई भेट-घाट सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
3. लखनपुर क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारजनों और संविदा कर्मियों को शामिल करके लखनपुर क्षेत्र द्वारा दीपोत्सव का आयोजन किया गया।
4. एमसीएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।
5. एमसीएल के पचास प्रोजेक्ट स्कूलों के बीच "वेस्ट टू आर्ट" प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
6. वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 110 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिनसे 13,024 लाभार्थी लाभान्वित हुए तथा इन शिविरों की लक्षित जनसंख्या:1,37,147 थी।
7. दिनांक 1.4.2024 से सभी 11 एमसीएल प्रोजेक्ट डीएवी स्कूलों के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को मेडिक्लेम सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है।
8. एमसीएल ने “राष्ट्रीय एकता दिवस-2024” के अवसर पर “रन फॉर यूनिटी” कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

निष्कर्षः-

एमसीएल अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर समर्पित प्रयास जारी रखे हुए है। समावेशी कल्याण, शैक्षणिक उत्थान और सामुदायिक सहभागिता पर विशेष ध्यान देते हुए, एमसीएल एक स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान कार्यबल की अपनी दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध है।

27. राजभाषा:

27.1 मूल रूप से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्याहन योजना:

हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु नगद पुरस्कार योजना लागू की गई है।

27.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 14.05.2024, 23.08.2024, 22.10.2024 एवं 24.01.2025 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिनमें क्षेत्रों एवं मुख्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई और भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

27.3 राजभाषा कार्यशाला:

वर्ष 2024-25 में एमसीएल में कुल 66 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें 1908 प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, नियम और विनियमों से परिचित कराया गया। प्रतिभागियों को हिंदी भाषा में पत्र लेखन, टिप्पणी और मसौदा तैयार करने का अभ्यास कराया गया।

27.4 भाषा प्रशिक्षण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हिंदी भाषा प्रशिक्षण हेतु हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दो सत्रों में परीक्षाएं आयोजित की गई। प्रथम सत्र जनवरी-मई एवं द्वितीय सत्र जुलाई-नवंबर 2024 में परीक्षाएँ आयोजित की गई, जिसमें 76 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए। विवरण नीचे दिया गया है:-

सत्र	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	कुल
2024-25	37	24	15	76

एमसीएल के परिपत्र के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एक बार एकमुश्त नगद राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इसके अलावा प्राज्ञ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एमसीएल द्वारा एकमुश्त नगद राशि के साथ-साथ उनके वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है।

27.5 कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण:

वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 25.02.2025 से 27.02.2025 तक कंप्यूटर पर 03 एक दिवसीय यूनिकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मीटि, तालचेर में एवं दिनांक 17.03.2025 to 21.03.2025 तक 05 एक दिवसीय यूनिकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, एमसीएल मुख्यालय में किया गया था, जिसमें एमसीएल के 133 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

27.6 हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण :

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से राजभाषा विभाग, एमसीएल मुख्यालय द्वारा राजभाषा संवर्ग के कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु दिनांक 16.12.2024 से 20.12.2024 तक एमसीएल मुख्यालय में पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमसीएल के 28 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

27.7 हिंदी दिवस/हिंदी पखवाडा :

वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार, राजभाषा विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 14.09.2024 को नई दिल्ली (भारत मंडपम) में सामूहिक हिंदी दिवस/राजभाषा पखवाड़ा का शुभारंभ एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा विभाग, एमसीएल द्वारा प्रतिभागिता की गई ।

14 से 28 सितंबर 2024 तक एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर, हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण और आलेखन, वाद-विवाद, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, स्कूली बच्चों के लिए वाद-विवाद, अधिकारियों/कर्मचारियों के गृहणियों के लिए राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा ऑनलाइन टिप्पण प्रतियोगिता (विभागाध्यक्षों के लिए) तथा मुख्यालय स्तर पर संयुक्त वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

दिनांक 28.09.2024 को हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (तक/संचालन), श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त) तथा श्री अक्षय श्रीकांत बापट, निदेशक (तक./परियोजना एवं योजना) द्वारा प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

27.8 अखिल भारतीय कवि सम्मेलन:

राजभाषा पखवाड़ा-2024 के समापन समारोह के अवसर पर दिनांक 28.09.2024 को एमसीएल मुख्यालय में "अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया ।

27.9 हिंदी पुस्तकों का वितरण:

तिमाही समीक्षा बैठकों, विशेष कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, संगोष्ठी इत्यादि में प्रतिभागियों को प्रोत्साहन के रूप तथा संकाय सदस्यों/वक्ताओं एवं गणमान्य अतिथियों को भेट स्वरूप हिन्दी पुस्तके प्रदान की गई।

27.10 एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना:

एमसीएल में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष "एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार" दिया जाता है।

वर्ष 2023-24 एमसीएल के क्षेत्रों एवं मुख्यालय के विभागों को उनके श्रंशक्ति के आधार पर 3 बड़े एवं 03 छोटे कार्यालयों को (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) और 04 गैर उत्पादन इकाइयों यथा 02 केन्द्रीय कर्मशाला, 01 एनएससीएच एवं 01 भुवनेश्वर कार्यालय को (प्रथम एवं द्वितीय) पुरस्कार सहित कुल 14 पुरस्कार दिये गए।

वर्ष 2023-24 के लिए सभी 14 पुरस्कार दिनांक 28.09.2024 को राजभाषा पखवाड़ा-2024 के समापन समारोह के अवसर पर श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (तक./(संचालन), श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त) एवं श्री अक्षय श्रीकांत बापट, निदेशक(तक./परियोजना एवं योजना) द्वारा विजेता प्रतियोगिताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

27.11 विश्व हिंदी दिवस:

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.01.2025 को महाप्रबंधक (राजभाषा) की अध्यक्षता में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्रों और मुख्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण शामिल हुए। इस अवसर पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री प्रेमशंकर त्रिपाठी वरिष्ठ साहित्यकार, कोलकाता को संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। इस संगोष्ठी में “वैश्विक परिदृश्य में भारतीय संकृति एवं हिन्दी” विषय पर जानकारी दी गई।

27.12 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संबलपुर की बैठकें:

वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास),संबलपुर की दो छ:माही बैठकों का जून एवं नवंबर में आयोजन किया जाता है। इस वर्ष प्रथम छ:माही बैठक दिनांक 24.06.2024 में श्री उदय अनंत कावळे, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में तथा द्वितीय छ:माही बैठक दिनांक 20.11.2024 को श्री केशव राव, निदेशक(मा.सं.), एमसीएल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. विचित्रसेन गुप्त, उप निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पूर्व), कोलकाता उपस्थित थे।

सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। बैठक के दौरान सदस्य कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

27.13 नराकास राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार:

नराकास, संबलपुर के सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष "नराकास राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार" प्रदान दिया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए चयनित सदस्य कार्यालयों को कुल 09 पुरस्कार प्रदान किए गए। यह पुरस्कार दिनांक 20.11.2024 को आयोजित द्वितीय छमाही बैठक में अध्यक्ष श्री केशव राव, निदेशक (मा.सं.), एमसीएल द्वारा प्रदान किए गए।

इसी प्रकार राजभाषा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यालयों द्वारा नराकास अंतर-कार्यालयीन राजभाषा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 20.11.2024 को आयोजित छमाही बैठक में अध्यक्ष महोदय के करकमलों से नराकास सदस्य कार्यालयों के विजेता प्रतिभागियों को कुल 06 पुरस्कार प्रदान किए।.

27.14 हिंदी पुस्तकों की खरीद:

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल रु. 74,443.00 की पुस्तकें क्रय की गई, जिनमें से रु. 71418.00 की हिंदी पुस्तकें क्रय की गई, जो कि कुल खरीद का 95.93% है।

27.15 एमसीएल की वेबसाइट:

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

27.16 राजभाषा पोर्टल:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वेबसाइट www.mahanadicoal.in में राजभाषा पोर्टल उपलब्ध है, जिसमें एमसीएल की राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अद्यतन रूप में देखा जा सकता हैं।

27.17 राजभाषा पत्रिका:

वर्ष 2024-25 के दौरान नराकास, संबलपुर की गृह पत्रिका "संबलप्रभा"(12वां संस्करण) दिनांक 24.06.2024 को एमसीएल मुख्यालय में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक में विमोचित की गई।

28. भूमि/आर. एंड आर

आपकी कंपनी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए परियोजना प्रभावित/विस्थापित परिवारों की सहायता करने हेतु प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध है जो इसकी आर. एंड आर. नीति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। एमसीएल ओडिशा राज्य की आर. एंड आर. नीति का पालन करता है और 2024-25 के दौरान रोजगार/वार्षिकी के बदले में 315 रोजगार/नकद मुआवजा और स्थापना के बाद से रोजगार/वार्षिकी के बदले कुल 18,325 रोजगार/नकद मुआवजा प्रदान किया है। एमसीएल भूमि विस्थापितों से संबंधित शिकायतों के निवारण की दिशा में आरपीडीएसी की सलाह पर कार्य कर रहा है।भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वास्थ्य केंद्रों, डाकघरों, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, पूजा स्थलों आदि के साथ पुनर्वास कॉलोनियों की स्थापना की गई है। एमसीएल कोलफील्ड्स में उपलब्ध अपने मौजूदा अस्पतालों/ औषधालयों में सभी परिधीय ग्रामीणों को ओपीडी की सुविधा मुफ्त में या प्रति मरीज 2.00 रुपये के मामूली शुल्क पर प्रदान करता है।

एमसीएल प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुनर्वास प्रदान करके खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीएल ने 1035.553 हेक्टेयर भूमि का भौतिक अधिकार प्राप्त किया है।

29. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते, एमसीएल ने अपने सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) पहलों के माध्यम से, राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्यों में योगदान देने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को निरंतर प्रदर्शित किया है। यही सिद्धांत कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर प्रावधानों को लागू किए जाने के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है।

एमसीएल ने अपनी सीएसआर जिम्मेदारी के माध्यम से सामुदायिक और कंपनी के बीच संतुलित संबंध को सफलतापूर्वक बनाए रखा है।

कंपनी ने स्वास्थ्य, सेवा और स्वच्छता, शिक्षा, पाइप जलापूर्ति, और ग्रामीण सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। पिछले कई वर्षों से एमसीएल ने ओडिशा राज्य में किसी भी कंपनी द्वारा सर्वाधिक सीएसआर व्यय के मामले में लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है।

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने अनिवार्य सीएसआर बजट आवंटन ₹286.57 करोड़ के मुकाबले ₹228.08 करोड़ खर्च किए। ₹58.48 करोड़ की राशि अपव्ययित सीएसआर खाते में जमा की गई है, जिसका उपयोग चल रहे सीएसआर परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024-25 में सीएसआर व्यय का अधिकांश भाग स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित परियोजनाओं पर किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कंपनी ने तालचेर स्थित पीएमपीएमसीएच अस्पताल को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिस पर इस वर्ष ₹89.03 करोड़ खर्च किए गए। यह पहल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाएगी।

स्वास्थ्य और स्वच्छता के अलावा, शिक्षा और कौशल विकास भी सीएसआर खर्च के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं। शिक्षा के अंतर्गत, एमसीएल ने झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिलों के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस स्थापित किए हैं। इस परियोजना पर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹17.02 करोड़ खर्च किए गए।

विभिन्न कौशल विकास और आजीविका सहायता पहलों के लिए एमसीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 23.34 करोड़ खर्च किए।

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 7.50 करोड़ रुपये के व्यय के साथ ई-रिक्शा प्रदान करके ओडिशा के दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आजीविका पहल की शुरआत की है।

भारत सरकार के आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एमसीएल को चार ज़िले नुआपाड़ा, रायगढ़, कंधमाल और बलांगीर सौंपे गए हैं। इन ज़िलों में, एमसीएल ने कई विकास परियोजनाएँ शुरू कीं और वर्ष 2024-25 के दौरान इन पर 6.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, एमसीएल ने ओडिशा के विभिन्न स्थानों पर शहरी वृक्षारोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में ₹9.17 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन किया है। अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ओ) और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार, क़ानून द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

30 औद्योगिक संबंध

एक अग्रणी औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ लगातार सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक औद्योगिक संबंध बनाए रखे हैं, जिससे पूरे संगठन में सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा मिला है। कंपनी ने खनन क्षेत्र के स्थानीय समुदायों और एजेंसियों सहित बाहरी हितधारकों के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि सतत विकास के लिए मजबूत औद्योगिक संबंध आवश्यक हैं, एमसीएल ने हमेशा संवाद, पारदर्शिता और कर्मचारियों की चिंताओं का समय पर समाधान को प्राथमिकता दी है। इसके अनुरूप, कंपनी ने इकाई, क्षेत्र और कॉर्पोरेट स्तर पर एक त्रिस्तरीय औद्योगिक संबंध (आईआर) प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित किया, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों को मुद्दे की प्रकृति और अधिकार के प्रत्यायोजन के आधार पर संबोधित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहे। राष्ट्रीय स्तर पर आम हड़ताल के आह्वान के बावजूद, एमसीएल में खनन कार्य बिना किसी व्यवधान के जारी रहा, जो प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच विश्वास, आपसी सम्मान और सहयोग की भावना को दर्शाता है।

सभी चार कार्यरत ट्रेड यूनियनों की सक्रिय और सहकारी भूमिका औद्योगिक सद्भाव के उच्च मानकों को बनाए रखने और पूरे वर्ष निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने में उनके योगदान के लिए वे विशेष प्रशंसा के पात्र है।

सहभागी प्रबंधन:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने अपनी स्थापना के बाद से ही सहभागी प्रबंधन के सिद्धांत को निरंतर कायम रखा है, तथा यह स्वीकार किया है कि निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी - दैनिक परिचालन और रणनीतिक कॉर्पोरेट योजना दोनों में - संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

स्थापित औद्योगिक संबंध ढाँचे के अंतर्गत कार्यरत ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय और कॉर्पोरेट दोनों स्तरों पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीसी), कल्याण बोर्ड और त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों जैसे विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये मंच यूनियन प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण निर्णयों में योगदान देने, अंतर्दृष्टि प्रदान करने और कार्यस्थल संबंधी मुद्दों को सहयोगात्मक तरीके से हल करने में सहायता करने के बहुमूल्य अवसर प्रदान करते हैं।

सकारात्मक और समावेशी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एमसीएल की प्रतिबद्धता कर्मचारी सहभागिता पहलों के माध्यम से और अधिक स्पष्ट होती है। इनमें राजभाषा पखवाड़ा के दौरान वाद-विवाद और संगोष्ठियों में भागीदारी, सुरक्षा सप्ताह, गुणवत्ता पखवाड़ा का आयोजन तथा ऐसे अन्य संगठनात्मक कार्यक्रम शामिल हैं जो ज्ञान साझा करने, जागरूकता और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं।

ऐसी कार्यों के माध्यम से, एमसीएल अपने कर्मचारियों के बीच एकजुटता, पारस्परिक सम्मान और सहकारी संबंधों को मजबूत करना जारी रखता है, जिससे सतत औद्योगिक सद्भाव और कॉर्पोरेट सफलता की नींव रखी जाती है।

एमसीएल कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को पहचानता है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों और शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है, तथा एक सहायक और समावेशी वातावरण बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाते हैं। व्यावसायिक विकास और सशक्तिकरण को सुगम बनाने के लिए, एमसीएल महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं (डब्ल्यूआईपीएस) फोरम के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण को सक्षम बनाते हैं, जिससे महिलाएं अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती हैं और कंपनी के समावेशी विकास में आत्मविश्वास से योगदान दे सकती हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, औद्योगिक संबंध (आईआर), कल्याण, सुरक्षा और संयुक्त परामर्शदात्री समितियों (जेसीसी) सहित कई मंचों पर कंपनी, क्षेत्र और परियोजना स्तरों पर नियमित संरचित बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच खुले संवाद के लिए मंच के रूप में कार्य करती थीं, जिनमें कर्मचारी कल्याण, कार्यस्थल सुरक्षा और शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। इन मंचों पर आयोजित रचनात्मक चर्चाओं से कार्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और संगठनात्मक कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए व्यावहारिक समाधान और नवीन विचार सामने आए।

एमसीएल ने क्षेत्र और मुख्यालय दोनों स्तरों पर कोल इंडिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सीआईएसटीईए) के साथ बैठकें भी कीं। इन सत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की चिंताओं पर केंद्रित चर्चा हुई, जिससे शिकायतों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हुआ।

समावेशी और सहभागी प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए, एससी/एसटी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को इकाई, क्षेत्र और मुख्यालय स्तर पर प्रमुख मंचों में शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- आवास आवंटन समिति
- क्षेत्रीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति
- कॉर्पोरेट संयुक्त सलाहकार समिति

यह समावेशी दृष्टिकोण संगठन के सभी स्तरों पर समान प्रतिनिधित्व और सहभागी निर्णय लेने के प्रति एमसीएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

<u>एमसीएल के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जनशक्ति (एससी/एसटी/ओबीसी)</u>

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनशक्ति के संबंध में अध्यक्षीय निर्देशों को एमसीएल में लागू किया गया है। पिछले 03 वर्षों में एमसीएल की कुल जनशक्ति और संविदा श्रमिकों में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

1. **स्थायी कर्मचारीगण :**

दिनांक को	कुल श्रम शक्ति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
		संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
01.01.2023	21794	2889	13.26	1855	8.51	1120	5.14
01.01.2024	21652	2843	13.00	1852	8.55	961	4.00
01.01.2025	21179	2979	14.06	1884	8.90	1260	5.95

2. **ठेकेदार कामगार:**

श्रम शक्ति	कुल श्रम शक्ति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
		संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
01.01.2023	22125	3541	16.00	2820	12.75	5457	24.66
01.01.2024	23962	4165	17.38	3258	13.59	5878	24.53
01.01.2025	25546	5241	20.51	3880	15.18	7962	31.16

पिछले 03 वर्षों में विभिन्न पदों पर भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है (भर्ती विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार):

श्रम शक्ति	कुल भर्तियाँ	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
		संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
01.04.2023	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2024	227	31	13.66%	31	13.66%	23	10.13%
01.04.2025	-	-	-	-	-	-	-

31. लैंगिक बजटिंग

आपकी कंपनी लैंगिक बजट में दृढ़ता से विश्वास करती है, क्योंकि यह लैंगिक मुख्यधारा को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ पुरुषों के समान ही महिलाओं तक भी पहुँचे। एमसीएल में यह कोई लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि नीति/कार्यक्रम निर्माण, इसके कार्यान्वयन और समीक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की एक सतत प्रक्रिया है। 31 मार्च 2024 तक कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 2651 थी, जो एमसीएल के कुल कार्यबल 21493 का 12.33% है।

अपनी सामाजिक संवेदनशीलता के कारण एमसीएल ने हमेशा कंपनी के भीतर और बाहर लैंगिक मुद्दों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और उन्हें सर्वोत्तम संभव प्रयासों के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया है। उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं (डब्ल्यूआईपीएस) फोरम को प्रोत्साहित करते हुए, एमसीएल शाखा को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि इसके सदस्य व्यापक प्रदर्शन और ज्ञान संवर्धन के लिए कंपनी के अंदर और बाहर सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग ले सकें।
- कार्यबल के लैंगिक विशेष डाटाबेस का रखरखाव।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का उचित एवं समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- सीआईएल के नियमों और विनियमों के अनुसार पात्र महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश प्रदान करना।
- खान दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों की महिला जीवनसाथियों को रोजगार हेतु आयु में छूट।
- महिला कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व के लिए प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच आयोजित औद्योगिक संबंध बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति लागू की है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी और प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

<u>यौन उत्पीड़न</u>

वर्ष 2024-25 में प्राप्त शिकायतें : शून्य

वर्ष 2024-25 में निपटाई गई शिकायतें : शून्य

निपटान हेतु लंबित शिकायतें : 01

32. जनसंपर्क

आपकी कंपनी में एक समर्पित जनसंपर्क (पीआर) विभाग है जो विश्वास निर्माण और संगठन की सकारात्मक छवि बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीआर विभाग तत्पर, प्रतिबद्ध है और रणनीतिक संचार के माध्यम से व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि हितधारकों को विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सूचित, संलग्न और जोडकर रखा जाए।

एमसीएल ने कोयला उत्पादन, प्रेषण और ओवरबर्डन हटाने में लगातार उपलब्धियां हासिल किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कोयला खनन क्षेत्र के लिए मानक स्थापित किए हैं। निरंतर और रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन कंपनी की परिचालन उत्कृष्टता की खोज का प्रमाण है, जिसे जनसंपर्क विभाग ने विभिन्न माध्यमों से प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया है।

पीआर विभाग ने प्रेस विज्ञप्तियों, सोशल मीडिया पोस्ट और कॉर्पोरेट फिल्मों के माध्यम से कंपनी की उपलब्धियों को लगातार उजागर किया है। पीआर विभाग ने कंपनी के लिए मीडिया के साथ मजबूत व्यावसायिक संबंध और प्रेस ब्रीफिंग और कंपनी द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है।

जनसंपर्क टीम ने पूरे वर्ष मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर चलाए गए कई प्रमुख अभियानों जैसे स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता पखवाड़ा, विशेष अभियान 4.0, टीबी जागरूकता, सतर्कता जागरूकता, साइबर सुरक्षा जागरूकता, पर्यावरण एवं स्थिरता, खान सुरक्षा आदि का सक्रिय रूप से प्रचार किया। ब्रोशर, लीफलेट, इन्फोग्राफिक्स, जिंगल और लघु फिल्में तैयार की गई और पूरे वर्ष विभिन्न लोगों को जोड़ने के लिए प्रिंट, डिजिटल, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साझा की गई।

प्रेस विज्ञप्तियों, आधिकारिक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से विभिन्न कॉर्पोरेट आयोजनों का प्रचार हितधारकों तक सफलतापूर्वक पहुँचाया गया। मीडिया के प्रभावी उपयोग और मीडिया बिरादरी के सहयोग से हम कमांड क्षेत्रों में भी हितधारकों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में सक्षम हुए हैं।

कंपनी की विस्तरित दूरदर्शिता बढ़ाने के लिए, जनसंपर्क टीम ने भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और झारसुगुड़ा स्थित वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर सफल ब्रांडिंग प्रयास किए हैं। ये स्थल एमसीएल की उपलब्धियों को बढ़ावा देने और कंपनी की सकारात्मक छवि को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख स्थानों के रूप में कार्य करते हैं।

एक नई आउटरीच पहल के रूप में, विभाग ने निम्नलिखित ट्रेनों पर ब्रांडिंग स्थान किराए पर लिया है:

1. संबलपुर-पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस- 18303/04
2. राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस- 18125
3. पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस- 18126
4. वंदे भारत एक्सप्रेस- 20835/36

इसके अलावा, एमसीएल ने पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार खनन संगठन के रूप में कंपनी की छवि को बढ़ावा देने के लिए पुरी और संबलपुर रेलवे स्टेशनों पर अपनी दृश्यता बढ़ाई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने ओडिशा के सात जिलों में फैले कंपनी मुख्यालय और कोयला क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे प्रमुख स्थानों पर आउटडोर होर्डिंग्स (12,000 वर्ग फुट) के माध्यम से अपनी दृश्यता का विस्तार किया है। नंदनकानन प्राणी उद्यान में रचनात्मक आन्तरिक चित्र एमसीएल की छवि को एक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और वन्यजीव-जागरूक संगठन के रूप में और अधिक प्रदर्शित करते हैं।

इसके अलावा, सामाजिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रचार करने के लिए, विभाग ने कई शैक्षिक, सांस्कृतिक, खेल और जागरूकता कार्यक्रमों को प्रायोजित किया, साथ ही रथ यात्रा, शीतल षष्ठी, दुर्गा पूजा आदि जैसे प्रसिद्ध त्योहारों पर कभी-कभार विज्ञापनों के माध्यम से जनता से रचनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास किया।

प्रचार के मोर्चे पर, 2 मार्च 2025 को आयोजित कोल इंडिया भुवनेश्वर हाफ मैराथन 2024, जिसमें देश भर से 6,000 से अधिक एथलीटों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, को विभिन्न मीडिया द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित किया गया। आपकी कंपनी ने इस आयोजन के लिए प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री साइना नेहवाल को ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी शामिल किया। जनसंपर्क विभाग ने इस मेगा इवेंट की ब्रांडिंग और प्रचार सफलतापूर्वक किया, जिससे यह कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई।

पिछले वर्षों की तरह, कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य प्रमुख कॉर्पोरेट कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया। साथ ही, आपकी कंपनी ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025, भुवनेश्वर में भाग लिया, जहाँ माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एमसीएल की प्रदर्शनी का दौरा किया और खनन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की सराहना की। इसके अलावा, एमसीएल ने कोलकाता में माइंस सेफ्टी अवार्ड्स एक्सपो; भुवनेश्वर में एमएसएमई-प्रोपैक 2024 और पुरी में एमवीईजीएम-2024 में भी भाग लिया।

आपकी कंपनी जनसंचार और हितधारकों से जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है। आधिकारिक हैंडल में शामिल हैं:

- Facebook: @mahanadicoal
- Threads: @pro.mcl
- Twitter (X): @mahanadicoal

- YouTube: @MahanadiCoalfields
- Instagram: @pro.mcl
- LinkedIn: @MahanadiCoalfieldsLimited
- WhatsApp Channel: News @ Mahanadicoal

इन प्लेटफॉर्म का उपयोग टेक्स्ट, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो आदि के रूप में समय पर अपडेट साझा करने के लिए किया जाता है, जिसमें दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ, कार्यक्रम, वीआईपी दौरे, कर्मचारी कल्याण, परिचालन उपलब्धियाँ आदि शामिल हैं। ये हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने के माध्यम के रूप में भी काम करते हैं।

एमसीएल में, जनसंपर्क विभाग प्रभावी संचार रणनीतियों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

33 सतर्कता गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

परिचय

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निवारक, पूर्वानुमानात्मक और पूर्व-निवारक सतर्कता उपायों के रूप में, विभिन्न क्षेत्रीय परिचालनों के साथ-साथ प्रणालियों और प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की पहचान करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में लगातार औचक निरीक्षण किए गए हैं।

33.1 निवारक सतर्कता गतिविधियाँ

(a) **निरीक्षण**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 68 औचक निरीक्षण और 03 नियमित निरीक्षण किए गए हैं। इन निरीक्षणों का मुख्य उद्देश्य परिचालन के क्षेत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए प्रणाली/प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर रहा है ।

(b) वर्ष 2024-25 के दौरान प्राणालीगत सुधार किए गए

प्राणालीगत सुधार की दिशाओं में निम्नलिखित 35 परामर्श जारी किए गए हैं-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
01	सीआईएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी निविदाओं में बोलियों का मूल्यांकन	15.04.2024
02	पुरानी और अनुपयोगी परिसंपत्तियों/उपकरणों का निपटान	13.05.2024
03	कनिहा ओसीपी में स्थापित डीजल पंपों में डीजल की खपत	29.05.2024
04	चयन के आधार आरआई/अमीन नियुक्त होने पर भू-विस्थापित के रूप में नियुक्ति क्षेत्र को छोड़कर पर अन्य क्षेत्र में पदस्थापना	17.06.2024
05	फॉर्म-IV ए में पूर्व सूचना और पूर्व मंजूरी के लिए अलग-अलग प्रारूप शामिल करना। साथ ही 'कैसे अर्जित किया' और 'अधिग्रहण की लागत' के लिए अलग कॉलम जोड़ना।	02.07.2024
06	ईआरपी/एसएपी में क्रय मांग (पीआर), क्रय आदेश (पीओ), अनुबंध, बजट प्रमाणन और निधि प्रमाणन के अभाव में ईआरपी प्रणाली में बजट/निधि का प्रावधान न करना/जारी न करना	18.07.2024
07	बजटीय प्रस्ताव प्राप्त करने, मांगपत्र और टीपीएस तैयार करने में अनियमितताएं	19.07.2024
08	आरआर साइट में भूखंडों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना, परियोजना अधिग्रहित क्षेत्रों से परे परियोजना प्रभावित परिवारों की भूमि की पहचान करना, संवेदनशील पदों पर आरआई/अमीन को शामिल करना।	16.08.2024
09	कंक्रीट सड़क युक्त फेस लीड के लिए पिट हेड पॉइंट्स का स्थानांतरण और एसओआर में नए घटक को शामिल करना	18.09.2024
10	गैर-अधिकारियों का रोटेशन	23.09.2024
11	निविदा में अनियमितताएं	18.10.2024
12	अधिकारियों का चक्रानुक्रमिक स्थानांतरण/तैनाती	18.10.2024
13	गैर-अधिकारियों की डीपीसी फाइल में अनियमितताएं	19.10.2024
14	अनुबंधों को बंद करने और ईएमडी/पीएसडी/प्रतिधारण राशि की वापसी के संबंध में परामर्श का कार्यान्वयन	25.10.2024

15	"उपकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रोफार्मा" के आधार पर एमएसई बोलियों का मूल्यांकन और एमएसई को पूर्व अनुभव और टर्नओवर में छूट	13.11.2024
16	सामान्यीकृत तकनीकी निविदा विनिर्देश तैयार करना	20.11.2024
17	टेलीहैंडलर मशीन की खरीद में अनियमितताएं	25.11.2024
18	कानूनी मामलों के आवंटन और निगरानी में अनियमितताएं तथा पैनल में शामिल वकीलों के प्रदर्शन मूल्यांकन में अनियमितताएं	25.11.2024
19	भर्ती विभाग, एमसीएल द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया पर पोस्टिंग की एसओपी/नीति	10.12.2024
20	एक ही पद पर पदोन्नति के लिए विभिन्न क्षेत्रों के डीपीसी द्वारा अलग-अलग मानदंड अपनाना	09.01.2025
21	परियोजनाओं के पाइप से संबंधित कार्यों के अनुमान में असामान्य भिन्नता	18.01.2025
22	फर्जी एचएससी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	28.01.2025
23	असामान्य रूप से कम बोलियों पर विचार	04.02.2025
24	भौतिक रूप से तथा SAP में भी परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव	04.02.2025
25	कार्य निविदा में समान प्रकृति के कार्यों पर विचार	18.02.2025
26	कार्य निविदा में समान प्रकृति के कार्यों पर विचार	18.02.2025
27	ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं	19.02.2025
28	पानी की बोतल की खरीद	20.02.2025
29	सेवा अनुबंधों की निविदा शर्तों का मानकीकरण	20.02.2025
30	गैर-आईएसआई उत्पाद की पेशकश करने वाले बोलीदाता के प्रस्ताव को स्वीकार करना तथा गैर-आईएसआई चिह्नित उत्पाद को भी स्वीकार करना	22.02.2025
31	अधिग्रहित भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड	25.02.2025
32	यात्रा डेटा के विश्लेषण में एआई की सहायता ले रहे हैं	20.03.2025
33	एमसीएल वेबसाइट के सूचना बैंक में निर्देश, एसओपी, दिशा निर्देश आदि अपलोड करना	20.03.2025
34	डीजल की खपत को रोकने के लिए भारी उपकरणों की लॉग बुक का उचित रखरखाव	25.03.2025
35	पीएपी फर्म वरिष्ठता सूची का उचित रखरखाव	26.03.2025

(c) <u>आईटी पहलों पर साप्ताहिक औचक निरीक्षण</u>

आईटी पहलों के क्रियान्वयन पर नियमित साप्ताहिक औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें वेब्रिज और डीजल वितरण इकाइयों के निरीक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जहां भी कमियां पाई जाती हैं, वहां सभी एसओपी प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी जा रही है और तत्काल सुधार के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। जहां भी लापरवाही और बार-बार उल्लंघन देखा जाता है, वहां सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

33.2 दंडात्मक सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जाँच, पूछताछ आदि के लिए लिये गए सतर्कता मामलों का विवरण निम्नानुसार सारणी बद्ध है -

विवरण	**वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान**	**शामिल कर्मचारियों की संख्या**
(ए) पंजीकृत सतर्कता मामलों/आरडीए की कुल संख्या	13	32
(ख) प्रमुख दंड कार्यवाही की संख्या	20	20
(ग) लघु दंड कार्यवाही की संख्या	12	12

(घ) कुल मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया है	08	18
i) प्रमुख	03	06
ii) अल्प	05	11
iii) अन्य	00	01

33.3 सतर्कता मंजूरी

वर्ष के दौरान, निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के स्तर के अधिकारियों सहित 16926 कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी की स्थिति सीआईएल/एमओसी/सीवीसी को पदोन्नति, परिवीक्षा, सेवानिवृत्ति, बाहरी रोजगार, निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपना, अध्ययन अवकाश, त्यागपत्र, डीपीसी, विदेश यात्रा, सेवांत लाभ का निपटान, एफआर-56जे, सेवा फाइल स्थानांतरण आदि के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

33.4 कर्मचारियों का रोटेशन

कंपनी के पास संवेदनशील पदों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को रोटेट करने की नीति है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 268 कर्मचारियों को रोटेट किया गया।

33.5 कोयला खदानों में बेहतर निगरानी और मॉनीटरिंग के लिए आईटी और अन्य तकनीकियों का लाभ उठाना

31.03.2025 तक की स्थिति

बेहतर निगरानी और निरीक्षण के लिए स्थापित आईटी पहलों का लाभ उठाना			
आईटी पहल	**आवश्यक**	**स्थापित**	**टिप्पणी**
सीसीटीवी	3227	3206	शेष की स्थापना जल्द ही पूरी हो जाएगी
जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वीटीएस	2780	2780	
आरएफआईडी बूम बैरियर	118	118	
डीडीयू स्वचालन	36	36	स्वचालन पूरा हुआ
बाउसर ऑटमैशन	16	12	उपलब्ध 14 बाउसर्स में से 12 का स्वचालन पूरा हो चुका है। खरीद-02 के अंतर्गत
ईंधन स्तर निगरानी प्रणाली (एफएलएमएस)	743	404	शेष एफएलएमएस का फिटमेंट प्रगति पर है
डिजिटल लोड सेल	139	89	शेष 50 में से, कार्य आदेश जारी - 23 एलओए जारी - 27
वाइड एरिया नेटवर्किंग (WAN)	284	284	
सड़क वे-ब्रिज	217	212 (कार्यरत-178)	रोड सेल वे-ब्रिज डेटा कनेक्टिविटी के साथ - 86
रेल इन-मोशन वे-ब्रिज	53	38 कार्यरत(37)	रेल इन-मोशन वे-ब्रिज डेटा कनेक्टिविटी के साथ - 37
एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र (आईसीसीसी)	एमसीएल ने परिचालन कमांड क्षेत्र में स्थापित 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए एक एकीकृत आईसीसीसी की स्थापना की है। यह प्रणाली उन्नत एआई-आधारित विश्लेषण, वास्तविक समय की निगरानी और विसंगति का पता लगाने का लाभ उठाती है ताकि खदान सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाया जा सके। यह प्लेटफ़ॉर्म एमसीएल में डिजिटल निगरानी के लिए तंत्रिका केंद्र बनने के लिए तैयार है।		

34. औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई गतिविधियाँ:

सीआईएल/एमसीएल में आईई विभाग की प्राथमिक भूमिका संसाधनों के क्षमता उपयोग के संदर्भ में कंपनी के लिए एक प्रदर्शन ढांचा प्रदान करना है। इस दिशा में प्रमुख कार्य प्रदर्शन मानकों को तय करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने, परिवहन दरों और व्यवस्थित सुधार द्वारा उत्पादन बढ़ाने आदि के संबंध में अध्ययन करना है। 2024-25 के दौरान विभाग द्वारा किए गए विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं:

(i) हर छह महीने में भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) का अद्यतन।

(ii) ईएसएम (भूतपूर्व सैनिक) और पीएपी (परियोजना प्रभावित लोग) एजेंसियों द्वारा कोयला लोडिंग और परिवहन के लिए मानक दरों का पाक्षिक अद्यतन।

(iii) परिवहन मार्गों में परिवर्तन, साइटों में परिवर्तन, नागरिक अनुबंधों में लीड दूरी में परिवर्तन से जुड़े क्षेत्रों से प्रस्तावों की जाँच।

(iv) सुरक्षा और साइलो जनशक्ति के आकलन पर अध्ययन के साथ-साथ वर्ष के लिए जनशक्ति बजट तैयार करना।

(v) एमसीएल की ओपन कास्ट परियोजनाओं में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन।

(vi) सीएमपीडीआई मानदंडों के विरुद्ध विशिष्ट डीजल खपत में सुधार लाने के लिए एमसीएल की ओपन कास्ट परियोजनाओं का अध्ययन और एसडीसी की निगरानी।

(vii) सामान्य ओवर टाइम और रविवार/पीएचडी तैनाती में कमी और जनशक्ति युक्तिकरण के रूप में लागत नियंत्रण उपाय।

(viii) पीआर प्रावधान के संबंध में एमसीएल की विभिन्न इकाइयों में हल्के वाहनों की आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन।

(ix) कोयले के प्रेषण के लिए परिवहन मैट्रिक्स तैयार करना और कोयले के उत्पादन और प्रेषण के लिए एमसीएल के ओसीपी में पर्याप्त संख्या में बेड़े उपलब्ध रखना, साथ ही इसकी नियमित निगरानी करना।

35. पुरस्कार और उपलब्धियां

वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीएल ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए :

1. भुवनेश्वर में आयोजित पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन-2024 के अवसर पर 9वें सम्मेलन में 2023 में कार्य-निष्पादन के लिए कलिंगा ऊर्जा उत्कृष्टता और कलिंगा सीएसआर और स्थायित्वता उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2. वर्ष 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोलकाता में खान सुरक्षा पुरस्कार-2024 में पुरस्कार प्राप्त किया।

क) समलेश्वरी ओसीपी - भूतल मध्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार

ख) अनंता ओसीपी- भूतल वृहद श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार

3. ASSOCHAM (एसोचैम) का "वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन माइनिंग संगठन अवॉर्ड " जीता।
4. छह (06) खनन परियोजनाओं को वर्ष 2022-23 के लिए भारत में कोयला खदानों की प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। (एचबी भूमिगत खदान, ओरिएंट 1 व 2, लखनपुर, कुलदा, बलराम और जगन्नाथ)।
5. कोयला मंत्रालय के तहत कोयला कंपनियों के बीच स्वच्छता पखवाड़ा-2024 के लिए तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया।
6. सेंट्रल हॉस्पिटल, ईब वैली एरिया और एनएससीएच तालचेर की मेडिकल टीम ने उल्लेखनीय प्रस्तुतियां दीं - सिमेकॉन 2024 में चेयरमैन पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार।
7. 02 प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू उत्कृष्टता पुरस्कार जीते- (1) भारत की सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न कंपनी, (2) भारत की सर्वश्रेष्ठ कोयला पीएसयू
8. 50वें कोल इंडिया दिवस के अवसर पर कॉर्पोरेट पुरस्कार प्राप्त किए- पर्यावरण प्रबंधन में-प्रथम, सीएसआर व्यय में-प्रथम, स्टार रेटिंग-सर्वश्रेष्ठ सहायक कंपनी-द्वितीय और वेब्रिज ऑटोमेशन में-प्रथम (रोड वे-ब्रिज, लिंगराज)
9. 05 कोयला खदानों अर्थात सियारमल, अनंत, कनिहा, कुलदा, बसुंधरा (वेस्ट) को उनके असाधारण सुरक्षा प्रदर्शन के लिए कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड्स-2023 से सम्मानित किया गया है-
10. श्री सुभ्रज्योति साहू, प्रबंधक (सिविल) को सीएसआर कॉन्क्लेव-2024, कोलकाता में प्रतिष्ठित सीएसआर ल्यूमिनरी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
11. ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में आयोजित ओडिशा पर्यावरण कांग्रेस के 15वें संस्करण में पर्यावरणीय स्थिरता पहल में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित एस बी मिश्रा ग्रीन कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता।
12. सीआईएल इंटर-कंपनी एथलेटिक्स मीट 2024-25 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ समग्र चैम्पियनशिप हासिल की।

36. AUDITORS:

सांविधिक लेखा परीक्षक: **मैसर्स कदमावाला एंड कंपनी,** बुधराम ओराम मार्केट, कचेरी रोड, राउरकेला-769012, ओडिशा.	**शाखा लेखा परीक्षक:** **मेसर्स एसएस टेकरीवाल एंड कंपनी.** प्लॉट नं.542, शहीद नगर, महादेव टावर, भुवनेश्वर-751007,

36.1 ऑडिट का प्रकार : वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा

पारिश्रमिक (रु) : रु. 28,63,742.00 (जीएसटी सहित)

(सांविधिक लेखा परीक्षक- रु.17,74,720.00, शाखा लेखा परीक्षक- रु.10,89,022.00)

36.2 लागत लेखा परीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, कोयले के खनन के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए गए लागत लेखापरीक्षा अभिलेखों का लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है।

कंपनी के निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर (i) मैसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर-एन4/232, पहली मंजिल,

आईआरसी ग्राम नयापल्ली, रिलायंस फ्रेश के पीछे, भुवनेश्वर - 751015 को कुल ऊपरी खर्च से रु. 220000 एवं लेखापरीक्षा शुल्क पर उपयुक्त जीएसटी एवं लेखापरीक्षा शुल्क रु 440000 पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी, मुख्यालय, ईब-वैली कोलफील्ड्स एवं केंद्रीय कर्मशाला (ईब-वैली) के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रधान लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था तथा (ii) मेसर्स राय नायक एंड एसोसिएट्स, एमआईजी-26, मनरमा एस्टेट, रसूलगढ़, भुवनेश्वर, ओडिशा-751010 को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखापरीक्षक के रूप में तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्र और केंद्रीय कर्मशाला (तालचेर) के कुल लेखापरीक्षा शुल्क रु. 292000, रु. 146000.00 (अधिकतम) के ऊपरी खर्च और लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी के लागत अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने हेतु नियुक्त किया गया था।

36.3 सचिवीय लेखा परीक्षक

वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मैसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है।

37. सावधि जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

38. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अंतर्गत सूचना का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(M) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी इस रिपोर्ट के अनुलग्नक -III में दी गई है।

39. निदेशक मंडल

39.1 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक बने रहे।

1.	श्री उदय अनंतराव कावले	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2.	श्री केशव राव	निदेशक (कार्मिक)
3.	श्री जे. के बोरा	निदेशक (तक/सं)
4.	श्री जे. के बोरा	निदेशक (तक/परि व यो) (01.12.202 से 06.03.2025 तक)
5.	श्री अक्षय श्रीकांत बापट	निदेशक (तक/परि व यो) (31.10.2024 तक)
6.	श्री ए.के. बेहुरा	निदेशक (वित्त)
7.	श्री संजय कुमार झा	निदेशक (तक/परि व यो) (07.03.2025 से प्रभावी)
8.	डॉ. आशा लाकरा	स्वतंत्र निदेशक(31.10.2024 तक)
9.	डॉ. राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक
10.	श्री डी. सी. तिवारी	स्वतंत्र निदेशक
11.	श्री संजीव कुमार कस्सी	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक
12.	श्री मुकेश चौधरी	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक

39.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

1.	श्री संजय कुमार झा	निदेशक (तक/परि व यो) (07.03.2025 से प्रभावी)

39.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक पद से हट गए।

1. श्री अक्षय श्रीकांत बापट	निदेशक (तक/परि व यो) (31.10.2024 तक)
2. श्री जे.के. बोरा	निदेशक (तक/परि व यो) (06.03.2024 तक)
3. डॉ. आशा लाकरा	स्वतंत्र निदेशक(31.10.2024 तक)

40. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(c) के संदर्भ में आपके निदेशक अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और उन्हें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित वक्तव्य प्रदान करते हैं:

क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को 'वर्तमान समस्या' के आधार पर तैयार किया है।

ङ) उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ मौजूद थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

41. निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न है।

42. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

"प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न है।

43. नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-VI में दी गई हैं।

44. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 24.04.2023 को आयोजित अपनी 257वीं बैठक में अनुमोदित समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया है।

1.	डॉ. आशा लाकड़ा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	एमओसी/सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3.	श्री जे. के. बोरा, निदेशक (तकनीकी/ओपी), एमसीएल	सदस्य
4.	सीआईएल द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
5.	निदेशक (एफ)/सीएफओ, एमसीएल	आमंत्रित

44.1 कार्यक्षेत्र

पुनर्गठित समिति के पास निहित कार्य का दायरा और अधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित है।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल के वित्तीय और अन्य आंकड़े /सूचना है। समिति द्वारा की गई टिप्पणियों की सूचना एमसीएल बोर्ड को दी जाती है। समिति जितनी बार चाहें बैठक कर सकती है लेकिन उम्मीद है कि तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।

45. लागत रिकॉर्ड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, केंद्र सरकार द्वारा 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है। कंपनी केवल एक उत्पाद, यानी कोयला का उत्पादन करती है और नियमित अंतराल पर ओवरहेड्स और लागत रिपोर्ट के मिलान सहित लागत के ब्रेक अप के साथ घटक-वार लागत की रिकॉर्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की एक सतत एकीकृत प्रणाली है।

46. समझौता ज्ञापन मापदंडों के अनुसार कार्यनिष्पादन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच हस्ताक्षरित 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार एमसीएल का प्रदर्शन तैयार किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की समग्र ज्ञापन रेटिंग "उत्कृष्ट" है।

47. सीआईएल के शेयरधारकों के लिए अनुषंगी खाते

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 दिनांक 08.02.2011 के अनुसार, एमसीएल के वार्षिक खाते निरीक्षण के लिए एमसीएल मुख्यालय में उपलब्ध होंगे और मांग पर सीआईएल के शेयरधारकों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेंगे।

48. आभार

48.1 कंपनी के निदेशकगण, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कंपनी के निदेशकगण केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ओडिशा राज्य सरकार को भी उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक सहयोगी संगठनों के उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभारी हैं।

48.2 निदेशकों ने कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं इसके सर्वांगीण विकास के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई टीम भावना, मूल्यवान और स्टर्लिंग सेवाओं के लिए ट्रेड यूनियनों और अधिकारी संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सराहना की।

48.3 निदेशक महत्वपूर्ण ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसके बिना कंपनी इतनी

मजबूत नहीं बन पाती।

48.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की है।

48.5 निदेशक समय-समय पर संबलपुर के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों और ओडिशा के कोलफील्ड क्षेत्रों में रहने वालों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

49. परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात(दस्तावेज़) संलग्न हैं।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट।
4. लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट।
5. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

ह/-
(उदय ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(DIN: 09715213)

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 14-07-2025

मैं पुष्टि करता हूं कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के प्रावधानों के पालन की अभिपुष्टि की है।



ह/-
(उदय ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(DIN: 09715213)

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 14-07-2025

अनुलग्नक-I

(1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट)

I. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

उद्देश्य :

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एमसीएल के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना है, ताकि सीएसआर को समाज के सतत विकास के लिए एक प्रमुख व्यवसाय प्रक्रिया बनाया जा सके। इसका उद्देश्य कोयला खनन के तत्काल और दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर समाज के कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने में सरकार की भूमिका को पूरक बनाना है।

शामिल किए जाने वाले क्षेत्र:

कंपनी अधिनियम के अनुसार, एमसीएल के लिए सीएसआर निधि का आवंटन कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% होगा। किसी वित्तीय वर्ष में सीएसआर बजट से बची हुई या अतिरिक्त राशि का लेखा-जोखा मौजूदा क़ानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

शामिल किए जाने वाले क्षेत्र:

एमसीएल अपने सीएसआर फंड का 80% वार्षिक व्यय अपने परियोजना स्थलों/खानों/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में और शेष 20% एमसीएल द्वारा संचालित ओडिशा राज्य में खर्च करेगा। आवश्यकतानुसार, बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन से किसी विशेष वर्ष के लिए 80:20 का अनुपात लागू किया जा सकता है, बशर्ते कि न्यूनतम 60% व्यय उनके परियोजना स्थलों/खानों/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में और शेष व्यय ओडिशा राज्य, जहां एमसीएल संचालित है, में किया जाए।

कार्य क्षेत्र :

एमसीएल अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का पालन करती है।

एमसीएल की पूरी सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। सीएसआर नीति का वेब लिंक: https://www.mahanadicoal.in/mclcsr/csr_policy.php है ।

II. एमसीएल बोर्ड की सीएसआर उप समिति की संरचना

क्र.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री केशव राव	अध्यक्ष/निदेशक (कार्मिक)	6	6
2	डॉ. आशा लाकड़ा	सदस्य/ स्वतंत्र निदेशक	4	4
3	डॉ. आर.के. वर्मा	सदस्य/स्वतंत्र निदेशक	2	2
4	श्री जे.के. बोरा	सदस्य/निदेशक (निदे. तक.-सं.)	6	5
5	श्री ए.के. बेहुरा	सदस्य/निदेशक (वित्त)	6	6

III. जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया हो वहाँ वेब लिंक https://www.mahanadicoal.in/mclcsr/ प्रदान करें:

IV. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें:

भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) द्वारा इस वर्ष के लिए सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद, इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। हालाँकि, पिछले वर्षों की परियोजनाओं की प्रभाव आकलन अध्ययन रिपोर्ट पूरी हो चुकी हैं और उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वेबलिंक: https://www.mahanadicoal.in/mclcsr/impactrep.php

V. क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ:

3 वर्षों के औसत निवल लाभ की गणना (2024-25 के लिए)

वर्ष	**निवल लाभ (रु. करोड़ में)**
2021-2022	11,438.19
2022-2023	18,801.24
2023-2024	15,593.10
कुल	**45,832.53**
पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल शुद्ध लाभ है	15,277.51 Cr.

ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : रु. 305.55/- करोड़

ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : रू. 0.29/- करोड़

घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : रु. 19.28 करोड़

ड़) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [5(b)+5(c)-5(d)]: रु. 286.56 करोड़

VI. क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि : रु. 222.15 करोड़
(दोनों चालू परियोजनाएं और चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य)

ख) प्रशासनिक मुद्दों पर व्यय की गई राशि : रु. 5.91 करोड़

ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : रु. 0.02 लाख

घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [6(a)+6(b)+6(c)) : रु. 228.08 करोड़

ड) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (रु. में)	**व्यय न की गई राशि (रु. में)**				
	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि।		**धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि**		
	राशि	**अंतरण की तिथि**	**निधि का नाम**	**राशि**	**अंतरण की तिथि**
228.08 करोड़	58.48	28.04.2025	लागू नहीं	निरंक	लागू नहीं

च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.	**विवरण**	**राशि(रु. में)**
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	305.55 करोड़
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (सेट ऑफ राशि सहित)	247.36 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	निरंक
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.29 करोड़
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	निरंक

VII. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्यय न की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.	**पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष।**	**धारा 135(6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रु. में)**	**धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में शेष राशि**	**रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)**	**धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो**		**आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)**	**कमी, यदि कोई हो**
					राशि (रु. में)	**अंतरण की तिथि.**		
1	2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	निरंक	
2	2021-22	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	निरंक	
3	**2022-23**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**	**लागू नहीं**	**निरंक**	
	कुल	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**		**निरंक**	

VIII. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है? : हां

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपतियों की संख्या दर्ज करें: 51

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि से निर्मित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें : तालिका-1 के रूप में संलग्न है।

IX. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

क) नई सीएसआर परियोजनाओं को स्वीकृति न मिलना: आगामी चुनावों के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग तीन महीने तक आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू रही। परिणामस्वरूप, नई सीएसआर परियोजनाओं को अपेक्षित समय-सीमा के भीतर स्वीकृति नहीं मिल सकी।

ख) चल रही बहु-वर्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी: कंपनी की कई सीएसआर पहल बहु-वर्षीय परियोजनाओं के रूप में संरचित हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों और सरकारी हितधारकों के साथ समन्वय में देरी हुई, जिससे इन परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन और धन वितरण प्रभावित हुआ।

ह./-
निदेशक (वित्त)

ह./-
अध्यक्ष, सीएसआर समिति



Distribution of Patroling Vehicles to Satkosia Tiger Reserve

निदेशक मंडल

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

विषय: सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 4 के अंतर्गत प्रमाण पत्र

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के नियम 4 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार 03.07.2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदित तरीके से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए रु. 247.36 करोड़ (रु. 19.28 करोड़ की सेट ऑफ राशि सहित) का उपयोग किया गया है।

सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	**रु. करोड़ में**
व्यय राशि (बजट में)	रु. 305.55 करोड़
सीएसआर परियोजनाओं से आए अधिशेष	रु. 0.29 करोड़
परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (सेट ऑफ राशि सहित)	रु. 247.36 करोड़
व्यय न की गई राशि	58.48 करोड़
व्यय की गई अतिरिक्त राशि	शून्य

सीएसआर नियमों के प्रावधानों के अनुसार 28-04-2025 को 58.48 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि 'अव्ययित सीएसआर खाता 2024-25' में स्थानांतरित कर दी गई है।

धन्यवाद,

भवदीय

कृते महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

ह./-

ए.के. बेहुरा

मुख्य वित्तीय अधिकारी



Skill Development Training at CIPET, Bhubaneswar



Carpeting of Top-Soil above Fly-Ash Filling in Mined-out Void of Balanda OCP



Coal India Bhubaneswar Half Marathon organised on 2nd march of 2025

अनुलग्नक -II

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म सं.-एमआर-3

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्यगण
मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर- 768020
उड़ीसा, भारत

हमने मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीआईएन: U10102OR1992GOI003038) (एतत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यो के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा मानक सीएसएएस-4 के अनुसार की गई है, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, सूक्ष्म पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, हमें दिए गए विवरण व स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि इसके पश्चात बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांचे निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश: -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध विनियम) 2015, यथा संशोधित;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश को ओएम सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दी गई है:,

हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और प्रासंगिक दस्तावेजों और उसके अनुसरण में अभिलेखों की जांच के आधार पर, नमूना-जांच के आधार पर और सभी लागू की गई नियमों पर एक तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से एमसीएल बोर्ड के समक्ष रेखी जाती है। कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी पर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. कोयला खान अधिनियम, 1952
2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004
4. कोयला खान विनियम, 2017
5. वेतन भुगतान (खान) नियमावली, 1956
6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
7. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966
9. खान बचाव नियम, 1985
10. कोयला खान खदान स्नान नियमावली , 1946
11. मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियमावली, 1963
12. विस्फोटक नियमावली, 2008
13. खनिज रियायत नियमावली , 1960
14. कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
15. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

16. असंवितरित वेतन भुगतान (खान) नियमावली, 1989
17. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियमावली, 1956
18. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियमावली , 1986
19. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियमावली, 2016
20. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली
21. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
22. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के संबंध में, कंपनी एक केन्द्रीय पीएसयू होने के नाते, सरकारी कंपनियों के लिए लागू डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए, निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के संबंध में सीपीएसई की तिमाही/वार्षिक ग्रेडिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो इसके लिए डिजाइन किया गया है। वार्षिक के आधार पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किया गया ।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 31 (डी) और (क्यू) के अनुसार, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड के सभी निदेशकों को कोयला मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और कंपनी की अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होती है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

क. बोर्ड की संरचना:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अनुबंध में निर्दिष्ट टिप्पणियों और योग्यताओं के आधार पर किया गया है। समीक्षा के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों को विधिवत दर्ज किया गया और कंपनी द्वारा अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों की अनुपालन में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। जो कि नीचे दिए गए हमारे अवलोकन के अधीन है:

बोर्ड की संरचना, लेखा परीक्षा समिति की संरचना और महिला निदेशक की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के अनुसार नहीं थी, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी यानी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई थी।

(ख) बोर्ड और उनकी समिति की बैठकों का आयोजन :

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना प्रसारित की गई थी। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए थे। बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए बैठकों के समक्ष रखे गए एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(ग) वार्षिक आम बैठक का आयोजन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 25.07.2023 को आयोजित की गई।

वार्षिक आम बैठक को अल्प समय के नोटिस पर आयोजित किया गया था और कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

(घ) सांविधिक रजिस्टरों और अभिलेखों का रख-रखाव

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित सभी वैधानिक रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य रजिस्टरों को उचित रूप से रखा गया तथा उनमें सभी आवश्यक प्रविष्टियां की गई।

(ड़) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सांविधिक प्रपत्र और विवरणी दाखिल करना

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न फॉर्म और रिटर्न एमसीए/रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर या अपेक्षित शुल्क के साथ विस्तारित समय में विधिवत दाखिल किए गए थे।

(च) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन:

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा और स्पष्टीकरण के आधार पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं। कानून और विधियों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से समीक्षा के लिए कंपनी के बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

(छ) बोर्ड के निर्णयों की लेखापरीक्षा और प्रमाणन:

बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों की भी तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा की जाती है और इस आशय का प्रमाण पत्र निहित डीओपी के दायरे में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के साथ तिमाही आधार पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त किया जाता है।

(ज) लाभांश की घोषणा:

वित्तीय वर्ष की समीक्षा अवधि के दौरान,

I. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹1,000/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 13,236,726 इक्विटी शेयरों पर ₹831.02 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया और भुगतान किया है, जिसकी राशि ₹1,100 करोड़ रुपये है।

II. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में सितंबर 2024 तक की अनुमानित कर-पश्चात लाभ राशि में से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (होल्डिंग कंपनी) को 1,000 रुपये प्रति इक्विटी शेयरों पर 5500 करोड़ रुपये (यानी 4,155.11 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) का पहला अंतरिम लाभांश की घोषणा की एवं भुगतान किया है।

III. कंपनी ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (होल्डिंग कंपनी) को 1,000/- रुपये प्रति इक्विटी शेयरों के मूल्य पर 1,32,36,726 इक्विटी शेयरों पर 2000.00 करोड़ रुपये (यानी 1510.95 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में दिसंबर 2024 तक चालू वर्ष के अनुमानित कर-पश्चात लाभ राशि में से है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है।

(झ) एमसीएल बोर्ड की उप-समितियों का पुनर्गठन

कंपनी के पास बोर्ड की निम्नलिखित सांविधिक समितियां हैं।

i. लेखा परीक्षा समिति

ii. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व विकास (CSRSD) उप-समिति

iii. नामांकन और पारिश्रमिक उप समिति-

iv. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

पुनर्गठित समिति के निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार है, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियमावली, 2014, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के साथ डीपीई दिशानिर्देशों और क्रमशः उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़े जाते हैं।

वित्तीय वर्ष की समीक्षा अवधि के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता विकास (सीएसआरएसडी) उप-समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति को सौंपे गए कार्य और अधिकार, कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 135(1), कंपनियों (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, तथा डीपीई दिशानिर्देशों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित हैं।

(ञ) निदेशक की सेवानिवृत्ति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति अधिसूचना की शर्तों के अनुसार श्री अक्षय श्रीकांत बापट, निदेशक, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर दिनांक 30.11.2024 से पदमुक्त हो गए। उक्त पदमुक्ति की सूचना दिनांक 04.01.2025 को आयोजित कंपनी की 276वीं बोर्ड बैठक में दी गई।

(ट) निदेशक की नियुक्ति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, श्री संजय कुमार झा ने 07.03.2025 से कंपनी के निदेशक, तकनीकी (पी एंड पी) का कार्यभार संभाल लिया है और 15.04.2025 को आयोजित एमसीएल की 279वीं बोर्ड बैठक में नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है।

(ठ) ग़ैर-सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक की सेवानिवृत्ति"

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नियुक्ति अधिसूचना की शर्तों के अनुसार डॉ. आशा लकड़ा, गैर-सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक दिनांक 31.10.2024 को, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर कंपनी की निदेशक पद से पदमुक्त हुईं। उक्त पदमुक्ति को 16.11.2024 को आयोजित कंपनी की 275वीं बोर्ड बैठक, में अधिसूचित किया गया।"

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संबंधित विभाग की तिमाही अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा पर, हमारी राय में, पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं और लागू सामान्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आकार और संचालन के अनुरूप नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करने सहित विभिन्न सांविधिक/नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित रूप से जवाब दिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि मेरे द्वारा प्राप्त और भरोसा किए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई विशिष्ट घटना / कार्य नहीं हुई थी।

कृते जे.के. दास एण्ड एसोसियट्स
कंपनी सचिव

J. K. Das & Associates ★ Company Secretaries ★ Kolkata

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2025

सीएस जे.के. दास , सी.पी. सं. 4250
सदस्यता सं. एफ़सीएस 7268
यूडीआईएन: F007268E000344110
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं..1748/2022

अनुलग्नक-A

सेवा में
सदस्यगण
मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार,
संबलपुर -768020
ओड़िशा, इंडिया

महोदय,

इस पत्र के साथ हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने पुस्तकों और कागजात के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों या अन्य किसी भी पुस्तक, सूचना या विवरण के सत्यता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है ।
4. हमने उपर्युक्त नियम को छोड़कर किसी अन्य विशिष्ट कानून की जांच नहीं की है।
5. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट कानूनों और अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जे.के. दास एण्ड एसोसियट्स
कंपनी सचिव

J. K. Das & Associates ★ Kolkata ★ Company Secretaries

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2025

सीएस जे.के. दास , सी.पी. सं. 4250
सदस्यता सं. एफ़सीएस 7268
यूडीआईएन: F007268E000344110
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं..1748/2022

एमसीएल की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 पर प्रबंधन का उत्तर

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
बोर्ड की संरचना, लेखा परीक्षा समिति की संरचना और महिला निदेशक की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के अनुसार नहीं थी, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई थी।	यह एक तथ्य है। कंपनी की निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि बोर्ड में सभी नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती हैं।

अनुलग्नक- III

1. विद्युत ऊर्जा संरक्षण

1 (क). विद्युत ऊर्जा संरक्षण के उपाय

इस वर्ष की ऊर्जा स्थिति के मुख्य बिंदु तुलनात्मक विवरण के साथ नीचे दिए गए हैं।

I. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (कोयले के लिए) 1.89 kWh/Te है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 1.81 kWh/Te थी, यानी 4.42% की वृद्धि है।

II. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (यानी कोयला + ओ.बी. निष्कासन) वित्तीय वर्ष 2023-24 में 0.93 kWh/CuM की तुलना में 0.90 kWh/CuM है, यानी 3.22% की कमी है।

III. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान टीपीडब्ल्यूओडीएल (पूर्व में वेस्को) और टीपीसीओडीएल (पूर्व में सीईएसयू) से हर महीने की छूट तिथि के भीतर सभी आपूर्ति बिंदुओं के मासिक बिजली बिलों के शीघ्र भुगतान के लिए कुल 263.87 लाख रुपये की छूट का लाभ उठाया गया।

1 (ख). ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए बिजली की खपत में कमी लाने के लिए जहां भी साध्य/संभव हो, कदम उठाए गए।

I. पावर फैक्टर को यूनिटी के निकट बनाए रखना:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीएल की खदान, टाउनशिप और कार्यालयों को बिजली देने वाले विभिन्न सब-स्टेशनों का समग्र औसत पावर फैक्टर 0.96 था।

II. केवल उच्चतर स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनरों की खरीद:

खरीदे जा रहे सभी नए विंडो और स्प्लिट एयर कंडीशनर बीईई फाइव स्टार रेटिंग वाले हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 402 फाइव स्टार रेटेड एयर कंडीशनर खरीदे गए हैं और 279 खरीद प्रक्रिया में हैं।

III. 5 स्टार रेटेड बीएलडीसी पंखों की खरीद।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमसीएल में 5129 पांच सितारा रेटेड बीएलडीसी पंखे खरीदे गए और 310 पंखे खरीद के अधीन हैं।

IV. वित्त वर्ष 2024-25 में एमसीएल में 16695 एलईडी लाइटें खरीदी गईं और 3300 लाइटें खरीद के अधीन हैं।

V. ऊर्जा कुशल विद्युत मोटरों की खरीद की जा रही है। खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमसीएल में 37 ऊर्जा कुशल मोटर्स की खरीद की गई है।
- वित्तीय वर्ष 24-25 में 28 ऊर्जा कुशल मोटरों के लिए आदेश दिया गया।
- 39 ऊर्जा कुशल मोटरों की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

VI. ऊर्जा कुशल वॉटर हीटरों की खरीद।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमसीएल में 71 ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर खरीदे गए।

VII. ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए स्ट्रीट लाइटों और लाइटिंग टावर में ऑटो टाइमर की स्थापना:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 36 ऑटो टाइमर लगाए गए।

VIII. पम्पिंग में ऊर्जा दक्षता.

- जलापूर्ति और खदानों से जल निकालने में प्रयुक्त पाइपलाइनों में लीकेज को रोका जाता है।
- पंपों के डिजाइन के अनुसार चूषण और वितरण लाइनों का आकार उचित रूप से बनाए रखा जाता है।
- बिजली की अधिकतम मांग को कम करने और टीओडी (दिन का समय) प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पम्पिंग जैसे नियमित भार को ऑफ-पीक घंटों के दौरान संचालित किया जा रहा है।

IX. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एमसीएल में औद्योगिक कनेक्शनों का समग्र लोड फैक्टर ~67% यानी 60% से ऊपर बनाए रखा गया, ताकि 60% लोड फैक्टर से अधिक खपत की प्रत्येक यूनिट के लिए 1.10 रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोड फैक्टर प्रोत्साहन के रूप में 4.86 करोड़ रुपये की राशि का लाभ उठाया गया।

X. ई-वाहन:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमसीएल में वर्तमान में 33 इलेक्ट्रिक वाहन तैनात हैं।

XI. वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऊर्जा कुशल उपायों के कारण कुल ऊर्जा बचत 6073367 kWh/वर्ष है और परिणामस्वरूप 4980160 kgCO2 कार्बन ऑफसेट होता है।

2. A. ऊर्जा संरक्षण:

ईंधन और स्नेहक की खपत को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. उपकरणों का नियमित रख-रखाव और निगरानी।
2. सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीजल खपत की निरंतर विशिष्ट निगरानी।
3. ईंधन दक्षता को अधिकतम करने के लिए टायरों में हवा-दबाव की नियमित जांच।
4. प्रणाली से हाइड्रोलिक तेल लीक होने को कम करने के लिए होज और रूटिंग की नियमित जांच।
5. उपकरणों के बेकार चलने को कम करने के लिए ऑपरेटरों को जागरूक किया गया है।
6. सभी ऑटो इलेक्ट्रिकल वस्तुओं जैसे सेल्फ-स्टार्टर्स, अल्टरनेटर और बैटरियों की नियमित जांच।
7. उपकरणों की स्व-स्टार्ट क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में बैटरियों की व्यवस्था।
8. खपत हुए तेल की वसूली में वित्त वर्ष 2024-25 में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.88% का सुधार हुआ है। खपत किए गए तेल की वसूली: वित्त वर्ष 2024-25: 50.88% और वित्त वर्ष 2023-24: 46%, जो एचईएमएम की बेहतर स्थिति और अच्छे रख-रखाव को दर्शाता है।

2. B. ऊर्जा खपत के लिए (a) के उपायों का प्रभाव और उत्पादन के मापदंडों पर परिणामी प्रभाव।

विवरण	**2024-25**	**2023-24**	**पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन**
विद्युतीय ऊर्जा			
(i) बिजली की विशिष्ट खपत (कोयले के लिए), किलो वाट घंटा/टन में	1.89	1.81	-4.42%(F)
(ii) बिजली की विशिष्ट खपत (संयुक्त उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला + ओ.बी. निष्कासन), किलोवाट घंटा/घन मीटर में	0.95	0.90	-3.22%(F)
ईंधन और स्नेहक			
विभागीय उत्पादन के लिए एचएसडी की खपत, लीटर/घनमी में।	1.00	1.09	-8.25(F)
विभागीय उत्पादन के लिए स्नेहक की खपत, लीटर/घनमी में।	.019	0.0239	-20.50(F)
कोयला उत्पादन में एचएसडी की खपत, लीटर/टन में	1.02	1.219	-16.32(F)
कोयला उत्पादन में स्नेहक की खपत, ली/टन में।	0.020	0.027	-25.92(F)

F - अनुकूल A - प्रतिकूल

2. ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियां, निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, उत्पादों, निर्यात गतिविधियों, सेवाओं और निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

(ii) प्रयुक्त एवं अर्जित विदेशी मुद्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(क) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा:		
(i) आयात का सीआईएफ मूल्य		
(क) घटक, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	0.00	0.00
(ख) पूंजीगत माल	0.00	0.00
(ii) यात्रा	0.14	0.24
(iii) ब्याज	0.04	0.04
(iv) अन्य	0.67	0.72
(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा:	0.00	0.00

अनुलग्नक - IV

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में

सदस्यगण

मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

मैंने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि कॉर्पोरेट प्रशासन पर भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी जाँच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि कंपनी ने उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जो कि "अनुलग्नक -1" में उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन है ।

मैं आगे यह भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को संचालित करने की दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में।

वास्ते, निशा उपाध्याय
(कंपनी सचिव)

ह/-
सीएस निशा उपाध्याय, एसीएस
प्रोप्राइटर
एम नं. 52744, सीपी नं. 19692

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 12.06.2025
यूडीआईएन:

अनुलग्नकः1

क. निदेशक मंडल की संरचना : -

एमसीएल के निदेशक मंडल के गठन में 05 कार्यात्मक निदेशक, 02 आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (01 सरकारी नामित और 01 सीआईएल नामित निदेशक), 02 स्वतंत्र निदेशक और 01 स्थायी आमंत्रित व्यक्ति शामिल हैं। 04 स्वतंत्र निदेशकों में से, कंपनी में केवल 02 (दो) स्वतंत्र निदेशक हैं और मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक स्वतंत्र निदेशकों के अन्य 02 (दो) पद रिक्त रहेंगे।

ख. लेखा परीक्षा समिति की संरचना: -

पिछले वर्ष के अनुसार, 31.03.2025 तक स्वतंत्र निदेशकों का 01 (एक) पद रिक्त है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार द्वारा इसे भरा नहीं जा सका। इसके परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं हुआ है, क्योंकि लेखा परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे (लेखा परीक्षा समिति के बोर्ड में हर समय कम से कम 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक उपस्थित होने चाहिए)।

ग. महिला निदेशक:

नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न किए जाने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के अनुसार महिला निदेशक की आवश्यकता नहीं थी।

वास्ते, निशा उपाध्याय
(कंपनी सचिव)

ह/-
सीएस निशा उपाध्याय, एसीएस
प्रोप्राइटर
एम नं. 52744, सीपी नं. 19692

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 12.06.2025
यूडीआईएन:

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

कंपनी दर्शन:

कॉर्पोरेट प्रशासन को एक व्यावसायिक दर्शन के रूप में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की संगठनात्मक प्रणाली में अधिक गहराई से एकीकृत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, बेहतर संगठनात्मक न्याय और कॉर्पोरेट स्थिरता सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2010-11 से कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशों के साथ, दिशानिर्देशों पर नए परिप्रेक्ष्य और समुचित परिश्रम के साथ पुनर्विचार किया गया है।

नाम और पदनाम	वर्ग	बोर्ड की बैठकें			अन्य कंपनियों में निदेशक पद	पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया	अन्य समिति में सदस्यता	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	में भाग लिया	%			लेखा परीक्षा समिति में उपस्थिति	अन्य समिति में सदस्य
श्री उदय ए कावले	अध्यक्ष	10	10	100%	शून्य	हाँ	-	02
श्री केशव राव	कार्यात्मक	10	09	90%	(i) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (ii) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	हाँ	-	03
श्री डी.सी. तिवारी	स्वतंत्र	10	07	70%	शून्य	नहीं	05	01
श्री राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र	10	10	100%	शून्य	नहीं	05	02
डॉ. आशा लाकड़ा (31.10.2024 तक)	स्वतंत्र	06	06	100%	शून्य	नहीं	05	02
श्री जे.के. बोरा	कार्यात्मक	10	10	100%	(i) एमएनएच शक्ति लिमिटेड	हाँ	06	05
श्री ए.एस. बापट (30.11.2024 तक)	कार्यात्मक	07	07	100%	शून्य	हाँ	-	03
श्री ए.के. बेहुरा	कार्यात्मक	10	10	100%	(ii) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। (iii) सीआईएल नविकर्णीय ऊर्जा लिमिटेड।	हाँ	00	04
श्री मुकेश चौधरी	सरकारी नामित व्यक्ति	10	08	80%	(i) कोल इंडिया लिमिटेड। (ii) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। (iii) सीआईएल नविकर्णीय ऊर्जा लिमिटेड।	हाँ	04	00
श्री संजीव कस्सी	सरकारी नामित व्यक्ति	10	10	100%	(i) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	नहीं	06	00
श्री एस.के. झा	कार्यात्मक	00	00	00	शून्य	नहीं	00	01

समानता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही आदि सुशासन के मानदंड हैं, जिन्हें एमसीएल से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में सर्वोत्तम सीमा तक अभ्यास किए जाने वाले मूल मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है।

निदेशक मंडल

बोर्ड में कार्यात्मक, नामित और स्वतंत्र निदेशकों के इष्टतम संयोजन के सिद्धांत का पालन करते हुए, एमसीएल के निदेशक मंडल में 31 मार्च, 2025 तक 09 (नौ) निदेशक शामिल हैं, जिन्हें नीचे वर्गीकृत किया गया है।

a) 05 (पांच) कार्यात्मक निदेशक (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित)।
b) 02 (दो) स्वतंत्र निदेशक।
c) 02 (दो) आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (नामित)।

इसके अलावा, मुख्य परिचालन प्रबंधक, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर को भी बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड की वर्ष 2024-25 के दौरान दस (10) बार दिनांक 05.04.2024, 20.04.2024, 03.07.2024, 19.07.2024, 23.09.2024, 18.10.2024, 16.11.2024, 04.01.2025, 15.01.2025, एवं 09.02.2025 को बैठकें हुई।

बोर्ड की संरचना, बोर्ड बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों की संख्या के विवरण के साथ एक तालिका तैयार की जाती है।

वार्षिक लेखे, पूंजीगत व्यय, कोयला बिक्री अनुबंध, जनशक्ति बजट, वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट आदि जैसे शासन के कुछ मद बोर्ड की समीक्षा और अनुमोदन के लिए आरक्षित हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक:

क) पूर्णकालिक निदेशक

क्रमांक	नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो	वर्ष 2024-25 के लिए पारिश्रमिक
				पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व अर्थात वेतन, प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, पीएफ अंशदान, पेंशन आदि (रु.)
1	श्री उदय ए कावले	शून्य	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	41,76,433.5
2	श्री केशव राव	शून्य	निदेशक (कार्मिक)	39,45,433.36
3	श्री ए.के. बेहुरा	शून्य	निदेशक (वित्त)	34.94,456.04
4	श्री जे.के. बोरा	शून्य	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	42,24,469.56
5	श्री ए.एस. बापट (30.11.2024 तक)	शून्य	निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना)	27,42,241.88
6	श्री एस.के. झा	शून्य	निदेशक (पी. एंड पी.)	2,38,524.22

ख) आधिकारिक अंशकालिक निदेशक

कंपनी द्वारा आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

ग) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक

गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

घ) सेवा अनुबंध, नोटिस अवधि, विच्छेद शुल्क:

कंपनी के सभी कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 महीने के नोटिस पर या उसके बदले 03 महीने के वेतन का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

बोर्ड की समितियाँ:

i) लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मानना है कि उचित स्वायत्तता और परिभाषित कार्यक्षेत्र वाली एक सुव्यवस्थित लेखा परीक्षा समिति, व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए एक कुशल तंत्र हो सकती है। समिति नियमित अंतराल पर बैठकें करती है और मुद्दों का यथाशीघ्र समाधान करती है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकें भी बहुत सुव्यवस्थित होती हैं और उचित एजेंडा और कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती हैं।

लेखा परीक्षा समिति को एमसीएल के वित्तीय और अन्य डेटा/सूचना तक पहुँच प्राप्त है। समिति द्वारा की गई टिप्पणियों की रिपोर्ट एमसीएल बोर्ड को दी जाती है। समिति आवश्यकतानुसार जितनी बार चाहे बैठक करती है, लेकिन तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होना अपेक्षित है।

कार्य का दायरा

लेखापरीक्षा समिति के पास निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार है, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और बैठक विवरण:

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 06 बैठकें 20.04.2024, 29.06.2024, 29.07.2024, 19.09.2024, 18.10.2024 और 15.01.2024 को हुई और बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	डॉ. आशा लाकड़ा (31.10.2024 तक)	अध्यक्ष	05	05
2.	डॉ. राजेश कुमार वर्मा	अध्यक्ष	06	05
3.	श्री संजीव कुमार कस्सी	सदस्य	06	06

क्रम संख्या	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
4.	श्री डी.सी. तिवारी	सदस्य	06	05
5.	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	06	04
6.	श्री जे.के. बोरा	सदस्य	06	06

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त) स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

मौजूदा लेखापरीक्षा समिति के अतिरिक्त, कंपनी की रणनीतिक और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने, कॉर्पोरेट प्रशासन का सही अर्थों में पालन करने, मानव संसाधन के माध्यम से मूल्य संवर्धन और आर. एंड आर. की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, 2011-12 के दौरान 134वीं और 135वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया गया है।

ii) तकनीकी उप-समिति:

कार्य का दायरा:

एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, आकलन और सिफारिश।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष के दौरान तकनीकी उप समिति की 02 बैठकें 14.09.2024 और 09.11.2024 को हुईं और बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री उदय ए कावले	अध्यक्ष	02	02
2.	श्री जे.के. बोरा	सदस्य	02	02
3.	श्री ए.के. बेहुरा	सदस्य	02	02
4.	श्री ए.एस. बापट (30.11.2024 तक)	सदस्य	02	02
5.	श्री केशव राव	सदस्य	02	02

iii) सीएसआर और सतत विकास उप-समिति (सीएसआर और एसडी):

कार्य का दायरा:

पुनर्गठित समिति के पास निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर एमसीएल बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

सीएसआरएसडी उप-समिति की वर्ष के दौरान 06 (छह) बार बैठकें हुईं: 15.04.2024, 29.05.2024, 29.06.2024, 19.09.2024, 09.12.2024, और 08.02.2025, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:

क्रम संख्या	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री केशव राव	अध्यक्ष	06	06
2.	डॉ. आशा लाकड़ा (31.10.2024 तक)	सदस्य	04	04
3.	आर.के. वर्मा	सदस्य	02	02
4.	श्री जे.के. बोरा	सदस्य	06	05
5	श्री ए.के. बेहुरा	सदस्य	06	06

iv) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

कार्य का दायरा:

समिति का कार्यक्षेत्र सीआईएल की नीति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

जोखिम प्रबंधन उप-समिति की वर्ष के दौरान 27.08.2024 को 01 (एक) बार बैठक हुई, जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री जे.के. बोरा	अध्यक्ष	01	01
2.	श्री ए.एस. बापट	सदस्य	01	01
3.	श्री ए.के. बेहुरा	सदस्य	01	01

v) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

कार्य का दायरा:

समिति के पास निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार होगा, जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनी को दी गई छूट के अधीन होगा।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष 2024-2025 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

vi) भूमि विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति:

कार्य का दायरा

कंपनी द्वारा अपनाई जा रही आर एंड आर नीति के मौजूदा मानदंडों के अनुसार रोजगार, नकद मुआवजे आदि के सभी मामलों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

उप-समितियों की संरचना और बैठक विवरण:

भूमि विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति की वर्ष के दौरान 18 (अठारह) बार बैठकें हुईं, दिनांक 03.05.2024, 12.05.2024, 21.05.2024, 27.05.2024, 05.06.2024, 11.07.2024, 24.07.2024, 19.08.2024, 29.08.2024, 31.08.2024, 25.09.2024, 14.11.2024, 24.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025, 16.01.2025, 21.03.2025 और 26.03.2025 को, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:

क्रम संख्या	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री उदय ए कावले	अध्यक्ष	18	18
2.	श्री केशव राव	सदस्य	18	18
3.	श्री संजय कुमार झा (07.03.2025 से प्रभावी)	सदस्य	02	02
4.	श्री ए.एस. बापट (30.11.2024 तक)	सदस्य	12	12
5.	श्री जे.के. बोरा	सदस्य	18	18
6.	श्री ए.के. बेहुरा	सदस्य	18	18

वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, निम्नलिखित लेखा परीक्षा फर्मों को वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वैधानिक लेखा परीक्षक:	**शाखा लेखा परीक्षक:**
1. मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी बुधराम ओरम मार्केट कचेरी रोड, राउरकेला-769012 ओडिशा	**2. मेसर्स एसएस टेकरीवाल एंड कंपनी.** प्लॉट नंबर 542, शहीद नगर, महादेव टॉवर भुवनेश्वर - 751007, ओडिशा

लेखा परीक्षा का प्रकार	पारिश्रमिक (रु.)	टिप्पणी
वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा	₹28,63,742.00 (जीएसटी सहित) (₹17,74,720.00 वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए और ₹10,89,022.00 शाखा लेखा परीक्षक के लिए))	वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति/भुगतान, लेखापरीक्षा शुल्क के अधिकतम 50% तक। (प्रधान लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा शुल्क में एमसीएल और उसकी चार सहायक कंपनियों के खातों के समेकन की समीक्षा हेतु शुल्क शामिल है)
कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन	रु. 30,000.00	सभी समावेशी।

शेयरधारकों की आम बैठकें :

पिछले 03 वर्षों के दौरान शेयरधारकों की आयोजित आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वार्षिक आम बैठक

वर्ष	तिथि	समय	जगह	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2021-22	25.07.2022	पूर्वाह्न 10:00 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य
2022-23	25.07.2023	अपराह्न 04:15 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य
2023-24	30.07.2024	अपराह्न 01:00 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य

विशिष्ट आम बैठक: पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आयोजित ईजीएम का विवरण।

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2023-24	17.10.2023	पूर्वाह्न 11:30 बजे	जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020	01
2024-25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एमसीएल में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2008 को कोलकाता में आयोजित अपनी 94वीं बैठक में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता अपनाई है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर पोस्ट किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (आईएफसी):

एमसीएल के सभी आंतरिक लेखा परीक्षकों ने एमसीएल में प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी लेखा परीक्षकों ने अपनी राय दी है कि एमसीएल ने सभी भौतिक पहलुओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (परिचालन नियंत्रण सहित) स्थापित किए हैं और ये नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा वर्ष 2024-25 के दौरान प्रभावी रूप से कार्यरत रहेंगे।

जोखिम प्रबंधन:

एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन और उसके नियंत्रण को उचित महत्व दिया जाता है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम के कारण, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, भूमि विस्थापितों की समस्याएँ कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है। कंपनी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी के निवारक रखरखाव, सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आदि जैसे आंतरिक कारकों को भी उचित महत्व दिया जाता है। शीर्ष स्तर पर, एमसीएल में जोखिम प्रबंधन तंत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए वर्ष 2011-12 में बोर्ड की एक अलग उप-समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एन) की आवश्यकताओं के प्रावधानों का पालन करने के लिए, उक्त समिति को 09.02.2016 को एमसीएल बोर्ड द्वारा "जोखिम प्रबंधन समिति" (आरएमसी) नाम से पुनर्गठित किया गया है। एमसीएल के महाप्रबंधक (एस एंड आर) को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है, जो एमसीएल के आरएमसी के प्रतिनिधि होंगे तथा एमसीएल में जोखिम प्रबंधन से संबंधित मामलों का समन्वय और अनुपालन करेंगे।

व्हिसल ब्लोअर नीति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) तथा सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 22 के अनुसार, कंपनी को व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करनी पड़ी ताकि कर्मचारी कंपनी में अवैध और अनैतिक गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। सीआईएल की नीति के अनुरूप एक नीति तैयार की गई है और उसका पालन किया जा रहा है।

इस नीति को 12 अगस्त, 2011 को आयोजित 222वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था और यह सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों पर लागू है। सेबी (निषेध और भेदिया व्यापार) (संशोधन) विनियमन 2018 के तहत आवश्यक के रूप में, कंपनी ने नीति को संशोधित किया और इसे 13 अगस्त, 2019 को आयोजित 390वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया, जिसका उद्देश्य संगठन में पारदर्शिता और विश्वास की संस्कृति का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना और कर्मचारियों को अनुचित गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक ढांचा/प्रक्रिया प्रदान करना है। सीआईएल ने निदेशकों और कर्मचारियों को व्हिसल ब्लोअर (निदेशक और कर्मचारी जो स्वेच्छा से और गोपनीय रूप से संगठन में अनैतिक प्रथाओं, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी वाले लेनदेन को संगठन और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहते हैं) बनने के लिए प्रोत्साहित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए थे।

लेखांकन व्यवहार :

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों और प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

संचार के साधन:

कंपनी के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा योग्यताएं:

कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि वह बिना किसी शर्त के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमसीएल के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ भी संलग्न हैं।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:

अपने-अपने कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव रखने के कारण, कार्यात्मक निदेशक कंपनी के व्यावसायिक मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम-प्रमुख पहलुओं से भी परिचित होते हैं। अंशकालिक निदेशक कंपनी के व्यावसायिक मॉडल से पूरी तरह परिचित होते हैं। हालाँकि, कॉर्पोरेट प्रशासन की कार्यप्रणाली से बेहतर परिचित होने के उद्देश्य से, कार्यात्मक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को शीर्ष संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशकों के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण नीति भी लागू है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन का अनुपालन

आपकी कंपनी ने दिनांक 28.06.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/14(38)/10-एफआईएन के अनुसार डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू किया है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु सीईओ द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन में 95.51% का वार्षिक स्कोर प्राप्त किया है, जिसके लिए उसे 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग प्राप्त हुई है।

अनुलग्नक-V

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

क. उद्योग संरचना और विकास

कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, स्थायी और विश्वसनीय स्रोत है। वैश्विक रूप से, वर्ष 1950 के बाद से वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग कम होता जा रहा है, इसका मुख्य कारण पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे और सस्ते तेल और गैस की उपलब्धता है । हालाँकि, भारत में परिदृश्य बिलकुल अलग है। यहां देश के भीतर सीमित तेल के भंडार के साथ कोयला प्रचुर मात्रा में होने एवं आसानी से उपलब्ध होने के कारण बिजली उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

कोयला भंडार:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों का 97% कोयला मौजूद है। राष्ट्रीय कोयला सूची के अनुसार दिनांक 01.04.2024 तक 69 विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 1200 मीटर की गहराई तक कठोर कोयला संसाधन 389.422 बिलियन टन (बीटी) है, विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.	राज्य	कोलफील्ड्स की संख्या	कोयला भंडार (बि.टन)	भारत का %
2	ओड़िशा	2	99.204	25.47
1	झारखंड	12	91.812	23.58
3	छत्तीसगढ़	13	82.666	21.23
4	पश्चिम बंगाल	4	33.958	8.72
5	मध्यप्रदेश	8	32.815	8.43
6	तेलंगाना	1	23.206	5.96
7	महाराष्ट्र	5	13.352	3.43
8	पूर्वोत्तर राज्य	21	1.777	0.46
9	आंध्रप्रदेश	1	4.172	1.07
10	उत्तरप्रदेश	1	1.062	0.27
11	बिहार	1	5.398	1.39
कुल		**69**	**389.422**	**100**

ओडिशा भारत में आरक्षित स्थिति में प्रथम स्थान पर है। 1 अप्रैल 2024 तक ओडिशा का कुल कोयला भंडार 99.204 बिलियन टन होने का अनुमान है, जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 25.47 % है। ओडिशा के दो कोयला क्षेत्र, अर्थात् तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत हैं; तालचेर भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र (55.986 बिलियन टन) है और ईब-वैली तीसरा सबसे बड़ा (43.218 बिलियन टन) कोयला क्षेत्र है। 99.204 बिलियन टन कोयला भंडार में से 53.799 बिलियन टन (54.23%) मापे गए कोयला भंडार है।

ओडिशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स विशाल थर्मल ग्रेड नॉन-कोकिंग कोयला के भंडार हैं, जिनमें सबसे अनुकूल उत्खनन की संभावनाएं हैं। दक्षिणी और पश्चिमी भारत में मौजूदा और आगामी तापीय संयंत्रों के लिए कोयले की माँग में लगातार वृद्धि हो रही है।

कोयला उठाव (ऑफ-टेक) और प्रेषण :

वर्ष 2025-26 में एमसीएल ने 250.00 मिलियन टन के कोयला ऑफ-टेक की योजना बनाई है।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक पिछले 10 वर्षों में एमसीएल का सेक्टर-वार वास्तविक कोयला उठाव और 2025-26 के लिए अनुमान :

क्षेत्र	वर्ष (आंकड़े मिलियन टन में)										
	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 वास्तविक	2025-26 बीई
बिजली	91.173	98.550	99.274	102.527	92.679	98.20	127.22	149.028	150.165	158.363	168.00
सीमेंट	0.24	0.257	0.186	0.221	0.206	0.17	0.09	0.115	0.120	0.192	0.200
खाद	0.004	0.00	0.052	0.053	0.000	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00

क्षेत्र	वर्ष (आंकड़े मिलियन टन में)										
	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 वास्तविक	2025-26 बीई
अन्य	48.797	44.204	38.750	39.505	41.131	47.64	48.85	43.612	48.734	51.903	81.80
कुल	**140.214**	**143.011**	**138.262**	**142.306**	**134.016**	**146.01**	**176.16**	**192.755**	**199.019**	**210.458**	**250.00**

एमसीएल के पिछले 10 वर्षों का मोड-वार वास्तविक कोयला संचलन और 2025-26 के लिए अनुमान

ऑफटेक मोड	वर्ष (आंकड़े मिलियन टन में)										
	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 वास्तविक	2025-26 बीई
रेल	89.079	90.776	89.442	87.384	76.809	96.25	115.6	117.826	116.821	134.44	177.785
रोड	34.515	38.210	34.816	42.780	43.261	33.39	47.4	62.875	71.667	67.177	60.535
एमजीआर	15.231	12.611	12.588	10.567	12.432	15.15	13.2	12.054	10.531	8.841	11.680
अन्य	1.389	1.410	1.416	1.575	1.514	1.21	0.00	00	00	0.00	0.00
कुल	**140.214**	**143.007**	**138.262**	**142.306**	**134.016**	**146.01**	**176.2**	**192.755**	**199.019**	**210.458**	**250.00**

कोयले की उपलब्धता:

2015-16 से 2024-25 तक का वास्तविक कोयला उत्पादन और वर्ष 2025-26 के दौरान मौजूदा खदानों, पूर्ण की गई परियोजनाएं एवं एमसीएल में चालू परियोजनाओं का उत्पादन अनुमान नीचे दिया गया है:

परियोजनाएं	वर्ष (आंकड़े मिलियन टन में)										
	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 वास्तविक	2025-26 बीई
मौजूदा खदान	0.981	0.8936	0.91	0.764	0.751	0.459	0.44	0.38	0.40	0.43	0.43
पूर्ण परियोजनाएं	76.220	77.5699	68.817	59.381	51.872	55.319	60.49	65.96	70.59	44.84	43.06
चालू एवं नई परियोजनाएं	60.70	60.7549	73.331	84.006	87.734	92.232	107.23	126.92	135.11	179.91	195.51
कुल	**137.901**	**139.2084**	**143.058**	**144.151**	**140.357**	**148.01**	**168.17**	**193.262**	**206.10**	**225.18**	**239.00**

उत्पादकता :

एमसीएल में कोयला उत्पादन और खुली खदान से ओवरबर्डन निष्कासन का कार्य संविदात्मक और विभागीय रूप से किया जाता है। अधिकांश परियोजनाओं में ओ.बी.आर. को आउटसोर्स किया गया है। एमसीएल की ओएमएस स्थिति इस प्रकार है:

परियोजनाएं	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 बीई	2025-26 बीई
भूमिगत खदान	0.77	0.67	0.65	0.74	0.73	0.86	0.60	0.57	0.60	0.53	0.60	0.560
खुली खदान	22.11	24.24	25.72	31.52	29.45	26.71	32.30	39.41	40.89	32.66	34.99	38.37
कुल	17.10	18.88	20.08	24.22	23.71	22.67	27.15	32.76	35.45	27.24	29.53	30.93

* 2023-24 से नई पद्धति के अनुसार ओएमएस गणना।

स्वॉट विश्लेषण

शक्ति :

- सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में सबसे बडी कोयला उत्पादक कंपनी।
- कोयला उत्पादन, उत्पादकता और राजस्व के मामले में वृद्धि का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड।
- अच्छी कार्य संस्कृति- कुशल, अनुभवी और समर्पित कार्य बल।
- अन्वेषण और खनन योजना की प्रबल क्षमता।
- ओड़िशा राज्य में कोयला खनन क्षेत्र में खनन संचालन और देश में प्रमुख उपभोक्ताओं की सेवा।
- सीआईएल में एसएपी के कार्यान्वयन के ध्वजवाहक।

कमजोरी:

- भूमिगत खनन संचालन से नुकसान।
- कोयला की निकासी बड़े पैमाने पर बाहरी एजेंसियों पर निर्भर करती है और बढ़ते कोयला क्षेत्रों में निकासी सुविधाओं की कमी है।
- उपलब्ध संसाधनों में निम्न स्तर के कोयले का प्रभुत्व।

अवसर:

- विद्युत उत्पादन के लिए विशेष रूप से देश में कोयले की भारी मांग।
- एमसीएल में कोयला खनन की बड़ी भारी क्षमता।
- उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र भी एमसीएल से जुड़े हुए हैं।
- रेलवे और शिपर्स।
- मौजूदा 30 एमटीवाई क्षमता को दोगुना करके पारादीप बंदरगाह पर 30 एमटीवाई क्षमता को बढ़ाना
- एफएमसी परियोजना की स्थापना के लिए
- विद्युत उत्पादन में विविधीकरण
- कोयला गैसीकरण और कोयले से रसायनों के लिए संयुक्त उद्यम

चुनौती :

- कोयला खनन खुली-खदान में किया जा सकता है, इसलिए अधिक भूमि की आवश्यकता होगी और अकुशल कार्यबल (पीडीएफ) को रोजगार मिलेगा।
- भूमि अधिग्रहण और फलस्वरूप सामाजिक विस्थापन।
- पुनर्वास और पुन:स्थापना मुद्दे।
- पर्यावरण प्रदूषण के लिए खुली खदान की विशिष्टता।
- कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता।
- अधिकांश उपभोक्ता कोयला क्षेत्र से दूर हैं अर्थात रेल भाड़े में वृद्धि का मतलब है उपभोक्ताओं के लिए उच्च भूमि लागत।
- तटीय आधारित ताप विद्युत संयंत्र के पास आयातित कोयले का उपयोग करने का विकल्प हैं।
- कैप्टिव खनन/वाणिज्यिक - बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ब्लॉक का आवंटन।

ख. कार्य निष्पादन:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

ग. दृष्टिकोण

सदस्यों को ज्ञात होगा कि वर्तमान में, एमसीएल में 70.78 मिलियन टन (समाप्त खदानों की क्षमता सहित) की निर्धारित क्षमता वाली 40 पूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनमें से 1.95 मिलियन टन की निर्धारित क्षमता वाली 03 परियोजनाएं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी हैं। 11 चालू परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं (मार्च 2025 तक) जिनकी निर्धारित क्षमता 282.00 मिलियन टन है। 2024-25 के दौरान इन चालू परियोजनाओं से उत्पादन 179.91 मिलियन टन होगा।

ईब-वैली कोलफील्ड्स के बसुंधरा क्षेत्र (गोपालपुर ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है) में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन एकमात्र बाधा कोयला निकासी व्यवस्था है। कंपनी ने कोयला परिवहन को बढ़ाने के लिए बसुंधरा क्षेत्र (सरडेगा साइडिंग) से झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन तक 52 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पूरी कर ली है। एमसीएल ने बसुंधरा क्षेत्र से कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ निकासी क्षमता को बढ़ाने के लिए चार आरएलएस और तीन साइलो के साथ बरपाली बल्ब के साथ उपरोक्त रेल लाइन का दोहरीकरण भी शुरू किया है।

इसी तरह, तालचेर कोलफील्ड्स में, बलराम-अंगुल लिंक रेलवे लाइन का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। इससे अंगुल की ओर से खाली रेल रेकों की एकतरफा आवाजाही की सुविधा होगी और भरी हुई रेकों को तालचेर की ओर से निकाला जाएगा। इससे तालचेर

कोलफील्ड की रेक मूवमेंट क्षमता में वृद्धि हुई है, इस प्रकार कोयला निकासी में 20 से 25 मिलियन टन की वृद्धि होगी। एमसीएल ने खाली और भरी हुई रेकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तालचेर कोलफील्ड में आंतरिक स्पर लाइनों के दोहरीकरण का काम भी शुरू किया है।

घ. जोखिम और चिंता:

- वानिकी मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उच्च लागत
- भूमि विस्थापितों द्वारा निर्धारित मानदंडों से परे रोजगार की मांग के परिणामस्वरूप बार-बार कानून और व्यवस्था की समस्याएं और खनन तथा कोयला परिवहन संचालन में उत्पन्न बाधा।
- एचईएमएम और अन्य वि. एवं यां. मदों की खरीद के लिए लंबा समय।

ड. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

च. परिचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

छ. नियोजित लोगों को शामिल करते हुए मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

ज. पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण।

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

झ. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

अनुलग्नक-VI

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिऐ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6Xb) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से,अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

A. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

A.1. स्टैंडअलोन बैलेंस शीट

प्रगति में पूंजीगत कार्य (नोट 3.2) 4889.89 करोड़

उपरोक्त में एमसीएल के ईब वेली क्षेत्र के अंतर्गत लजकुरा साइलो और सरडेगा साइलो में रेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 212.21 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिनके संबंध में रेलवे द्वारा क्रमशः मई 2024 और दिसंबर 2024 में वाणिज्यिक अधिसूचनाएँ जारी की गई थीं।

उपरोक्त में बेल्ट कन्वेयर द्वारा निकासी प्रणाली और लजकुरा साइडिंग में रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से प्रेषण हेतु 268.07 करोड़ से कम की परियोजना भी शामिल है, जिसके संबंध में प्रदर्शन गारंटी परीक्षण किया गया था और अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र दिसंबर 2024 में जारी किया गया था।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि, और केवल यदि: (क) यह संभावित है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे: और (ख)वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है|

चूँकि इन परिसंपत्तियों से राजस्व का सृजन शुरू हो चुका था और परिसंपत्तियों की लागत भी ज्ञात है,इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुरूप प्रभारण के साथ, ऐसी लागतों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।

व्यावसायिक उपयोग के बावजूद, परिसंपत्तियों को पीपीई के अंतर्गत शामिल न करने के परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति को ₹480.28 करोड़ से अधिक और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (मूल्यह्रास को छोड़कर) को ₹468.56 करोड़ से कम दर्शाया गया। वर्ष के लाभ को भी बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है और मूल्यह्रास को ₹1.72 करोड़ से कम दर्शाया गया है।

B. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

B.1 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (नोट-3.1)

कंपनी कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास)अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करती है और यह कंपनी के नाम पर निहित है। कोयला मंत्रालय ने (अप्रैल 2022) कोयला कंपनियों को निर्देश दिया कि वे भूमि अभिलेखों का कंपनी के नाम पर पूर्ण स्वामित्व के रूप में हस्तांतरण करवाएँ। एमसीएल के पास 23564.85 हेक्टेयर भूमि है,जिसमें से केवल 582 हेक्टेयर भूमि का ही हस्तांतरण किया गया है और शेष भूमि का कंपनी के नाम पर हस्तांतरण होना बाकी है।

एमसीएल के नाम पर भूमि का हस्तांतरण न होने के संबंध में उपरोक्त तथ्यों का खुलासा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में नहीं किया गया है। साथ ही, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के तहत किया गया खुलासा भी इस सीमा तक अपर्याप्त है।

B.2 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ (नोट-16)

Contingent Liabilities ₹ 10119.95 crore

आकस्मिक देयताएँ रु.10119.95 करोड़ प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्टि होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं।

आकस्मिक देयताओं में रु.46.47 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, जो माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), संबलपुर के निर्देश के अनुपालन के लिए "एचईएमएम किराए पर लेने" के कार्य से संबंधित मध्यस्थता याचिका के मामले में विरोध स्वरूप जमा किए गए

हैं । चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए था। इसके परिणाम स्वरूप आकस्मिक देयताओं को रु.46.47 करोड़ रुपये कम करके दर्शाया गया।

B.3 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स (नोट-I6)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (नवंबर 2022) एमसीएल के महालक्ष्मी क्षेत्र के अंतर्गत ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के 1614 पीडीएफ को भूखंड, भवन सहायता और अन्य भत्ते 25 लाख रुपये स्व-स्थानांतरण के लिए; या 10 दशमलव क्षेत्रफल के भूखंड के साथ रु.14.50 लाख रुपये इस शर्त के साथ कि दावों के विरुद्ध भुगतान गृह निर्माण सहायता के बदले एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस शर्त के अनुसार कि दावों के लिए भुगतान सुंदरगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद जारी किया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (नवंबर 2022) एमसीएल के महालक्ष्मी क्षेत्र के अंतर्गत ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के 1614 पीडीएफ को भूखंड, भवन सहायता और अन्य भत्तों के बदले में एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया है।

1614 पीडीएफ में से 246 पीडीएफ से 61.50 करोड़ रुपये का दावा प्राप्त हुआ है,जिसमें से 33.06 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान पूंजीकृत किए जा चुके हैं और शेष रु. 28.44 करोड़ रुपये पूंजीकृत नहीं किए गए हैं, जबकि शेष 1368 पीडीएफ के लिए देयता की गणना नहीं की गई है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक 1 के पैराग्राफ 112 में कहा गया है कि ये नोट ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जो वित्तीय विवरणों में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक है।

आर एवं आर के लिए दिए गए दावों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई है।

B.4 वित्तीय जानकारी के लिए अतिरिक्त नोट्स (नोट 16):

प्रतिबद्धताएँ: अन्य प्रतिबद्धताएँ

एमसीएल ने महालक्ष्मी क्षेत्र में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को प्रदान किए गए सियारमल ओसीपी के खान विकास एवं संचालन (एमडीओ) से संबंधित कार्य के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता के रूप में रु. 35514.50 करोड़ की राशि का विवरण प्रकट नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर इंड एएस-I के पैराग्राफ 114(डी) में कहा गया है कि कोई भी संस्था अन्य बातों के साथ-साथ, अपरिचित संविदात्मक प्रतिबद्धताओं सहित अन्य प्रकटीकरण का भी खुलासा करेगी।

उपरोक्त तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप इंड एएस-I की प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।

B.5 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स (नोट-16)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ओडिशा राज्य में खनन कार्य करता है।ओडिशा सरकार ने वर्ष 2004-05 में कोयले के वार्षिक मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से उड़ीसा ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक विकास अधिनियम, 2004 के अंतर्गत कर लगाया । इस अधिनियम को एमसीएल द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें इस तरह का कर लगाने की विधायी क्षमता और वैधता के संबंध में कानूनी प्रश्न उठाया गया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय (05.12.2005) ने ORISED अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसे उड़ीसा सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी,जो अभी भी लंबित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने MADA बनाम SAIL में 25 जुलाई 2024 और 14 अगस्त 2024 के निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया कि (i) राज्य 1.04.2005 के बाद के लेनदेन के लिए पूर्वव्यापी रूप से कर की मांग कर सकते हैं या उसका नवीनीकरण कर सकते हैं; (ii) यदि राज्यों द्वारा कोई कर मांग की जाती है, तो उसे 01.04.2026 से शुरू होकर 12 वार्षिक किश्तों में वसूला जाएगा; और (iii) 25.07.2024 से पहले की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना स्पष्ट रूप से माफ कर दिया गया है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों को अतिरिक्त शुल्क लगाने या माँगों के नवीनीकरण के अधिकार प्राप्त हो गए हैं। उड़ीसा सरकार ने आज तक कोई नया अधिनियम अधिसूचित नहीं किया है, लेकिन भविष्य में माँगों की संभावना के साथ एक नए अधिनियम या पुराने अधिनियम के पुनरुद्धार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड के विधि विभाग ने उपरोक्त निर्णय से उत्पन्न होने वाले संभावित बहिर्वाहों का आकलन किया है, जो 31227.80 करोड़ रुपये है।

भारत एएस 37 के पैरा 10 के अनुसार, आकस्मिक देयता है: (क) एक संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही निश्चित होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं;या (ख) वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि: (i) यह संभावित नहीं है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या (ii) दायित्व की राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, भविष्य में माँगों की संभावना के साथ एक नए अधिनियम या पुराने अधिनियम के पुनरुद्धार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः, इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है।इसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
ह/-
(यशोधरा राय चौधरी)
महानिदेशक एवं ए डी ए आई
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 जुलाई 2025

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्रमांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
ए.1	**ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी** **स्टैंडअलोन तुलन-पत्र** **पूंजीगत कार्य प्रगति पर (टिप्पणी 3.2)** **₹4889.89 करोड़** उपरोक्त में एमसीएल के ईब-वैली क्षेत्र के अंतर्गत लजकुरा साइलो और सरडेगा साइलो में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 212.21 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसके संबंध में रेलवे द्वारा क्रमशः मई 2024 और दिसंबर 2024 में वाणिज्यिक अधिसूचना जारी की गई थी। उपरोक्त में लजकुरा साइडिंग में बेल्ट कन्वेयर द्वारा निकासी प्रणाली और रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से प्रेषण के लिए टर्न-की परियोजना के लिए 268.07 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जिसके संबंध में कार्य-निष्पादन गारंटी परीक्षण किया गया था और दिसंबर 2024 में अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि, और केवल यदि: (क) यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे: और (ख) वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। चूंकि इन परिसंपत्तियों से राजस्व शुरू हो चुका था और परिसंपत्तियों की लागत भी ज्ञात थी, इसलिए इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुरूप प्रभारण के साथ ऐसी लागतों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। व्यावसायिक उपयोग के बावजूद, पीपीई के अंतर्गत परिसंपत्तियों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, चालू पूंजीगत कार्य को ₹480.28 करोड़ अधिक और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (मूल्यह्रास को घटाकर) को ₹468.56 करोड़ कम दर्शाया गया। वर्ष का लाभ भी अधिक दर्शाया गया है और इसी अनुपात में मूल्यह्रास को ₹11.72 करोड़ कम दर्शाया गया है।	राइट्स को जारी ₹224.78 करोड़ के कार्यादेश में सरडेगा आरएलएस को जोड़ने वाली रेल लाइन और होल्डिंग यार्ड का निर्माण शामिल है। आरएलएस को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है, हालाँकि होल्डिंग यार्ड का निर्माण कार्य अभी जारी है। सरडेगा साइलो को जोड़ने वाली रेलवे लाइन की दिनांक 11.12.2024 को जारी वाणिज्यिक अधिसूचना के बाद, रेलवे लाइन का पूंजीकरण किया जा सकता है क्योंकि इसका एक हिस्सा उपयोग के लिए तैयार है। दिनांक 31.03.2025 तक (वाणिज्यिक अधिसूचना की तिथि के बाद) राइट्स से प्राप्त अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र ₹148.39 करोड़ है और पीएमसी राइट्स से ₹9.78 करोड़ वसूलता है, जो कुल मिलाकर ₹158.17 करोड़ है और इतनी ही राशि पूंजीगत W-I-P के अंतर्गत पड़ी है। आर.एल.एस. को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए किए गए व्यय का विवरण राइट्स से प्राप्त करने के बाद, उसे वाणिज्यिक अधिसूचना की तारीख से पूंजीकृत किया जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आवश्यक मूल्यह्रास शुल्क का हिसाब लगाया जाएगा। **आरएलएस से जुड़ने वाली लजकुरा रेल लाइन** आईपीआरसीएल को 89.33 करोड़ रुपये की राशि के लिए जारी किए गए कार्यादेश में लाजकुरा आरएलएस को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण और लाजकुरा आरएलएस के साथ एलओसीएम-3 साइडिंग की रेल कनेक्टिविटी शामिल है। आरएलएस को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है, तथापि लजकुरा आरएलएस के साथ एलओसीएम-3 साइडिंग के रेल संपर्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिनांक 03.05.2024 को लजकुरा साइलो से जुड़ने वाली रेलवे लाइन की वाणिज्यिक अधिसूचना जारी होने पर, रेलवे लाइन का पूंजीकरण किया जा सकता है क्योंकि वही हिस्सा उपयोग के लिए तैयार है। 08.08.2024 तक (वाणिज्यिक अधिसूचना तिथि के बाद) आईपीआरसीएल से प्राप्त अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र ₹50.60 करोड़ है और पीएमसी ने आईपीआरसीएल को ₹3.44 करोड़ का शुल्क दिया है, जो कुल मिलाकर ₹54.04 करोड़ है और इतनी ही राशि पूंजीगत डब्ल्यू-आई-पी के अंतर्गत पड़ी है। आरएलएस को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए किए गए व्यय के लिए आईपीआरसीएल से व्यय का विवरण प्राप्त करने के बाद, इसे वाणिज्यिक अधिसूचना की तारीख से पूंजीकृत किया जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आवश्यक मूल्यह्रास शुल्क का हिसाब लगाया जाएगा। **लजकुरा आरएलएस** लजकुरा आरएलएस का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और आरएलएस की कुछ छोटी गतिविधियां जैसे एचपीडीएस, एमवीडब्ल्यूएस, ई-होइस्ट, स्टैंडबाय हाइड्रोलिक सिस्टम, एयर ब्लास्टर सिस्टम आदि प्रगति पर हैं। चूंकि आरएलएस के लिए आवश्यक प्रमुख कार्य पूरे हो चुके थे, इसलिए अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र केवल पूर्ण हो चुके भाग के लिए ही जारी किया गया। रेलवे द्वारा साइलो को जोड़ने वाली रेल लाइन के लिए वाणिज्यिक अधिसूचना जारी होने के बाद, सीएमपीडीआईएल की देखरेख में निष्पादन गारंटी परीक्षण किया गया और वह दिनांक 20.12.2024 को पूरा हुआ। पीजी परीक्षण के संबंध में सीएमपीडीआईएल का अंतिम अवलोकन अभी पूरा होना बाकी है। हालांकि, प्रगति पर चल रहे छोटे कार्यों के अधीन, चूंकि प्रमुख पूर्ण भाग के लिए ट्रायल रन और पीजी परीक्षण पूरा हो गया है और कोयला प्रेषण शुरू हो गया है, इसलिए इसे पीजी परीक्षण की समाप्ति तिथि से पूंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक मूल्यह्रास राशि का भी वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हिसाब लगाया जाएगा।

क्रमांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
बी.1	**बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी-3.1)** कंपनी कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करती है और यह कंपनी के नाम पर निहित है। कोयला मंत्रालय ने (अप्रैल 2022) कोयला कंपनियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी के नाम पर भूमि रिकॉर्ड को उत्परिवर्तित करवाएं। एमसीएल के पास 23564.85 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से केवल 582 हेक्टेयर भूमि का म्यूटेशन किया गया है तथा शेष भूमि का कंपनी के नाम पर म्यूटेशन किया जाना बाकी है। एमसीएल के नाम ज़मीन का उत्परिवर्तन न होने से संबंधित उपरोक्त तथ्यों का खुलासा वित्तीय विवरणों के टिप्पणी में नहीं किया गया है। साथ ही, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के तहत किया गया खुलासा भी भी इस संदर्भ में अपूर्ण है।	सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 11(1) के अनुसार, "...कि भूमि या भूमि में या उस पर अधिकार, जैसा भी मामला हो, धारा 10 के तहत केंद्र सरकार में निहित होने या इस प्रकार निहित बने रहने के बजाय, घोषणा के प्रकाशन की तारीख को या निर्देश में निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि पर या उस पर अधिकार अर्थात नामित स्वामित्व धारा 11(1) अधिसूचना के बाद कंपनी के नाम पर निहित हो जाता है, जो मूल रूप से कंपनी के नाम पर शीर्षक विलेख की आवश्यकता को पूरा करता है। हालाँकि, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला कंपनियों को भूमि अभिलेख कंपनी के नाम पर दर्ज (म्यूटेट) कराने के निर्देश के अनुसार, कंपनी ने 21,144.54 हेक्टेयर भूमि के उत्परिवर्तन के लिए राज्य प्राधिकरणों के पास 'फॉर्म 38' प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें से 72.30 हेक्टेयर भूमि का उत्परिवर्तन किया जा चुका है। यह पूर्व में म्यूटेट की गई 509.70 हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त है। वर्ष के दौरान अधिग्रहित 1400.89 हेक्टेयर भूमि के लिए, चूंकि अभी तक पूर्ण कब्जा नहीं लिया गया है, इसलिए म्यूटेशन के लिए आवेदन यथासमय किया जाएगा। शेष भूमि का नामांतरण राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, अन्य भूमि के नामांतरण की स्थिति के प्रकटीकरण की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा इन भूमियों का नामित स्वामित्व पहले से ही कंपनी के पास निहित है। इसलिए भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
बी.2	**बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ** **वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी-16)** **आकस्मिक देयताएं** भारतीय लेखा मानक 37 के पैराग्राफ 10 में प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के संबंध में कहा गया है कि- आकस्मिक देयता एक संभावित देयता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से सुनिश्चित होगी, जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं होती हैं। आकस्मिक देनदारियों में "एचईएमएम किराए पर लेने" के कार्य से संबंधित मध्यस्थता याचिका के मामले में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), संबलपुर के निर्देश के अनुपालन हेतु विरोधसहित जमा की गई ₹46.47 करोड़ राशि शामिल नहीं है। चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं को ₹46.47 करोड़ कम दर्शाया गया।	कंपनी ने विवादित राशि को पूर्ण रूप से आपत्ति सहित जमा कर दिया है, किंतु यह राशि अनजाने में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत प्रकट नहीं की गई। मामले की रिपोर्टिंग तिथि पर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरणों में संभावित देयता के रूप में दर्शाया जाएगा।

क्रमांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
बी.3	**वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी-16)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसीएल के महालक्ष्मी क्षेत्र के अंतर्गत ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के 1614 परियोजना प्रभावित परिवार (पीडीएफ) परिवारों को स्व-स्थानांतरण के लिए भूखंड, भवन सहायता और अन्य भत्तों के बदले ₹25 लाख का एकमुश्त मुआवज़ा; या ₹14.50 लाख की गृह निर्माण सहायता के साथ 10 डिसमिल क्षेत्रफल का भूखंड देने का आदेश दिया है (नवंबर 2022)। इस शर्त के साथ कि दावों का भुगतान सुंदरगढ़ के जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही किया जाना चाहिए। 1614 परियोजा प्रभावित परिवार (पीडीएफ) में से 246 पीडीएफ से ₹61.50 करोड़ का दावा प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹33.06 करोड़ का वर्ष के दौरान पूंजीकरण किया गया है और शेष ₹28.44 करोड़ का पूंजीकरण नहीं किया गया है, जबकि शेष 1368 परियोजना प्रभावित परिवार (पीडीएफ) के लिए देयता की गणना नहीं की गई है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक I के पैराग्राफ 112 में कहा गया है कि टिप्पणियों में ऐसी जानकारी दी जाएगी जो वित्तीय विवरणों में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए प्रासंगिक है। आर एंड आर के लिए दिए गए दावों के गैर-प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई है।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03.11.2022 के निर्णय के अनुसार, परियोजना से विस्थापित 1,614 परिवार स्व-स्थानांतरण के लिए 25 लाख रुपये का एकमुश्त पुनर्वास लाभ या 14.5 लाख रुपये की गृह निर्माण सहायता के साथ 10 डिसमिल का प्लॉट प्राप्त करने के पात्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, परियोजना प्रभावित परिवार (पीडीएफ) को जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ के पास पुनर्वास के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा और पुनर्वास लाभ का भुगतान केवल जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र के बाद ही किया जाएगा। दिनांक 31.03.2025 तक, 1614 परियोजा प्रभावित परिवार (पीडीएफ) से केवल 246 दावे प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, देय मुआवजे का हिसाब तब दिया जाएगा जब परियोजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ) से प्राप्त दावे जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाएंगे। आर एंड आर लागत के लिए देय मुआवजे के संबंध में पात्र परियोजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ) से प्राप्त होने वाले लंबित दावों के संबंध में एक उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाएगा।
बी.4	**वित्तीय जानकारी के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी 16):** **प्रतिबद्धताएँ: अन्य प्रतिबद्धताएँ** एमसीएल ने महालक्ष्मी क्षेत्र में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को दिए गए सियारमल ओसीपी के खान विकास और संचालन (एमडीओ) से संबंधित कार्य के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता के लिए 35514.50 करोड़ रुपये की राशि का विवरण प्रकट नहीं किया है। वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर भारतीय लेखा मानक-1 के पैराग्राफ 114(डी) में कहा गया है कि किसी भी इकाई को, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-मान्यता प्राप्त संविदात्मक प्रतिबद्धताओं सहित अन्य प्रकटीकरण का खुलासा करना होगा। उपरोक्त तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 1 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III [बैलेंस शीट क्लॉज (टी) तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश देखें] में विभिन्न प्रतिबद्धताओं जैसे कि बिना प्रावधान वाली पूंजी प्रतिबद्धताएँ और शेयरों पर अनचाही देनदारियाँ से संबंधित प्रकटीकरण की आवश्यकता है। इसमें 'अन्य प्रतिबद्धताओं' से संबंधित प्रकटीकरण की भी आवश्यकता है, जिसमें उनकी प्रकृति का विवरण भी शामिल हो। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग II - भारतीय लेखा मानक अनुसूची III पर मार्गदर्शन टिप्पणी के प्रासंगिक खंड 8.2.14.6 को संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है। 8.2.14.6. तदनुसार, 'अन्य प्रतिबद्धताओं' के लिए किए जाने वाले प्रकटीकरणों में प्रबंधन के पेशेवर निर्णय के आधार पर केवल वे गैर-रद्द करने योग्य संविदात्मक प्रतिबद्धताएं (अर्थात जिनके रद्द होने पर संबंधित लाभों के अनुपात से अधिक जुर्माना लगेगा) शामिल होनी चाहिए जो कंपनी के वित्तीय विवरणों को समझने में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हों और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के निर्णय लेने को प्रभावित करें। उदाहरणों में बाय-बैक व्यवस्था की प्रकृति में प्रतिबद्धताएं, सहायक कंपनियों और सहयोगियों को वित्तपोषित करने की प्रतिबद्धताएं, सहायक कंपनियों और उपक्रमों में निवेश का गैर-निपटान, व्युत्पन्न संबंधी प्रतिबद्धताएं आदि शामिल हो सकती हैं।" तदनुसार, जैसा कि सीएजी ने टिप्पणी की है, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को दिए गए सियारमल ओसीपी के खान विकास और संचालन (एमडीओ) से संबंधित कार्य के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता का खुलासा भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार आवश्यक नहीं है।

क्रमांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
बी.5	**वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी-16)** महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ओडिशा राज्य में खनन कार्य करता है। ओडिशा सरकार ने ओडिशा ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक विकास अधिनियम, 2004 के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में कोयले के वार्षिक मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से लेवी लगाई थी। एमसीएल ने इस अधिनियम को उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें इस तरह का कर लगाने की विधायी क्षमता और वैधता पर कानूनी प्रश्न उठाया गया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने (05.12.2005) ओआरआईएसईडी अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसे उड़ीसा सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जो अभी भी लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने माडा बनाम सेल मामले में दिनांक 25 जुलाई 2024 और 14 अगस्त 2024 के निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया कि (i) राज्य 1.04.2005 के बाद के लेन-देन के लिए पूर्वव्यापी रूप से कर की मांग लगा सकते हैं या नवीनीकृत कर सकते हैं; (ii) यदि राज्यों द्वारा कोई कर मांग उठाई जाती है, तो उसे 01.04.2026 से शुरू होने वाली 12 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाएगा; और (iii) दिनांक 25.07.2024 से पहले की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना स्पष्ट रूप से माफ कर दिया गया है। इस फैसले के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को अतिरिक्त कर लगाने या मांगों के नवीनीकरण का अधिकार प्रदान किया गया है। उड़ीसा सरकार ने अभी तक कोई नया अधिनियम अधिसूचित नहीं किया है, लेकिन भविष्य में मांगों की संभावना के साथ एक नए अधिनियम या पुराने अधिनियम के पुनरुद्धार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड के विधि विभाग ने उपरोक्त निर्णय से उत्पन्न संभावित बहिर्वाह की गणना की है, जो 31227.80 करोड़ रुपये है। एनडी भारतीय लेखांकन मानक 37 के पैरा 10 के अनुसार, आकस्मिक देयता (क) एक संभावित देयता है जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्टि होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं; या (ख) वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि: (i) यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या (ii) दायित्व की राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, भविष्य में माँगों की संभावना के साथ एक नए अधिनियम या पुराने अधिनियम के पुनरुद्धार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।	माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 2005 के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 9454 में पारित अपने निर्णय दिनांक 05.12.2005 में उड़ीसा राज्य बीमा निगम अधिनियम, 2005, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा संबंधित अधिसूचनाओं और मांग नोटिसों को निरस्त कर दिया। **उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत हैं :-** **उद्धृत** 147. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारे पास विवादित अधिनियम को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि राज्य विधानमंडल इसे अधिनियमित करने में अक्षम था। चूँकि हमने विवादित अधिनियम को रद्द करने का निर्णय लिया है, इसलिए इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और अधिसूचनाएँ तथा माँग नोटिस भी रद्द किए जाते हैं। 148. हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि उक्त केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए पट्टों के अंतर्गत खदानों का संचालन करने वाले किसी भी याचिकाकर्ता ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकार को कोई कर चुकाया है, तो सरकार द्वारा उसे संबंधित पट्टेदारों/याचिकाकर्ताओं को वापस किया जाएगा। हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि उपभोक्ताओं/खरीददारों ने कोई कर चुकाया है या इस कारण से पट्टेदारों से खनिज/कोयला खरीदने के लिए कोई अतिरिक्त कीमत चुकाई है, तो उसे संबंधित पट्टेदारों द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं/खरीदारों को वापस किया जाएगा। **गैर-उद्धृत** तदनुसार, ओ.आर.आई.एस.ई.डी अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं से एकत्रित राशि उसी समय ग्राहकों को वापस कर दी गई। आज की तारीख में, माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, ओ.आर.आई.एस.ई.डी के संबंध में कोई अधिनियम या कोई मांग पत्र प्रचलन में नहीं है। उड़ीसा राज्य ने सी.ए. संख्या-1883/2006 में दिनांक 05.12.2005 के निर्णय को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जो विशेष रूप से ओ.आर.आई.एस.ई.डी. अधिनियम की वैधता से संबंधित है, यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है और इसे 22.07.2025 को सूचीबद्ध किया गया है। माडा (MADA) एवं अन्य बनाम सेल एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मुख्य रूप से इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए है कि क्या 'रॉयल्टी एक कर है' और राज्य सरकार को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार कोई भी अधिनियम अधिसूचित/लगा सकती है या कर की कोई नई मांग कर सकती है। हालाँकि, राज्य सरकार ने आज तक कोई नया कर अधिसूचित नहीं किया है या कोई नई मांग भी नहीं की है। तदनुसार, आज की तारीख में एमसीएल का ओआरआईएसईडी अधिनियम से संबंधित कर की किसी भी मांग के संबंध में कोई संभावित दायित्व नहीं है और इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी आकस्मिक देयता का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, यह उनके द्वारा 15 अप्रैल 2025 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। हमने डब्ल्यूएसजे कोल लिमिटेड, एमएनएच शक्ति लिमिटेड, और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षकों के वू-किंग दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

A. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

A.1 स्टैंडअलोन बैलेंस शीट

प्रगति पर पूंजीगत कार्य (नोट 3.2) 4924.51 करोड़ रुपये

उपरोक्त में एमसीएल के एलबी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत लाजकुरा साइलो और सरदेगा साइलो में रेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 212.21 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसके संबंध में रेलवे द्वारा क्रमशः मई 2024 और दिसंबर 2024 में वाणिज्यिक अधिसूचना जारी की गई थी।

उपरोक्त में लाजकुरा साइडिंग में बेल्ट कन्वेयर द्वारा निकासी प्रणाली और रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से प्रेषण के लिए टर्नकी परियोजना के लिए 268.07 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जिसके संबंध में प्रदर्शन गारंटी परीक्षण किया गया था और दिसंबर 2024 में अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाएगी यदि: (क) यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे; और (ख) वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

चूंकि इन परिसंपत्तियों से राजस्व का सृजन शुरू हो चुका था और परिसंपत्तियों की लागत भी ज्ञात थी, इसलिए इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुरूप प्रभारण के साथ ऐसी लागतों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।

के बावजूद, पीपीई के अंतर्गत परिसंपत्तियों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, चालू पूंजीगत कार्य को 480.28 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (मूल्यह्रास को घटाकर) को 468.56 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया। वर्ष का लाभ भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और मूल्यह्रास को भी 11.72 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है।

बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

बी.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट-3.1)

कंपनी कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करती है और यह कंपनी के नाम पर निहित है। कोयला मंत्रालय ने (अप्रैल 2022) कोयला कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे भूमि अभिलेखों का कंपनी के पूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी के नाम पर म्यूटेशन करवाएँ। एमसीएल के पास 23564.85 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से केवल 582 हेक्टेयर भूमि का म्यूटेशन हुआ है और शेष भूमि का कंपनी के नाम पर म्यूटेशन होना बाकी है।

एमसीएल के नाम ज़मीन का दाखिल-खारिज न होने से संबंधित उपरोक्त तथ्यों का खुलासा वित्तीय विवरणों के नोट्स में नहीं किया गया है। साथ ही, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के तहत किया गया खुलासा भी इस हद तक अपर्याप्त है।

B.2 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स (नोट-16)

आकस्मिक देयताएं 10122.21 करोड़ रुपये

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से ही पुष्ट होगा, जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं।

आकस्मिक देनदारियों में "HEMMs की भर्ती" के कार्य से संबंधित मध्यस्थता याचिका के मामले में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), संबलपुर के निर्देश के अनुपालन हेतु विरोधस्वरूप जमा की गई 46.47 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं में 46.47 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

बी3. वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स (नोट-16)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसीएल के महालक्ष्मी क्षेत्र के अंतर्गत ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के 1614 पीडीएफ को भूखंड, स्व-स्थानांतरण के लिए 25 लाख रुपये की भवन सहायता और अन्य भत्ते; या 14.50 लाख रुपये की गृह निर्माण सहायता के साथ 10 डेसिमल का भूखंड, के बदले एकमुश्त मुआवज़ा (नवंबर 2022) प्रदान किया है। इस शर्त के साथ कि दावों का भुगतान सुंदरगढ़ के जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

1614 पीडीएफ में से 246 पीडीएफ से 61.50 करोड़ रुपये का दावा प्राप्त हुआ है, जिसमें से 03.06 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान पूंजीकृत किए गए हैं और शेष 28.44 करोड़ रुपये पूंजीकृत नहीं किए गए हैं, जबकि शेष 1368 पीडीएफ के लिए देयता की गणना नहीं की गई है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक 1 के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि नोटों में ऐसी जानकारी दी जाएगी जो वित्तीय विवरणों में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए प्रासंगिक है।

आर एंड आर के लिए दिए गए दावों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई है।

बी.4 वित्तीय जानकारी के लिए अतिरिक्त नोट्स (नोट 16): प्रतिबद्धताएँ: अन्य प्रतिबद्धताएँ

एमसीएल ने महालक्ष्मी क्षेत्र में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को दिए गए सियारमल ओसीपी के खान विकास और संचालन (एमडीओ) से संबंधित कार्य के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता के लिए 05514.50 करोड़ की राशि के विवरण का खुलासा नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर AS-I के पैराग्राफ 114 (डी) में कहा गया है कि कोई भी इकाई, अन्य बातों के साथ-साथ, अपरिचित संविदात्मक प्रतिबद्धताओं सहित अन्य प्रकटीकरण का खुलासा करेगी। उपरोक्त तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप IND AS-I की प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।

बी5. वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स (नोट-16)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ओडिशा राज्य में खनन कार्य करता है। ओडिशा सरकार ने वर्ष 2004-05 में ओडिशा ग्रामीण अवसंरचना एवं सामाजिक-आर्थिक विकास अधिनियम, 2004 के अंतर्गत कोयले के वार्षिक मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया था। एमसीएल ने इस अधिनियम को ओडिशा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें इस प्रकार का कर लगाने की विधायी क्षमता और वैधता पर कानूनी प्रश्न उठाया गया था। ओडिशा उच्च न्यायालय ने (05.12.2005) ओडिशा ग्रामीण अवसंरचना एवं सामाजिक-आर्थिक विकास अधिनियम को रद्द कर दिया था, जिसे ओडिशा सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जो अभी भी लंबित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2024 और 14 अगस्त 2024 के माडा बनाम सेल के निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया कि i) राज्य लेन-देन के लिए पूर्वव्यापी रूप से कर की मांग लगा सकते हैं या नवीनीकृत कर सकते हैं क्योंकि (ii) यदि राज्यों द्वारा कोई कर मांग उठाई जाती है, तो उसे 01-04.2026 से शुरू होने वाली 12 वार्षिक किस्तों में वसूला जाएगा; और (iii) 25.07.2024 से पहले की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना स्पष्ट रूप से माफ कर दिया गया है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को अतिरिक्त लेवी या माँगों के नवीनीकरण का अधिकार प्रदान किया गया है। उड़ीसा सरकार ने अभी तक कोई नया अधिनियम अधिसूचित नहीं किया है, लेकिन भविष्य में माँगों की संभावना के साथ एक नए अधिनियम या पुराने अधिनियम के पुनरुद्धार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड के विधि विभाग ने उपरोक्त निर्णय से उत्पन्न होने वाले संभावित व्यय का आकलन किया है, जो ₹1227.80 करोड़ है।

इंड एएस 37 के पैरा 10 के अनुसार, आकस्मिक दायित्व है: (क) एक संभावित दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्टि होगी जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं; या (ख) वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि: (i) यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या (ii) दायित्व की राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, भविष्य में माँगों की संभावना के साथ एक नए अधिनियम या पुराने अधिनियम के पुनरुद्धार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाना आवश्यक है।

इसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

यशोधरा राय चौधरी
महानिदेशक एवं ए डी ए आई
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 जुलाई 2025

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जबाव

क्रमांक	सीएजी की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
ए.1	**ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी** **समेकित तुलन-पत्र** **प्रगति पर पूंजीगत कार्य (टिप्पणी 3.2)** **₹4924.51 करोड़** **उपरोक्त में एमसीएल के ईब-वैली क्षेत्र के अंतर्गत लजकुरा साइलो और सरडेगा साइलो में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 212.21 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसके संबंध में रेलवे द्वारा क्रमशः मई 2024 और दिसंबर 2024 में वाणिज्यिक अधिसूचना जारी की गई थी।** **उपरोक्त में लजकुरा साइडिंग में बेल्ट कन्वेयर द्वारा निकासी प्रणाली और रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से प्रेषण के लिए टर्न-की परियोजना के लिए 268.07 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जिसके संबंध में कार्य-निष्पादन गारंटी परीक्षण किया गया था और दिसंबर 2024 में अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि, और केवल यदि: (ए) यह संभव है कि भविष्य के आर्थिक लाभ मदों के साथ जुड़े इकाई के लिए प्रवाह होगा: और (ख) मदों की लागत मज़बूती से मापी जा सकती है.** **चूंकि इन परिसंपत्तियों से राजस्व का सृजन शुरू हो चुका था और परिसंपत्तियों की लागत भी ज्ञात थी, इसलिए इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुरूप प्रभारण के साथ ऐसी लागतों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।** **व्यावसायिक उपयोग के बावजूद, पीपीई के अंतर्गत परिसंपत्तियों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, चालू पूंजीगत कार्य को ₹480.28 करोड़ अधिक और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (मूल्यह्रास को घटाकर) को ₹468.56 करोड़ कम दर्शाया गया। वर्ष का लाभ भी अधिक दर्शाया गया है और इसी अनुपात में मूल्यह्रास को ₹11.72 करोड़ कम दर्शाया गया है।**	**आरएलएस से जुड़ने वाली सरडेगा रेल लाइन** राइट्स को जारी ₹224.78 करोड़ के कार्य आदेश में सरडेगा आरएलएस को जोड़ने वाली रेल लाइन और होल्डिंग यार्ड का निर्माण शामिल है। आरएलएस को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है, हालाँकि होल्डिंग यार्ड का निर्माण कार्य अभी जारी है। दिनांक 11.12.2024 को सरडेगा एसआईएलओ से जुड़ने वाली रेलवे लाइन की वाणिज्यिक अधिसूचना के बाद, रेलवे लाइन को पूंजीकरण किया जा सकता है क्योंकि वही भाग उपयोग के लिए तैयार है। दिनांक 31.03.2025 तक (वाणिज्यिक अधिसूचना तिथि के बाद) राइट्स से प्राप्त अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र ₹148.39 करोड़ है और पीएमसी ने राइट्स से ₹9.78 करोड़ का शुल्क लिया है, जो कुल ₹158.17 करोड़ है और इतनी ही राशि कैपिटल डब्ल्यू-आई-पी के अंतर्गत पड़ी है। आर.एल.एस. को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए किए गए व्यय का विवरण राइट्स से प्राप्त करने के बाद, उसे वाणिज्यिक अधिसूचना की तारीख से पूंजीकृत किया जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आवश्यक मूल्यह्रास शुल्क का हिसाब लगाया जाएगा। **आरएलएस से जुड़ने वाली लजकुरा रेल लाइन** आईपीआरसीएल को जारी ₹89.33 करोड़ के कार्यादेश में लजकुरा आरएलएस को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण और एलओसीएम-3 साइडिंग को लजकुरा आरएलएस से जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण शामिल है। आरएलएस को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है, तथापि एलओसीएम-3 साइडिंग को लजकुरा आरएलएस से जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिनांक 03.05.2024 को लजकुरा साइलो से जुड़ने वाली रेलवे लाइन की वाणिज्यिक अधिसूचना जारी होने पर, रेलवे लाइन का पूंजीकरण किया जा सकता है क्योंकि वही भाग उपयोग के लिए तैयार है। दिनांक 08.08.2024 तक (वाणिज्यिक अधिसूचना तिथि के बाद) आईपीआरसीएल से प्राप्त अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र ₹50.60 करोड़ है और पीएमसी आईपीआरसीएल से ₹3.44 करोड़ का शुल्क लेता है, जो कुल मिलाकर ₹54.04 करोड़ है और इतनी ही राशि कैपिटल डब्ल्यू-आई-पी के अंतर्गत पड़ी है। आरएलएस से जुड़ने वाली रेल लाइन के लिए किए गए व्यय के लिए आईपीआरसीएल से व्यय का ब्यौरा प्राप्त करने के बाद, इसे वाणिज्यिक अधिसूचना की तारीख से पूंजीकृत किया जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आवश्यक मूल्यह्रास शुल्क का हिसाब लगाया जाएगा। **लजकुरा आरएलएस** आरएलएस पूरा हो चुका है और आरएलएस की कुछ छोटी गतिविधियां जैसे एचपीडीएस, एमवीडब्ल्यूएस, ई-होइस्ट, स्टैंडबाय हाइड्रोलिक सिस्टम, एयर ब्लास्टर सिस्टम आदि का कार्य प्रगति पर हैं। चूंकि आरएलएस के लिए आवश्यक प्रमुख कार्य पूरे हो चुके थे, इसलिए अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र केवल पूर्ण हो चुके भाग के लिए ही जारी किया गया। रेलवे द्वारा साइलो को जोड़ने वाली रेल लाइन के लिए वाणिज्यिक अधिसूचना जारी होने के बाद, सीएमपीडीआईएल की देखरेख में निष्पादन गारंटी परीक्षण किया गया और वह दिनांक 20.12.2024 को पूरा हुआ। पीजी परीक्षण के संबंध में सीएमपीडीआईएल का अंतिम अवलोकन अभी पूरा होना बाकी है। हालांकि, प्रगति पर चल रहे छोटे कार्यों के अधीन, चूंकि प्रमुख पूर्ण भाग के लिए ट्रायल रन और पीजी परीक्षण पूरा हो गया है और कोयला प्रेषण शुरू हो गया है, इसलिए इसे पीजी परीक्षण की समाप्ति तिथि से पूंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक मूल्यह्रास राशि का भी वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हिसाब लगाया जाएगा।

बी.1	**बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी-3.1)** कंपनी कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करती है और यह कंपनी के नाम पर निहित है। कोयला मंत्रालय ने (अप्रैल 2022) कोयला कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे भूमि अभिलेखों का कंपनी के पूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी के नाम पर म्यूटेशन करवाएँ। एमसीएल के पास 23564.85 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से केवल 582 हेक्टेयर भूमि का म्यूटेशन हुआ है और शेष भूमि का कंपनी के नाम पर म्यूटेशन होना बाकी है। एमसीएल के नाम ज़मीन का नामांतरण न होने से संबंधित उपरोक्त तथ्यों का खुलासा वित्तीय विवरणों के टिप्पणी में नहीं किया गया है। साथ ही, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के तहत किया गया खुलासा भी इस हद तक अपर्याप्त है।	सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 11(1) के अनुसार, "...कि भूमि या भूमि में या उस पर अधिकार, जैसा भी मामला हो, धारा 10 के तहत केंद्र सरकार में निहित होने या इस प्रकार निहित बने रहने के बजाय, घोषणा के प्रकाशन की तारीख को या निर्देश में निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि पर या उस पर अधिकार अर्थात नामित स्वामित्व धारा 11(1) अधिसूचना के बाद कंपनी के नाम पर निहित हो जाता है, जो मूल रूप से कंपनी के नाम पर शीर्षक विलेख की आवश्यकता को पूरा करता है। हालाँकि, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला कंपनियों को कंपनी के नाम पर भूमि अभिलेखों का उत्परिवर्तन कराने के निर्देश के अनुसार, कंपनी ने 21144.54 हेक्टेयर भूमि के उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) हेतु राज्य प्राधिकरणों के पास 'फॉर्म 38' के लिए आवेदन कर दिया है और 72.30 हेक्टेयर का उत्परिवर्तन हो चुका है। यह पहले से उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की गई 509.70 हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त है। वर्ष के दौरान अधिग्रहित 1400.89 हेक्टेयर भूमि के लिए, चूंकि अभी तक पूर्ण कब्जा नहीं लिया गया है, इसलिए म्यूटेशन के लिए आवेदन यथासमय किया जाएगा। शेष भूमि का उत्परिवर्तन राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, अन्य भूमि के उत्परिवर्तन की स्थिति के प्रकटीकरण की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा इन भूमियों का नामित स्वामित्व पहले से ही कंपनी के पास निहित है। इसलिए भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
बी.2	**बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ** **वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी-16)** **आकस्मिक देयताएं** प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर भारतीय लेखा मानक 37 के पैराग्राफ 10 में कहा गया है कि आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से ही पुष्टि होगी, जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं होती हैं। आकस्मिक देनदारियों में "HEMMs की भर्ती" के कार्य से संबंधित मध्यस्थता याचिका के मामले में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), संबलपुर के निर्देश के अनुपालन हेतु विरोधस्वरूप जमा की गई ₹46.47 करोड़ राशि शामिल नहीं है। चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं को ₹46.47 करोड़ कम दर्शाया गया।	कंपनी ने विवादित पूरी राशि विरोध सहित जमा कर दी है, हालांकि आकस्मिक देयता के तहत राशि का अनजाने में खुलासा नहीं किया गया था। रिपोर्टिंग समय पर मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरण में आकस्मिक देयता के अंतर्गत इसका खुलासा किया जाएगा।

बी.3	**वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी-I6)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (नवंबर 2022) एमसीएल के महालक्ष्मी क्षेत्र के अंतर्गत ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के 1614 परियोजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ) को भूखंड, भवन सहायता और स्व-स्थानांतरण के लिए 25 लाख रुपये के अन्य भत्ते के बदले एकमुश्त मुआवजा; या 10 डिसमिल भूखंड 14.50 लाख रुपये की गृह निर्माण सहायता के साथ प्रदान करने का आदेश दिया। शर्त के अनुसार दावों के विरुद्ध भुगतान जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद जारी किया जाना चाहिए। 1614 परियोजना प्रभावित परिवार (पीडीएफ) में से 246 परियोजना प्रभावित परिवार (पीडीएफ) से ₹61.50 करोड़ का दावा प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹33.06 करोड़ का वर्ष के दौरान पूंजीकरण किया गया है और शेष ₹28.44 करोड़ का पूंजीकरण नहीं किया गया है, जबकि शेष 1368 परियोजना प्रभावित परिवार (पीडीएफ) के लिए देयता की गणना नहीं की गई है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक I के पैराग्राफ 112 में कहा गया है कि टिप्पणियों में ऐसी जानकारी दी जाएगी जो वित्तीय विवरणों में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए जरूरी है। आर एंड आर के लिए दिए गए दावों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई है।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03.11.2022 के निर्णय के अनुसार, परियोजना से विस्थापित 1,614 परिवार स्व-स्थानांतरण के लिए 25 लाख रुपये का एकमुश्त पुनर्वास लाभ या 14.5 लाख रुपये की गृह निर्माण सहायता के साथ 10 डिसमिल का प्लॉट प्राप्त करने के पात्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, परियाजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ) को जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ के पास पुनर्वास के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा और पुनर्वास लाभ का भुगतान केवल जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र के बाद ही किया जाएगा। दिनांक 31.03.2025 तक, 1614 परियोजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ) से केवल 246 दावे प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, परियोजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ़) से प्राप्त दावों के जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ द्वारा विधिवत प्रमाणित होने पर देय मुआवज़े का हिसाब लगाया जाएगा। पुनर्वास एवं पुनर्वास लागत के लिए देय मुआवज़े के संबंध में पात्र पीडीएफ़ से प्राप्त होने वाले लंबित दावों के संबंध में उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।
बी.4	**वित्तीय जानकारी के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी 16):** **प्रतिबद्धताएँ: अन्य प्रतिबद्धताएँ** एमसीएल ने महालक्ष्मी क्षेत्र में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को दिए गए सियारमल ओसीपी के खान विकास और संचालन (एमडीओ) से संबंधित कार्य हेतु संविदात्मक प्रतिबद्धता के लिए 35514.50 करोड़ रुपये की राशि का विवरण प्रकट नहीं किया है। वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर भारतीय लेखा मानक-1 के पैराग्राफ 114(डी) में कहा गया है कि किसी भी इकाई को, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-मान्यता प्राप्त संविदात्मक प्रतिबद्धताओं सहित अन्य प्रकटीकरण का खुलासा करना होगा। उपरोक्त तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक-1 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III [बैलेंस शीट क्लॉज (टी) तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश देखें] में विभिन्न प्रतिबद्धताओं से संबंधित प्रकटीकरण की आवश्यकता है, जैसे कि बिना प्रावधान वाली पूंजी प्रतिबद्धताएँ और शेयरों पर अनचाही देनदारियाँ। इसमें 'अन्य प्रतिबद्धताओं' से संबंधित प्रकटीकरण की भी आवश्यकता है, जिसमें उनकी प्रकृति का विवरण भी शामिल हो। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग II - भारतीय लेखा मानक अनुसूची III पर मार्गदर्शन टिपणी के प्रासंगिक खंड 8.2.14.6 को संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है। 8.2.14.6. तदनुसार, 'अन्य प्रतिबद्धताओं' के लिए किए जाने वाले प्रकटीकरणों में प्रबंधन के व्यावसायिक निर्णय के आधार पर केवल वे गैर-रद्द करने योग्य संविदात्मक प्रतिबद्धताएं (अर्थात जिनके रद्द होने पर संबंधित लाभों के अनुपात से अधिक जुर्माना लगेगा) शामिल होनी चाहिए जो कंपनी के वित्तीय विवरणों को समझने में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हों और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के निर्णय लेने को प्रभावित करें। तदनुसार, जैसा कि सीएंडएजी ने टिप्पणी की है, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को दिए गए सियारमल ओसीपी के खान विकास और संचालन (एमडीओ) से संबंधित कार्य के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता का खुलासा भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार आवश्यक नहीं है।

बी.5	**वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी-16)** महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ओडिशा राज्य में खनन कार्य करता है। ओडिशा सरकार ने ओडिशा ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक विकास अधिनियम, 2004 के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में कोयले के वार्षिक मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से लेवी लगाई थी। एमसीएल ने इस अधिनियम को उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें इस तरह का कर लगाने की विधायी क्षमता और वैधता पर कानूनी प्रश्न उठाया गया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने (05.12.2005) ओआरआईएसईडी अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसे उड़ीसा सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जो अभी भी लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने माडा (MADA) बनाम सेल मामले में दिनांक 25 जुलाई 2024 और 14 अगस्त 2024 के निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया कि (i) राज्य दिनांक 01.04.2005 के बाद के लेन-देन के लिए पूर्वव्यापी रूप से कर की मांग कर सकते हैं या नवीनीकृत कर सकते हैं; (ii) यदि राज्यों द्वारा कोई कर माँग उठाई जाती है, तो उसे दिनांक 01.04.2026 से शुरू होने वाली 12 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाएगा; और (iii) दिनांक 25.07.2024 से पहले की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना स्पष्ट रूप से माफ कर दिया गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को अतिरिक्त लेवी या मांगों के नवीनीकरण का अधिकार प्रदान किया गया है। उड़ीसा सरकार ने आज तक कोई नया अधिनियम अधिसूचित नहीं किया है, लेकिन भविष्य में मांगों की संभावना के साथ एक नए अधिनियम या पुराने अधिनियम के पुनरुद्धार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड के विधि विभाग ने उपरोक्त निर्णय से उत्पन्न होने वाले संभावित व्यय का आकलन किया है, जो ₹31227.80 करोड़ है। एनडी भारतीय लेखांकन मानक 37 के पैरा 10 के अनुसार, आकस्मिक दायित्व (क) एक संभावित देयता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्टि होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं; या (ख) वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि: (i) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या (ii) दायित्व की राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, भविष्य में माँगों की संभावना के साथ एक नए अधिनियम या पुराने अधिनियम के पुनरुद्धार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।	माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा ने 2005 के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 9454 में पारित अपने निर्णय दिनांक 05.12.2005 में उड़ीसा राज्य बीमा निगम अधिनियम, 2005, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा संबंधित अधिसूचनाओं और मांग नोटिसों को निरस्त कर दिया। **उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत हैं:-** **उद्धृत** 147. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारे पास विवादित अधिनियम को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि राज्य विधानमंडल इसे अधिनियमित करने में अक्षम था। चूँकि हमने विवादित अधिनियम को रद्द करने का निर्णय लिया है, इसलिए इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और अधिसूचनाएँ तथा माँग सूचना भी रद्द किए जाते हैं। 148. हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि उक्त केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए पट्टों के अंतर्गत खदानों का संचालन करने वाले किसी भी याचिकाकर्ता ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकार को कोई कर चुकाया है, तो सरकार द्वारा उसे संबंधित पट्टेदारों/याचिकाकर्ताओं को वापस किया जाएगा। हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि उपभोक्ताओं/खरीदारों ने कोई कर चुकाया है या इस कारण से पट्टेदारों से खनिज/कोयला खरीदने के लिए कोई अतिरिक्त कीमत चुकाई है, तो उसे संबंधित पट्टेदारों द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं/खरीदारों को वापस किया जाएगा। **गैर-उद्धृत** तदनुसार, ओआरआईएसईडी अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं से एकत्रित राशि उसी समय ग्राहकों को वापस कर दी गई। आज की तारीख में, माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, ओआरआईएसईडी के संबंध में कोई अधिनियम या कोई मांग पत्र प्रचलन में नहीं है। उड़ीसा राज्य ने सी.ए. संख्या-1883/2006 में दिनांक 05.12.2005 के निर्णय को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जो विशेष रूप से ओ.आर.आई.एस.ई.डी. अधिनियम की वैधता से संबंधित है, यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है और इसे दिनांक 22.07.2025 को सूचीबद्ध किया गया है। माडा (MADA) एवं अन्य बनाम सेल (SAIL) एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मुख्य रूप से इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए है कि क्या 'रॉयल्टी एक कर है' और राज्य सरकार को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार कोई भी अधिनियम अधिसूचित/लगा सकती है या कर की कोई नई मांग कर सकती है। हालाँकि, राज्य सरकार ने आज तक कोई नया कर अधिसूचित नहीं किया है या कोई नई मांग नहीं की है। तदनुसार, आज की तारीख में एमसीएल का ओआरआईएसईडी अधिनियम से संबंधित कर की किसी भी मांग के संबंध में कोई संभावित देयता नहीं है और इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी आकस्मिक देयता का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे यहां "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम (अधिनियम) 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुरुप 31 मार्च 2025 को कंपनी के मामलों की स्थिति के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) सहित कंपनी के मामलों का भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, तथा लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व:

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि:

1) एकल वित्तीय विवरण का नोट संख्या 2.7 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास - कंपनी कुछ पीपीई पर प्रबंधन/ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास लगाती है। इसलिए, परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है। वर्ष के दौरान जोड़ी गई/ निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, जोड़ने/ निपटाने के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

2) कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व में वर्ष के लिए 278.60 करोड़ रुपये का प्रदर्शन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति राजस्व/आय के लिए बिल रहित राजस्व शामिल है।

3) हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16(3)(डी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि, वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित 122.65 करोड़ रुपये के बढ़े हुए माइलेज को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आय के रूप में दर्ज किया गया है। समान लंबाई के ट्रैक पर स्थित अन्य निजी साइडिंगों के आरआर विवरण के अभाव में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व की गणना और मान्यता नहीं दी गई है।

4) कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (कुछ परिसंपत्तियों जैसे एचईएमएम और सड़क पर चलने वाले वाहनों को छोड़कर), भंडार और पुर्जों और कोयले के अंतिम स्टॉक पर आग, चोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

क्रमांक	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार राजस्व मान्यता, माप, प्रस्तुति और राजस्व तथा अन्य संबंधित शेष राशि के प्रकटीकरण की सटीकता। राजस्व मान्यता एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें ग्रेड स्लिपेज के लिए भौतिक समायोजन शामिल है, जिसके लिए पिछले रुझान आदि के लिए निर्णय और अनुमान की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।	हमने राजस्व लेखांकन मानक भारतीय लेखा मानक 115 के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नानुसार मूल परीक्षण शामिल थे: i) पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला या रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण के परिणाम के आधार पर तैयार किए गए पिछले परिणामों की प्रवृत्ति प्राप्त और मूल्यांकित किया; ii) ग्रेड स्लिपेज प्रावधान की गणना और कार्यप्रणाली प्राप्त की और उसका मूल्यांकन किया; iii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अनुमान, मान्यता और प्रकटीकरण के लिए मौजूद नियंत्रणों का मूल्यांकन किया गया; iv) ग्राहकों के साथ हुए समझौते की समीक्षा की तथा उसके नियमों और शर्तों पर विचार करते हुए चालान तैयार किए; v) हमने विचार के आकलन के आधार को स्थापित करने के लिए परीक्षण किए हैं और क्या ऐसे अनुमान कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं; vi) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई; vii) गुणवत्ता मापदंडों और मूल्यांकन के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसलिए इस संबंध में तकनीकी निष्कर्षों और रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।
2	**आकस्मिक देयताएं:** कंपनी के विरुद्ध विभिन्न मंचों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, विभिन्न दावों आदि सहित कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान की जाने वाली और/या प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि इनसे संबंधित अनुमान और मूल्यांकन में प्रबंधन के निर्णय और व्याख्याओं का एक महत्वपूर्ण अंश शामिल होता है, और इसलिए आवश्यक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.22 के साथ पठित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 16(1)(ए) देखें)	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण और प्रावधानों की मान्यता की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: i) हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन, मूल्यांकन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त कर ली है; ii) लंबित मुकदमेबाजी मामलों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा और परीक्षण किया; iii) किसी भी भौतिक विकास और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा की गई; iv) संबंधित मुकदमों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाहरी कानूनी राय और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले आकलन पर ठोस प्रक्रियाएं निष्पादित कीं; v) इस संबंध में प्रबंधन के निर्णयों और आकलनों की जांच की गई कि क्या प्रावधानों की आवश्यकता है; vi) उन मामलों के प्रबंधन के आकलन की समीक्षा की गई, जिनके लिए आकस्मिक देयता के रूप में प्रावधान या खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि सामग्री बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना गया है; vii) प्रकटीकरणों की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा की गई; उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान और प्रकटीकरण का अनुमान पर्याप्त और उचित माना गया है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित), व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट शासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी।

प्रबंधन और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक ("इंड एएस") शामिल हैं, को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के साथ पठित करते हुए, कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं

कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरणों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।
- कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कंपनी की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा के निर्देशों, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।
- हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य मामले

i. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कंपनी के पूर्ववर्ती वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने उन वित्तीय विवरणों पर अयोग्य राय व्यक्त की थी।

ii. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 10 (दस) शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरण 31 मार्च 2025 तक 21,448.38 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और 13,474.69 करोड़ रुपये की कुल आय और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माने गए वर्ष के लिए 5,399.84 करोड़ रुपये का कर से पहले शुद्ध लाभ दर्शाते हैं। इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित है। शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उनके द्वारा किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

iii. कंपनी ने 31.03.2025 तक अपने खाता बही में दर्शाए गए टीडीएस/टीसीएस प्राप्तियों का फॉर्म 26एएस/एआईएस के साथ मिलान नहीं किया है।

iv. कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2023-24 तक के पिछले वर्षों के 3,617.27 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड आयकर विभाग के पास लंबित हैं। वापसी योग्य कर की एक बड़ी राशि विभाग के पास अटकी हुई है और कंपनी को बैंक ब्याज के रूप में प्रति वर्ष अवसर लागत के रूप में अच्छी-खासी राशि का नुकसान हो रहा है। कंपनी बेहतर कर नियोजन/बेहतर अग्रिम कर अनुमानों और चुकाए गए अतिरिक्त करों की शीघ्र वापसी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करके इस राशि को बचा सकती थी।

v. ईंधन आपूर्ति समझौते के अंतर्गत विभिन्न कोयला ग्राहकों/उपभोक्ताओं के विरुद्ध 01.04.2008 से 22.06.2019 तक की अवधि के लिए कंपनी की कोयला बिक्री प्राप्ति का फोरेंसिक ऑडिट फोरेंसिक ऑडिटरों द्वारा किया गया था। फोरेंसिक ऑडिटर ने अपनी 31.05.2023 की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से लेखा-बही में हेराफेरी/कपटपूर्ण प्रविष्टियों के कारण कंपनी को हुए नुकसान की सूचना दी है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट अभी तक ऑडिट समिति के माध्यम से निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

vi. वर्ष 2024-25 के दौरान स्टोर और स्पेयर पार्ट्स का सत्यापन नहीं किया गया है। कुछ स्टोर आइटम 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं, लेकिन ऐसे मामलों में 50% की दर से प्रावधान किया गया है। ऐसे पुर्जों के परिचालन जीवन का आकलन नहीं किया गया है।

vii. तुलन पत्र की तिथि पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले देनदारों/लेनदारों या अग्रिमों से बकाया शेष राशि पुष्टि के अधीन हैं।

viii. कंपनी ने लेखापरीक्षा वर्ष के लिए हटाई गई कंपनियों के साथ शेष/लेनदेन की पहचान नहीं की है।

ix. कंपनी ने 31.03.2025 तक एमएसएमई लेनदारों को बकाया राशि की पूरी तरह से पहचान नहीं की है

x. जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े शेष और दिनांक 31.03.2025 तक लेखा खातों में दर्शाए गए शेष का मिलान नहीं किया गया है।

xi. दिनांक 31.03.2025 तक खातों की पुस्तकों में टीडीएस/टीसीएस/जीएसटी देय शेष में पिछले वर्षों/अवधियों से संबंधित शेष शामिल हैं, जिनका बैलेंस शीट की तारीख तक मिलान नहीं किया गया है।

हमने इन पर भरोसा रखा है:

a) औसत/मानक अनुपात, चालू अनुपात और अनुपात विचरण आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी डेटा। ओवरबर्डन लेखांकन के मामले में विचरण मानक अनुपात और चालू अनुपात के लिए समायोजन शामिल है।

b) केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गई खान बंद करने की योजना और कंपनी के प्रबंधन द्वारा खान बंद करने के व्यय के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से अनुमोदित।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम अनुलग्नक-1 में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं, जहां तक लागू हो।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, अनुबंध-1 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि

   क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

   ग) शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी की शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट हमें उपलब्ध करा दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की गई है।

   घ) इस रिपोर्ट में शामिल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों और उन शाखाओं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुरूप हैं, जहां हम नहीं गए हैं।

   ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं, जिसे समय-समय पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

   च) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   छ) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक-2 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इस रिपोर्ट में अन्यत्र संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर:

      i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट-16(1)(ए) में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है।

      ii. कंपनी को व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के विरुद्ध कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित हानि नहीं हुई है और इसलिए इस संबंध में प्रावधान करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

      iii. ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।

      iv. (क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

      ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी

भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (1) और (2) में प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

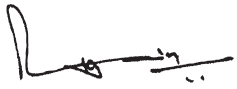
v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। कंपनी द्वारा रिकॉर्ड रखरखाव हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

vii. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमने अनुलग्नक-3 और 3ए में कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।

कृते कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 323212E



सीए राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्य संख्या 063654
यूडीआईएन: 25063654BMMAZH3988

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 15.04.2025

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा लेखापरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। हालाँकि, कुछ परिसंपत्तियों की स्थिति/स्थान स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है और जोड़ी गई नई परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

ख) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है;

ख) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का तिमाही अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, इस भौतिक सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई। हालाँकि, चौथी तिमाही की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी की फ्रीहोल्ड संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) उद्देश्य के लिए अधिग्रहित फ्रीहोल्ड संपत्तियों को अन्य भूमि के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिसके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। मुख्यालय वाणिज्यिक के पास आनंद विहार और जागृति विहार में 58.984 एकड़ लीज होल्ड भूमि है, जिसके लिए अभी तक हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं हुआ है। हालाँकि, वित्तीय विवरण में ऐसी सक्षम संपत्तियाँ थीं जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कंपनी के पास सक्षम संपत्तियों का विवरण उपलब्ध न होने के कारण हम आदेश के खंड (i)(c) में निर्धारित प्रारूप में इसकी रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं। सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कंपनी के नाम पर है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा तिमाही आधार पर उचित अंतराल पर कोयले का भौतिक सत्यापन किया गया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस प्रकार के सत्यापन का कवरेज और प्रक्रिया उचित है। वर्ष के दौरान, इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई। भंडार और पुर्जों के संबंध में, हम कवरेज और प्रक्रियों की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, क्योंकि भंडार के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट हमारी लेखापरीक्षा की तिथि तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) वर्ष के दौरान किसी भी समय, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों में निवेश किया है तथा उन्हें ऋण (असुरक्षित) के रूप में ऋण या अग्रिम प्रदान किए हैं।

क) कंपनी ने लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों को ऋण के रूप में अग्रिम राशि तथा अन्य संस्थाओं को गारंटी प्रदान की है।

ए) वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों को ऋण स्वरूप अग्रिमों की कुल राशि 2.26 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) का भुगतान किया गया तथा वर्ष के अंत में बकाया शेष 99.10 करोड़ रुपये है।

बी) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पक्षों को ऋण और गारंटी और सुरक्षा के रूप में ऐसे ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार, सहायक कंपनियों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर, ऋण की अवधि के निकटतम सरकारी प्रतिभूति की प्रचलित उपज से अधिक होनी चाहिए। हालाँकि, कंपनी ने तिमाही आधार पर कंपनी द्वारा गणना की गई जमाराशियों पर औसत उपज की दर से ब्याज लिया है।

ग) ऋण, ऋण की प्रकृति के अग्रिमों के संबंध में, मूलधन और ब्याज के भुगतान की कोई पुनर्भुगतान अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए पुनर्भुगतान की नियमितता उत्पन्न नहीं होती है।

घ) चूंकि ऋण की प्रकृति में अग्रिमों की कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है, इसलिए अतिदेय का प्रश्न ही नहीं उठता।

ड.) वर्ष के दौरान ऋणों के पुनर्निर्धारण के लिए या ऋण के स्वरूप में कोई अग्रिम राशि नहीं दी गई है।

च) कंपनी ने ऊपर बताए गए ऋणों के रूप में अग्रिम राशि प्रदान की है, लेकिन कोई शर्तें या पुनर्भुगतान अवधि निर्दिष्ट नहीं की है। ऋण की कुल राशि 99.10 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष के दौरान दिए गए कुल अग्रिम राशि का 100% है।

(iv) कंपनी द्वारा चालू खाते के माध्यम से सहायक कंपनी को ऋण के रूप में अग्रिम को छोड़कर कोई निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन, उपरोक्त खंड (iii) (बी) में निर्दिष्ट ब्याज दर को छोड़कर कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(v) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान जमा या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है।

(vi) लागत अभिलेखों के रखरखाव को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आवश्यक लागत अभिलेख बनाए और उनका रखरखाव किया है।

हमने कंपनी द्वारा बनाए गए और बनाए गए लागत रिकार्डों की व्यापक समीक्षा की है और पाया है कि वे पर्याप्त हैं।

(vii) क) कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-खंड (क) में उल्लिखित वैधानिक बकाया राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है। हालाँकि, हम लंबित मामलों से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा नहीं कर सके क्योंकि दस्तावेज विभिन्न स्थानों (क्षेत्र/मुख्यालय/परामर्शदाता/अधिवक्ता आदि) पर रखे गए हैं। ऐसे विवादित वैधानिक बकाया राशि का विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-क में संलग्न है।

(viii) पहले से अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। अतः आदेश के खंड (ix) के अंतर्गत उपखंड (क) से (च) तक की रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती।

(x) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) या आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि जुटाई है और न ही वर्ष के दौरान शेयरों/डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन/निजी नियोजन किया है। अतः आदेश के खंड (x) के अंतर्गत उपखंड (क) और (ख) की रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती।

(xi) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है;

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत उप खंड (क) से (ग) की रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती है

(xiii) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार उचित रूप से प्रकट किए गए हैं।

(xiv) क) कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है और यह उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

ख) हां, हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है,

घ) चूंकि कंपनी सीआईसी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xvi) का उपखंड (घ) लागू नहीं होता है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक के त्यागपत्र का कोई मामला नहीं आया।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारा यह मत है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जब भी वे देय हों, बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम है;

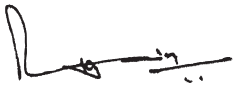
(xx) क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट

निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य किसी परियोजना पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के कारण 58.48 करोड़ रुपये की राशि शेष है, जिसके लिए कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में, हमारी लेखापरीक्षा की तिथि तक 58.48 करोड़ रुपये की उक्त राशि विशेष खाते में स्थानांतरित नहीं की गई है।

(xxi) खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 323212E



सीए राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्य संख्या 063654
यूडीआईएन: 25063654BMMAZH3988

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 15.04.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम)" की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए, हमने उस तिथि तक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अंतर-वित्तीय योगदानों की लेखापरीक्षा की है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो "भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर मौलिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया। वे मानक और

मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी मातृ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी या अत्यधिक

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के संग्रह से संबंधित है जो, उचित विवरण के साथ, लेन-देन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं और कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटान,

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

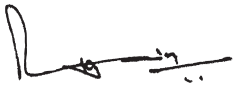
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री ख़राब हो सकती है

कृते कदमावाला एंड कंपनी

चार्टर्डअकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 323212E



सीए राकेश कुमार जैन

भागीदार

सदस्यसंख्या063654

यूडीआईएन: 25063654BMMAZH3988

स्थान: संबलपुर

दिनांक: 15.04.2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए गए निर्देश के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 3

1	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एसएपी को लागू किया है। प्रदर्शन आय, मुआवजा आय, विलंबित भुगतानों पर ब्याज आय, कोयला स्टॉक मूल्यांकन, कोयला गुणवत्ता भिन्नता और स्ट्रिपिंग गतिविधि की गणना की प्रक्रिया को छोड़कर वित्तीय लेनदेन एसएपी के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालांकि, इसका खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)	कंपनी में ऋण/ऋण/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन और माफी/बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि (अनुदान/सब्सिडी) का उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया और उसका उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	वित्तीय वर्ष 2024.25 के दौरान, केंद्र सरकार/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई। 31.03.2025 तक अनुदानों के लिए पिछले वर्षों का बकाया और शेष 111.24 करोड़ था। उपरोक्त में से 797.34 करोड़ आस्थगित आय (नोट 10.1) के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और ₹13.90 करोड़ का वर्तमान भाग नोट 10.2 "अन्य चालू देनदारियों" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

कृते कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्डअकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 323212E

सीए राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यसंख्या063654
यूडीआईएन: 25063654BMMAZH3988

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 15.04.2025

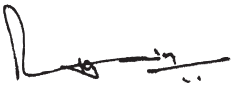
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों को अतिरिक्त निर्देश के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 3ए

1	क्या कोयला स्टॉक मापन पीली किताब के आधार पर किया गया था? क्या सभी मामलों में भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र भी दिए गए हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर (यदि कोई हो) के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था?	हाँ, कोयला स्टॉक मापन पीली किताब के आधार पर किया गया था। सभी मामलों में भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र/30 टीएलएस भी संलग्न हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है? यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भुवनेश्वरी क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र से अलग किया गया है और बलभद्र क्षेत्र हिंगुला क्षेत्र से बलभद्र खदान को अलग करके बनाया गया है। क्षेत्रों के विभाजित पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हालाँकि, कंपनी की कार्यप्रणाली के अनुसार, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता है।
3	क्या सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं और एस्क्रो समझौते/खातों के कार्य को मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संशोधित/अद्यतन किया गया है? खाते की निधि के उपयोग की भी जाँच करें।	कंपनी खदान-वार एस्क्रो खाते रखती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने एस्क्रो खाते से ₹31.50 करोड़ निकाले हैं।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका हिसाब लगाया गया है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।
5	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी तक डेटा स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है?	कोलनेट से एसएपी में डेटा माइग्रेशन के लिए स्वतंत्र ऑडिट/मूल्यांकन ईएंडवाई द्वारा किया गया है (डेटा माइग्रेशन ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025)

कृते कदमावाला एंड कंपनी

चार्टर्डअकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 323212E



सीए राकेश कुमार जैन

भागीदार

सदस्यसंख्या063654

यूडीआईएन: 25063654BMMAZH3988

स्थान: संबलपुर

दिनांक: 15.04.2025

ANNEXURE- A

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of the Dues	Pending Amount (₹ in Crores)	Period to which amount relates	Forum where dispute is pending
Lingaraj					
1	OET	Entry Tax	0.52	1999-2000	Asst. Commissioner, Angul
2	OET	Entry Tax	0.05	2003-2004	High Court, Cuttack
3	OET	Entry Tax	0.05	2004-2005	High Court, Cuttack
4	Finance Act, 1994	Service Tax	0.01	2007-08,2008-09,2009-10,2010- 11, 2011-12,2012-13,2013-14,2014-15	Asst. Commissioner, Angul
5	Finance Act, 1994	Service Tax	2.05	2012-13	Asst. Commissioner, Angul
6	Odisha VAT	CST	0.01	1998-99	ACCT, Cuttack II Range
7	Odisha VAT	CST	0.16	2000-01	Commissioner Cuttack
8	Odisha VAT	CST	0.01	2004-05	ACCT, Cuttack II Range
Hingula					
9	Finance Act, 1994	jrvice Tax & Penal	0.31	2014-15	Asst Commissioner GST & Central Excise Angul Division
10	Finance Act, 1994	s Tax, Interest & F	0.15	2013-14,2014-15,2015-16,2016- 17	Asst Commissioner Angul Division
11	Orissa Sales Tax Act	OST	0.58	1993-94	Sales Tax Tribunal, Cuttack
12	Central Sales Tax	CST	* 0.01	1995-96	Addl. Commissioner of Sales tax, Cuttack
13	Orissa Sales Tax Act	OST .	0.04	2001-02	Addl. Commissioner of Sales tax, Cuttack
14	Orissa Sales Tax Act	OST	0.04-	2003-04	Addl. Commissioner of Sales tax, Cuttack
15	Orissa Sales Tax Act	OST	1.35	2003-04	Sales Tax Tribunal, Cuttack
16	Orissa Sales Tax Act	OST	0.05	2004-05	Sales Tax Tribunal, Cuttack
Kaniha					
17	Finance Act, 1994	Service Tax & Penal	0.02	2016-17, 2017-18	Asst Commissioner, Angul
Talcher					
18	Central Excise Act, 1944	'entral Excise Dut	0.16	2013-14,2014-15	Asst. Commissioner, Angul
19	Central Excise Act, 1944	Central Excise Dut	0.73	2010-11,2011-12,2012-13,2013- 14,2014-15	High Court, Cuttack
20	Central Excise Act, 1944	'entral Excise Dut	0.01	2016-17	Asst. Commissioner GST and Central Excise, Sambalpur-I Division
	Central Excise Act, 1944	Jean Energy Cesi	0.06	2013-14,2014-15	Asst. Commissioner, Angul
21	Finance Act, 1994	Service Tax	0.05	2016-17	Asst. Commissioner GST and Central Excise, Angul
22	Stamp Duty Act	Stamp Duty	32.21	2013-14	District Office, Angul
	CBA Act	Royalty	0.01	2001-02	Civil Court, Jr. Division, Talcher
23	CBA Act	Royalty	0.10	2001-02	Civil Court, Jr. Division, Talcher
24	MMDR Act & MC Rule	Royalty	0.01	2015-16	Coal Tribunal, New Delhi

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of the Dues	Pending Amount (₹ in Crores)	Period to which amount relates	Forum where dispute is pending
	MMDR Act & MC Rule	Royalty	0.24	2015-16	Coal Tribunal, New Delhi
25	MMDR Act & MC Rule	1 Rent & Surface :	0.10	2015-16	Coal Tribunal, New Delhi
26	MMDR Act & MC Rule	Royalty	0.03	2015-16	Coal Tribunal, New Delhi
27	MMDR Act & MC Rule	Dead Rent	0.11	2015-16	Coal Tribunal, New Delhi
Lakhanpur					
28	Central Excise Act, 1944	Clean Energy Cess	24.88	2010-11, 2011-12, 2012-13,2013-14,2014- 15	CESTAT, Kolkata.
29	Central Excise Act, 1944	Central Excise Duty	23.04	2011-12, 2012-13,2013-14,2014- 15	High Court, Cuttack
30	Finance Act, 1994	Service Tax	1.08	2016-2017, 2017-18	CESTAT, Kolkata
Basundhara					
31	Environment (Protection) Act, 1986	Environment Clearance	872.01	2011-12	Coal Tribunal, New Delhi
32	Finance Act 1994	Service Tax	0.31	2016-17	Commissioner (Appeals), Rourkela
33	Finance Act 1994	Service Tax	0.03	2009-2012	Commissioner (Appeals), Rourkela
34	MMDR Act, 1957	Dead Rent & Surface Rent	2.31	1998-2006	Coal Tribunal, New Delhi
35	MMDRAct, 1957	State Govt Royalty	14.17	2015-16	Coal Tribunal, New Delhi
36	MMDR Act, 1957	State Govt Royalty	8.85	2015-16	Coal Tribunal, New Delhi
Mahalaxmi					
37	MMDRAct, 1957	State Govt Royalty	4.73	2018-19	Coal Tribunal, New Delhi
38	MMDRAct, 1957	State Govt Royalty	5.52	2024-25	Coal Tribunal, New Delhi
Jagannath					
39	CSTAct, 1956	CST	0.27	1985-86	Sales Tax Tribunal, Cuttack
40	CST Act, 1956	CST	0.02	1987-88	Sales Tax Tribunal, Cuttack
41	CSTAct, 1956	CST	0.07	1991-92	Sales Tax Officer, Angul
42	CSTAct, 1956	CST	0.01	1992-93	Sales Tax Officer, Angul
43	CSTAct, 1956	CST	1.90	1993-94	Sales Tax Tribunal, Cuttack
44	CSTAct, 1956	CST	0.02	1994-95	Joint Commissioner, Angul
45	CSTAct, 1956	CST	0.18	1995-96	Joint Commissioner, Angul
46	CSTAct, 1956	CST	0.08	1996-97	Joint Commissioner, Angul
47	CSTAct, 1956	CST	0.15	2003-04	Joint Commissioner, Angul
48	OST Act	OST	0.02	1989-90	Addl. Commissioner, Cuttack
49	OST Act	OST	0.01	1991-92	Sales Tax Tribunal, Cuttack
50	OST Act	OST	0.74	1992-93	Sales Tax Tribunal, Cuttack
51	OST Act	OST	0.01	2001-02	Addl. Commissioner, Cuttack
52	CSTAct, 1956	CST	5.93	2015-16	DCCT, Angul
53	CSTAct, 1956	CST	1.15	2016-17, 2017-18	Sales Tax Tribunal, Cuttack
54	CSTAct, 1956	CST	0.84	2014-15	Addl. Commissioner (Appeals), Cuttack

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of the Dues	Pending Amount (₹ in Crores)	Period to which amount relates	Forum where dispute is pending
55 .	Odisha Entry Tax	OET	0.05	2004-05	Joint Commissioner, Angul
56	0disha Entry Tax	OET	1.89	2008-09,2009-10,2010-11,2011- 12	Addl. Commissioner (Appeals), Cuttack
57	Odisha Entry Tax	OET	1.32	2012-13,2013-14	Addl. Commissioner (Appeals), Cuttack
58	Excise Act	Excise Duty on SED and Royalty	159.87	2011-12,2012-13,2013-14,2014- 15	Commissioner, CGST & Central Excise, Rourkela
Bharatpur					
59	Finance Act, 1994	Service Tax	0.11	2007-08,2008-09,2009-10,2010- 11,2011-12	Asst. Commissioner Central Excise, Customs & Service Tax, Angul Division, Angul
60	Finance Act, 2010	Clean Energy Cess	1.77	2011-12,2012-13,2013-14,2014- 15	High Court, Cuttack
61	Finance Act, 1994	Service Tax	0.06	2016-17, 2017-18	Asst. Commissioner, Angul
62	Central Excise Act	Excise Duty	0.19	2016-17, 2017-18	Asst. Commissioner, Angul
63	MMDRAct 1957	Royalty	11.89	2017-18	Revisional Authority Ministry of Coal, New Delhi
64	MMDRAct 1957	Royalty	13.65	2017-18	Revisional Authority Ministry of Coal, New Delhi
65	MMDRAct 1957	Royalty	6.31	2023-24	Revisional Authority Ministry of Coal, New Delhi
IB Valley					
66	OET ACT	State Govt-Entry tax	0.13	2005-06, 2006-07	REASSMENT PENDING AT CTO, JHARSUGUDA
67	Odisha VAT Act 2004	State Govt-sales tax	6.83	2006-07	Commissioner of Sales Tax Cuttack
68	CST ACT	State Govt-sales tax	0.03	2009-10,2010-11	Commissioner of Sales Tax Cuttack
69	Odisha VAT Act 2004	State Govt-sales tax	0.56	2016-17,2017-18	Joint Comm of Sales Tax (Appeals), Terittorial range, Sambalpur
70	Central Excise Act 1944	Excise Duty	8.43	2011-12	CESTAT, Kolkata
71	Central Excise Act 1944	Excise Duty	10.15	2012-13	CESTAT, Kolkata
72 .	Central Excise Act 1944	Excise Duty	7.94	2012-13,2013-14	CESTAT, Kolkata
73	Central Excise Act 1944	Excise Duty		2013-14,2014-15	CESTAT, Kolkata
74	Central Excise Act 1944	Excise Duty	2.44	2Q14-15	CESTAT, Kolkata
75	Central Excise Act 1944	Excise Duty '	0.30	2013-14,2014-15	CESTAT, Kolkata
76	Finance Act 1994	Service Tax	0.02	20.08-09	CESTAT, Kolkata .
77	Finance Act 1994	Service Tax	0.18	2010-11,2011-12,2012-13,2013- 14,2014-15	CESTAT, Kolkata

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of the Dues	Pending Amount (₹ in Crores)	Period to which amount relates	Forum where dispute is pending
78	Finance Act 1994	Service Tax	0.03	2016-17, 2017-18	Commissioner Appeals, BBSR
79	Employee Provident Fund & Mise. Provisions	EPF	1.60	1995-96,1996-97,1997-98,199899,1999-2000,2000-01,2001-'02,2002-03,2003-04,200405,2005-06,2006-07,200708,2008-09	Asst. FP Commissioner & Recovery Officer, Rourkela
80	MMDRAct., 1957	State Govt Royalty	6.86	2009-10,2010-11	Coal Tribunal, New Delhi
81	MMDRAct., 1957	State Govt Royalty	1.54	2004-05,2005-06,2006-07,200708,2008-09,2009-10,2010-11	Coal Tribunal, New Delhi
82	MMDRAct., 1957	State Govt Royalty	1,302.50	2004-05,2005-06,2006-07,200708,2008-09,2009-10,2010-11	. Coal Tribunal, New Delhi
Orient					
83	Finance Act, 1994	Short Payment of Service Tax during 200708	0.01	. 2007-08	CESTAT, Kolkata . .
84	Finance Act, 1994	LD penalty	0.01	2016-17	Dy Comm(CGST&CX), Jarsuguda Division
85	MMDR Act ,1957	' Royalty	0.29	2007-08,2008-09,2009-10,2010' 11,2011-12	Coal Tribunal, New Delhi
86	MMDRAct ,1957	Royalty	0.18	2007-08,2008-09,2009-10,2010- 11,2011-12	Coal Tribunal, New Delhi
87	Environment (Protection) Act ,1986	Environment Clearnce	696.21	2007-08,2008-09,2009-10,2010- 11,2011-12	Coal Tribunal, New Delhi
88	CST Act	Sales Tax	0.56	2001-02 ,2000-01	High Court, Cuttack
89	MMDR Act ,1957	Short Realization of Royalty	0.44	2016-17	Coal Tribunal, New Delhi
90	MMDR Act ,1957	Royalty, DMF &NMET .	0.14	2017-18	Coal Tribunal, New Delhi
HQ Commercial					
91	Income Tax Act 1961	Income Tax	4,258.75	A.Y 2008-09, 2009-10, 201011,2011-12, 2012-13, 201314, 2014-15, 2016-17, 201718,2019-20, 2020-21	High Court, Cuttack
92	Income Tax Act 1961	Income Tax	501.23	A.Y 2017-18, 2022-23, 2023-24	CIT(A), Cuttack
93	CGST Act 2017	GST	4.78	2017-18,2018-19,2019-20	Pending for appeal at GST Tribunal, Cuttack
94	CGST Act 2017	GST	10.56	2017-18,2018-19,2019:20,2020‘ 21	1st Appellate Tribunal under GST
95	CGST Act 2017	GST	0.70	2017-18	Filled Before Assessing officer U/s 128A, Sambalpur Circle-II

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (जिसे आगे "होल्डिंग कंपनी" कहा जाएगा) और उसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से "समूह" कहा जाएगा) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक समेकित बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, उसके अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, 31 मार्च, 2025 तक समूह की समेकित स्थिति, उसके समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए उसके समेकित नकदी प्रवाह का सही तथा निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

बात का जोर.

हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:

1. समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 28 में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास के बारे में बताया गया है। कंपनी कुछ पीपीई पर प्रबंधन/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास लगाती है। इसलिए, परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है। वर्ष के दौरान जोड़ी गई और बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, जोड़ी गई और बेची गई संपत्तियों के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

2. कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व में वर्ष के लिए 278.60 करोड़ रुपये का प्रदर्शन प्रोत्साहन और मुआवजा राजस्व/आय के लिए बिना बिल का राजस्व शामिल है

3. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16(3)(डी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, वित्तीय वर्ष 2023.24 से संबंधित 122.65 करोड़ का बढ़ा हुआ माइलेज वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान आय के रूप में दर्ज किया गया है। 25. ट्रैक की समान लंबाई में अन्य निजी साइडिंग के आरेआर विवरण के अभाव में, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान राजस्व की गणना और मान्यता नहीं दी गई है।

4. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (कुछ बीमाकृत परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।

एचईएमएम और सड़क पर चलने वाले वाहन), आग, चोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए कोयले का भंडार और स्पेयर और समापन स्टॉक

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

नं	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व मान्यता, माप, प्रस्तुति और राजस्व एवं अन्य संबंधित शेष राशि के प्रकटीकरण की सटीकता राजस्व मान्यता एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें ग्रेड सिप्पेज के लिए भौतिक समायोजन शामिल है, जिसके लिए पिछले रुझान आदि के लिए निर्णय और अनुमान की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।	हमने होल्डिंग कंपनी की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है, ताकि राजस्व लेखांकन मानक इंड एएस 115 के प्रभाव की पहचान की जा सके। लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नानुसार मूल परीक्षण शामिल थे i. पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला या रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण के परिणाम के आधार पर तैयार किए गए पिछले परिणामों की प्रवृत्ति प्राप्त और मूल्यांकित की गई। ii. ग्रेड स्लिपेज प्रावधान की गणना और कार्यप्रणाली प्राप्त की और उसका मूल्यांकन किया, iii. समेकित वित्तीय विवरणों में अनुमान, मान्यता और प्रकटीकरण के लिए मौजूद नियंत्रणों का मूल्यांकन किया गया, iv. ग्राहकों के साथ हुए समझौते की समीक्षा की तथा उसके नियमों व शर्तों पर विचार करते हुए चालान तैयार किए। v. हमने प्रतिफल के आकलन के आधार को स्थापित करने के लिए परीक्षण किए हैं और यह भी कि क्या ऐसे आकलन समूह की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं, vi. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई, vii. गुणवत्ता मापदंडों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसलिए इस संबंध में तकनीकी निष्कर्षों और रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।
2.	**आकस्मिक दायित्व।** होल्डिंग कंपनी के विरुद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, विभिन्न योजनाओं आदि सहित कई दायित्व विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित हैं और आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रदान की जाने वाली और/या प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन की ओर से आवश्यक भुगतान की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि इनसे संबंधित अनुमान और मूल्यांकन में प्रबंधन के निर्णय, व्याख्याओं और दृष्टिकोणों का एक महत्वपूर्ण अंश शामिल होता है, इसलिए आवश्यक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है (समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16(1)(a) को महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.22 के साथ पढ़ें)	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण और प्रावधानों की मान्यता की उचितता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: i. हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन, मूल्यांकन और प्रकटीकरण के संबंध में समूह के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त कर ली है। ii. लंबित जांच अभियानों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा और परीक्षण किया। iii. किसी भी भौतिक विकास और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा की गई; iv. संबंधित मुकदमों से संबंधित विभिन्न प्रतिक्रियाओं और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाहरी कानूनी राय और आकस्मिक क्षमताओं के समापन का समर्थन करने वाले आकलन पर ठोस प्रक्रियाएं निष्पादित कीं, v. इस संबंध में प्रबंधन के निर्णयों और आकलनों की जांच की गई कि क्या प्रावधानों की आवश्यकता है, vi. उन मामलों के प्रबंधन आकलन की समीक्षा की गई जिनमें आकस्मिक देयता का प्रावधान नहीं किया गया है या प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि भौतिक देयता की संभावना है। vii. बहिर्वाह को दूरस्थ माना गया है, प्रकटीकरणों की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा की गई, उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान और प्रकटीकरण का अनुमान पर्याप्त और उचित माना गया है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित), व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट शासन के प्रभारी लोगों को देनी होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में हैं। ये विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति और समेकित वित्तीय निष्पादन का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार हैं।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है

समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए कार्य करना, जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते थे और भौतिक गलत बयानी से मुक्त थे, चाहे धोखाधड़ी या ईएमओ के कारण हो।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू कंपनी से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू कंपनी के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल समूह को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखें, या ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र समेकित वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की भौतिक ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी भौतिक ग़लतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। मिथ्याबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें तभी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती हो।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरण में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(1) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें

- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू अवधारणा के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर विचार करें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की चालू अवधारणा के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू अवधारणा के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए समूह में शामिल संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा के निर्देशों, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।
- हम होल्डिंग कंपनी के प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ संवाद करते हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को एक वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में विवादास्पद थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य मामले

i. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण समूह के पूर्ववर्ती वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने उन समेकित वित्तीय विवरणों पर अयोग्य राय व्यक्त की थी

ii. हमने चार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2025 तक 617.99 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 30.88 करोड़ रुपये की कुल आय दर्शाई गई है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है। समेकित वित्तीय विवरण में समूह का 5.72 करोड़ रुपये का लाभ हिस्सा भी शामिल है (जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए)। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहाँ तक इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक पूर्वोक्त सहायक कंपनियों का संबंध है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की संयुक्त रिपोर्टों पर आधारित है। उपरोक्त मामलों में, अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

iii. होल्डिंग कंपनी ने 31.03.2025 तक अपने खाता बही में प्रदर्शित टीडीएस/टीसीएस प्राप्तियों का मिलान फॉर्म 26एएस/एआईएस के साथ नहीं किया है।

iv. कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2023-24 तक के पिछले वर्षों के ₹3,617.27 करोड़ के आयकर रिफंड आयकर विभाग के पास लंबित हैं। वापसी योग्य कर की एक बड़ी राशि विभाग के पास अटकी हुई है और होल्डिंग कंपनी को बैंक ब्याज के रूप में प्रति वर्ष अवसर लागत के रूप में अच्छी-खासी राशि का नुकसान हो रहा है। होल्डिंग कंपनी बेहतर कर नियोजन, बेहतर अग्रिम कर अनुमान और भुगतान किए गए अतिरिक्त करों की शीघ्र वापसी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करके इस राशि को बचा सकती थी।

v. ईंधन आपूर्ति समझौते के अंतर्गत विभिन्न कोयला ग्राहकों/उपभोक्ताओं के विरुद्ध दिनांक 01.04.2018 से 22.06.2019 तक की अवधि के लिए होल्डिंग कंपनी के कोयला बिक्री मूल्य का फोरेंसिक ऑडिट फोरेंसिक ऑडिटरों द्वारा किया गया था। फोरेंसिक ऑडिटर ने दिनांक 31.05.2013 की अपनी फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से लेखा-बही में हेराफेरी/कपटपूर्ण प्रविष्टियों के कारण होल्डिंग कंपनी को हुए नुकसान की सूचना दी है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट अभी तक ऑडिट समिति के माध्यम से होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

vi. होल्डिंग कंपनी द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान स्टोर और स्पेयर पार्ट्स का सत्यापन नहीं किया गया है। कुछ स्टोर आइटम ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं, लेकिन ऐसे मामलों में 60% की दर से प्रावधान किया गया है। ऐसे पुर्जों की परिचालन क्षमता का आकलन नहीं किया गया है।

vii. बैलेंस शीट की तिथि पर समेकित वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले देनदारों/लेनदारों या अग्रिमों से बकाया शेष राशि पुष्टि के अधीन हैं

viii. समूह ने लेखापरीक्षा वर्ष के लिए हटाई गई कंपनियों के साथ शेष/लेनदेन की पहचान नहीं की है

ix. समूह ने 31.03.2025 तक एमएसएमई लेनदारों को बकाया राशि की पूरी तरह से पहचान नहीं की है

x. जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मौजूद शेष राशि और 31.03.2025 तक लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई राशि का समाधान होल्डिंग कंपनी द्वारा नहीं किया गया है।

xi. 31.03.2025 तक खातों की पुस्तकों में टीडीएस/टीसीएस/जीएसटी देय शेष में पिछले वर्षों/अवधियों से संबंधित शेष शामिल हैं, जिनका होल्डिंग कंपनी द्वारा बैलेंस शीट की तारीख तक समाधान नहीं किया गया है।

हमने भरोसा रखा है :

a) औसत/मानक अनुपात, चालू अनुपात और अनुपात विचरण आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी डेटा। ओवरबर्डन लेखांकन के मामले में विचरण मानक अनुपात और चालू अनुपात के लिए समायोजन शामिल है।

b) केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआई) द्वारा तैयार की गई खान बंद करने की योजना, तथा खान बंद करने के व्यय के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि

   a) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   b) हमारी राय में, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

   c) इस फ्लेपोर्ट द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के अनुरूप हैं।

   d) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं, साथ ही इसके अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियमों का भी अनुपालन करते हैं।

   e) कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   f) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया अनुबंध 1 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   g) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और इस रिपोर्ट में अन्यत्र संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर

      i. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में नोट 16(1)(ए) में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है।

      ii. समूह को व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के विरुद्ध कोई भौतिक पूर्वानुमानित हानि नहीं हुई थी और इसलिए इस संबंध में प्रावधान करने की आवश्यकता समूह पर लागू नहीं होती है।

      iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए ऐसी कोई राशि आवश्यक नहीं है।

      iv.

         a. समूह के संबंधित प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समूह (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

b. समूह के संबंधित प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक हो) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि समूह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या किसी भी तरह से वित्त पोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने जाने वाले सक्षम व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

v. समूह द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

vi. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल थी, के आधार पर, समूह ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सुविधा पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए संचालित रही है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

2. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश,2020 (“आदेश”/“सीएआरओ”) के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार जारी किया गया है, जिसे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इसकी सहायक कंपनियों के लिए अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर, जिन पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में सहायक कंपनियों एमबीपीएल द्वारा हुई नकद हानि को छोड़कर कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसकी रिपोर्ट आदेश के खंड (xvii) के तहत की गई है।

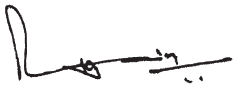
3. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमने अनुलग्नक-2 और 2ए में समूह के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।

कृते कदमावाला एंड कंपनी

चार्टर्डअकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 323212E



सीए राकेश कुमार जैन

भागीदार

सदस्यसंख्या063654

यूडीआईएन: 25063654BMMAZH3988

स्थान: संबलपुर

दिनांक: 15.04.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम)" की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (जिसे आगे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा) के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ, हमने उस तिथि तक होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

राय

हमारी राय में, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रहे थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें होल्डिंग कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपने ऑडिट को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीए द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;

2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या तुरंत पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरण पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

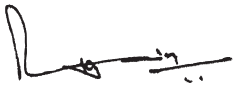
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित ढील के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

कृते कदमावाला एंड कंपनी

चार्टर्डअकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 323212E



सीए राकेश कुमार जैन

भागीदार

सदस्यसंख्या063654

यूडीआईएन: 25063654BMMAZI5508

स्थान: संबलपुर

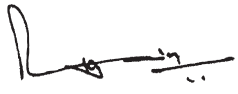
दिनांक: 15.04.2025

अनुलग्नक 2

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए गए निर्देश के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

1	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	कंपनी ने लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए SAP लागू किया है। प्रदर्शन आय, मुआवज़ा आय, विलंबित भुगतानों पर ब्याज आय, कोयला स्टॉक मूल्यांकन, कोयला गुणवत्ता भिन्नता और स्ट्रिपिंग गतिविधि लेखांकन की गणना प्रक्रिया को छोड़कर, वित्तीय लेनदेन SAP के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, इसका खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है।)	कंपनी में ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन और छूट/बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी) का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	वित्तीय वर्ष 2024.25 के दौरान, केंद्र सरकार/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई। अनुदानों के लिए पिछले वर्षों का बकाया शेष 31.03.2025 तक ₹1.24 करोड़ है। उपरोक्त ₹197.34 करोड़ में से, आस्थगित आय (नोट 10.1) के अंतर्गत दर्शाया गया है और ₹13.90 करोड़ का वर्तमान भाग, नोट 10.2 अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

कृते कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्डअकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 323212E



सीए राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यसंख्या063654
यूडीआईएन: 25063654BMMAZI5508

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 15.04.2025

अनुलग्नक 2ए

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को अतिरिक्त निर्देश के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2ए

1	क्या कोयला भंडार का मापन पीली किताब के आधार पर किया गया था? क्या सभी मामलों में भौतिक मापन रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र भी संलग्न हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर (यदि कोई हो) के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था?	हाँ, कोयला स्टॉक मापन पीली किताब के आधार पर किया गया था। सभी मामलों में भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र/3D TLS भी संलग्न हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने विलय के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है या किसी क्षेत्र की संरचना का विश्लेषण किया है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एल्हुबनेश्वरी क्षेत्र को जगन्नाथ क्षेत्र से अलग किया गया है और बलभद्र क्षेत्र का गठन हिंगुला क्षेत्र से बलभद्र खदान को अलग करके किया गया है। क्षेत्रों के विभाजित पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी की प्रथा के अनुसार, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन तिमाही आधार पर स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा किया जाता है।
3	क्या सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं और एस्क्रो समझौते/ खातों के कार्य को मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संशोधित/अद्यतन किया गया है? खाते की निधि के उपयोग की भी जाँच करें।	कंपनी खदान-वार एस्क्रो खाते रखती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने एस्क्रो खाते से ₹31.50 करोड़ निकाले हैं।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है तथा उसका हिसाब लगाया गया है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।
5	क्या कोलनर पोर्टल से एसएपी तक डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	कोलनेट से एसएपी में डेटा माइग्रेशन के लिए स्वतंत्र ऑडिट/ मूल्यांकन ईएंडवाई द्वारा किया गया है (डेटा माइग्रेशन ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025)

कृते कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्डअकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 323212E

सीए राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यसंख्या063654
यूडीआईएन: 25063654BMMAZI5508

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 15.04.2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वार्षिक स्टैंडअलोन लेखा





स्टैंडअलोन तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं	को 31.03.2025	31.03.2024
परिसंपत्तियाँ				
गैर चालू परिसंपत्तियाँ				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3.1	16,358.60	13,774.09
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य		3.2	4,889.89	4,808.34
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ		3.3	177.69	151.75
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.4	15.14	18.75
(ड़) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		3.5	-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(i) निवेश	4.1	353.68	353.68
	(ii) ऋण	4.2	2.66	1.67
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	1,837.00	1,760.35
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ((निवल))		11.2	-	-
गैर-वर्तमान कर संपत्ति (निवल)		11.1	-	-
अन्य गैर-चालू आस्तियां		6.1	2,226.02	2,852.74
कुल गैर चालू परिसंपातियाँ			**25,860.68**	**23,721.37**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
वस्तु सूची		5.1	1,880.19	1,279.22
वित्तीय परिसंपातियाँ	निवेश	4.1	822.73	1,214.28
	व्यापार प्राप्तियाँ	4.3	2,669.32	2,146.61
	नगद एवं नगद समतुल्य	4.4	2,088.85	794.61
	अन्य बैंक शेष	4.5	9,587.09	12,034.18
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	4.6	824.34	854.19
वर्तमान कर आस्तियां (निवल)		11.1	4,768.10	4,135.71
अन्य चालू परिसंपातियाँ		6.2	4,993.63	4,413.24
कुल चालू परिसंपातियाँ			**27,634.25**	**26,872.04**
कुल परिसंपातियाँ			**53,494.93**	**50,593.41**
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
इक्वीटी शेयर पूँजी		7.1	**1,323.67**	**1,323.67**
अन्य इक्वीटी		7.2	16,954.87	14,782.59
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी			**18,278.54**	**16,106.26**
गैर नियंत्रित ब्याज		**7.3**	**-**	**-**
कुल इक्वीटी			**18,278.54**	**16,106.26**

स्टैंडअलोन तुलनपत्र (जारी)

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं	को 31.03.2025	31.03.2024
देयताएं :				
गैर-चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं	उधार	8.1	2.67	3.28
	पट्टा देयताएँ	8.2	2.29	2.29
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8.4	645.55	690.85
प्रावधान		9.1	18,850.45	18,856.68
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		11.2	1,438.72	1,509.14
अन्य गैर चालू दायिताएँ		**10.1**	**98.40**	**112.39**
कुल गैर चालू दायिताएं			**21,038.08**	**21,174.63**
चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं	उधार	8.1	0.68	0.67
	पट्टा देयताएँ	8.2	0.24	0.18
	व्यापार देयताएं	8.3		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया राशि		4.49	24.02
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,838.55	1,545.75
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8.4	5,151.70	5,045.01
अन्य चालू देयताएं		10.2	6,292.04	5,895.62
प्रावधान		9.1	890.61	801.27
चालू कर देयताएं(निवल)		11.1	-	-
कुल चालू देयताएं			**14,178.31**	**13,312.52**
			53,494.93	**50,593.41**
कुल इक्वीटी एवं देयताएं				

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के हेहुरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व (निवल लेवी कर)			
विक्रय	12.1	23,071.39	23,809.42
अन्य संचालन राजस्व	12.1	3,890.69	3,351.97
संचालनों से राजस्व (निवल लेवी कर)		**26,962.08**	**27,161.39**
अन्य आय	12.2	1,675.84	1,963.05
कुल आय		**28,637.92**	**29,124.44**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	1,101.21	1,082.68
ब्यापार के लिए माल की खरीद	13.1(a)	-	-
तैयार माल की बस्तुसूची में परिवर्तन, व्यापार में स्टॉक- और कार्य प्रगति पर	13.2	(604.53)	(263.85)
कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	13.3	4,492.10	4,549.30
वित्त लागत	13.4	71.22	66.84
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	13.5	1,088.19	966.99
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(1,156.13)	(818.03)
संविदात्मक व्यय	13.7	7,141.56	5,861.53
अन्य व्यय	13.8	2,345.55	2,085.88
कुल व्यय		**14,479.17**	**13,531.34**
संयुक्त उद्यम के शेयर से पहले लाभ लाभ/(हानि)		**14,158.75**	**15,593.10**
संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का हिस्सा		-	-
कर पूर्व लाभ		**14,158.75**	**15,593.10**
कर संबंधी व्यय	14.1		
चालू कर		3,405.91	3,465.49
आस्थगित कर		(70.42)	282.21
कुल कर व्यय		**3,335.49**	**3,747.70**
अवधि के लिए लाभ		**10,823.26**	**11,845.40**
अन्य व्यापक आय	15.1		
मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(68.13)	(56.26)
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		17.15	14.16
मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		**(50.98)**	**(42.10)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (जिनमें अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल है)		**10,772.28**	**11,803.30**
लाभ का कारण:			
कंपनी के मालिक		10,823.26	11,845.40

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण (जारी)

		(₹ करोड़ में)
अनियंत्रित ब्याज	-	-
	10,823.26	11,845.40
अन्य व्यापक आय का कारण :		
कंपनी के मालिक	(50.98)	(42.10)
अनियंत्रित ब्याज	-	-
	(50.98)	(42.10)
कुल व्यापक आय का कारण :		
कंपनी के स्वामी (ओनर)	10,772.28	11,803.30
अनियंत्रित ब्याज	-	-
	10,772.28	11,803.30
ति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक):		
मूलभूत (₹ में)	8,176.69	8,948.89
डायल्यूटेड (₹ में)	8,176.69	8,948.89

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के हेहरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2025 तक (₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2024 तक शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2025 तक शेष
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति ₹1000/ के इक्विटी शेयर 13236726	1,323.67	-	1,323.67
31.03.2024 तक			
31.03.2024 तक	**01-04-2023 तक शेष**	**वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**31.03.2024 तक शेष**
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति ₹1000/ के इक्विटी शेयर 13236726	661.84	661.83	**1,323.67**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				विदेशी अनुसंगी के वित्तीय विवरणों मे के लेन-देन में अंतर का आदान-प्रदान विनिमय (ओसीआई)	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)		
01.04.2024 तक शेष	**-**	**3,684.80**	**11,193.12**	**(95.33)**	**-**	**14,782.59**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2024 तक शेष	**-**	**3,684.80**	**11,193.12**	**(95.33)**	**-**	**14,782.59**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	10,823.26	(50.98)		10,772.28
अन्तरिम लाभांश	-	-	**(7,500.00)**	-		**(7,500.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	**(1,100.00)**	-		**(1,100.00)**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान संयोजन	-	-	-	-		-
सामानय रिजर्व को/से अंतरण	-	541.17	(541.17)	-		-
शेयरों की वापस खरीद	-	-	-	-		-
वापस खरीदने पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना			-		-	-
31.03.2025 तक शेष	**-**	**4,225.97**	**12,875.21**	**(146.31)**	**-**	**16,954.87**

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				विदेशी अनुसंगी के वित्तीय विवरणों मे के लेन-देन में अंतर का आदान-प्रदान विनिमय (ओसीआई)	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)		
01.04.2023 तक शेष	**-**	**3,684.80**	**11,193.12**	**(95.33)**	**-**	**14,782.59**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-

01.04.2023 को पुनर्स्थापित शेष राशि	44.29	3,710.08	8,939.99	(53.23)	-	12,641.13
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			11,845.40	(42.10)		11,803.30
अंतरिम लाभांश			(7,500.00)			(7,500.00)
अंतिम लाभांश			(1,500.00)			(1,500.00)
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन		-	-	-		-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	592.27	(592.27)			-
शेयरों की वापस खरीद						-
वापस खरीदने पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना	(44.29)	(617.55)				(661.84)
31.03.2024 तक शेष	**-**	**3,684.80**	**11,193.12**	**(95.33)**	**-**	**14,782.59**

लाभांश और प्रकृति तथा आरक्षित एवं अधिशेष के उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के हेहुरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

नगद प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त रोकड़			
कर पूर्व लाभ		14,158.75	15,593.10
के लिए समायोजन :			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		1,088.19	966.99
ब्याज और लाभांश आय		(1,176.04)	(1,450.49)
वित्तीय लागत		71.22	66.84
(संपत्ति, संयंत्र और उपकरणके विक्रय पर लाभ/हानि		(3.79)	(3.58)
दायित्व और प्रावधान वापस लिखा गया(निवल)		(218.32)	(264.66)
भत्ते और प्रावधान किये गये		1.47	67.24
बट्टे कहते में डालना		-	0.02
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(1,156.13)	(818.03)
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता		0.08	0.04
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह		**12,765.43**	**14,157.47**
के लिए समायोजन : :			
व्यापार प्राप्य		(460.42)	(572.83)
वस्तु सूची		**(600.68)**	**(297.34)**
ऋण और अग्रिम तथा अन्य वित्तीय संपत्ति		(214.77)	178.94
अन्य चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां		(822.46)	(1,019.40)
व्यापार देय		273.27	(21.54)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ		9.45	61.24
अन्य चालू एवं गैर चालू देनदारियां		382.43	(1,738.19)
प्रावधान		1,254.39	(325.08)
प्रचालन से उत्पन्न नकद		**12,586.64**	**10,423.27**
आयकर (भुगतान किया गया)		(4,021.15)	(3,947.65)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नगद प्रवाह	(A)	8,565.49	6,475.62
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के लिए भुगतान		(2,835.30)	(3,110.13)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय		9.14	6.30
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति के लिए भुगतान		(25.94)	(21.97)
बैंकों के पास जमा/(जमा) की वसूली		2,360.71	5,693.98
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में आय/(निवेश)।		529.44	(181.00)

		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
संयुक्त उद्यमों में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-
निवेश पर प्राप्त ब्याज		1,291.58	861.24
म्यूचुअल फंड से प्राप्त लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	(B)	1,329.63	3,248.42
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर चालू उधारों से प्राप्त आय/(पुनःभुगतान)।		-	-
चालू उधारों से आय/(पुनः भुगतान)।		(0.60)	(0.67)
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		(0.24)	(0.21)
ब्याज का भुगतान		(0.04)	(0.04)
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान		(8,600.00)	(9,000.00)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		**-**	**-**
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**(C)**	**(8,600.88)**	**(9,000.92)**
नकद और नकद समकक्ष (A +B +C) में शुद्ध वृद्धि/ (कमी)		**1,294.24**	**723.12**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		**794.61**	**71.49**
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष		**2,088.85**	**794.61**
नकद और नकद समकक्षों का समाधान (टिप्पणी-4.4)			
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		**2,088.85**	**794.61**
नकद और नकद समकक्षों के घटक			
(ए) बैंकों में शेष			
-जमा खातों में		1,651.13	461.33
- चालू खातों में		95.55	132.09
(बी) भारत के बाहर बैंक में शेष		-	-
(सी) प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी		342.00	201.00
(डी) चेक, ड्राफ्ट और स्टांप सहित		-	-
(ई) नगदी		-	-
(एफ) भारत के बाहर नगद		-	-
(जी) बैंक ओवरड्राफ्ट		-	-
(g) अन्य ई-खरीद खाता/जीईएम खाता/अग्रिम शेष		0.17	0.19
कुल (नकद और नकद समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 देखें)		**2,088.85**	**794.61**

1. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	**उधार***	**वित्त पट्टा देयताएं**
1 अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक शेष	3.95	2.47
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.60)	(0.24)
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को कम करना	-	0.30
उधार पर अर्जित ब्याज	-	
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	
उधार पर लेनदेन लागत	-	
31 मार्च 2025 को समापन शेष	3.35	2.53

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	**उधार***	**वित्त पट्टा देयताएं**
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष	4.58	2.35
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.67)	(0.21)
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को कम करना	-	0.33
उधार पर अर्जित ब्याज	-	
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	0.04	
उधार पर लेनदेन लागत	-	
31 मार्च 2024 को समाप्त शेष	3.95	2.47

* इसमें गैर-चालू उधारों की चालू परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, नोट 8.1 देखें

2 नगद प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय मानक लेखांकन - 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है - 'नगद प्रवाह विवरण.'

3 कंपनी ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के अनुसार ₹162.88 करोड़ खर्च किया। ((पिछले वर्ष 207.97 करोड़) खर्च किए हैं। (नोट संख्या 13.8 देखें)

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के हेहरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी: 1

ए. कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), भारत में स्थित एक मिनीरत्न कंपनी है और शेयरों द्वारा सीमित है। कंपनी की स्थापना 3 अप्रैल, 1992 को ओडिशा राज्य में खदानों से संबंधित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और देनदारियों का अधिग्रहण करने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 100% सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर--768020, ओडिशा है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन और उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है।

कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टे आदि शामिल हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की चार सहायक कंपनियाँ हैं, जिनमें से दो सहायक कंपनियाँ कोयला खनन और उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई हैं, एक सहायक कंपनी बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है और एक सहायक कंपनी रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के व्यवसाय में लगी हुई है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 15.04.2025 को जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे।

बी. अनुपालन विवरण और नवीनतम लेखा घोषणा

i) अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (जिन्हें आगे "इंड एएस" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं। जारी, अधिसूचित और प्रभावी किए गए भारतीय लेखा मानक को वित्तीय विवरणों के अधिकृत होने तक और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से विचार किए जाने तक लागू रखा गया है।

लेखांकन नीतियाँ सुसंगत रूप से लागू की जाती हैं, सिवाय उन मामलों के जहाँ किसी नए जारी किए गए लेखा मानक को प्रारंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रचलित लेखा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

ii) नए और संशोधित मानकों का अनुप्रयोग

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। एमसीए ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक (भा.लेखा.मा.) के अनुसार परिशोधित लागतों या उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परंपरा आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह कार्य करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव अंकों तक 'करोड़ रुपये' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

(क) कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की अपेक्षा करती है;

(ख) कंपनी मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से देयता रखती है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है; या

(घ) कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गम द्वारा उसके निपटान का कारण बन सकती हैं, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं। अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीनों के रूप में निर्धारित किया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्यतः कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व की मान्यता तब होती है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। वितरण तब होता है जब उत्पादों को, जैसा भी मामला हो, विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, और हानि के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसकी कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने और उसे प्रदान करने के लिए किया जाता है, और राजस्व की मान्यता केवल उस सीमा तक होती है जहाँ यह अत्यधिक संभावना हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम होती हैं।

कंपनी के पास भविष्य की अवधि में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। सामान्यतः राजस्व की पहचान चालान के आधार पर की जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रतिफल का अधिकार सीधे हमारे आज तक पूरे किए गए निष्पादन से मेल खाता है।

ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय तब मान्यता प्राप्त होती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित होती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है।

लाभांश

लाभांश की मान्यता तब प्राप्त होती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आमतौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) से संबंधित राजस्व की पहचान तभी की जाती है जब अंतिम वसूली के बारे में उचित निश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.4 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक यह उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और यह उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होंगे।

सरकारी अनुदानों को लाभ-हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित व्ययों या लागतों को मान्यता देती है जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान का उद्देश्य है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत लाभ-हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कोई सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए व्ययों या हानियों की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को बिना किसी भविष्य की संबंधित लागतों के तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वह प्राप्य हो जाती है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटर के योगदान के रूप में दिए गए अनुदान को सीधे "पूंजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनता है।

2.5 पट्टे

यदि अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा निहित होता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी, अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा निहित है या नहीं। यदि अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा निहित होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का

अधिकार प्रदान करता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से लगभग सभी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं और (iii) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

आरंभ तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा पट्टा देयता को पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता देनी होगी, जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए नहीं चुकाए गए हैं, जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए वहन राशि बढ़ाकर, किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि घटाकर और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनः मापकर मापा जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतानों को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के दौरान किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है या यदि उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टाधारक क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास आरंभ तिथि से लेकर उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल की समाप्ति या पट्टा अवधि की समाप्ति में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.5.2 पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियाँ वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दी जाती हैं।

वित्त पट्टा: यदि किसी पट्टे में अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिम और लाभ मूलतः हस्तांतरित हो जाते हैं, तो उसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभ में, वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे की अवधि के दौरान वित्तीय आय की मान्यता, पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न के आधार पर दी जाती है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक परिचालन पट्टा होता है। परिचालन पट्टों पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में कंपनी पट्टा भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.6 बिक्री हेतु धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) को बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशियाँ निरंतर उपयोग के बजाय मुख्यतः बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएँगी। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों में यह दर्शाया जाना चाहिए कि बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने या बिक्री का निर्णय वापस लिए जाने की संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में गैर-चालू परिसंपत्तियों का अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल है, जब विनिमय में वाणिज्यिक सार हो। बिक्री हेतु धारित वर्गीकरण के मानदंड तभी पूरे माने जाते हैं जब परिसंपत्तियाँ या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हों, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, त्यागा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- खरीदार ढूंढने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है।
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने या योजना को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

गैर-वर्तमान परिसंपत्ति या निपटान समूह वर्गीकृत बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर जो भी कम हो, उस पर मापा जाता है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना हो कि उससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता है।

पीपीई की गणना प्रारंभ में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर की जाती है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या पुनर्स्थापन लागत भी शामिल है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु को उसकी लागत में से लागत मॉडल के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास और संचित हानि को घटाकर लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु की लागत में शामिल हैं:

(क) उसका क्रय मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य क्रय कर शामिल हैं, व्यापार छूट और रिबेट घटाने के बाद।

(ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने से संबंधित कोई भी लागत।

ग) वस्तु को तोड़ने और हटाने तथा उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान उस वस्तु का उपयोग वस्तु-सूची बनाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप वहन करती है।

(घ) योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण हेतु उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक भाग, जिसकी लागत वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण हो, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है। हालाँकि, समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि वाले पीपीई की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों) को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दैनिक सेवा की लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण पुर्जों को बदलने की बाद की लागत को उस वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए पुर्जों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता-विच्छेद नीति के अनुसार मान्यता-विच्छेद कर दिया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो उसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक पुर्जों से अलग) मान्यता-विच्छेद कर दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु के निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो मान्यता-विच्छेद की जाती है, । संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता-विच्छेद से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(लीजहोल्ड भूमि सहित)	:	परियोजना की अवधि या लीज अवधि, जो भी कम हो
भवन (सड़कों सहित)	:	3-60 वर्ष
दूरसंचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	:	1-30 वर्ष (रेलवे कॉरिडोर, अन्य सहित)
कंप्यूटर और लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-5 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन काल, उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग C में निर्धारित उपयोगी जीवन काल काल से भिन्न हो सकता है।

परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन काल की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ परिसंपत्तियों जैसे अन्य भूमि, स्थल पुनर्स्थापन परिसंपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षण की गई परिसंपत्तियों के। तकनीकी रूप से, उपयोगी जीवन काल एक वर्ष आंका गया है, जिसमें कोयला टब, वाइंडिंग रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी वस्तुओं का अवशिष्ट मूल्य शून्य है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, जोड़ने/निपटाने के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के अंतर्गत अर्जित भूमि शामिल है, जिसका परिशोधन परियोजना की शेष अवधि के आधार पर किया जाता है; और पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना की शेष अवधि, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

जिन परिसंपत्तियों का पूर्णतः मूल्यह्रास हो चुका है और जो सक्रिय उपयोग से मुक्त हो चुकी हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र उपकरण के अंतर्गत उनके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षणित परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है और उनकी क्षति के लिए जाँच की जाती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (भा.लेखा.मा.) में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य (इंड एएस) को जारी रखने का निर्णय लिया है (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जिसे पिछले गैप के अनुसार मापा गया है)।

2.8 खदान बंद करना, स्थल पुनर्स्थापन और विसंचालन (डीकमीशनिंग) दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित हैं। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती हैं। खर्च के आकलन मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देय धन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/ खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खदान बंद करने के दायित्व का हिस्सा बनने वाले वर्ष-दर-वर्ष होने वाले प्रगतिशील खदान बंद करने के व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि निकाली जाती है।

2.9 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों में वे लागतें शामिल हैं जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज से संबंधित हैं, जो किसी चिन्हित संसाधन की तकनीकी व्यवहार्यता और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आकलन के अधीन हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन;

उपर्युक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, प्रयुक्त सामग्री और ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक समग्र अपेक्षित मूर्त लागतों के एक नगण्य/अभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के दोहन से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और व्यावसायिक व्यवहार्यता के निर्धारण तक परियोजना-दर-परियोजना आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत एक अलग पंक्ति मद के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में इन्हें लागत में से संचित हानि/प्रावधान घटाकर मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/ परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.10 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित किए जाते हैं और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; जब स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए किसी परियोजना/खान की व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

क. अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख. कोयले के 2 साल के उत्पादन,या

ग. वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो।

2.11 अमूर्त संपत्तियाँ और परिशोधन

अलग-अलग अर्जित अमूर्त संपत्तियों की प्रारंभिक मान्यता लागत पर की जाती है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यय शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानियों को घटाकर रखा जाता है।

तदुपरान्त व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में चिन्हित किया जाता है जब यह संभव हो कि लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त संपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण और अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है।

अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन अमूर्त परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अमूर्त संपत्ति	उपयोगी जीवन
एसएपी/ईआरपी	: 6 वर्ष
अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	: लाइसेंस अवधि
रेल कॉरिडोर	: समझौता ज्ञापन अनुबंध अवधि के अनुसार जीवन

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जाँच की जाती है।

हालाँकि, बिक्री के लिए चिन्हित या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों (अर्थात, सीआईएल के लिए निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉकों) से संबंधित अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी मूल्यह्रास जाँच की जाती है।

अनुसंधान पर व्यय को जब भी खर्च किया जाता है, व्यय में शामिल किया जाता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हो और कंपनी का प्रयोजन विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हो।

2.12 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई के उपयोग मूल्य और उसके उचित मूल्य में से निपटान लागत घटाकर जो भी अधिक हो, वह होती है। यह राशि किसी एकल परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से प्राप्त नकदी प्रवाह से पूर्णतः स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न न करती हो। ऐसी स्थिति में, वसूली योग्य राशि उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी क्षति परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी-उत्पादक इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान हो तो परिसंपत्ति की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में घटा दिया जाता है और हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी में मूल्य वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है; या व्यवसायों के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति को प्रारंभ में उसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू हो उधार लेने की लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयताओं या इक्विटी साधन का निर्माण करती है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.14.1.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से लेनदेन लागत सहित उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, ऐसा वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होते है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.1.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई) पर ऋणसाधन।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल) पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई) पर मापे गए ईक्विटी साधन

2.14.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत परिशोधित लागत पर ऋण साधन मापे जाते हैं:

क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारण करना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागतों को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.1.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेबट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को चिन्हित कर लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में चिन्हित किए गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत लाभ एवं हानि के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.1.2.3 एफवीटीपीएल में डेबट इंस्ट्रूमेंट

डेबट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड (जिसे ' बेमेल लेखांकन' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक चिन्हित किए गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर लाभ-हानि में चिन्हित सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.14.1.2.4 अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय मानक लेखांकन 101 (भारतीय मानक लेखांकन में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि परिवर्तन (ट्रांजिशन) की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। तत्पश्चात अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.14.1.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव उपकरण दर उपकरण के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है। भारतीय मानक लेखांकन 109 के क्षेत्र में शामिल सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं। लाभ और हानि के विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए तब लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है ।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.1.3 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया जाता है (जैसे तुलनपत्र से हटाया गया), जब :

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व मान लिया है और या तो (क) कंपनी ने; परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, तो कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देनदारी को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बरकरार रखे गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले भाग और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक प्रतिफल की अधिकतम राशि पर मापा जाता है।

2.14.1.4 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय मानक लेखांकन 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि, जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय मानक लेखांकन 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया:-

- **व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; और**
- **भारतीय मानक लेखांकन 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य**

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, यह प्रारंभिक मान्यता से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.14.2 वित्तीय देयताएँ

2.14.2.1 आरंभिक मान्यता तथा मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शाई जाती है।

2.14.2.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है:

2.14.2.2.1 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को, यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं, व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है । इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय मानक लेखांकन 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में चिन्हित किया जाता है।

2.14.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में तब चिन्हित किया जाता है जब देयताओं की पहचान प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

2.14.2.3 मान्यता वापस लेना

कोई वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व को निर्वहन, निरस्त या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया गया है, ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता रद्दीकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता(या किसी वित्तीय देयता का भाग) की वहन राशि के समाप्त होने या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित होने और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें हस्तांतरित किसी भी गैर-नकद संपत्ति या ग्रहण की गई देयताएँ शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.14.2.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो कि इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, के लिए पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। बिजनेस मॉडल में बदलाव कम ही होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का

निर्धारण करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो कोई ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से संभावित रूप से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी किसी भी पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज का दोबारा वर्णन नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनकी गणना के तरीके को दर्शाती है :

वास्तविक वर्गीकरण	**संशोधित वर्गीकरण**	**लेखांकन विधि**
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पीएंडएल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में चिन्हित किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली वहन राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में लाभ एवं हानि के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.14.2.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर धन प्राप्त करने के लिए संपत्ति बेचने और साथ ही देयताओं के निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की ऑफसेट की जाती है और निवल राशि को समेकित बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी ऐसे माप के लिए नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है:

क. स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

ख. स्तर 2: उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने योग्य हैं।

ग. स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (इनपुट जो अवलोकन योग्य नहीं है) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्यों के मापन के संबंध में कंपनी के पास एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.14.3 नगद एवं नगद समकक्ष

तुलनपत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और पास में रखे नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, शामिल हैं।

2.15. उधार लेने की लागत

प्रत्यक्ष रूप से अर्हता प्राप्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन को छोड़कर उधार लेने की लागत जहां आवश्यक हो, व्यय की जाती है अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब योग्य परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आय कर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में वर्णित है क्योंकि इसमें आय या व्यय की मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन मदों को भी शामिल नहीं किया गया है जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारी की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होने संभावना हो जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है जो अस्थायी अंतर साख से या किसी लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर को बदलाव पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो और यह संभावना हो कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावना हो कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे जिनके विरुद्ध अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और उसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जहाँ यह संभावना नहीं रह जाती कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे परिसंपत्ति का पूरा या आंशिक भाग वसूल किया जा सके। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावना हो जाती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे आस्थगित कर परिसंपत्ति का पूरा या आंशिक भाग वसूल किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुरूप होंगे।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन वस्तुओं से संबंधित होते हैं जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में पहचाने जाते हैं, उस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब समायोजित किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहां शेष राशि को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा होता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पावधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह माह पूर्व पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.17.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगार पश्चात एक लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी की कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं

होगी। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर की जाती है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार उत्पाद पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाता है, जिसमें लाभ का भुगतान होने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, संपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना इत्यादि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुअरी द्वारा गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य के रिफंड या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो कंपनी को यह आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है।

निवल परिभाषित लाभ देयता का पुन: मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभाव को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ रोजगार उपरांत लाभ और सेवा समाप्ति लाभों के अलावा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं जिनका वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बाद बारह माह से पहले पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का निवल योग लाभ एवं हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) निवल परिभाषित लाभ देनदारी (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) निवल परिभाषित लाभ दायित्व (संपत्ति) का पुन: माप

2.18 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं का रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अंतरण किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों के निपटान और देयताओं या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण जो उन दरों जिस पर अवधि के दौरान या उनके प्रारम्भिक मान्यता पर पिछले वित्तीय विवरणों में भिन्न अंतरों पर अंतरित किए गए थे, लाभ-हानी विवरणी में उत्पन्न विनिमय अंतरों को अवधि में मान्यता दी जाती है ।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्य लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि

ओपनकास्ट खनन के मामले में, कोयले तक पहुँचने और उसके निष्कर्षण के लिए खदान के अपशिष्ट पदार्थ ("ओवरबर्डन"), जिसमें कोयला परत के ऊपर की मिट्टी और चट्टान शामिल हैं, को हटाना आवश्यक है। कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और यह ओपनकास्ट खदान के पूरे जीवनकाल में होती रहती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्गीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग लागत का हिसाब अलग-अलग खदानों के लिए अलग-अलग रखा जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के लिए कंपनी का लेखा-जोखा निम्नवत है:

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत :

ये निकाले जाने वाले कोयले तक पहुंच प्राप्त करने के लिए की गई प्रारंभिक ओवरबर्डन हटाने की लागत है। जब यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है तो इन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। एक बार जब उत्पादन चरण शुरू हो जाता है, तो खदान के जीवन(परिचालन समय) पर पूंजीगत विकास स्ट्रिपिंग लागत का परिशोधन किया जाता है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत :

कंपनी की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद ये ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और भविष्य में निकाले जाने वाले कोयले तक बेहतर पहुंच। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को मानक स्ट्रिप अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोयला) का उपयोग करके उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के बीच आवंटित किया जाता है। मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के पूरे जीवनकाल में निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की कुल मात्रा है। जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन की स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल के दौरान किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन का मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव पड़ सकता है। अनुपात में परिवर्तन को संभावित रूप से ध्यान में रखा जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से शामिल किया गया है।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की क्षमता वाली खदानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देती है।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1 कोयला भंडार

कोयले/कोक की सूची कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर वर्णित है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके इन्वेंट्री की लागत की गणना की जाती है। निवल वास्तविक मूल्य इन्वेंट्री की अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा करने की सभी अनुमानित लागतों और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर दर्शाता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच अंतर +/- 5% तक है, समझा जाता है और ऐसे मामलों में जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है, वहां मापे गए स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे शेयरों का मूल्यांकन निवल वस्तिक मूल्य या लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोक को कोयले के भण्डार का एक भाग माना जाता है।

कोयले और कोक-फाइन का मूल्यांकन लागत से कम या निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग), वॉशरी की मिडलिंग और सह -उत्पादों का मूल्यांकन निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है और कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

2.20.2 भंडार पुर्जे और अन्य वस्तु सूची

अन्य वस्तु सूची सहित स्टोर और स्पेयर के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित दुकानों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित न किए गए स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किए जाते हैं।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, और यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो, वहाँ प्रावधानों को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर दर्शाया जाता है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभ के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो, दायित्व को आकस्मिक दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रतिबिंबित हो।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर पश्चात लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डायल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी।

2.23 स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (अनुपात परिवर्तन)

पहले मान्यता प्राप्त स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान, सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से लगातार अपनाई गई नीति पर आधारित है। स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान को खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में ओबी और कोयले के वर्तमान अनुपात के आधार पर मान्यता दी गई या रद्द किया गया। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी अपेक्षित मात्रा से अधिक ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा निकालने पर उत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है। ऐसा उत्क्रमण विशिष्ट खदानों के लिए उस दर पर होता है जिस पर उक्त प्रावधान को मान्यता दी गई है।

2.24 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय मानक लेखांकन के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और संपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के खुलासे और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से युक्त लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रस्तुत किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की जाती हैं कि वित्तीय विवरणों में लेनदेन, अन्य गतिविधियों और उन पर लागू होने वाली शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल होती है। जब इन नीतियों को लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो उन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशेष रूप से लागू होने वाले भारतीय मानक लेखांकन की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने एक लेखांकन नीति विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी मिलती है:

क. उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और

ख. उस वित्तीय विवरण में विश्वसनीय: और

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है;

(ii) लेनदेन के आर्थिक सार, अन्य घटनाओं और स्थितियों को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को;

(iii) तटस्थ हैं, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त हैं; (iv) विवेकपूर्ण हैं; और (v) सुसंगत आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों को संदर्भित करता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(क) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय मानक लेखांकन में आवश्यकताएं; और

(ख) फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं पर विचार करता है और उसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारण निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का इस हद तक उपयोग करते हैं कि ये भारतीय लेखा मानक और लेखा नीतियों और प्रथाओं के साथ मतभेद नहीं करते जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में बताया गया है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास उत्पादन चरण दशकों से चल रही लीज अवधि में फैले विभिन्न स्थलाकृतिक और भू-खनन इलाके पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है), लेखांकन नीतियां जहां अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं के आधार पर विकसित की गई है और पिछले कई दशकों से इसके लगातार इस्तेमाल के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। विकास की प्रक्रिया में चल रहे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों के अभाव में, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और भारतीय मानक लेखांकन 8 में विशेष रूप से किसी भी विकास को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार उत्तरदायी माना जाएगा।

2.24.1.2 सामग्री

भारतीय मानक लेखांकन उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन यह तय करने में निर्णय लेता है कि व्यक्तिगत वस्तुएं या वस्तुओं के समूह वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण हैं या नहीं। भौतिकता का मूल्यांकन वस्तुओं की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी जानकारी को छोड़ना या गलत बताना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य जानकारी के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं। प्रबंधन,

भारतीय मानक लेखांकन के अनुपालन आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए भौतिकता के निर्णय का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से अमूर्त वस्तुओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी, पिछली अवधियों से संबंधित पाई गई त्रुटियों/चूकों को चालू वर्ष में सारहीन माना जाता है और समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल मिलाकर परिचालन (शुद्ध वैधानिक लेवी) से कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं होती हैं ।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौता किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और संपत्ति का उचित मूल्य, कि यह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को बरकरार रखता है और इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कार और परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए खाते हैं।

2.24.2 आकलन और धारणाएँ

भविष्य से संबंधित मुख्य धारणाएं और रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमान की अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन मात्रा में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम होता है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाने पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किया है । हालाँकि, मौजूदा परिस्थितियाँ और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएँ बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबद्ध धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित होता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा नीचे किया गया है।

2.24.2.1 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी निर्माण करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो निपटान की लागत और उपयोग में उसके मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है, तो हानि का संकेत होता है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकदी निर्माण करने वाली इकाई मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ़ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या भविष्य के महत्वपूर्ण निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्यनिष्पादन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और संबंधित नोट्स में आगे वर्णन किया गया है।

2.24.2.2 आयकर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

पारिभाषित लाभ, ग्रेच्युटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

2.24.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.24.2.5 खान बंदी, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंद करने, साइट बहाली और डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य का निर्धारण करने में, छूट दरों, साइट बहाली और निराकरण की अपेक्षित लागत और उन लागतों के अपेक्षित समय के संबंध में धारणा और अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खदान की अवधि को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित आधार पर प्रावधान का अनुमान लगाती है:

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- छूट दर (कर-पूर्व दर) जो धन के समय मूल्य और देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करती है।

2.25 उपयोग किए गए संक्षिप्त शब्द:

क.	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई	ठ.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	रियायती नगद प्रवाह	ड.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ढ़.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ण.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड़.	जीएएपीई	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त	त.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च.	भा.लेखा.मा.	भारतीय मानक लेखांकन	थ.	एनसीएल	नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	द.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	लाभ एवं हानि	लाभ एवं हानि	ध.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टिट्यूड लिमिटेड
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	न.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	प.	आईआईसीएम	इंडियन इन्स्टीट्यूड ऑफ कोल मेनेजमेंट
ट.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	फ.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1 : सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

(₹ करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि1	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत3	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एंड फीक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारित संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियाँ	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरीडोर	सौर एवं अन्य परिसंपत्तियां	कुल
सकल वहन राशि:																
1 अप्रैल,2023 तक	7.09	8,187.01	407.06	1,223.68	2,575.37	36.35	36.40	40.41	42.64	412.38	686.76	1,337.60	37.63	1,124.36	0.52	16,155.26
योग	-	901.65	24.09	165.06	584.66	7.68	0.74	9.10	14.37	0.02	222.82	419.54	5.02	-	-	2,354.75
विलोपन/समायोजन	(0.17)	0.34	(46.97)	36.89	(104.25)	0.66	(1.65)	(5.43)	(1.58)	0.07	(30.47)	-	(6.59)	-	0.91	(158.24)
31 मार्च, 2024 तक	6.92	9,089.00	384.18	1,425.63	3,055.78	44.69	35.49	44.08	55.43	412.47	879.11	1,757.14	36.06	1,124.36	1.43	18,351.77
1 अप्रैल, 2024 तक	6.92	9,089.00	384.18	1,425.63	3,055.78	44.69	35.49	44.08	55.43	412.47	879.11	1,757.14	36.06	1,124.36	1.43	18,351.77
योग	2.04	631.17	320.97	149.97	616.07	9.24	2.76	19.02	54.90	346.34	71.42	590.48	6.03	878.45		3,698.86
विलोपन/समायोजन			(0.13)	2.03	(136.24)	(1.65)	(1.30)	(0.45)	(0.01)		(27.92)	(2.66)	(10.47)		0.69	(178.11)
31 मार्च 2025 तक	8.96	9,720.17	705.02	1,577.63	3,535.61	52.28	36.95	62.65	110.32	758.81	922.61	2,344.96	31.62	2,002.81	2.12	21,872.52
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि 3.1.4																
1 अप्रैल,2023 तक	-	1,300.39	204.92	334.82	889.50	17.92	18.20	21.78	28.96	149.17	286.64	74.71	19.36	371.12	0.07	3,717.56
वर्ष के लिए प्रभार	-	270.67	13.57	70.20	219.52	3.19	2.91	7.13	2.99	28.67	110.76	162.32	0.38	73.53	0.08	965.92
विलोपन/समायोजन	-	1.29	-	(15.26)	(79.67)	0.18	(1.44)	(2.48)	(0.13)	-	(4.47)	-	(3.87)	-	0.05	(105.80)
31 मार्च, 2024 तक	-	1,572.35	218.49	389.76	1,029.35	21.29	19.67	26.43	31.82	177.84	392.93	237.03	15.87	444.65	0.20	4,577.68
1 अप्रैल, 2024 तक	-	1,572.35	218.49	389.76	1,029.35	21.29	19.67	26.43	31.82	177.84	392.93	237.03	15.87	444.65	0.20	4,577.68
वर्ष के लिए प्रभार		303.08	19.84	87.87	280.40	5.17	2.89	9.78	7.58	39.77	94.50	160.87		78.79	0.11	1,090.65
विलोपन/समायोजन		0.27		(0.41)	(117.92)	(1.27)	(0.84)	(3.96)	(0.02)		(25.19)		(5.12)		0.05	(154.41)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि1	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत3	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एंड फीक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारित संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियाँ	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरीडोर	सौर एवं अन्य परिसंपत्तियां	कुल
31 मार्च 2025 तक	-	1,875.70	238.33	477.22	1,191.83	25.19	21.72	32.25	39.38	217.61	462.24	397.90	10.75	523.44	0.36	5,513.92
शुद्ध वहन राशि																
31 मार्च 2025 तक	8.96	7,844.47	466.69	1,100.41	2,343.78	27.09	15.23	30.40	70.94	541.20	460.37	1,947.06	20.87	1,479.37	1.76	16,358.60
31 मार्च, 2024 तक	6.92	7,516.65	165.69	1,035.87	2,026.43	23.40	15.82	17.65	23.61	234.63	486.18	1,520.11	20.19	679.71	1.23	13,774.09

3.1.1. कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि को भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित करने वाली अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए विश्वसनीय आकलन/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और पूंजीकरण को मंजूरी आदेश के बाद समायोजित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, ओड़िशा सरकार भूमि व्यवस्थापन अधिनियम 1962 को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित अधिकार के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

3.1.2. नोट 2.7 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालाँकि, एक अलग श्रेणी की संपत्ति में शामिल कुछ एम्बेडेड संपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने तक, इन संपत्तियों पर गैर-अलग श्रेणी की संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

3.1.3. भूमि पुनर्ग्रहण/साइट पुनरुद्धार लागत में खदान बंदी के चरण में होने वाली अनुमानित लागत शामिल होती है, जिसे मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए उचित रूप से बढ़ाया जाता है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी जाती है, जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

3.1.4. संचित हानि में गतिविधि

1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91		19.36	-	-	23.75
वर्ष के लिए प्रभार													0.38			0.38
विलोपन/समायोजन													(3.87)			(3.87)
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91		15.87	-	-	20.26
1 अप्रैल, 2024 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91		15.87	-	-	20.26
वर्ष के लिए प्रभार													-			-
विलोपन/समायोजन													(5.12)			(5.12)
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91		10.75	-	-	15.14

3.1.5 अधिग्रहित फ्रीहोल्ड भूमि के स्वामित्व विलेख कंपनी के अधिकार में हैं और कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं, सिवाय कुछ मामलों के, जहां कानूनी औपचारिकताओं के लंबित रहने के कारण यह प्रगति पर है।

3.1.6 कंपनी ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(रुपये करोड़ में)

	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन संरचना/ विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल,2023 तक	314.36	1,633.83	259.29	1,386.52	634.03	184.44	-	4,412.47
योग	163.92	495.61	277.97	527.24	44.82	110.14	-	1,619.70
पूंजीकरण/विलोपन	(104.54)	(80.35)	(11.20)	(918.26)	0.89	-	-	(1,113.46)
31 मार्च, 2024 तक	**373.74**	**2,049.09**	**526.06**	**995.50**	**679.74**	**294.58**	**-**	**4,918.71**
1 अप्रैल, 2024 तक	373.74	2,049.09	526.06	995.50	679.74	294.58	-	4,918.71
योग	186.89	238.45	252.45	162.68	870.94	17.66		1,729.07
पूंजीकरण/विलोपन	(35.34)	(431.38)	36.82	(49.37)	(1,203.41)	(1.00)		(1,683.68)
31 मार्च 2025 तक	**525.29**	**1,856.16**	**815.33**	**1,108.81**	**347.27**	**311.24**	**-**	**4,964.10**
संचित हानि								
1 अप्रैल,2023 तक	16.13	12.88	0.12	81.24	-	-	-	110.37
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	**16.13**	**12.88**	**0.12**	**81.24**	**-**	**-**	**-**	**110.37**
1 अप्रैल, 2024 तक	16.13	12.88	0.12	81.24	-	-	-	110.37
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन /समायोजन	(3.21)			(32.95)				(36.16)
31 मार्च 2025 तक	**12.92**	**12.88**	**0.12**	**48.29**	**-**	**-**	**-**	**74.21**
सकल वहन राशि:								
31 मार्च 2025 तक	512.37	1,843.28	815.21	1,060.52	347.27	311.24	-	4,889.89
31 मार्च, 2024 तक	**357.61**	**2,036.21**	**525.94**	**914.26**	**679.74**	**294.58**	**-**	**4,808.34**

1.कार्यशील पूंजी का समय निर्धारण अनुसूची (सकल):

	31.03.2025 तक चालू पूंजीगत कार्यों की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियजनाएं :					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	230.30	127.26	5.65	162.08	525.29
संयंत्र और उपकरण	566.56	318.43	169.46	801.71	1,856.16
रेलवे साइडिंग	505.24	189.14	10.39	110.56	815.33
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	625.48	121.54	111.47	202.42	1,060.91
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	10.36			336.91	347.27
सौर परियोजना		310.24		1.00	311.24
अन्य					
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)					
संयंत्र और उपकरण					
रेलवे साइडिंग					
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				47.90	47.90
कुल	**1,937.94**	**1,066.61**	**296.97**	**1,662.58**	**4,964.10**

NOTES TO THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

टिप्पणी 3.2 : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (जारी)

	31 मार्च, 2024 तक चालू पूंजीगत कार्यों की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियजनाएं :					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	64.12	55.30	15.66	238.66	373.74
संयंत्र और उपकरण	122.93	325.74	1,043.42	557.00	2,049.09
रेलवे साइडिंग	271.01	9.29	3.94	241.82	526.06
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	150.86	89.80	190.56	516.37	947.59
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	0.89	73.40		605.45	679.74
सौर परियोजना	2.69	290.89	-	1.00	294.58
अन्य				-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				47.91	47.91
कुल	**612.50**	**844.42**	**1,253.58**	**2,208.21**	**4,918.71**

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के प्रारम्भ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

31.03.2025 तक प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सकल)

2. भौतिक पूंजी के लिए अतिदेय -प्रगतिशील कार्य (सकल)

	---------- में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिशील परियोजनाएं:				
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)				
ओएसए कॉलोनी में मुख्य पाइपलाइन उपलब्ध कराना और बिछाना	0.15			
संयंत्र और उपकरण				
मैन राइडिंग सिस्टम के लिए 52 गोलपोस्ट का निर्माण		0.01		
मैन राइडिंग की स्थापना के लिए ड्राइव हेड की पुनर्प्राप्ति		0.02		
रेलवे साइडिंग				
तालचेर से पारादीप बंदरगाह तक ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम				66.79
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
पीजोमीटर निर्माण-सीएमपीडीआई		0.05		
ओरिएंट माइन नं. 03 के लिए एमडीओ दस्तावेज़		0.14		
खुली खदान 1 तथा 2 के 10 ईंट के खंभों का निर्माण		0.17		

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (जारी)

	---------- में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
56L/2DN HR अनुभाग पर यूजी स्ट्रेट्स बंकर का निर्माण		0.06		
सीएमपीडीआई-ओरिएंट में पीजोमीटर का निर्माण		0.03		
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन				
परियोजना का नाम				
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
परियोजना का नाम				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
परियोजना का नाम				
अन्य हेड				
परियोजना का नाम				
कुल	**0.15**	**0.48**	**-**	**66.79**

नोट 3.3 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि::	
1 अप्रैल,2023 तक	132.05
योग	21.97
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन	(2.27)
31 मार्च, 2024 तक	**151.75**
1 अप्रैल, 2024 तक	151.75
योग	25.94
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन	
31 मार्च 2025 तक	**177.69**
संचित हानि	
1 अप्रैल,2023 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट 3.3 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (जारी)

विलोपन /समायोजन	-
31 मार्च, 2024 तक	-
1 अप्रैल, 2024 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
विलोपन /समायोजन	-
31 मार्च 2025 तक	-

सकल वहन राशि

31 मार्च 2025 तक	177.69
31 मार्च, 2024 तक	151.75

नोट 3.3 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

अन्वेषण और मूल्यांकन

1. अन्वेषण और मूल्यांकन के लिए समय वृद्धि अनुसूची (सकल)

	31.03.2025 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	6.90	10.19	26.20	134.40	177.69
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं :					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	**6.90**	**10.19**	**26.20**	**134.40**	**177.69**

	31.03.2024 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	21.96	11.86	40.48	77.45	151.75
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं :					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	**21.96**	**11.86**	**40.48**	**77.45**	**151.75**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन

		में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं :					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त समनवेशी परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडॉर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल,2023 तक	22.68	4.57	-	-	27.25
योग	0.04	-	-	-	0.04
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	22.72	4.57	-	-	27.29
1 अप्रैल, 2024 तक	22.72	4.57	-	-	27.29
योग	0.13	-	-	-	0.13
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	22.85	4.57	-	-	27.42
संचित परिशोधन और हानि					
1 अप्रैल,2023 तक	4.49	-	-	-	4.49
वर्ष के लिए प्रभार	4.05	-	-	-	4.05
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	8.54	-	-	-	8.54
1 अप्रैल, 2024 तक	8.54	-	-	-	8.54
वर्ष के लिए प्रभार	3.74	-	-	-	3.74
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	12.28	-	-	-	12.28

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जारी)

सकल वहन राशि					
31 मार्च 2025 तक	10.57	4.57	-	-	15.14
31 मार्च, 2024 तक	14.18	4.57	-	-	18.75
3.4.1. संचित हानि में संचलन					
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2024 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-

टिप्पणी 3.5 :विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

			विकासाधीन सॉफ्टवेयर	विकासाधीन रेल कॉरिडोर	कुल
वहन राशि :					
1 अप्रैल,2023 तक			-	-	-
योग					-
पूंजीकरण/विलोपन					-
31 मार्च, 2024 तक			-	-	-
1 अप्रैल, 2024 तक			-	-	-
योग					-
पूंजीकरण/विलोपन					-
31 मार्च 2025 तक			-	-	-
संचित हानि					
1 अप्रैल,2023 तक			-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन /समायोजन					-
31 मार्च, 2024 तक			-	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.5 :विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जारी)

1 अप्रैल, 2024 तक			-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन /समायोजन					-
31 मार्च 2025 तक			-	-	-
सकल वहन राशि					
31 मार्च 2025 तक			-	-	-
31 मार्च, 2024 तक			-	-	-

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

1. विकासाधीन अमूर्त संपत्ति के लिए समय वृद्धि अनुसूची

	दिनांक 31.03.2025 तक विकासाधीन अमूर्त संपत्ति में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगतिशील परियोजनाएं:					
विकास के तहत ईआरपी	-	-	-	-	-
विकासाधीन रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	
कुल	-		-	-	-
	दिनांक 31.03.2024 तक विकासाधीन अमूर्त संपत्ति में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगतिशील परियोजनाएं:					
विकास के तहत ईआरपी	-	-	-	-	-
विकासाधीन रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	
कुल	-	-	-	-	-

2. विकास के अंतर्गत अतिदेय भौतिक अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
विकास के तहत ईआरपी				
कुल	-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.1 : निवेश

(रुपये करोड़ में)

	% धारिता	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
गैर-चालू			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)		-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)		-	-
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर			
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः भुगतान किए गए 64000000 शेयर (₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः भुगतान किए गए 64000000 शेयर)	71.11% (71.11%)	64.00	64.00
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः भुगतान किए गए 50000) (₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः भुगतान किए गए 50000)	100% (100%)	0.05	0.05
"एमजेएसजे कोल लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः भुगतान किए गए 57060000 (₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः भुगतान किए गए 57060000)	60% (60%)	57.06	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः भुगतान किए गए 24570000 (₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः भुगतान किए गए 24570000)	70% (70%)	24.57	24.57
		145.68	**145.68**
अन्य निवेश			
एमसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण (अर्ध इक्विटी)		208.00	208.00
कुल		**353.68**	**353.68**

चालू			दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
म्यूचुअल फंड (उद्धृत)	**Units**	**NAV (₹)**		
एसबीआई म्यूचुअल फंड - अल्ट्रा मैगनम	1213870.278 (P.Y.1907056.26)	5965.6466 (P.Y.5542.058)	724.15	1,056.90
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड फंड	173453.117 (P.Y.380824.884)	4055.9471 (P.Y.3779.282)	70.35	143.93
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	13479.216 (P.Y.537.456)	3108.1073 (P.Y.2893.527)	4.19	0.16
यूनियन म्यूचुअल फंड	26884.591 (P.Y.55462.152)	2501.5470 (P.Y.2328.516)	6.73	12.91
बीओआई म्यूचुअल फंड	8058.251 (-)	2986.6787 (-)	2.41	-
बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड	49812.749 (P.Y.1366.305)	2990.6861 (P.Y.2784.781)	14.90	0.38
			822.73	**1,214.28**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.1 : निवेश (जारी)

अन्य		
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)	-	-
	822.73	1,214.28
कुल		

4.1.1उद्धृत/गैर-उद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर-चालू		चालू	
	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक	FALSE	दिनांक 30.03.2024 तक
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	353.68	353.68	-	-
उद्धृत निवेश का कुल योग:	-	-	822.73	1,214.28
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:	-	-	822.73	1,214.28
निवेशों के मूल्य में कुल ह्रास की राशि:	-	-	-	-

टिप्पणी - 4.2 : ऋण

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
गैर-चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित और अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में क्रेडिट जोखिम	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
	-	-
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	2.66	1.67
-'असुरक्षित और अच्छा माना गया	-	-
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट जोखिम Q248	-	-
	2.66	**1.67**
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.2.1	-	-
	2.66	**1.67**
ब्याज रहित अग्रिम पर स्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	**2.66**	**1.67**

चालू

संबंधित पक्षों को ऋण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.2 : ऋण (जारी)

- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित और अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट जोखिम	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.2.1	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
-सुरक्षित और अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित और अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में हुई उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-

टिप्पणी - 4.2 : ऋण (जारी)

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए भत्ते में संचलन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(vii) देखें

	दिनांक 31.03.2025 तक	**दिनांक 30.03.2024 तक**
टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य	-	
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	2,669.32	2,146.61
-'असुरक्षित और अच्छा माना गया	-	-
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	43.65	105.94
क्रेडिट हानि	2,712.97	2,252.55
	43.65	105.94
घटाव : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता4.3.1	**2,669.32**	**2,146.61**
कुल		

4.3.1 समूह ने व्यापार प्राप्तियों के ऋण घाटे के लिए भत्ता निर्धारित करने में मैट्रिक्स प्रावधान के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। मैट्रिक्स प्रावधान ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय प्राप्तियों की अवधि और मैट्रिक्स प्रावधान में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य (जारी)

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में संचलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	105.94	42.80
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	63.86
अवधि के दौरान उपयोग किए गए	(62.29)	(0.72)
अवधि के अंत में शेष राशि	**43.65**	**105.94**

4.3.2निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16- (2)(vii) देखें

4.3.3 उपरोक्त व्यापार प्राप्य राशि में कोयला गुणवत्ता भिन्नता और अतिरिक्त सतही नमी के लिए प्रावधान के कारण ₹ 22.53 करोड़ की कमी हुई है (पिछले वर्ष में ₹ 100.110 करोड़ की कमी हुई है)

4.3.4 उपरोक्त व्यापार प्राप्य में अनुमानित पीआई और मुआवजा राशि ₹278.60 करोड़ शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ ₹263.04 करोड़)

4.3.5. व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

दिनांक 31.03.2025 तक

विवरण	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	278.60	1,815.69	156.45	337.53	60.35		2,648.62
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिससे ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि						9.03	9.03
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया ।					18.42	2.28	20.70
(iv) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिससे ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							-
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि						34.62	34.62
कुल	**278.60**	**1,815.69**	**156.45**	**337.53**	**78.77**	**45.93**	**2,712.97**
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						43.65	43.65
अपेक्षित ऋण घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.04%	1.61%

दिनांक 30.03.2024 तक

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
विवरण		6 महीने से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	263.04	1,135.72	544.62	197.28	3.64	0.03	2,144.33
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिससे ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि						17.62	17.62
(iv) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया						2.28	2.28
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिससे ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							-
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि						88.32	88.32

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य (जारी)

विवरण	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
कुल	**263.04**	**1,135.72**	**544.62**	**197.28**	**3.64**	**108.25**	**2,252.55**
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						105.94	105.94
अपेक्षित ऋण घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.87%	4.70%

टिप्पणी - 4.4 : नकद और नकद समकक्ष

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
बैंकों के साथ शेष		
- जमा खातों में	1,651.13	461.33
- चालू खातों में	95.55	132.09
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी4.4.1	342.00	201.00
उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
उपलब्ध नगद	-	-
विदेश में उपलब्ध नकदी	-	-
अन्य 4.4.2	0.17	0.19
कुल	**2,088.85**	**794.61**

4.4.1 प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं, जिनकी मूल परिपक्वता निवेश की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच होती है।

4.4.2 अन्य में ई-प्रोक्योरमेंट खाता, जीईएम खाता, अग्रदाय शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकदी और नकदी समतुल्य में नकद, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

टिप्पणी- 4.5 : अन्य बैंक शेष

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
बैंकों के पास शेष राशि		
जमा खाते	9,572.53	12,022.64
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए) 4.5.1)	14.56	11.54
कुल	**9,587.09**	**12,034.18**

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी /निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशियां और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है, शामिल हैं। - नोट 16 का पैरा 3(सी) देखें।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा राशि	54.59	52.38
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता 4.6.1	0.09	0.13
	54.50	52.25
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां 4.6.3	5.25	4.85
खदान बंदी योजना के अंतर्गत बैंक में जमा4.6.2	1,758.88	1,672.90
	1,764.13	1,677.75
वित्त पट्टा प्राप्तियाँ 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	18.53	30.51
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1	0.16	0.16
	18.37	30.35
कुल	**1,837.00**	**1,760.35**

चालू	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
धारक कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष	99.10	95.73
घटाव: सहायक कंपनियों के पास संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता	-	-
	99.10	95.73
IICM के साथ शेष	-	0.01
अर्जित ब्याज	230.16	483.59
प्राप्य वित्त पट्टा 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	495.08	274.89
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता	-	0.03
	495.08	274.86
कुल	**824.34**	**854.19**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में संचलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	0.32	0.16
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	0.16
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(0.07)	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**0.25**	**0.32**

4.6.2 खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा राशि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31.01.2025 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए एक एस्क्रो खाता खोला गया है। कुल राशि का 50% तक एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित जमा की गई राशि दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप हर पांच साल बाद जारी किया जा सकता है। हालाँकि जिस वर्ष 5 वार्षिक प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है, वार्षिक प्रतिपूर्ति लागू नहीं होगी (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 9.1 देखें)

	दिनांक 31.03.2025 तक	**दिनांक 30.03.2024 तक**
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष	1,672.90	1,399.01
जोड़: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	0.17	194.28
जोड़: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (निवल टीडीएस)	117.31	79.61
घटाव: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	31.50	-
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष	1,758.88	1,672.90

4.6.3. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशि वे बैंक जमाराशियाँ हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/ निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं। टिप्पणी 16 के पैरा 3(सी) को देखें।

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	**दिनांक 31.03.2025 तक**	**दिनांक 30.03.2024 तक**
पट्टा आय	-	-
वे परिवर्तनशील पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर आधारित नहीं हैं	-	-
कुल	**-**	**-**

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे :

विवरण	**दिनांक 31.03.2025 तक**	**दिनांक 30.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**

प्रचालन पट्टा

(iii) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	**दिनांक 31.03.2025 तक**	**दिनांक 30.03.2024 तक**
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	**-**	**-**

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	**दिनांक 31.03.2025 तक**	**दिनांक 30.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पाँच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**

(v) दिनांक 31.03.2025 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष/अवधि के दौरान योग**	**वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरीडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष/अवधि के दौरान योग**	**वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	-	-	-	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरीडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.5निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

टिप्पणी- 5.1 : वस्तु-सूची

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
कोयला (तैयार उत्पाद)	1,630.29	1,021.11
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाव: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान 5.1.1	-	-
	1,630.29	1,021.11
भंडार, स्पेयर्स और अन्य वस्तुसूची (निवल)5.1.3	271.78	282.66
घटाव : धीमी गति , स्थिर तथा अप्रचलित वस्तुसूची के लिए प्रावधान5.1.2	21.88	24.55
	249.90	258.11
कुल	**1,880.19**	**1,279.22**

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में संचलन का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.2 भंडार और पुर्जों की सूची में वे वस्तुएं शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलने वाली और अप्रचलित श्रेणियों में आती हैं। इन वस्तुओं के लिए कंपनी की नीति के अनुसार प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। धीमी गति से चलने वाली, स्थिर और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और अन्य इन्वेंटरी के प्रावधानों में संचलन का विवरण:

अवधि की शुरुआत में शेष राशि	24.55	23.08
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	1.42	3.22
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(4.09)	(1.75)
अवधि के अंत में शेष राशि	21.88	24.55

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 6.1 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
अग्रिम पूंजी	1,303.78	2,172.61
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता[6.1.1]	0.50	0.50
	1,303.28	**2,172.11**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	64.36	24.25
घटाव : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता[6.1.1]	-	
	64.36	**24.25**
प्रगतिशील खदान बंदी पर होने वाला व्यय [6.1.2]	858.38	656.38
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	**2,226.02**	**2,852.74**
6.1.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में संचलन का विवरण		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	0.50	0.60
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया		(0.10)
अवधि के अंत में शेष राशि	0.50	0.50

6.1.2 उपरोक्त विवरण, खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियां

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिमs		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	48.16	80.26
घटाव : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता6.2.1	-	
	48.16	**80.26**
अन्य जमा और अग्रिम[6.2.2 and 6.2.3]	2,205.37	2,197.31
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता[6.2.1]	5.88	5.92
	2,199.49	**2,191.39**
प्रगतिशील खदान बंदी पर होने वाला व्यय6.1.2	38.79	104.91
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य6.2.4	2,707.19	2,036.68
कुल	**4,993.63**	**4,413.24**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 6.1 : अन्य चालू परिसंपत्तियां (जारी)

6.2.1 बकाया और संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं (चालू) में संचलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	5.92	6.09
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	0.05	-
अवधि के दौरान उपयोग किए गए	(0.09)	(0.17)
अवधि के अंत में शेष राशि	**5.88**	**5.92**

6.2.2 इसमें विरोध के तहत जमा शामिल है और निपटाए गए मामलों जैसे : - आयकर ₹ 1588.23 करोड़ (पी.वाई. ₹ 1588.23 करोड़), विक्रय कर ₹ 6.16 करोड़ (पी.वाई. ₹ 15.60 करोड़), सेवा कर ₹0.31 करोड़ (पी.वाई. ₹ 0.59 करोड़), केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 3.75 करोड़ (पी.वाई. ₹ 3.69 करोड़), जीएसटी ₹ 1.37 करोड़ (पीवाई ₹ 0.03 करोड़) और स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹ शून्य (पीवाई ₹ 10.00 करोड़) के लिए अभी तक धनवापसी प्राप्त नहीं हुई है।

6.2.3 इसमें अतिरिक्त सीएसआर ₹ शून्य (पी.वाई.₹ 19.28 करोड़) शामिल हैं।

इनपुट सामग्री/सेवाओं पर दिए गए जीएसटी के बदले में मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), जिसका इस्तेमाल आउटपुट पर लगने वाले जीएसटी के भुगतान में किया जा सकता है, ₹2707.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2036.68 करोड़) तक जमा हो गया है। इसमें बड़े पैमाने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत खनन कार्यों हेतु दी जाने वाली रॉयल्टी पर 18% की दर से लगने वाला जीएसटी शामिल है, जिसकी वसूली कोयले पर देय शुल्क की 5% तक सीमित है। अवतरण कर संरचना के कारण संचित होने वाली राशि, भले ही वर्तमान में उपयोग में नहीं लाई जा रही हो, क्योंकि इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार आईटीसी वापसी योग्य नहीं है, तथा इसे भविष्य में संभावित उपयोग के लिए चालू परिसंपत्तियों के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके उपयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

6.2.5 निदेशकों के बकाया शुल्क के लिए - नोट 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

	दिनांक 31.03.2025 तक	**दिनांक 30.03.2024 तक**
अधिकृत पूंजी		
प्रति ₹ 1000/- के 1,39,58,200 इक्विटी शेयर	1,395.82	1,395.82
प्रति ₹ 1000/- के 20,41,800 अर्थात 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (प्रतिदेय)	204.18	204.18
निगमित, अंशदानित और चुकता शेयर पूँजी		
(पिछले वर्ष प्रति ₹1000 रुपये के पूर्ण भुगतान किए गए 13236726 इक्विटी शेयर)	1,323.67	1,323.67
कुल	**1,323.67**	**1,323.67**

7.1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

शेयरधारकों का नाम		**धारित शेयरों की संख्या**	**कुल शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान % परिवर्तन**
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामांकित	दिनांक 31.03.2025 तक	13236726	100.00	0.00%
	दिनांक 30.03.2024 तक	13236726	100.00	0.00%

* कंपनी में केवल एक प्रमोटर है जिसके पास 100% शेयर हैं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी (जारी)

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान:-

विवरण	Number of Share	Amount
दिनांक 31.03.2020 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
दिनांक 31.03.2021 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
दिनांक 31.03.2022 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
दिनांक 31.03.2023 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
बोनस अंक @ 1:1	66,18,363	661.83
दिनांक 31.03.2024 तक शेष राशि	1,32,36,726	1,323.67
समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
दिनांक 31.03.2025 तक शेष राशि	1,32,36,726	1,323.67

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयरों है जिसका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मताधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद किया जाएगा। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

टिप्पणी - 7.2: अन्य इक्विटी

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	4,225.97	3,684.80
प्रतिधारित आय	12,728.90	11,097.79
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**16,954.87**	**14,782.59**

(ए) पूंजी मोचन रिजर्व

					दिनांक 31.03.2025 तक		दिनांक 30.03.2024 तक
पूंजी मोचन रिजर्व					-		44.29
पूंजी रिजर्व					-		-
सामान्य रिजर्व					-		(44.29)
प्रतिधारित आय					**-**		**-**
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा							
कुल							

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 7.2: अन्य इक्विटी (जारी)

(i) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, जब कोई कंपनी अपने स्वयं के शेयरों को मुक्त रिजर्व या प्रतिभूति प्रीमियम से खरीदती है, तो खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित की जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूंजी प्रतिपूर्ति रिजर्व का विवरण

विवरण	**राशि (रुपये करोड़ में)**		**वर्ष**
	0		
कुल	**0**		

(बी) पूंजी रिजर्व

	दिनांक 31.03.2025 तक		**दिनांक 30.03.2024 तक**
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-		-
अवधि के दौरान योग	-		-
बोनस शेयर जारी करना	-		-
अवधि के दौरान समायोजन	-		-
अवधि के अंत में शेष राशि	**-**		**-**

(सी) सामान्य रिजर्व

	दिनांक 31.03.2025 तक		**दिनांक 30.03.2024 तक**
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	3,684.80		3,710.08
अवधि के दौरान योग	-		-
वर्ष के दौरान समायोजन	-		(617.55)
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	541.17		592.27
अवधि के अंत में शेष राशि	**4,225.97**		**3,684.80**

सामान्य रिजर्व एक मुक्त रिजर्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(डी) (i) प्रतिधारित आय

	दिनांक 31.03.2025 तक		**दिनांक 30.03.2024 तक**
वर्ष के आरंभ में शेष राशि (iii)	11,193.12		8,939.99
अवधि के लिए लाभ	10,823.26		11,845.40
अंतरिम लाभांश	(7,500.00)		(7,500.00)
अंतिम लाभांश	(1,100.00)		(1,500.00)
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	(541.17)		(592.27)
अवधि के अंत में शेष राशि	**12,875.21**		**11,193.12**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 7.2: अन्य इक्विटी (जारी)

(डी) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)

वर्ष के आरंभ में शेष राशि	(95.33)	(53.23)
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	(50.98)	(42.10)
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का शेयर	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**(146.31)**	**(95.33)**
कुल (डी(i) + (ii))	**12,728.90**	**11,097.79**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल है (शुद्ध कर)
(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की जाती है।
(e) अन्य समग्र आय की मदें
(अन्य समग्र आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा))

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
एक विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में आने वाले मतभेदों पर चर्चा		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों के अन्य व्यापक आय/व्यय में हिस्सेदारी	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

टिप्पणी - 8.1 : उधार

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
अन्य से 8.1.1		
सुरक्षित	2.67	3.28
असुरक्षित	-	-
	2.67	**3.28**
चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता8.1.1	0.68	0.67
	0.68	**0.67**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 8.1 : उधार (जारी)

8.1.1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा गारंटीकृत ऋण:

ऋण का विवरण	राशि करोड़ रुपये में	गारंटी की प्रकृति
बैंक्वे नेशनेल डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक्वे, फ्रांस	3.35	भारत सरकार ने हमारे सभी भुगतान देयताओं के संबंध में अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान की।

बैंक नेशनले डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस से लिए गए 0.68 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.67 करोड़ रुपये) के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान देय राशि उपरोक्त गारंटी में शामिल है।

पुनर्भुगतान अनुसूची : बैंक नेशनले डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस : इन ऋण सुविधाओं का भुगतान 30 सितंबर, 2030 को पूरा हो जाएगा।

दिनांक 31.03.2025 तक एमसीएल के पास कोई बैंक उधार नहीं था। कोल इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी, ने सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की ओर से, ₹ 430.00 करोड़ की कार्यशील पूंजी ऋण सीमा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ एक कार्यशील पूंजी संघ समझौता किया है।कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने बैंकों के समूह से लिए गए ऋण को कोयले, स्टॉक, पुर्जों और बकाया धनराशि पर गिरवी रखकर सुरक्षित किया है।

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर-चालू	**दिनांक 31.03.2025 तक**	**दिनांक 30.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष	2.29	2.17
इस अवधि के दौरान योग	-	-
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	0.12	0.15
पट्टा देयताओं का भुगतान	(0.12)	(0.03)
अवधि के समापन पर शेष राशि	2.29	2.29
चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष	0.18	0.18
इस अवधि के दौरान योग	-	
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	0.18	0.18
पट्टा देयताओं का भुगतान	(0.12)	(0.18)
अवधि के समापन पर शेष राशि	0.24	0.18

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और चालू):

विवरण	**दिनांक 31.03.2025 तक**	**दिनांक 30.03.2024 तक**
1 वर्ष तक	0.18	0.18
1-5 वर्ष	0.71	0.71
5 वर्ष से अधिक	13.25	13.46

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 8.2: पट्टा देयताएं (जारी)

8.2.2 दिनांक 31.03.2025 तक प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए योग	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	1.97			1.82	0.15
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरीडोर					
अमूर्त संपत्ति					

दिनांक 31.03.2024 तक प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए योग	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	2.13			1.97	0.16
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरीडोर					
अमूर्त संपत्ति					

पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि, जब तक कि कंपनी के पास संपत्ति को किसी अन्य पक्ष को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, प्रयोगाधिकार संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टे को तुलन-पत्र पर प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान स्टेट लाइन के आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि प्रयोगाधिकारी परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
प्रयोगाधिकार सम्पत्तियों का मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.15	0.16
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	0.12	0.15
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय		
विक्रय और पट्टे पर वापस लेने के लेनदेन से हुआ लाभ या हानि		
	0.27	0.31

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 8.2: पट्टा देयताएं (जारी)

8.2.4 नकद प्रवाह विवरण में दर्शाया गया पट्टों का कुल नकद भुगतान

विवरण	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
वित्तीय पट्टा देयताओं का भुगतान अल्पावधि पट्टों से संबंधित नकदी बहिर्वाह	(0.12)	(0.03)
	(0.12)	**(0.03)**

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	4.49	24.02
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,838.55	1,545.75
कुल	**1,843.04**	**1,569.77**

8.3.1 व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची

दिनांक 31.03.2025 तक

विवरण	अदा न किए गए बकाया	लेनदेन की तारीख से बाद की अवधि के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई		4.49				4.49
ii) अन्य	1,288.58	425.24	42.44	16.83	65.46	1,838.55
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई						-
iv) विवादित बकाया - अन्य						-
कुल	**1,288.58**	**429.73**	**42.44**	**16.83**	**65.46**	**1,843.04**

दिनांक 30.03.2024 तक

विवरण	अदा न किए गए बकाया	लेनदेन की तारीख से बाद की अवधि के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई	-	24.02	-	-	-	24.02
ii) अन्य	1,116.70	243.71	-	164.33	21.01	1,545.75
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
iv)विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**1,116.70**	**267.73**	**-**	**164.33**	**21.01**	**1,569.77**

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
गैर-चालू		
ठेकेदारों और अन्य लोगों से प्राप्त जमा राशि	645.55	690.85
अन्य	-	-
कुल	**645.55**	**690.85**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं (जारी)

चालू		
सीआईएल के साथ चालू खाता	23.90	-
आईआईसीएम का चालू खाता	-	-
ठेकेदारों और अन्य लोगों से प्राप्त जमा राशि	334.43	383.02
पूंजीगत व्यय के लिए देय	4,035.10	3,983.16
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	448.40	404.48
अन्य	309.87	274.35
कुल	**5,151.70**	**5,045.01**

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	0.00	-
छुट्टी नकदीकरण	241.98	29.06
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	65.71	63.05
अन्य कर्मचारी लाभ	29.99	25.27
	337.68	117.38
अन्य प्रावधान		
साइट की बहाली/खान बंद करना9.1.3	1,178.11	836.33
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन 9.1.2	17,334.66	17,902.97
अन्य	-	-
कुल	**18,850.45**	**18,856.68**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	29.53	34.42
छुट्टी नकदीकरण	49.87	49.77
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	15.81	13.60
अन्य कर्मचारी लाभ	377.82	435.91
	473.03	533.70
साइट की बहाली/खान बंदी	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	417.58	267.57
कुल	**890.61**	**801.27**

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन,

		वर्ष की शुरुआत में शेष	अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग/ भुगतान किया गया	अवधि के अंत में शेष राशि
अन्य कर्मचारी लाभ		461.18	388.86	(442.23)	407.81
अन्य		267.57	150.01	-	417.58

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान (जारी)

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (अनुपात भिन्नता): पूर्व में मान्यता प्राप्त स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अपनाई गई नीति पर आधारित है। स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (शुद्ध) को खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में ओबी से कोयले के वर्तमान अनुपात के आधार पर मान्यता दी गई या उसे उलट दिया गया। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी अपेक्षित मात्रा से अधिक ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा निकालने पर उत्क्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है। ऐसा प्रतिवर्तन उन खानों के लिए विशिष्ट है जिन पर उक्त प्रावधान को मान्यता दी गई है।

किसी खदान के मामले में, स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान के कारण निकाले गए अतिरिक्त ओवरबर्डन की मात्रा, प्रारंभिक औसत स्ट्रिपिंग दर से गुणा किए गए अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा से अधिक हो, तो उसे लाभ-हानि विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दिखाया जाएगा और शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान में संबंधित डेबिट दर्ज किया जाएगा।

हालांकि, वर्तमान में अपनाई जा रही स्ट्रिपिंग गतिविधि की नीति (नोट 2.20) को ध्यान में रखते हुए, कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं बनाया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बनाई गई ₹18547.88 करोड़ की राशि को यहाँ ऊपर बताएँ अनुसार व्यवस्थित रूप से समायोजित किया जा रहा है। तदनुसार शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान से ₹ 568.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 398.49 करोड़) की राशि समायोजित की गई है, जिसका सीधा असर लाभ-हानि विवरण पर होगा (नोट 13.6 देखें)।

स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान में संचलन का विवरण:

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
(i) स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान		
वर्ष की शुरुआत में शेष	**17,902.97**	**18,301.46**
वर्ष के दौरान रिवर्स- स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान के लिए	(568.31)	(398.49)
वर्ष के दौरान रिवर्स - अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन के लिए		
वर्ष के अंत में शेष राशि	**17,334.66**	**17,902.97**

9.1.3 साइट बहाली / खदान बंदी के लिए प्रावधान: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि सुधार और संरचनाओं के डीकमिशनिंग के लिए कंपनी के दायित्व में खुली और भूमिगत दोनों खदानों पर खर्च करना शामिल है। खदान बंदी, साइट पुनर्स्थापना और डीकमीशनिंग के लिए दायित्व का अनुमान, अपेक्षित कार्य करने के लिए भविष्य में नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है। खदान बंद करने का व्यय स्वीकृत खदान बंदी योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है; जिससे एक व्यय उत्पन्न होता है जिसे वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट - 4.6 देखें)

भूमि का पुनर्वास/स्थल का जीर्णोद्धार/खदान बंदी का समन्वय :

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
शुरुआत की तिथि पर साइट बहाली का प्रावधान	836.33	1,028.35
साइट बहाली प्रावधान का योग	320.84	24.09
जोड़: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की अनवाइनडिंग	52.24	67.75
घटाव: अवधि/सीसीओ आदेश के दौरान निकासी	31.30	283.86
खदान बंदी प्रावधान	**1,178.11**	**836.33**

टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर-चालू देयताएं

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
स्थगित आय (सरकारी अनुदान)	97.34	111.25
अन्य	1.06	1.14
कुल	**98.40**	**112.39**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 10.2 : अन्य चालू देनदारियां

	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
वैधानिक बकाया	1,548.18	1,465.13
ग्राहकों / अन्य लोगों से अग्रिम राशि	4,729.96	4,416.59
स्थगित आय (सरकारी अनुदान)	13.90	13.90
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**6,292.04**	**5,895.62**

10.2.1 प्रबंधन का अनुमान है कि वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई देनदारियों के अलावा ब्याज सहित कोई अतिरिक्त भविष्य की देनदारियां उत्पन्न नहीं होंगी।

टिप्पणी - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

		दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
आयकर परिसंपत्ति			
वर्ष की शुरुआत में शेष		19,717.47	15,769.82
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		4,154.77	4,513.31
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी		(133.61)	(565.66)
अवधि के समापन पर शेष राशि		**23,738.63**	**19,717.47**
आयकर देयताएं			
वर्ष की शुरुआत में शेष		15,581.76	12,130.43
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	(14.1 और 15.1 देखें)	3,388.76	3,451.33
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/समायोजन		0.01	-
अवधि के समापन पर शेष राशि		18,970.53	15,581.76
अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)		**4,768.10**	**4,135.71**
के रूप में खुलासे किए गए :			
गैर-चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		-	-
आयकर देयताएं (शुद्ध)		-	-
चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		4,768.10	4,135.71
आयकर देयताएं (शुद्ध)		-	-
		4,768.10	**4,135.71**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11.2 : स्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

स्थगित कर देयता :	दिनांक 01.04.24 को शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(रिवर्स)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	दिनांक 01.04.25 को शेष राशि
संदिग्ध अग्रिम, दावे और ऋण के लिए प्रावधान	13.02	(0.01)	-	13.01
कर्मचारी लाभ	36.17	52.38	-	88.55
अन्य	(288.19)	335.23	-	47.04
कुल (क)	**(239.00)**	**387.60**	**-**	**148.60**
स्थगित कर देयता :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित	1,270.14	317.18	-	1,587.32
अन्य	-	-	-	-
कुल (बी)	**1,270.14**	**317.18**	**-**	**1,587.32**
शुद्ध स्थगित कर परिसंपत्ति/(स्थगित कर देयता) (सी= ए-बी)	(1,509.14)	70.42	-	(1,438.72)
D. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन डीटीएल(+)/डीटीए(-)	-			-
कुल स्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (ई=सी+डी)	**(1,509.14)**	**70.42**	**-**	**(1,438.72)**

के रूप में खुलासे किए गए:	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 30.03.2024 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
स्थगित कर देयता	1,438.72	1,509.14
	(1,438.72)	(1,509.14)

टिप्पणी - 12.1 : परिचालन से राजस्व

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03..2024 को समाप्त वर्ष के लिए
विक्रय		
विक्रय	36,606.32	37,200.78
घटाव: वैधानिक शुल्क	13,534.93	13,391.36
विक्रय (निवल) (ए) 12.1.1 and 12.1.2	**23,071.39**	**23,809.42**
अन्य परिचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	2,494.05	2,261.60
घटाव : वैधानिक शुल्क	120.18	107.63
	2,373.87	**2,153.97**
निकासी सुविधा शुल्क	1,301.68	1,253.22
घटाव: वैधानिक शुल्क	61.85	59.63
	1,239.83	**1,193.59**
अन्य सेवाओं से राजस्व	276.99	5.21
घटाव: वैधानिक शुल्क	-	0.80
	276.99	**4.41**
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (बी)	**3,890.69**	**3,351.97**
परिचालन से राजस्व (ए+बी)	**26,962.08**	**27,161.39**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 12.1 : परिचालन से राजस्व (जारी)

12.1.1 उपरोक्त विक्रय अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता और सतही नमी के लिए प्रावधान (रिवर्सल के बाद शुद्ध) ₹77.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹82.71 करोड़ की कमी) से बढ़ी है।

12.1.2 विक्रय में इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) ₹226.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹340.80 करोड़) और इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त मुआवजा ₹36.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹317.57 करोड़) शामिल हैं।

12.1.3 सेवाओं से प्राप्त राजस्व में रेलवे ट्रैक में निवेश के लिए बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए माइलेज से प्राप्त राजस्व से संबंधित 276.99 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

टिप्पणी - 12.2 : अन्य आय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय12.2.1	1,055.87	1,295.98
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ	4.73	3.63
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	150.80	142.63
पट्टा किराया	4.38	3.15
प्रावधान वापस लिखा गया12.2.2	64.16	2.73
देयताएं वापस लिखा गया	154.16	261.93
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	(12.91)	28.77
विविध आय	254.65	224.23
कुल	**1,675.84**	**1,963.05**

12.2.1 इसमें आयकर पर ब्याज और अन्य अप्रत्यक्ष कर ₹ 17.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16.89 करोड़) का रिफंड शामिल है।

12.2.2 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण देने के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्य के लिए (4.3.1)	62.29	0.72
वित्तीय जमा और प्राप्य के लिए (4.6.1)	0.07	-
कोयला और भंडार वस्तु-सूची के लिए (5.1.1 and 5.1.2)	4.09	1.76
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	-	0.10
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	0.09	0.16
घटाव : बट्टे खाते में डालने से संबंधित वापस लिखा गया प्रावधान	(2.38)	(0.01)
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	**64.16**	**2.73**

टिप्पणी - 13.1 : उपयोग की गई सामग्री की लागत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	513.14	439.63
लकड़ी	0.05	0.18
तेल और स्नेहक	386.19	426.19
एचईएमएम स्पेयर्स	116.65	128.10
अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे	85.18	88.58
कुल	**1,101.21**	**1,082.68**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 13.1(ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

टिप्पणी- 13.2 : तैयार माल की सूची में परिवर्तन, प्रगतिशील कार्य और व्यापार भंडार

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले के भंडार में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	1,021.11	757.55
प्रारंभिक स्टॉक को राजस्व में लाया गया	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	1,630.29	1,021.11
	(609.18)	(263.56)
वर्कशॉप और प्रेस कार्य की सूची में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	35.17	34.88
वर्ष के समापन पर स्टॉक	30.52	35.17
	4.65	(0.29)
कुल	(604.53)	(263.85)

टिप्पणी - 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरीs13.3.1 & 13.3.2	3,324.97	3,267.12
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	876.60	1,010.42
कर्मचारी कल्याण व्यय	290.53	271.76
कुल	**4,492.10**	**4,549.30**

13.3.1 वेतन एवं मजदूरी में भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, कार्य निष्पादन संबंधी वेतन, समयोपरि वेतन और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क आदि शामिल हैं।

13.3.2 ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ से संबंधित लाभों को छोड़कर विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19 के तहत 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण, जो बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, टिप्पणी 9.1.1 में दिए गए हैं।

13.3.3 परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19 के 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण, जो बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, टिप्पणी 16 (6) में प्रकट किए गए हैं।

13.3.4 वर्ष के दौरान भविष्य निधि के लिए ₹315.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹307.43 करोड़), पेंशन निधि के लिए ₹364.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹345.55 करोड़) और सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए ₹22.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.79 करोड़) व्यय की पहचान की गई।

टिप्पणी - 13.4 : वित्तीय लागत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
छूट की समाप्ति	71.18	66.80
उचित मूल्य में बदलाव (निवल)	-	-
अन्य उधार लागत13.4.1	0.04	0.04
कुल	**71.22**	**66.84**

13.4.1 इसमें उधार पर उपार्जित ₹शून्य का ब्याज शामिल है (पिछले वर्ष ₹शून्य)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	1,090.65	965.92
पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त संपत्तियां (नोट 3.4)	3.74	4.05
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	1,094.39	969.97
कम:		
कोयला खदानों के विकास/सीएसआर गतिविधियों के दौरान व्यय में स्थानांतरित	6.20	2.98
कुल	**1,088.19**	**966.99**

टिप्पणी - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान[13.6.1]	(568.31)	(398.49)
कोयले तक बेहतर पहुंच। [13.6.2]	(587.82)	(419.54)
	(1,156.13)	**(818.03)**

13.6.1: स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान: कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार, जब भी उलटफेर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता रिजर्व की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है।

13.6.2. कोयले तक बेहतर पहुंच: जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

टिप्पणी - 13.7: संविदात्मक व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क:	2,514.54	2,266.93
वैगन लोडिंग	75.47	91.38
कोयला और ओवरबर्डन के लिए आउटसोर्सिंग व्यय	4,214.81	3,066.37
अन्य संविदात्मक कार्य	336.74	436.85
कुल	**7,141.56**	**5,861.53**

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ऊर्जा व्यय	215.71	180.23
मरम्मत और रखरखाव		
-भवन	149.51	160.77
-संयंत्र एवं उपकरण	45.94	46.32
-अन्य	1.15	1.44
यात्रा व्यय	34.90	27.63
प्रशिक्षण व्यय	3.02	5.53
टेलीफोन और इंटरनेट	27.29	30.77
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	15.57	15.68

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भाड़ा प्रभार	-	-
विलंब शुल्क	32.04	2.88
लोडिंग शुल्क के अधीन	87.84	87.12
कोयला नमूनाकरण शुल्क	40.72	49.01
सुरक्षा व्यय	139.61	127.64
विधिक व्यय	7.98	7.39
सीआईएल का सेवा प्रभार	450.34	412.20
परामर्श शुल्क	2.64	2.22
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	66.34	40.69
विक्रय/अस्वीकार/सर्वेऑफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.94	0.05
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.24	0.19
कराधान मामलों के लिए	0.02	-
अन्य सेवाओं के लिए	0.20	0.17
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	0.06
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	3.14	3.28
पुनर्वास शुल्क	127.18	119.46
लीज रेंट और हायरिंग चार्ज	92.66	91.03
दरें और कर	241.78	154.60
बीमा	1.10	0.82
विनिमय दर विचरण पर हानि	0.08	0.04
बचाव/सुरक्षा हेतु अन्य व्यय	4.93	8.25
साईडिंग अनुरक्षण शुल्क	73.21	44.59
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	0.05
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	52.47	46.94
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	305.84	262.93
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.37	0.20
प्रावधान13.8.1	1.47	67.24
बट्टे खाते (पिछले प्रावधानों का शुद्ध योग)		
कुल बट्टे खाते	2.38	0.02
बट्टे खाते में पहले ही चिन्हित प्रतिलेखन का प्रावधान	(2.38)	(0.01)
बट्टे खाते (पहले से ही प्रतिलेखन प्रावधानों को वापस लिखने का निवल)	-	0.01
विविध व्यय	119.29	88.45
कुल	**2,345.55**	**2,085.88**

13.8.1प्रावधानों का विवरण

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्य के लिए (4.3.1)	-	63.86
वित्तीय जमा और प्राप्य के लिए (4.6.1)	-	0.16
कोयला और भंडार सूची के लिए (5.1.1 and 5.1.2)	1.42	3.22
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए(6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	0.05	-
वर्ष के दौरान प्रतिलेखान का कुल प्रावधान	**1.47**	**67.24**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

13.8.2 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03..2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	108.86	69.44
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	61.43	33.98
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.09	0.34
पर्यावरणीय स्थिरता	12.37	8.79
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	1.45	1.25
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ	-	-
ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1.11	14.80
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान	0.10	-
इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में योगदान	-	3.12
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	37.63	27.30
स्लम क्षेत्र विकास	0.16	-
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं	0.02	0.27
प्रशासनिक लागत	4.86	3.59
कुल	**228.08**	**162.88**
बी. आवश्यक सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय विवरण		
(ए) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत होल्डिंग और अनुषंगी कंपनियों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का 2%)	305.84	262.93
(बी) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	305.84	262.93
(सी) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) (i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	80.04	109.25
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	148.04	53.63
कुल	**228.08**	**162.88**
सी. मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और व्यय किए गए सीएसआर व्यय का मिलान	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03..2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
सीएसआर (खर्च सहित)	228.08	162.88
घटाव: वर्ष के दौरान अतिरिक्त अग्रेषित/(उपयोग)।	(19.28)	(100.05)
जोड़: चालू परियोजनाओं पर अप्रयुक्त सीएसआर व्यय	58.48	-
जोड़: चालू सीएसआर व्यय के अलावा अन्य पर खर्च न किया गया व्यय	-	-
लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि	305.84	262.93

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

डी. जारी परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)]	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03..2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	-	-
6 माह के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा किया जाना चाहिए	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	-	-

ई. अधिक व्यय की गई राशि [धारा 135(5)]

वर्ष वार विवरण	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	शेष जमा
2021-22	36.90	181.62	251.76	107.04
2022-23	107.04	195.68	207.97	119.33
2023-24	119.33	262.93	162.88	19.28
2024-25	19.28	305.84	228.08	-
Total				

अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिम और जमाराशियों के लिए फुटनोट देखें

एफ. अव्ययित चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03..2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि		305.84	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	कंपनियों के बैंक खाते से	247.36	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
शेष जमा	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	58.48	-

जी. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारम्भिक जमा	29.81
अवधि के दौरान वृद्धि	4.98
वर्ष के दौरान समायोजन	(29.81)
शेष जमा	4.98

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 14.1 : कर व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	3,405.91	3,465.49
पिछले वर्ष	-	-
कुल चालू कर	**3,405.91**	**3,465.49**
स्थगित कर[14.1.3]	(70.42)	282.21
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	
कुल	**3,335.49**	**3,747.70**
14.1.1 कर व्यय का समाधान:		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	14158.75	15593.10
25.168% की आयकर दर पर	3,563.47	3,924.47
घटाव: छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
जोड़: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अतिरिक्त व्यय की अनुमति)	(227.98)	(176.77)
एमएटी प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**3,335.49**	**3,747.70**
प्रभावी आयकर दर :	23.56%	24.03%

14.1.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

टिप्पणी - 15.1 : अन्य व्यापक आय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन15.1.1	(68.13)	(56.26)
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	
	(68.13)	(56.26)
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	**17.15**	**14.16**
	17.15	14.16
मदें, जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई की हिस्सेदारी	-	
बाहरी परिचालन के वित्तीय विवरणों में अंतरण में विनिमय अंतर	-	-
	-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय मतभेद	-	-
	-	-
कुल	**(50.98)**	**(42.10)**

15.1.1 यह आंकड़ा ग्रेच्युटी के संबंध में ₹(50.00) करोड़ (पिछले वर्ष ₹(53.02) करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए ₹(18.13) करोड़ (पिछले वर्ष ₹(3.24) करोड़) को दर्शाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी

1 ए) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के खिलाफ वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ करोड़ में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	**5,207.72**	**4,508.80**	**8.50**	**195.66**	**9,920.68**
अवधि के दौरान जोड़	441.47	268.27	6.17	1,584.12	2,300.03
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे :					
ए. प्रारंभिक शेष राशि से	600.70	1,255.08	5.38	68.94	1,930.10
बी. अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	170.66			170.66
दिनांक 31.03.2025 को शेष राशि	**5,048.49**	**3,351.33**	**9.29**	**1,710.84**	**10,119.95**

(₹ करोड़ में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष	**9,078.30**	**4,540.95**	**-**	**202.32**	**13,821.57**
अवधि के दौरान जोड़	561.02	186.08	8.50	17.91	773.51
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे :					
ए. प्रारंभिक शेष राशि से	4,431.60	201.81		24.57	4,657.98
बी. अवधि के दौरान अतिरिक्त		16.42			16.42
दिनांक 31.03.2024 को शेष राशि	**5,207.72**	**4,508.80**	**8.50**	**195.66**	**9,920.68**

Contingent Liability			
क्रमांक.	**विवरण**	**31.03.2025**	**31.03.2024**
1	केन्द्रीय सरकार		
	आय कर	4,773.31	4,876.43
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	226.86	73.53
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	26.71	223.15
	केंद्रीय विक्रय कर	-	-
	सेवा कर	4.41	5.19
	अन्य	17.20	29.42
	उप कुल	**5,048.49**	**5,207.72**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी		
	रॉयल्टी	147.74	705.10
	पर्यावरण मंज़ूरी	2,864.07	2,915.04
	बिक्री कर/वैट	20.41	20.75
	प्रवेश कर	5.29	5.29
	बिजली शुल्क		-
	अन्य	313.82	862.62
	उप कुल	**3,351.33**	**4,508.80**
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर	9.29	8.50
	अन्य	-	-
	उप-कुल	**9.29**	**8.50**
4	अन्य : (यदि कोई)		
	विविध - भूमि एवं अन्य	1,622.18	29.95
	मध्यस्थता, सिविल मुकदमे, कर्मचारी संबंधी आदि	88.66	165.71
	उप-कुल	1,710.84	195.66
	कुल योग	**10,119.95**	**9,920.68**

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत मामलों के निपटान में सिवाय इसके कि जहां प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो, कोई रुचि अपेक्षित नहीं है ।

कंपनी के लंबित मुकदमे में कंपनी के विरुद्ध दावा और कर/सांविधिक/सरकारी अधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त के संबंध में भविष्य के नकद बहिर्वाह न्याय/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली गतिविधियों से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की गतिविधियों के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

1) पत्र संख्या 7226 दिनांक 16.05.2011 और प्रभागीय वन अधिकारी, सुंदरगढ़ वन प्रभाग और परियोजना अधिकारी, सियारामल ओसीपी, एमसीएल के बीच हुई बैठक के कार्यवृत्त का हवाला देते हुए, एमसीएल ने ओएफडीसी के प्रभागीय प्रबंधकों को लकड़ी के विक्रय मूल्य का 75% जारी करने के लिए कई पत्र प्रस्तुत किए हैं। हालाँकि, एमसीएल को अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है और एमसीएल को देय राशि की कोई पुष्टि भी प्राप्त नहीं हुई है।

II. गारंटी

दिनांक 31.03.2025 को जारी बैंक गारंटी ₹ 633.54 करोड़ (पिछले वर्ष .₹ 618.67करोड़) है।

III. साख पत्र

31.03.2025 तक बकाया ऋण पत्र शून्य है (पिछले वर्ष - शून्य)

बी) प्रतिबद्धताओं

i) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष और प्रावधानित नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि: ₹3773.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4494.56 करोड़) (अग्रिमों का शुद्ध ₹2469.31 करोड़ (पिछले वर्ष. ₹2321.95 करोड़))है।

ii) शेयरों और अन्य निवेशों पर अघोषित देयता का आंशिक भुगतान: ₹ शून्य

iii) अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹15.81 crores

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

2 संबंधित पार्टी जानकारी

ए) समूह जानकारी

i) अनुषंगी कंपनियां

S.no.	इकाई का नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	निगमन राष्ट्र	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2025	31.03.2024
1	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	70.00%	70.00%
2	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	60.00%	60.00%
3	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	विद्युत उत्पादन	भारत	100.00%	100.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	रेल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण और संचालन	भारत	71.11%	71.11%

	सह-सहायक और धारक कंपनियां	प्रमुख गतिविधियाँ	निगमन राष्ट्र	संबंध
1	ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
2	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
3	सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
4	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
5	साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
6	नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
7	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	कोयला एवं खनिज अन्वेषण में परामर्श	भारत	सह-अनुषंगी
8	कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल)	कोयला खनन	मोज़ाम्बिक	सह-अनुषंगी
9	सीआईएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड	सौर ऊर्जा	भारत	सह-अनुषंगी
10	सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड	नवीकरणीय ऊर्जा	भारत	सह-अनुषंगी
11	भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड	कोयला गैसीकरण	भारत	सह-अनुषंगी
12	कोल गैस इंडिया लिमिटेड	कोयला गैसीकरण	भारत	सह-अनुषंगी
13	कोल इंडिया लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	धारक

ii) रोजगार पश्चात लाभ निधि और अन्य

S.No.	इकाई का नाम	प्रकृति	Country of Incorporation
1	एमसीएल एम्प्लोई ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम ट्रस्ट फंड	ट्रस्ट	India
2	कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में वैधानिक निकाय	India
3	कोल इंडिया सेवानिवृत्ति लाभ निधि ट्रस्ट	ट्रस्ट	India
4	गैर-कार्यकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना संशोधित	ट्रस्ट	India
5	सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट	ट्रस्ट	India

iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री उदय अनंत कावळे	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक	19.12.2023
श्री ए. के. बेहुरा	निदेशक (वित्त)	01.08.2022

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

श्री जुगल कुमार बोरा	निदेशक (तकनीकी- योजना एवं परियोजना) निदेशक (तकनीकी-संचालन)	19.04.2022 - 01.06.2023 23.11.2022
श्री संजय कुमार झा	निदेशक (तकनीकी- योजना एवं परियोजना)	07.03.2025
श्री केशव राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री सौभाग्य परिडा	कंपनी सचिव	25.04.2022
श्री संजीव कुमार कस्सी	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक	22.02.2023
श्री मुकेश चौधरी	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक	27.01.2023
श्री दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी	स्वतंत्र निदेशक	30.05.2023
डॉ. राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	31.05.2023

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2025	31.03.2024
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
ए.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	4.43	3.73
बी.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क	0.09	0.11
ii)	रोजगार पश्चात लाभ	0.63	0.59
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	सेवा समाप्ति लाभ		-
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	**5.15**	**4.43**

टिप्पणी:

v) उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18)/ PC--64, दिनांक 20.11.1964 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार रियायती दर पर भुगतान करने पर 750 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

VI) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया शेष । **(₹ करोड़ में)**

क्रमांक	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

VII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक या सदस्य भागीदार है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

बी. समूह के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेनदेन किया है जिसमें शीर्ष प्रभार, पुनर्वास प्रभार, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा जमा किए गए धन पर ब्याज तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित घोषणा किए गए हैं:

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

i) अनुषंगी कंपनियां

दिनांक 31.03.2025 तक बकाया शेष राशि और उस समय समाप्त अवधि के लिए लेनदेन (₹ in Crore)

संबंधित पार्टी का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लाभांश देय	परिसंपत्तियों/ भंडार सामग्री की बिक्री	सहायक कंपनियों द्वारा जमा किये गये धन पर ब्याज	अन्य (एलडीबीएम और सीआईटीएमसी)	चालू खाता शेष (देय)/ प्राप्य	बकाया शेष राशि (देय)/ प्राप्य
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड				-		0.33		
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड				(0.86)				
सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड				(6.07)				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.02				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड				1.38				
नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड				(0.08)				
कोल इंडिया लिमिटेड	450.34	127.18	8,600.00				(23.90)	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(2.48)		35.63	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड					(3.83)		54.38	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड					(0.15)		2.25	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.46)		6.84	
	450.34	**127.18**	**8,600.00**	**(5.61)**	**(6.92)**	**0.33**	**75.20**	**-**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध आय या ऋण शेष को दर्शाते हैं।

दिनांक 31.03.2025 तक बकाया शेष राशि और उस समय समाप्त अवधि के लिए लेनदेन								
संबंधित पार्टी का नाम	**शीर्ष प्रभार**	**पुनर्वास शुल्क**	**लाभांश देय**	**परिसंपत्तियों/ भंडार सामग्री की बिक्री**	**सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष पर ब्याज**	**अन्य**	**चालू खाता शेष (देय)/ प्राप्य**	**बकाया शेष राशि (देय)/ प्राप्य**
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड				(0.73)		(1.22)		
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड				0.04				
सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड				(16.04)				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.27				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड				0.42		(3.67)		
नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड				0.28				
कोल इंडिया लिमिटेड	412.20	119.46	9,000.00				5.12	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(2.12)		32.41	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड					(9.10)		50.47	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड					(0.11)		1.81	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.38)		5.92	
	412.20	**119.46**	**9,000.00**	**-15.76**	**(11.71)**	**(4.89)**	**95.73**	**-**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

सी. सीएमपीडीआईएल के साथ लेनदेन (₹ करोड़ में)

क्रमांक.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	लाभ और हानि का विवरण			
1	पूंजीगत व्यय	3.1	0.87	15.94
2		3.2	31.60	39.12
3		3.3	25.94	4.63
4		3.4		-
5		3.5		-
6	सीएमपीडीआईएल व्यय	13.8	64.94	42.26
7	पर्यावरण व्यय	13.8	36.54	31.67
8	आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	13.8	-	-
9	विविध व्यय	13.8	0.42	0.64
	तुलन पत्र			
1	पूंजीगत व्यय के लिए देय Expenditure			
2	व्यापार देनदारियां	10.2	16.57	5.46
3	तुलन पत्र के अन्य शीर्ष	8.3	48.61	26.32

डी. एक ही सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाएं:

कंपनी केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSU) है तथा इसके पास अधिकांश शेयर हैं (नोट-16 देखें)। सरकारी इकाई होने के कारण कंपनी को संबंधित पार्टी के लेन-देन तथा नियंत्रक सरकार और उसी सरकार के अधीन किसी अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित लेन-देन उसी सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के साथ समान मूल्य पर दर्ज किए गए हैं।

3 अन्य

ए) एमसीएल प्राकृतिक संसाधन

कंपनी ठेकेदार मेसर्स एनबीसीसी के माध्यम से 138.83 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अनुमानित कुल लागत के साथ 'एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट (एमआईएनआरईएम), भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है।निर्माण कार्य रोक दिया गया था क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने पहले प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए विचार नहीं किया था। हालाँकि, दिनांक 02.11.2018 को बीडीए ने एमसीएल के पक्ष में आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है। समझौता ज्ञापन को दिनांक 09.01.2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनः मान्य किया गया है और उपरोक्त कार्य 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है और संशोधित परियोजना लागत 155.33 करोड़ रुपये है। एनबीसीसी ने 04.08.2021 को सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई समय-सीमा के अनुसार 15 दिनों के भीतर काम फिर से शुरू नहीं किया था। कई पत्रों के बाद, एनबीसीसी को पत्र जारी होने की तिथि अर्थात 12.10.2021 से 15 दिनों के भीतर काम शुरू करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया है, ऐसा न करने पर एमसीएल के पास समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एनबीसीसी के साथ एमओयू की समाप्ति तथा समझौता ज्ञापन के अनुसार दंडात्मक प्रावधानों की सूचना एनबीसीसी को 05.01.2022 को दे दी गई है। शेष कार्य के लिए पीएमसी का कार्य पत्र संख्या एमसीएल/संबलपुर/सिविल/21-22/1641 दिनांक 02.02.2022 के तहत सीएमपीडीआईएल, रांची को सौंपा गया है।

कंपनी ने दिनांक 31.03.2025 तक संस्थान के निर्माण पर ₹ 131.18 करोड़ खर्च किए हैं।

कंपनी ने चक्रवात फनी और चोरी के कारण इमारत को हुए नुकसान के कारण ₹ 12.72 करोड़ की हानि का प्रभार लगाया है। इसके अलावा, चूंकि मामला विवाद में है, इसलिए 11वें और 12वें आरए बिल को मौजूदा मोबिलाइजेशन एडवांस के साथ लेखांकन और समायोजन के लिए लंबित रखा गया है।

बी) बलियापांडा मौजा, पुरी में भूमि

पुरी के बलियापांडा मौजा में 5 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत रु. 0.94 करोड़ (बाउंड्री वॉल के लिए जमा राशि सहित) है, पुरी नगर पालिका से 01.04.1996 से 99 साल की लीज अवधि के लिए ली गई है। हालांकि, पुरी के तहसीलदार ने 21.08.2004 को कलेक्टर पुरी को संबोधित अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 7206 के माध्यम से एमसीएल, भुवनेश्वर को एक प्रति भेजते हुए कहा कि उक्त क्षेत्र

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

"स्वेट वाटर जोन" के अंतर्गत आता है और इसे सरकार द्वारा आवास और शहरी विकास विभाग में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि उक्त भूमि स्वेट वाटर जोन के अंतर्गत आती है, लेकिन तहसीलदार पुरी ने 2008-09 तक उपकर के साथ जमीन का किराया स्वीकार किया है। इसके अलावा निदेशक (कार्मिक), एमसीएल ने पत्र संख्या 4707 दिनांक 08.01.2019 के माध्यम से कलेक्टर पुरी से स्टॉल परियोजना शुरू करने के लिए वैकल्पिक भूमि को जल्द सौंपने का अनुरोध किया। दिनांक 05.12.2019 को डीजीएम, एमसीएल द्वारा कलेक्टर, पुरी को वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए पत्र लिखा गया है। इसके बाद, उप महाप्रबंधक, एमसीएल और मुख्य प्रबंधक (खनन) ने 18.12.2020 को कलेक्टर, पुरी से मुलाकात की। कलेक्टर ने कहा कि नगर पालिका द्वारा एमसीएल को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर गलत तरीके से भूमि पट्टे पर दी गई थी, इसलिए नगर पालिका एमसीएल के पक्ष में कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं कर सकती है और नगर पालिका, पुरी के पास पहले जमा की गई भूमि के प्रीमियम की वापसी के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। एमसीएल ने नगर पालिका, पुरी के पास वापसी या वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन किया है और मामला प्रक्रियाधीन है।

सी) जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजन हेतु) न्यायालय, विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों के निर्देशानुसार तथा नोट-4.5 एवं नोट-4.6 में दर्शाए गए बैंक गारंटी जारी करने के लिए बनाए जाते हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

नोट 4.5 - ₹ 14.35 करोड़

i. न्यायालय के आदेश के अनुसार, सावधि जमा में वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर अनुबंधों के विरुद्ध वसूले गए मूल्य अंतर के विरुद्ध किए गए ₹ 8.22 करोड़ शामिल हैं।

ii. सावधि जमा में ₹ 0.24 करोड़ शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेश के अनुसार रिट याचिका संख्या 3109/2015 के अंतिम निर्णय तक 40% टेपरिंग मनी के लिए किए गए थे।

iii. सावधि जमा में माननीय उच्च न्यायालय कटक (ओडिशा) के अंतरिम आदेश के विरुद्ध किए गए ₹1.71 करोड़ शामिल हैं, जो विवादित भूमि से संबंधित मुआवजे की शेष राशि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किए जाने हैं।

iv. बैंक जमा में एमआईएमएसआर के लिए संस्थागत भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए टीएएमडीए के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए ₹1.07 करोड़ शामिल हैं।

v. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 0.16 करोड़ जमा किए गए।

vi. 0.25 करोड़ रुपये एफडीआर के रूप में अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में जमा किए गए।

vii. मेसर्स हिंदुस्तान डोर ओलिवर के बैंक गारंटी के नकदीकरण के संबंध में माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एफडीआर के रूप में ₹ 1.13 करोड़ जमा किए गए।

viii. माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश पर मेसर्स उत्कल हाईवेज़ के लिए टीडीआर के रूप में ₹1.55 करोड़ की बैंक जमा राशि

नोट 4.6 - ₹ 5.30 करोड़

i. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 2.80 करोड़ जमा किए गए।

ii. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹1.74 करोड़ जमा किए गए।

iii. अधीक्षण अभियंता सुंदरगढ़ सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹0.23 करोड़ जमा किए गए।

iv. ईब-वैली कोल वाशरी का लाइसेंस जारी करने के लिए खान कार्यालय, संबलपुर के उप निदेशक के पक्ष में ₹ 0.01 करोड़ जारी किए गए।

v. हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/समझौते के तहत जल बांध प्रभाग के पक्ष में ₹0.47 करोड़ की बैंक जमा राशि गिरवी रखी गई।

vi. कार्यकारी अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 0.06 करोड़ जमा किए गए।

डी) रेलवे बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक (इंफ्रा-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या 2018/Infra/12/19 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेल लाइन के लिए बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त के लिए रियायत समझौता दिनांक 11.03.2024 को दक्षिण पूर्व रेलवे और एमसीएल के बीच निष्पादित किया गया है। बढ़े हुए माइलेज के माध्यम से रियायत पुनर्भुगतान समझौता दिनांक 17.04.2023 से लागू होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, रेलवे की ओर से रेलवे रसीद (आरआर) विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप एमसीएल को दिए जाने वाले बढ़े हुए माइलेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और इसके अलावा अंतिम रूप देने से पहले रेलवे के साथ एक परिशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। वर्तमान अवधि के दौरान, रेलवे से आरआर विवरण की पुष्टि के बाद, केवल एमसीएल साइडिंग के लिए, 17.04.2023 से

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

31.03.2024 की अवधि के लिए गणना की गई 122.65 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई माइलेज को वित्त वर्ष 2024-25 के समाप्त वर्ष के खातों में आय के रूप में दर्ज किया गया है। समान लंबाई के ट्रैक पर स्थित अन्य निजी साइडिंग के आरआर विवरण के अभाव में, उस ट्रैफ़िक के लिए राजस्व की गणना और मान्यता नहीं दी जा सकी। ट्रैक की समान लंबाई में अन्य निजी साइडिंगों के आरआर विवरण के अभाव में, उस यातायात के लिए राजस्व की गणना और मान्यता नहीं दी जा सकी।

ई) सीआईएल के एक समान लेखा अनुदेश के अनुरूप, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन ओवरबर्डन के नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनंतिम प्रविष्टि पर विचार किया जाता है, वर्ष के लिए आंकड़े घोषित होने पर, अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए अंतर अंतिम प्रविष्टि ली जाती है।

एफ) दिनांक 01.04.2015 से भारतीय लेखा मानक (लेखा. मानक) में परिवर्तन के बाद, अचल संपत्ति के वहन मूल्य को लागत मॉडल के अनुसार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, संपत्ति के शुद्ध वहन मूल्य को संपत्ति का सकल वहन मूल्य माना गया है और खातों में संचित मूल्यह्रास को शून्य माना गया है, हालाँकि, परिसंपत्तियों की मूल अधिग्रहण लागत का रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से, लेखांकन सॉफ्टवेयर में परिसंपत्ति मास्टर को परिवर्तित नहीं किया गया है।

g) किरिपसिरा गाँव और रतनसारा गाँव का कुछ हिस्सा भारत संघ द्वारा दिनांक 13.09.2006 और 17.01.2008 की अधिसूचना जारी करके अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। हालाँकि, प्रारंभिक चरण में मुआवज़े का भुगतान एमसीएल की ज़िम्मेदारी होगी और वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जुलाई 2013) के बिंदु संख्या 6 (मुआवज़े का भुगतान) के अनुसार उत्तराधिकारी कंपनी से उक्त देयता वसूल कर सकती है। गैर-एमसीएल हिस्से के संबंध में मुआवज़े का मूल्य ₹656.94 करोड़ है। हालाँकि, उपरोक्त गाँवों को अभी तक कोई मुआवज़ा भुगतान नहीं किया गया है।

टिप्पणी - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी

4 उचित मूल्य माप

(ए) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण (₹ करोड़ में)

	31.03.2025		31.03.2025	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी				
निवेश * :				
सुरक्षित बांड		-		-
म्यूचुअल फ़ंड			1,214.28	
ऋण		2.66		1.67
जमा एवं प्राप्य		2,661.34		2,614.54
व्यापार प्राप्तियां**		2,669.32		2,146.61
नकद और नकद समतुल्य		2,088.85		794.61
अन्य बैंक बैलेंस		9,587.09		12,034.18
वित्तीय देयताएं				
उधार		3.35		3.95
व्यापार देनदारियां		1,843.04		1,569.77
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		979.98		1,073.87
पट्टा देयताएं		2.53		2.47
अन्य देनदारियां		4,817.27		4,661.99

*** अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है, जिसे उपयुक्त के अनुसार नहीं माना जाता है।**

**** कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता व्यापार प्राप्य से काटा गया।**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

(बी) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	31.03.2025		31.03.2024	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फ़ंड/ आईसीडी	822.73	-	1,214.28	-

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का घोषणा की जाती है	31.03.2025		31.03.2024	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय पूंजी				
निवेश * :				
सुरक्षित बांड		-		0.00
म्यूचुअल फ़ंड		2.66		1.67
ऋण		2,661.34		2614.54
जमा एवं प्राप्य		2,669.32		2,146.61
व्यापार प्राप्तियां**		2,088.85		794.61
नकद और नकद समतुल्य		9,587.09		12034.18
अन्य बैंक बैलेंस				
वित्तीय देयताएं				
उधार		3.35		3.95
व्यापार देनदारियां		1,843.04		1569.77
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		979.98		1073.87
पट्टा देयताएं		2.53		2.47
अन्य देनदारियां		4,817.27		4661.99

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में उपयोग न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके उचित मूल्य निर्धारण किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

(सी) उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

(डी) महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(ई) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्यनिष्पादन के साथ संयोग मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने पर प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को बनाए रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारण किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

5) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन संरचना पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह टिप्पणी उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्य और वित्तीय परिसंपत्तियाँ	समय अवधि विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण; व्यापार प्राप्तियों के प्रतिपक्ष डिफ़ॉल्ट जोखिम को सुरक्षा जमा, अग्रिम, बैंक गारंटी आदि जैसे वित्तीय आश्वासनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
नकदी जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण सीमा और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त नकदी के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

ए. ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो-इकोनॉमिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

ईंधन आपूर्ति समझौते(एफएसए)

जैसा कि परिकल्पित है, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार कंपनी ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए तैयार करती है, जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था बनाती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोयला) का दोहन और आवंटन करने की योजना (शक्ति) के विभिन्न खंडों के अंतर्गत राज्य विद्युत उपयोगिताओं, निजी विद्युत उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए;

•ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत ग्राहकों के साथ गैर-विद्युत उद्योगों शामिल (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("CPPs"))

• राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपनी कोयला आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनकी मानक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयला आवश्यकता और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब कोई प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में चूक करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है। व्यापारिक प्राप्तियों के प्रतिपक्ष चूक जोखिम का प्रबंधन सुरक्षा जमा, अग्रिम, बैंक गारंटी आदि जैसे वित्तीय आश्वासनों द्वारा किया जाता है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी, संदिग्ध/ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रावधान करती है। नोट - 4.3, व्यापार प्राप्य देखें।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

उपर्युक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विचार करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

बी. नकदी जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथा और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

सी. बाजार जोखिम

ए) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

बी) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से ब्याज दर में परिवर्तन के साथ उत्पन्न होता है। कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

डी) पूंजी प्रबंधन

चूंकि यह कंपनी एक सरकारी इकाई है, इसलिए यह अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:		
	31.03.2024	31.03.2023
इक्विटी शेयर पूंजी	1,323.67	1,323.67
दीर्घावधि ऋण	2.67	3.28

6) कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखांकन मानक -19)

परिभाषित लाभ योजनाएँ

ए) उपदान

कंपनी पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली एक रोजगार-पश्चात परिभाषित लाभ योजना (""ग्रेच्युटी योजना"") के रूप में ग्रेच्युटी प्रदान करती है। ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी से सेवानिवृत्त होने के समय संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम ₹20 लाख तक होता है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि को उस वर्ष में सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं।

ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर बीमा कवरेज (जीवन बीमा राशि- ""एलसीएसए"") भी प्रदान करता है, ताकि अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई की जा सके, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।

बी) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों, उनके जीवनसाथियों और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कम से कम 40% किसी भी विकलांगता से पीड़ित कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घर में केवल भारत में अधिकतम सीमा के अधीन चिकित्सा प्रदान करना है, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या सामान्य कोल कैडर के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, उनके जीवनसाथी और आश्रित दिव्यांग बच्चों के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग, पूरे जीवनकाल में प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है, सिवाय उन विशिष्ट बीमारियों के जिनकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ संचालित समूह ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग समय किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

सी) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस -एनई)

"वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है, ताकि गैर-अधिकारियों और उनके जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) को कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध बाह्य रोगी/स्थानीय अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके, जो कि अधिकतम सीमा के अधीन है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति के कारण, जो समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं या जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) की मृत्यु हो जाती है। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों और जीवनसाथी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है, योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित योगदान योजनाएँ

ए) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व-निर्धारित दरों अर्थात मूल वेतन और महंगाई भत्ते का क्रमशः 12% और 7% भविष्य निधि और पेंशन निधि पर भविष्य निधि और पेंशन निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) कहा जाता है। अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

बी) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक राशि का योगदान नहीं करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है। मूल और महंगाई भत्ते का 6.99% का वर्तमान नियोक्ता योगदान लाभ और हानि के विवरण में लगाया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ए) छुट्टी नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की अर्ध-भुगतान छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों की ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल को भुनाने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ भुनाने के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यकारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कर्मचारी प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित छुट्टी का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस के कारण सेवा बंद होने पर शेष छुट्टी या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए अनुमत है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों का निपटान सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी होने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम की योग्य बीमा पॉलिसियों द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

बी) जीवन कवर योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर स्कीम" (LCS) के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को शामिल होते है। सेवा में मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब चिन्हित की जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत देय लाभ होता है।

सी) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर निपटान भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के अंतर्गत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

डी) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना से बचाने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान सीआईएल द्वारा किया जाता है।

ई) यात्रा भत्ता योजना

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

एफ) खदान दुर्घटना में कामगारों को मिलने वाला मुआवजा लाभ

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। घातक खदान दुर्घटना के मामले में 07.11.2019 से कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत की पहचान तब की जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के अंतर्गत लाभ देय होता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) (i) वित्त पोषित

- o उपदान
- o अवकाश नकदीकरण
- o सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)
- o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

(ii) गैर वित्त पोषित

- o जीवन कवर योजना
- o निपटान भत्ते
- o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- o अवकाश यात्रा रियायत
- o खदान दुर्घटना में कामगारों को मिलने वाला मुआवजा लाभ

31.03.2025 तक बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर बीमांकिक प्रावधान, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक बीमांकिक देयता	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता / (समायोजन)	दिनांक 01.04.2024 प्रारंभिक बीमांकिक देयता	अवधि के दौरान वृद्धिशील देयता/ (समायोजन)	31.03.2025 तक समापन बीमांकिक देयता
	01.04.2023		**01.04.2024**		**31.03.2025**
उपदान	1,328.49	115.33	1,443.82	33.74	1,477.56
छुट्टी	537.44	113.98	651.42	36.64	688.06
निपटान भत्ते	15.35	0.07	15.42	(0.12)	15.30
अवकाश यात्रा रियायत	21.49	1.43	22.92	5.72	28.64
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	298.51	31.70	330.21	35.64	365.85
कुल	**2,201.28**	**262.51**	**2,463.79**	**111.62**	**2,575.41**

बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक 19 (2015) प्रमाण पत्र के अनुसार 31.03.2025 तक ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
	तालिका-1		
ए	**लाभ तथा हानि (लाभ तथा हानि)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	41.40	46.79
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	72.78	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	114.18	46.79
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(4.91)	(1.11)
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	**लाभ और हानि में निर्धारित लागत**	**109.28**	**45.68**
बी	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	31.08	17.26
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	32.08	45.61

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

3	अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	63.15	62.87
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(10.14)	(12.87)
5	ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	53.02	50.00

सी	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	सेवा लागत	114.18	46.79
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(4.91)	(1.11)
3	ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	53.02	50.00
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	162.29	95.69

तालिका-2

नेट तुलन-पत्र की स्थिति

		(₹ करोड़ में)	**(₹ करोड़ में)**
		31.03.2024	**31.03.2025**
ए	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	रिभाषित लाभ देयता (डीबीओ)	(1,443.83)	(1,477.56)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	1,409.41	1,447.98
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(34.42)	(29.58)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(34.42)	(29.58)

B	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का मिलान**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	6.55	(34.42)
2	सेवा लागत	(114.18)	(46.79)
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	4.91	1.11
4	ओसीआई में निर्धारित राशि	(53.02)	(50.00)
5	नियोक्ता अंशदान	121.32	100.52
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभ की लागत		
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(34.42)	(29.58)

तालिका-3		**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
	लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
ए	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	1,328.49	1,443.83
2	वर्तमान सेवा लागत	41.40	46.79
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	91.38	95.08

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (ऋण)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	72.78	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	31.08	17.26
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएँ	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	32.08	45.61
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(153.39)	(171.02)
12	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	1,443.83	1,477.56

बी	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,335.05	1,409.41
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	96.29	96.19
4	नियोक्ता योगदान	121.32	100.52
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	10.14	12.87
6	भुगतान किये गये लाभ	(153.39)	(171.02)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,409.41	1,447.98

तालिका-4 **(₹ करोड़ में)**

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

ए	**वर्ष के अंत में अपेक्षित लाभ का भुगतान**	**31.03.2025**
1	मार्च 31, 2026	145.93
2	मार्च 31, 2027	146.37
3	मार्च 31, 2028	141.03
4	मार्च 31, 2029	143.15
5	मार्च31, 2030	132.15
6	मार्च 31, 2031 से मार्च 31, 2035	531.48
7	10 वर्षों से अधिक	1,697.88
बी	**31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**48.99**
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**8 years**
डी	**दिनांक 31.03.2025 को अर्जित लाभ दायित्व**	**1,114.16**
ई	**दिनांक 31.03.2025 तक योजना परिसंपत्ति जानकारी**	**प्रतिशतता**
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
	उच्च गुणवता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
	संपत्ति	0.00%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
	बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

	बीमा योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**

एफ	**31 मार्च 2025 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयताओं का ब्यौरा**	**(₹ करोड़ में)**
1	चालू देयता	141.34
2	गैर चालू देयता	1,336.21
3	31 मार्च 2025 तक देयता	1,477.56

तालिका-5

	संवेदनशील विश्लेषण:	
	31 मार्च 2025 तक डीबीओ में छूट	1477.56
ए	**छूट की दर**	
	31 मार्च 2025 तक छूट दर	6.60%
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-56.59
	प्रतिशत प्रभाव	-4%
	छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	61.17
	प्रतिशत प्रभाव	4%
बी	**वेतन वृद्धि दर**	
	31 मार्च 2025 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	27.22
	प्रतिशत प्रभाव	2%
2	तन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(28.36)
	प्रतिशत प्रभाव	-2%

सी	**अवधारणाएँ**	**31.03.2024**	**31.03.2025**
	छूट दर	7.00%	6.60%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी:: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नमूना मृत्यु दर			
आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (भा. लेखा.मा.) 19 के अंतर्गत अवकाश लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
तालिका-1			
ए	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	91.22	100.15
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	53.72	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	144.95	100.15
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-1.86	2.76
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	43.00	188.94
8	लाभ तथा हानि में निर्धारित लागत	186.08	291.84
बी	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**	**(₹ in Crore)**	**(₹ in Crore)**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	28.45	176.45
2	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	18.39	27.44
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	46.80	203.90
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(3.84)	(14.96)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
सी	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹करोड़ में)**
1	सेवा लागत	144.94	100.15
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(1.86)	2.76
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	-	-
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	43.00	188.94
5	परिभाषित लाभ लागत	186.08	291.84

तालिका-2

	नेट बैलेंस शीट स्थिति	(₹ करोड़ में) **31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	(₹ करोड़ में) **31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
ए	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(651.42)	(688.06)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	572.59	396.22
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(78.83)	(291.84)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	**शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(78.83)**	**(291.84)**
बी	**निवल बैलेंस शीट स्थिति का मिलान**	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(56.31)	(78.83)
2	सेवा लागत	(144.94)	(100.15)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	1.86	(2.76)
4	ओसीआई में निर्धारित राशि	(43.00)	(188.94)
5	नियोक्ता योगदान	163.57	78.83
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(78.83)	(291.84)

तालिका-3

		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
	लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
ए	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	537.44	651.42
2	वर्तमान सेवा लागत	91.22	100.15
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	35.11	35.01
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (ऋण)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	53.72	-
7	प्राप्त (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	28.45	176.45
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएँ	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं	18.39	27.44
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	-	-
12	भुगतान किये गये लाभ	(112.93)	(302.41)
13	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	651.42	688.06
बी	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**(₹करोड़ में)**	**(₹करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	481.13	572.59
2	प्राप्ति समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	36.97	32.26
4	नियोक्ता योगदान	163.57	78.83
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	3.84	14.96

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

6	भुगतान किये गये लाभ	(112.92)	(302.41)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	572.59	396.22

तालिका-4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		(₹करोड़ में)
ए	**वर्ष समाप्त होने के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**31.03.2025**
1	मार्च 31, 2026	51.48
2	मार्च 31, 2027	53.44
3	मार्च 31, 2028	56.48
4	मार्च 31, 2029	55.56
5	मार्च 31, 2030	56.37
6	मार्च 31, 2031 to मार्च 31, 2035	219.13
7	10 वर्ष से अधिक	1,198.08
बी	**31.03.2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**111.37**
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**11 वर्ष**
डी	**31.03.2025 को अर्जित लाभ दायित्व**	**386.07**
ई	**31.03.2025 तक योजना परिसंपत्ति जानकारी**	**प्रतिशतता**
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
	संपत्ति	0.00%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
	बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
	बीमा योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**

एफ	**वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का ब्यौरा**		**(₹करोड़ में)**
1	चालू देयता	49.87	
2	गैर-चालू देयता	638.20	
3	दिनांक 31.03.2025 तक देयता	688.06	

तालिका-5

	31.03.2025 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	**688.06**	
ए	**छुट दर**		
	दिनांक 31 मार्च 2024 तक छूट दर	6.60%	
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(34.00)	
	प्रतिशत प्रभाव	-5%	
	छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	37.28	
	प्रतिशत प्रभाव	5%	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

बी	**वेतन वृद्धि दर**	
	दिनांक 31.03.2025 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	36.89
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(33.98)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

सी	**मान्यताएं**	**31.03.2024**	**31.03.2025**
	छूट दर	7.00%	6.60%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी : 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी : 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	**दर**	**आयु**	**दर**
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 19 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
ए	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	चालू सेवा लागत	9.53	10.07
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	9.53	10.07
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	4.73	4.4
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लागत	14.27	14.47

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

बी	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	-11.54	0.36
2	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	11.92	17.51
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.38	17.87
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	2.87	0.26
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि	3.24	18.13
सी	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	9.53	10.07
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	4.73	4.4
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि	3.24	18.13
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	17.51	32.59

	नेट बैलेंस शीट स्थिति	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
ए	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (DBO)	330.21	365.85
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	253.55	284.32
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(76.65)	(81.54)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(76.65)	(81.54)
बी	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का मिलान**		
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(70.54)	(76.65)
2	सेवा लागत	(9.53)	(10.07)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(4.73)	(4.40)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(3.24)	(18.13)
5	नियोक्ता योगदान	11.4	27.71
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	Divestitures	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(76.65)	(81.54)

तालिका - 3

	लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
ए	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	298.51	330.21

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

2	वर्तमान सेवा लागत	9.53	10.07
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	21.79	22.59
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(11.54)	0.36
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएँ	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएँ	11.92	17.51
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	नियोजित परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-	(14.89)
13	चालू अवधि के अंत में डीबीओ	330.21	365.85

सी	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	227.96	253.56
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	17.06	18.2
4	नियोक्ता योगदान	11.4	27.71
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	(2.87)	(0.26)
6	भुगतान किए गए लाभ	-	(14.89)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	253.56	284.32

तालिका-4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		(₹करोड़ में)
ए	**समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**31.03.2025**
1	मार्च 31, 2026	16.32
2	मार्च 31, 2027	18.17
3	मार्च 31, 2028	20.14
4	मार्च 31, 2029	21.73
5	मार्च 31, 2030	23.27
6	मार्च 31, 2031 to मार्च 31, 2035	131.36
7	10 वर्षों से अधिक	752.57
		13 Years
बी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**365.85**
सी	**31.03.2025 को अर्जित लाभ दायित्व**	

तालिका-5

संवेदनशीलता का विश्लेषण

	31 मार्च 2025 तक आधार निर्धारण पर डीबीओ	365.85
ए	**छुट दर**	
	31 मार्च 2025 तक छूट दर	6.60%

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(21.67)
प्रतिशत प्रभाव	-6.00%
छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	24.02
प्रतिशत प्रभाव	7.00%

बी	मान्यताओं	31.03.2024	31.03.2025
	छुट दर	7.00%	6.60%
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%**	0.00%**
	मृत्यु दर - सेवाकाल में	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अनंतिम	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अनंतिम
	मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)
	औसत चिकित्सा लागत (आईएनआर)	कार्यकारी कर्मचारी: घरेलू लाभ - ₹36,000 प्रति वर्ष	कार्यकारी कर्मचारी: घरेलू लाभ - ₹36,000 प्रति वर्ष
		अस्पताल में भर्ती लाभ - ₹35,000 प्रति वर्ष	अस्पताल में भर्ती लाभ - ₹35,000 प्रति वर्ष
		गैर-कार्यकारी कर्मचारी:	गैर-कार्यकारी कर्मचारी:
		घरेलू लाभ+अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - ₹18,000 प्रति वर्ष	घरेलू लाभ+अस्पताल में संयुक्त भर्ती लाभ - ₹18,000 प्रति वर्ष
	जीवनसाथी की उम्र का अंतर	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटे हैं	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटे हैं
	निकासी दर	0.30%	0.30%

** कंपनी के साथ सहमति के अनुसार, चिकित्सा मुद्रास्फीति को शून्य माना गया है क्योंकि कंपनी की चिकित्सा लागत भारत सरकार द्वारा घोषित सीएचजीएस दरों द्वारा शासित है।

नमूना मृत्यु दर

भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)

आयु	दर
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है।यह सुविधा कार्यकारी और गैर-कार्यकारी के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना द्वारा कवर की जाती है। दिनांक 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना का संचालन अलग से "कार्यकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्तोत्तर चिकित्सा योजना" के माध्यम से किया जाता है। चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

7) अन्य सूचना

((ए) अनुभाग रिपोर्टिंग

कंपनी का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसलिए, कंपनी के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(बी) प्रति शेयर आय

क्रमांक.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के पश्चात ₹ करोड़ में शुद्ध लाभ	10823.26	11845.40
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	13236726	13236726
iii)	कर पश्चात शुद्ध लाभ को ध्यान में रखते हुए रुपये में प्रति शेयर मूल और डायल्यूटेड आय (अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति शेयर)	₹ 8,176.69	₹ 8,948.89

(सी) बीमा और वृद्धि दावे

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(डी) चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि।

व्यवसाय के सामान्य क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर उन्हें तुलनपत्र में दर्शाया गया है।

(ई) शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए समय-समय पर पत्र/ईमेल भी भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन होती हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा, और इससे परिणामों पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

एफ) बेनामी संपत्ति:

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

जी) बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा भरे गए रिटर्न या विवरण:

बैंकों/वित्तीय संस्थानों की तरह कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया गया है।

एच) जानबूझकर चूककर्ता:

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

आई) स्ट्रक ऑफ कंपनियों के साथ संबंध: स्ट्रक ऑफ ई कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी ने स्ट्रक ऑफ कंपनियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

जे) कंपनी रजिस्ट्रार के पास शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि:

कंपनी द्वारा वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है।

के) कंपनियों की कई परतों का अनुपालन:

कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियमावली, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

एल) व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

एम) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग:

(ए) कंपनी ने किसी भी संस्था (मध्यस्थ) के साथ इस समझ के साथ कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगा या निवेश करेगा।(बी) कंपनी ने किसी भी पक्ष से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई अन्य संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी।

एन) क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

ओ) अघोषित आय:

कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

पी) पृथक राजस्व जानकारी:

नीचे दी गई तालिका भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहक के साथ संविदा से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

विघटित राजस्व जानकारी:	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	23,071.39	23,809.42
- अन्य	276.99	4.41
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,348.38**	**23,813.83**
ग्राहकों के प्रकार		
- बिजली क्षेत्र	15,607.15	14,869.43
- गैर-विद्युत क्षेत्र	7,464.24	8,939.99
- अन्य या सेवाएँ	276.99	4.41
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,348.38**	**23,813.83**
संविदा का प्रकार		
- एफएसए	19,828.07	19,657.02
- ई-नीलामी	3,243.32	4,152.40
- अन्य	276.99	4.41
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,348.38**	**23,813.83**
माल या सेवा का समय	23,071.39	23,809.42
- किसी समय पर स्थानांतरित किया गया माल	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल	276.99	4.41
- किसी समय पर हस्तांतरित सेवाएँ	-	-
- **समय के साथ हस्तांतरित सेवाएँ**	**23,348.38**	**23,813.83**
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

8) अनुपात

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता	25% से अधिक भिन्नता का कारण
(ए)वर्तमान अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र नगदी स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	1.95	2.02	-3%	
(बी) ऋण इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात किसी कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की तुलन-पत्र में पाई जा सकती हैं। ऋण-से-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.00	0.00	0%	
(सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए अर्जन = कर पश्चात शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन पुनर्भुगतान ""कर पश्चात शुद्ध लाभ"" का अर्थ है ""अवधि के लिए लाभ / (हानि)"" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की मदें शामिल नहीं हैं। "	16,637.33	18,134.72	-8%	
(डी)इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल : यह कंपनी में निवेशित इक्विटी फंडों की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ने इक्विटी धारकों के फंडों की लाभप्रदता का किस प्रकार उपयोग किया है। यह इक्विटी धारकों को प्राप्त प्रतिशत प्रतिफल को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ में से वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) घटाकर) को औसत शेयरधारक इक्विटी से विभाजित किया जाता है।	0.63	0.81	-22%	
(ई) वस्तु-सूची टर्नओवर अनुपात : इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात भी कहा जाता है और यह किसी अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत और उस अवधि के दौरान रखी गई औसत वस्तु-सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ कोई कंपनी अपनी वस्तु-सूची का उपयोग या प्रबंधन करती है। वस्तु-सूची टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत वस्तु-सूची से विभाजित करके की जाती है। औसत वस्तु-सूची (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है। जब वस्तु-सूची के आरंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष से सीओजीएस या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।	11.51	15.69	-27%	दिनांक 31.03.2024 तक 23.81 मिलियन टन कोयला स्टॉक के मुक़ाबले दिनांक 31.03.2025 तक 37.49 मिलियन टन कोयला स्टॉक पड़ा है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

(एफ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध ऋण बिक्री, सकल ऋण बिक्री में से बिक्री प्रतिफल घटाकर प्राप्त होती है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और प्राप्य बिल शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब क्रेडिट बिक्री, व्यापार देनदारों के आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्तियों के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	16.27	20.71	-21%	
(जी) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए की जाती है। इसकी गणना शुद्ध ऋण खरीद को औसत लेनदारों से विभाजित करके की जाती है। व्यापार देयता कारोबार अनुपात = शुद्ध क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देयता शुद्ध क्रेडिट खरीद में सकल क्रेडिट खरीद में से खरीद रिटर्न घटाकर प्राप्त राशि शामिल होती है। जब क्रेडिट खरीद, व्यापार लेनदारों के आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के समापन शेष से विभाजित करके की जाती है।	6.02	5.50	9%	
(एच) शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात: यह कंपनी की कार्यशील पूँजी के उपयोग में उसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूँजी कारोबार अनुपात की गणना निम्न प्रकार से की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूँजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूँजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री प्रतिफल घटाकर की जाएगी। कार्यशील पूँजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।	1.71	1.76	-2%	
(आई) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री प्रतिफल घटाकर की जाएगी।	0.47	0.50	-6%	
(जे) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	72.21%	88.97%	-19%	
(के) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।				

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

(i) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: सहायक कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%	
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर ROI: ROI = प्राप्त लाभांश/संयुक्त उद्यम की इक्विटी में औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%	
(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिबेंचर आदि) पर ROI = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%	
(iv) म्यूचुअल फंड पर ROI = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	7.31%	7.12%	3%	
(v) जमा पर आरओआई (ROI) (बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित आईसीडी के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	7.54%	7.04%	7%	

9) विविध जानकारी

i. वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू हालिया लेखांकन घोषणाएँ
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 में कई संशोधन जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले विभिन्न भारतीय लेखा मानकों (भा.लेखा.मा.) में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। इन संशोधनों में भारतीय लेखा मानकों 117 - भारतीय लेखा मानकों 101, 103, 105, 107, 109, 115 में परिणामी संशोधनों के साथ बीमा अनुबंधों की शुरूआत; भारतीय लेखा मानकों 116 - कुछ बीमा कंपनियों के लिए लीज़ और भारतीय लेखा मानकों 104 की निरंतरता में संशोधन शामिल हैं। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इनके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii. जहां भी आवश्यकता हुई, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

iii. वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

iv. टिप्पणी - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पणी 3 से 11 तुलन-पत्र का हिस्सा हैं और 12 से 13 लाभ और हानि विवरण का हिस्सा हैं। टिप्पणी - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 1 से 16 तक हस्ताक्षर

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654
UDIN:25063654BMMAZI5508

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

एमसीएल बोर्ड की ओर से

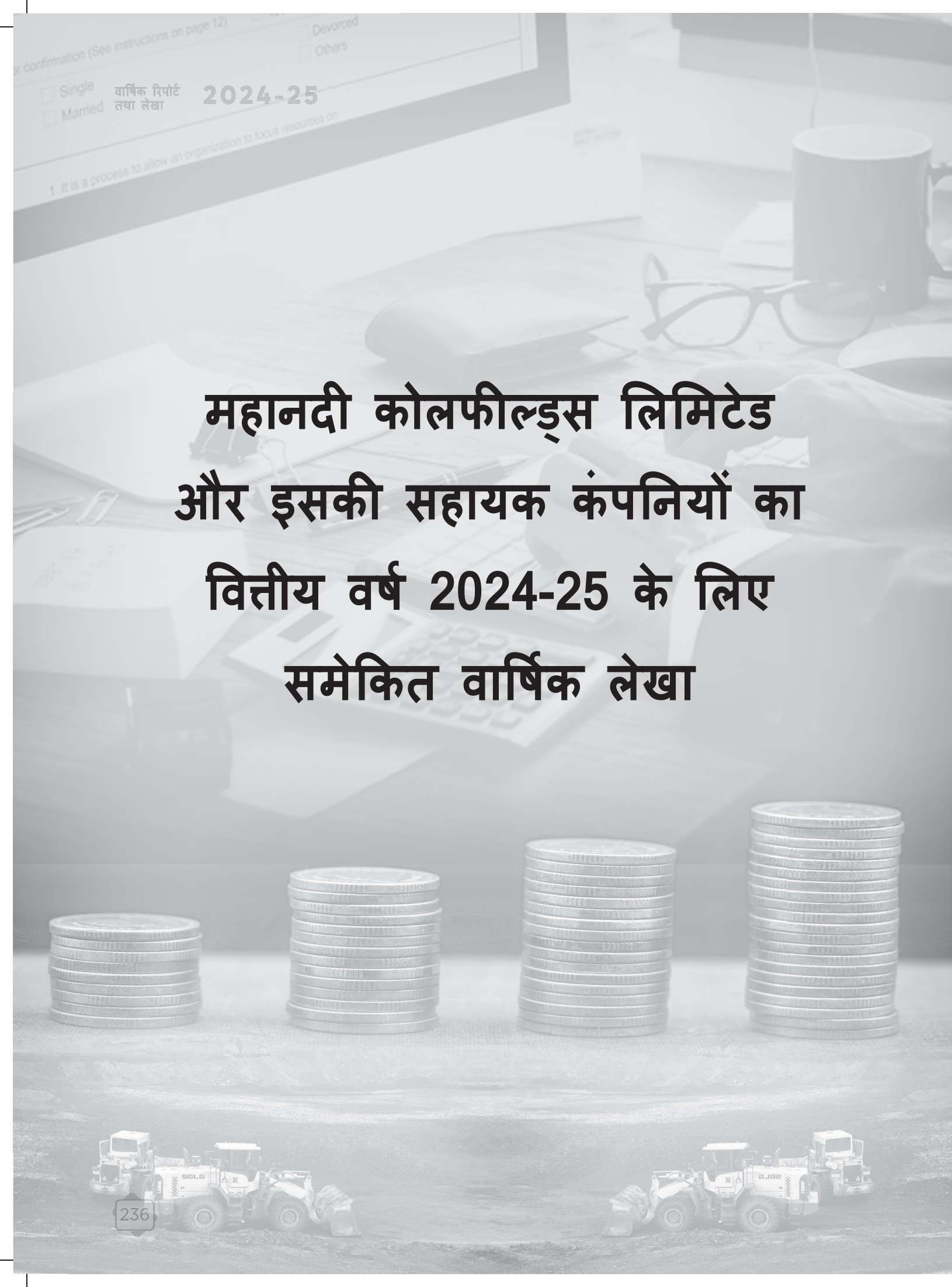
जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस परिडा
कंपनी सचिव

ए. के. बेहूरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समेकित वार्षिक लेखा



समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

			को	
		टिप्पणी सं	31.03.2025	31.03.2024
परिसंपत्तियाँ				
गैर चालू परिसंपत्तियाँ				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3.1	16,363.71	13,779.29
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य		3.2	4,924.51	4,842.22
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ		3.3	177.69	151.75
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.4	254.32	259.77
(ड़) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		3.5	24.67	24.17
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(i) निवेश	4.1	-	-
	(ii) ऋण	4.2	2.66	1.67
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	1,837.75	1,761.10
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ((निवल))		11.2	-	-
गैर-वर्तमान कर संपत्ति (निवल)		11.1	-	-
अन्य गैर-चालू आस्तियां		6.1	2,283.19	2,913.43
कुल गैर चालू परिसंपातियाँ			**25,868.50**	**23,733.40**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
वस्तु सूची		5.1	1,880.19	1,279.22
वित्तीय परिसंपातियाँ	निवेश	4.1	822.73	1,214.28
	व्यापार प्राप्तियाँ	4.3	2,676.05	2,160.29
	नगद एवं नगद समतुल्य	4.4	2,157.70	867.20
	अन्य बैंक शेष	4.5	9,627.47	12,034.18
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	4.6	792.62	845.72
वर्तमान कर आस्तियां (निवल)		11.1	4,769.83	4,137.87
अन्य चालू परिसंपातियाँ		6.2	4,995.44	4,415.63
कुल चालू परिसंपातियाँ			**27,722.03**	**26,954.39**
कुल परिसंपातियाँ			**53,590.53**	**50,687.79**
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
इक्वीटी शेयर पूँजी		**7.1**	**1,323.67**	**1,323.67**
अन्य इक्वीटी		7.2	16,873.51	14,700.91
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी			**18,197.18**	**16,024.58**
गैर नियंत्रित ब्याज		7.3	154.84	153.30
कुल इक्वीटी			18,352.02	16,177.88

देयताएं :				
गैर-चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं	उधार	8.1	2.67	3.28
	पट्टा देयताएँ	8.2	2.29	2.29
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8.4	645.55	690.85
प्रावधान		9.1	18,850.45	18,856.68
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		**11.2**	**1,438.98**	**1,509.14**
अन्य गैर चालू दायिताएँ		10.1	98.40	112.39
कुल गैर चालू दायिताएं			21,038.34	21,174.63
चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं	उधार	8.1	0.68	0.67
	पट्टा देयताएँ	8.2	0.24	0.18
	व्यापार देयताएं	8.3		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया राशि		4.49	24.02
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,848.05	1,547.30
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8.4	5,163.84	5,066.12
अन्य चालू देयताएं		**10.2**	**6,292.26**	**5,895.72**
प्रावधान		**9.1**	**890.61**	**801.27**
चालू कर देयताएं(निवल)		**11.1**	**-**	**-**
कुल चालू देयताएं			**14,200.17**	**13,335.28**
कुल इक्वीटी एवं देयताएं			**53,590.53**	**50,687.79**

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 समेकित वितीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654
UDIN:25063654BMMAZI5508

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के बेहूरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व (निवल लेवी कर)			
विक्रय	12.1	23,071.39	23,809.42
अन्य संचालन राजस्व	12.1	3,914.85	3,372.90
संचालनों से राजस्व (निवल लेवी कर)		26,986.24	27,182.32
अन्य आय	**12.2**	**1,675.63**	**1,955.99**
कुल आय		28,661.87	29,138.31
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	1,101.21	1,082.68
ब्यापार के लिए माल की खरीद	13.1(a)	-	-
तैयार माल की बस्तुसूची में परिवर्तन, व्यापार में स्टॉक- और कार्य प्रगति पर	13.2	(604.53)	(263.85)
कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	13.3	4,493.46	4,551.14
वित्त लागत	13.4	71.22	68.00
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	13.5	1,098.33	978.99
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(1,156.13)	(818.03)
संविदात्मक व्यय	13.7	7,141.67	5,861.71
अन्य व्यय	13.8	2,355.08	2,087.75
कुल व्यय		14,500.31	13,548.39
संयुक्त उद्यम के शेयर से पहले लाभ लाभ/(हानि)		**14,161.56**	**15,589.92**
संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का हिस्सा		-	-
कर पूर्व लाभ		14,161.56	15,589.92
कर संबंधी व्यय	**14.1**		
चालू कर		3,406.60	3,466.16
आस्थगित कर		(70.16)	282.21
कुल कर व्यय		3,336.44	3,748.37
अवधि के लिए लाभ		**10,825.12**	**11,841.55**
अन्य व्यापक आय	**15.1**		
मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(68.13)	(56.26)
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		17.15	14.16
मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		(50.98)	(42.10)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (जिनमें अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल है)		**10,774.14**	**11,799.45**
लाभ का कारण:			
कंपनी के मालिक		10,823.58	11,841.37
अनियंत्रित ब्याज		1.54	0.18

	टिप्पणी संख्या	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
		10,825.12	11,841.55
अन्य व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		(50.98)	(42.10)
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		(50.98)	(42.10)
कुल व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		10,772.60	11,799.27
अनियंत्रित ब्याज		1.54	0.18
		10,774.14	11,799.45
इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक):			
मूलभूत (₹ में)		8,176.93	8,945.85
डायल्यूटेड (₹ में)		8,176.93	8,945.85

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654
UDIN:25063654BMMAZI5508

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के बेहुरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2025 तक **(₹ करोड़ में)**

विवरण	01-04-2024 तक शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2025 तक शेष
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति ₹1000/ के इक्विटी शेयर 13236726	1,323.67	-	1,323.67

31.03.2024 तक **(₹ करोड़ में)**

विवरण	01-04-2023 तक शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2024 तक शेष
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति ₹1000/ के इक्विटी शेयर 13236726	661.84	661.83	1,323.67

B.अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				विदेशी अनुसंगी के वित्तीय विवरणों मे के लेन-देन में अंतर का आदान-प्रदान विनिमय (ओसीआई)	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मांप (कर का निवल)		
01.04.2024 तक शेष	-	**3,684.80**	**11,111.44**	**(95.33)**	-	**14,700.91**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2024 तक शेष	-	3,684.80	11,111.44	(95.33)		**14,700.91**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	10,823.58	(50.98)		**10,772.60**
अन्तरिम लाभांश	-	-	(7,500.00)	-		**(7,500.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	(1,100.00)	-		**(1,100.00)**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान संयोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	541.17	(541.17)	-		-
शेयरों की वापस खरीद	-	-	-	-		-
वापस खरीदने पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-		-
31.03.2025 तक शेष	-	**4,225.97**	**12,793.85**	**(146.31)**		**16,873.51**

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				विदेशी अनुसंगी के वित्तीय विवरणों मे के लेन-देन में अंतर का आदान-प्रदान विनिमय (ओसीआई)	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)		
01.04.2023 तक शेष	**44.29**	**3,710.08**	**8,862.34**	**(53.23)**		**12,563.48**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2023 को पुनर्स्थापित शेष राशि	**44.29**	**3,710.08**	**8,862.34**	**(53.23)**		**12,563.48**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			11,841.37	(42.10)		11,799.27
अंतरिम लाभांश			(7,500.00)			(7,500.00)
अंतिम लाभांश			(1,500.00)			(1,500.00)
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण		592.27	(592.27)			-
शेयरों की वापस खरीद						-
वापस खरीदने पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना	(44.29)	(617.55)				(661.84)
31.03.2024 तक शेष	**-**	**3,684.80**	**11,111.44**	**(95.33)**		**14,700.91**

लाभांश और आरक्षित एवं अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।.

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654
UDIN:25063654BMMAZI5508

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के बेहुरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:			
कर पूर्व लाभ		14,161.56	15,589.92
के लिए समायोजन :			
संयुक्त उद्यम का हिस्सा		-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		1,098.33	978.99
ब्याज और लाभांश का आय		(1,174.30)	(1,442.30)
वित्त लागत		71.22	68.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(3.79)	(3.58)
दायित्व और प्रावधान वापस लिखा गया(निवल)		(218.32)	(264.66)
भत्ते और प्रावधान किये गये		1.47	67.24
बट्टे खाते डालना		2.43	0.02
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(1,156.13)	(818.03)
विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता		0.08	0.04
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**12,782.55**	**14,175.64**
के लिए समायोजन :			
व्यापार प्राप्तियां		(453.47)	(586.51)
सूची		(600.68)	(297.34)
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ		(190.93)	(12.56)
अन्य चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां		(824.31)	(1,018.35)
व्यापार देय		281.22	(20.29)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ		3.83	10.95
अन्य चालू एवं गैर चालू देनदारियां		382.55	(1,738.50)
प्रावधानों		**1,254.39**	**(240.58)**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		12,635.15	10,272.46
आयकर (भुगतान किया गया)		(4,021.41)	(3,946.88)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	(A)	**8,613.74**	**6,325.58**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्तियों के लिए भुगतान		(2,844.60)	(3,121.56)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय		9.14	6.30

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति के लिए भुगतान		(25.94)	(21.97)
बैंकों के पास जमा/(जमा) की वसूली		2,320.33	5,693.98
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में आय/(निवेश)।		**529.44**	**27.00**
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-
निवेश पर प्राप्त ब्याज		1,289.25	852.79
म्यूचुअल फंड से लाभांश प्राप्त हुआ		-	-
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	(B)	1,277.62	3,436.54
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर चालू उधारों से प्राप्त आय/(पुनर्भुगतान)।		-	-
वर्तमान उधारों से आय/(पुनर्भुगतान)।		(0.58)	(0.61)
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		(0.24)	(0.21)
ब्याज का भुगतान किया		**(0.04)**	**(1.20)**
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान		**(8,600.00)**	**(9,000.00)**
इक्विटी शेयरों पर लाभांश कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी	**(C)**	**(8,600.86)**	**(9,002.02)**
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		1,290.50	760.10
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		867.20	107.10
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		2,157.70	867.20
नकद और नकद समकक्षों का मिलान (नोट 4.4 देखें)			
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		2,157.70	867.20
नकद और नकद समकक्षों के घटक			
(ए) बैंकों के साथ शेष			
- जमा खातों में		1,719.84	533.86
- चालू खातों में		95.69	132.15
(बी) बैंक बैलेंस भारत के बाहर		-	-
(सी) प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी		**342.00**	**201.00**
(डी) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टांप		-	-
(ई) नकद		-	-
(एफ) नकद भारत के बाहर		-	-
(जी) बैंक ओवरड्राफ्ट		-	-
(एच) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/इम्प्रेस्ट शेष		**0.17**	**0.19**
कुल (नकद और नकद समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 देखें)		**2,157.70**	**867.20**

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-चालू उधार*	वित्त पट्टा देनदारियाँ
1 अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक शेष	3.95	2.47
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.58)	-0.24
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को कम करना	-	0.30
उधार पर अर्जित ब्याज	-	
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	
उधार पर लेनदेन लागत	-	
31 मार्च 2025 को समापन शेष	3.35	**2.53**

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-चालू उधार*	वित्त पट्टा देनदारियाँ
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष	4.58	2.35
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.61)	(0.21)
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को कम करना	-	0.33
उधार पर अर्जित ब्याज	-	
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	0.28	
उधार पर लेनदेन लागत	-	
31 मार्च 2024 को समापन शेष	**3.95**	**2.47**

2 नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय मानक लेखांकन 7 - 'नकदी प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

3 समूह ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए ₹ 228.08 करोड़ (नोट संख्या 13.8 देखें) खर्च किए हैं (पिछले वर्ष ₹ 162.88 करोड़)।

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654
UDIN:25063654BMMAZI5508

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

ए के बेहरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

एस पारिडा
कंपनी सचिव

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी: 1

क. कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), भारत में स्थित एक मिनीरत्न कंपनी है और शेयरों द्वारा सीमित है। कंपनी की स्थापना 3 अप्रैल, 1992 को ओडिशा राज्य में खदानों से संबंधित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और देनदारियों का अधिग्रहण करने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 100% सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020, ओडिशा में है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन और उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है।

कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टे आदि शामिल हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 4 सहायक कंपनियां हैं, जिनमें से दो सहायक कंपनियां कोयला खनन और उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई हैं, एक सहायक कंपनी विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है और एक सहायक कंपनी रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के व्यवसाय में लगी हुई है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण 15.04.2025 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे।

ख. अनुपालन विवरण और हालिया लेखा घोषणाएँ

i) **अनुपालन विवरण**

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (जिन्हें आगे "इंड एएस" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं। जारी, अधिसूचित और प्रभावी किए गए ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अधिकृत होने तक प्रभावी रहेंगे और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से इन पर विचार किया जाएगा।

लेखांकन नीतियां सुसंगत रूप से लागू की जाती हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को प्रारंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

ii) **नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग:**

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। एमसीए ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

टिप्पणी 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परंपरा सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह कार्य करती है। समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मानों को दो दशमलव अंकों तक 'करोड़ रुपये' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 सहायक

i. सहायक कंपनियां ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण होता है और यह नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह को निवेशिती के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील रिटर्न प्राप्त होता है या उसके पास इसके अधिकार होते हैं और वह निम्नलिखित के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है:

क. निवेशिती पर अधिकार;

ख. निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के लिए जोखिम या अधिकार;

ग. निवेशिती पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उसके रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता।

सहायक कंपनियों का समेकन उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है, तथा नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से उनका संचालन बंद कर दिया जाता है।

ii. समूह, होल्डिंग और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को, संबंधित वित्तीय विवरणों के अनुसार, परिसंपत्तियों और देनदारियों, राजस्व और व्यय की समान मदों के बही मूल्य को जोड़कर, पंक्ति-दर-पंक्ति समेकन के आधार पर संयोजित करता है। समूह के भीतर शेष राशि, समूह के भीतर लेन-देन, और समूह के भीतर लेन-देन से उत्पन्न शेयरों पर अप्राप्त लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण समान भौतिक लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अन्यत्र कहा गया है।

iv. सहायक कंपनियों में निवेश की लागत और सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध परिसंपत्तियों के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में सद्भावना या पूंजी आरक्षित निधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, मान्यता दी जाती है। उक्त सद्भावना का परिशोधन नहीं किया जाता है, तथापि, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इसकी हानि की जाँच की जाती है, और यदि कोई हानि होती है, तो उसे समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

v. सहायक कंपनियों के वर्ष के शुद्ध लाभ में गैर-नियंत्रक हित के हिस्से की पहचान की जाती है और उसे समूह के राजस्व के विरुद्ध समायोजित किया जाता है ताकि होल्डिंग कंपनी के स्वामियों को देय शुद्ध राजस्व का पता लगाया जा सके। वर्ष के लिए गैर-नियंत्रक हित पर हुई हानि की अधिकता को स्वामी के हित में समायोजित किया जाता है।

vi. सहायक कंपनियों की शुद्ध परिसंपत्तियों में गैर-नियंत्रक हित का हिस्सा पहचाना जाता है और उसे होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

vii. किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

viii. यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो वह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रक हित की अग्रणीत राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी अनुवाद अंतरों को अमान्य कर देता है। पूर्व सहायक कंपनी में बरकरार रखा गया कोई भी हित नियंत्रण खोने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, और परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

व्यावसायिक संयोजन और सद्भावना

समूह, उन समूह संस्थाओं के संयोजन को छोड़कर जो समान नियंत्रण में हैं, व्यावसायिक संयोजनों के लेखांकन में अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करता है। किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित प्रतिफल की गणना, हस्तांतरित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण-तिथि उचित मूल्यों, वहन की गई देनदारियों और समूह द्वारा जारी इक्विटी हितों के योग के रूप में की जाती है, जिसमें किसी आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था से उत्पन्न किसी भी परिसंपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य शामिल होता है। अधिग्रहण लागतों में किए गए व्यय के अनुसार व्यय किया जाता है। अर्जित परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को आमतौर पर उनके अधिग्रहण-तिथि उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

नियंत्रणाधीन संस्थाओं के संयोजन के मामले में, व्यवसाय संयोजन को ब्याज पूलिंग पद्धति के तहत लेखांकित किया जाता है, जिसके तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों को वहन राशि पर संयोजित किया जाता है तथा उनके उचित मूल्यों को दर्शाने या किसी नई परिसंपत्तियों या देनदारियों को मान्यता देने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ख्याति की माप लागत में से संचित हानि को घटाकर की जाती है। हानि परीक्षण के प्रयोजनार्थ, किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित ख्याति, संयोजन तिथि से, समूह की प्रत्येक नकदी-उत्पादक इकाई को आवंटित की जाती है, जिनसे संयोजन से लाभ होने की अपेक्षा की जाती है, भले ही अधिग्रहीत इकाई की अन्य परिसंपत्तियाँ या देयताएँ उन इकाइयों को आवंटित की गई हों या नहीं।

2.2.2 एसोसिएटस

सहयोगी वे सभी संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कंपनी के पास 20% से 50% तक मतदान अधिकार होते हैं।

सहयोगी कम्पनियों में निवेश को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रारम्भ में लागत पर मान्यता दिए जाने के बाद, लेखा किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब निवेश, या उसका कोई भाग, बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखा किया जाता है।

समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर सहयोगियों में अपने शुद्ध निवेश को कम करता है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्थाएं वे व्यवस्थाएं हैं जहां समूह का एक या एक से अधिक अन्य पक्षों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण, व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत बंटवारा है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्थाओं को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढाँचे के बजाय, प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियों पर अधिकार और देनदारियों के लिए दायित्व होते हैं। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत बंटवारा है, जो तभी संभव होता है जब संबंधित गतिविधियों से संबंधित निर्णयों के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति आवश्यक हो।

समूह संयुक्त संचालनों की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय पर अपने प्रत्यक्ष अधिकार को मान्यता देता है और संयुक्त रूप से धारित या उपगत परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय में अपने हिस्से को भी मान्यता देता है। इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में समान मदों के साथ या अन्यथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में पंक्ति दर पंक्ति आधार पर शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उपक्रम

i) संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार प्राप्त होते हैं। संयुक्त उद्यमों में हितों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके उनका लेखा-जोखा रखा जाता है।

ii) संयुक्त उद्यम में निवेश को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रारंभिक रूप से लागत पर मान्यता दिए जाने के बाद, तब तक लेखा में रखा जाता है जब तक कि निवेश, या उसका कोई भाग, बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत न हो, ऐसी स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखा में रखा जाता है।

iii) समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को कम कर देता है, जब संयुक्त उद्यम में समूह की हानि का हिस्सा इकाई में उसके निवेश के बराबर या उससे अधिक होता है, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य शामिल हैं, तो समूह आगे की हानि को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने संयुक्त उद्यम की ओर से दायित्व वहन नहीं किया हो या भुगतान नहीं किया हो।

iv) समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर हुए अवास्तविक लाभ, इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक, समाप्त कर दिए जाते हैं। समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर हुए अवास्तविक नुकसान भी, इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक, समाप्त कर दिए जाते हैं, जब तक कि लेन-देन से हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण न मिले। जहाँ संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियाँ समूह की लेखांकन नीतियों से भिन्न होती हैं, वहाँ समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और घटनाओं के लिए उचित समायोजन किए जाते हैं ताकि समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

v) संयुक्त उद्यम में कम हिस्सेदारी पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि, लेकिन फिर भी संयुक्त नियंत्रण बनाए रखने पर, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

vi) जब निवेश संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता और प्रतिधारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति बन जाता है, तो समूह प्रतिधारित हित को लाभ-हानि विवरण में अंकित अग्रणीत राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर मापता है। प्रतिधारित हित का उचित मूल्य, प्रतिधारित हित को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन के प्रयोजनार्थ प्रारंभिक अग्रणीत राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पूर्व में अंकित कोई भी राशि लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत कर दी जाती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशिती की शुद्ध परिसंपत्तियों में समूह के हिस्से में अधिग्रहण के बाद होने वाले परिवर्तनों के अनुसार समायोजित किया जाता है। निवेशिती के अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा समूह के लाभ-हानि विवरण और अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की अग्रणीत राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब किसी इक्विटी-लेखांकित निवेश में समूह की हानि का हिस्सा इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य राशि भी शामिल है, तो समूह आगे की हानि को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने अन्य इकाई की ओर से दायित्व वहन न किया हो या भुगतान न किया हो।

2.2.7 स्वामित्व हितों में परिवर्तन

समूह गैर-नियंत्रक हितों वाले उन लेन-देनों को, जिनसे नियंत्रण की हानि नहीं होती, समूह के इक्विटी स्वामियों के साथ लेन-देन मानता है। स्वामित्व हित में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नियंत्रक और गैर-नियंत्रक हितों की अग्रणीत राशियों के बीच समायोजन होता है, जो सहायक कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को दर्शाता है। गैर-नियंत्रक हितों के समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य के बीच के किसी भी अंतर को इक्विटी के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव की हानि के कारण किसी निवेश को समेकित या इक्विटी में लेखा करना बंद कर देता है, तो उस इकाई में किसी भी प्रतिधारित हित को उसके उचित मूल्य पर पुनर्मापा जाता है, जिसमें वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। यह उचित मूल्य, प्रतिधारित हित को सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप

में बाद में लेखा करने के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्यता प्राप्त किसी भी राशि का लेखा इस प्रकार किया जाता है मानो समूह ने संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों का सीधे निपटान कर दिया हो। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्यता प्राप्त राशि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

यदि किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हित कम हो जाता है, लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बरकरार रहता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशियों का केवल आनुपातिक हिस्सा, जहां उपयुक्त हो, लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी अपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। कंपनी किसी परिसंपत्ति को चालू तब मानती है जब:

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद करता है, या इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;

(ख) यह परिसंपत्ति को मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखता है;

(ग) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद है; या

(घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य (भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित) है, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक परिसंपत्ति का विनिमय या किसी देयता के निपटान हेतु उपयोग प्रतिबंधित न हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू माना जाता है जब:

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद करता है;

(ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए दायित्व रखता है;

(ग) देयता का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है; या

(घ) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गमन द्वारा उसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समूह द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समूह ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.4 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्यतः कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात जब उत्पाद ग्राहक को वितरित कर दिए जाते हैं। वितरण तब होता है जब उत्पादों को, जैसा भी मामला हो, विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, और हानि के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसकी कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने और उसे प्रदान करने के लिए किया जाता है, और राजस्व की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहाँ इस बात की अत्यधिक संभावना हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम होती हैं।

कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व की पहचान चालान के आधार पर की जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रतिफल का अधिकार सीधे हमारे अब तक के निष्पादन से मेल खाता है।

ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक पहचान पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है।

लाभांश

लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आम तौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) के संबंध में राजस्व को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में उचित निश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा यह उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होंगे।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित व्ययों या लागतों को मान्यता देती है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान का इरादा होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कोई सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए व्यय या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को बिना किसी भविष्य संबंधी लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वह प्राप्त होती है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटर के योगदान के रूप में दिए गए अनुदान को सीधे "पूंजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनता है।

2.6 पट्टा

एक अनुबंध पट्टा कहलाता है, या उसमें पट्टा निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, किसी निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी, अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध में पट्टा शामिल है। यदि अनुबंध किसी निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी निश्चित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में किसी निश्चित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) क्या कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं और (iii) क्या कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

आरंभ तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा पट्टा देयता को पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता देनी होगी, जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए नहीं चुकाए गए हैं, जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को फिर से मापा जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतानों को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के दौरान किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है या यदि उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टाधारक क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास आरंभ तिथि से लेकर उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल की समाप्ति या पट्टा अवधि की समाप्ति में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियों को वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित कर देता है। प्रारंभ में, वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे

में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक परिचालन पट्टा होता है। परिचालन पट्टों पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में, कंपनी पट्टा भुगतान को सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.7 बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि की वसूली मुख्यतः बिक्री के माध्यम से की जाएगी, न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों में यह संकेत होना चाहिए कि बिक्री में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने या बिक्री का निर्णय वापस लिए जाने की संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल है, जब विनिमय वाणिज्यिक रूप से सार्थक हो। बिक्री हेतु धारित वर्गीकरण के मानदंड तभी पूरे माने जाते हैं जब परिसंपत्तियाँ या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हों, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, त्यागा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है,
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां यह दर्शाती हैं कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने या योजना को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर जो भी कम हो, उस पर मापा जाता है।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई की प्रारंभिक माप अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर की जाती है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या पुनर्स्थापन लागत भी शामिल होती है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित होते हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, आवंटित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के अंतर्गत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में शामिल हैं:

(क) व्यापार छूट और रियायतों में कटौती के बाद, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य।

(ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत।

(ग) वस्तु को हटाने और विघटित करने तथा उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग इन्वेंट्री तैयार करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।

(घ) योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक भाग, जिसकी लागत उस वस्तु की कुल लागत के सापेक्ष महत्वपूर्ण हो, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है। हालाँकि, पीपीई की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों) जिनका उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि समान हो, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करते समय एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवाओं की लागत को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण पुर्जों को बदलने की बाद की लागत को उस वस्तु की अग्रणीत राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए पुर्जों की अग्रणीत राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता-विच्छेद नीति के अनुसार मान्यता-विच्छेद कर दिया जाता है।

जब कोई बड़ा निरीक्षण किया जाता है, तो उसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उस वस्तु की वहन राशि में प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को मान्यता से हटा दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि	
(पट्टे पर ली गई भूमि सहित)	: परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
भवन (सड़कों सहित)	: 3-60 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 1-30 वर्ष
(रेलवे कॉरिडोर, अन्य सहित)	
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3-5 वर्ष
फ़र्निचर व फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दी गई उपयोगी अवधि उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है जिसके दौरान प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी अवधि से भिन्न हो सकती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ परिसंपत्तियों जैसे अन्य भूमि, स्थल पुनर्स्थापन परिसंपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षणित परिसंपत्तियाँ। कोयला टब, वाइंडिंग रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, स्टोइंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि के लिए उपयोगी जीवन तकनीकी रूप से एक वर्ष अनुमानित किया गया है, जिसमें शून्य अवशिष्ट मूल्य है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, जोड़ने/निपटाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसका परिशोधन परियोजना की शेष अवधि के आधार पर किया जाता है; और पट्टाधारित भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना की शेष अवधि, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

वे परिसंपत्तियां जो पूर्णतः मूल्यह्रासित हो चुकी हैं तथा सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र उपकरण के अंतर्गत अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षणित परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा उनकी हानि के लिए जांच की जाती है।

भारतीय लेखा मानक (आईएसएस) में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया (अपनी समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, जैसा कि भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है)।

2.9 खदान बंद करना, साइट की बहाली और डीकमीशनिंग दायित्व

भूमि पुनर्ग्रहण और संरचनाओं के विसंचालन हेतु कंपनी के दायित्व में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सतही और भूमिगत दोनों खदानों पर व्यय शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य करने हेतु भविष्य में होने वाले नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी आकलन के आधार पर खदान बंद करने, स्थल पुनर्स्थापन और विसंचालन हेतु अपने दायित्व का अनुमान लगाती है। खदान बंद करने का व्यय अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर एक छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी अंतिम पुनर्ग्रहण और खदान बंद करने के दायित्व से संबद्ध एक संगत परिसंपत्ति दर्ज करती है। दायित्व और संगत परिसंपत्तियों को उस अवधि में मान्यता दी

जाती है जिसमें दायित्व वहन किया जाता है। खदान बंद करने की योजना के अनुसार कुल स्थल पुनर्स्थापन लागत (जैसा कि केंद्रीय खदान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा अनुमानित है) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई में एक अलग मद के रूप में मान्यता दी जाती है और शेष परियोजना/खदान जीवन पर परिशोधित किया जाता है। समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है; जिससे एक व्यय उत्पन्न होता है जिसे वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता बनाए रखा जाता है।

खदान पूर्णतः बंद करने के दायित्व के भाग के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के व्यय को प्रारंभ में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि निकाली जाती है।

2.10 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में वे लागतें शामिल होती हैं जो कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज से संबंधित होती हैं, जो तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचाने गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन तक लंबित रहती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा पर शोध और विश्लेषण करना;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययनों के माध्यम से अन्वेषण डेटा एकत्र करना;
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और नमूनाकरण;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना;
- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन का संचालन करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, प्रयुक्त सामग्री और ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य में दोहन से प्राप्त होने वाली और वसूल की जाने वाली समग्र अपेक्षित मूर्त लागतों के एक नगण्य/अविभाज्य भाग को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और व्यावसायिक व्यवहार्यता के निर्धारण तक परियोजना-दर-परियोजना आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत एक अलग पंक्ति मद के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में, इन्हें लागत में से संचित हानि/प्रावधान घटाकर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाने और खदानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूरी मिल जाने पर, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालाँकि, यदि सिद्ध भंडार निर्धारित नहीं होते हैं, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाते हैं और खदानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूरी मिल जाती है, तो पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के अंतर्गत प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत होते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय को घटाकर प्राप्त होता है।

व्यावसायिक प्रचालन

परियोजना/खान को राजस्व में तब लाया जाता है; जब परियोजना/खान की स्थायी आधार पर उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित हो जाती है:

(क) उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या

(ख) कोयला तक पहुँचने के 2 साल तक, या

(ग) उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो। जो भी घटना पहले घटित हो;

राजस्व में लाए जाने पर, प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचनाओं का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को राजस्व में लाया जाता है, 20 वर्षों में या परियोजना के कार्यकाल की अवधि में, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यय शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर रखा जाता है।

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की अमान्यता से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की अमान्यता के समय लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण और अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है।

अमूर्त आस्तियों का उपयोगी जीवन परिमित या अनिश्चित के रूप में आकलित किया जाता है। परिमित जीवन वाली अमूर्त आस्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधन किया जाता है और जब भी इस बात का संकेत मिलता है कि अमूर्त आस्तियों की हानि हो सकती है, तो उनकी हानि का आकलन किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या आस्तियों में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तनों को परिशोधन अवधि या पद्धति में, आवश्यकतानुसार, संशोधन करने के लिए माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन वाली अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अमूर्त आस्तियों का परिशोधन, अमूर्त आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अमूर्त संपत्ति		**उपयोगी जीवन**
एसएपी/ईआरपी	:	6 वर्ष
अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	:	लाइसेंस अवधि
रेल कॉरिडोर	:	समझौता ज्ञापन अनुबंध अवधि के अनुसार जीवन

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है।

तथापि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों (अर्थात् सीआईएल के लिए निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉकों) से संबंधित अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी क्षति के लिए जांच की जाती है।

अनुसंधान पर व्यय, जब भी हो, व्यय में शामिल किया जाता है। विकास पर व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हों और कंपनी विकास कार्य पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती हो।

2.13 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई के उपयोग मूल्य और उसके उचित मूल्य में से निपटान लागत घटाकर जो भी अधिक हो, वह होती है। यह राशि किसी एकल परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से प्राप्त होने वाले नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र न हो। ऐसी स्थिति में, वसूली योग्य राशि उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। समूह, क्षतिग्रस्तता परीक्षण के उद्देश्य से, अलग-अलग खदानों को अलग-अलग नकदी-उत्पादक इकाइयों के रूप में मानता है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है तथा क्षति, नुकसान को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 संपत्ति मे निवेश

संपति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) जो किराया अर्जित करने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी जाती है, न कि माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए, निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

निवेश संपत्ति को प्रारंभ में उसकी लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू हो, उधार लागत भी शामिल होती है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

2.15 वित्तीय साधनों

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्ति

2.15.1.1 प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागत भी शामिल की जाती

है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होते है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई) पर ऋणसाधन।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल) पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई) पर मापे गए ईक्विटी साधन

2.15.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत परिशोधित लागत पर ऋण साधन मापे जाते हैं:

क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। कमी के कारण हुई हानियों को लाभ व हानि में स्वीकार किया गया है।

2.15.1.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो ऋण साधन को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को चिन्हित कर लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में चिन्हित किए गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत लाभ एवं हानि के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई ऋण साधन को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.1.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट

डेब्ट इंस्ट्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड (जिसे ' बेमेल लेखांकन' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक चिन्हित किए गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर लाभ-हानि में चिन्हित सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.1.2.4 अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय मानक लेखांकन 101 (भारतीय मानक लेखांकन में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि परिवर्तन (ट्रांजिशन) की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। तत्पश्चात अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.1.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी

इस तरह का चुनाव उपकरण-दर-उपकरण आधार पर करती है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं। लाभ और हानि के विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए तब लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है ।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.3 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया जाता है (जैसे तुलनपत्र से हटाया गया), जब :

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व मान लिया है और या तो (a) कंपनी ने; परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या (b) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण अंतरण कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों का अंतरण कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, तो कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देनदारी को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बरकरार रखे गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले भाग और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक प्रतिफल की अधिकतम राशि पर मापा जाता है।

2.15.1.4 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय मानक लेखांकन 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के खुलासे के मापन तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियां उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि, जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख) वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग) भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ) व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय मानक लेखांकन 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; और
- भारतीय मानक लेखांकन 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, यह प्रारंभिक मान्यता से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.15.2 वित्तीय देयताएँ

2.15.2.1 आरंभिक मान्यता तथा मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शाई जाती है।

2.15.2.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है:

2.15.2.2.1 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में पुनर्खरीद के उद्देश्य से ली गई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा प्रविष्ट व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी

शामिल हैं, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में चिन्हित किया जाता है।

2.15.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में तब चिन्हित किया जाता है जब देयताओं की पहचान प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

2.15.2.3 मान्यता वापस लेना

कोई वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व को निर्वहन, निरस्त या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया गया है, ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता रद्दीकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता(या किसी वित्तीय देयता का भाग) की वहन राशि के समाप्त होने या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित होने और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें हस्तांतरित किसी भी गैर-नकद संपत्ति या ग्रहण की गई देयताएँ शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.15.2.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो कि इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, के लिए पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। बिजनेस मॉडल में बदलाव कम ही होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो कोई ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से संभावित रूप से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी किसी भी पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज का दोबारा वर्णन नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनकी गणना के तरीके को दर्शाती है :

वास्तविक वर्गीकरण	**संशोधित वर्गीकरण**	**लेखांकन विधि**
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पीएंडएल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती हैं। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में चिन्हित किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं होता।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली वहन राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में लाभ एवं हानि के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.2.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर धन प्राप्त करने के लिए संपत्ति बेचने और साथ ही देयताओं के निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की ऑफसेट की जाती है और निवल राशि को समेकित तुलनपत्र में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी ऐसे माप के लिए नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है:

क) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2: उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने योग्य हैं।

(ग) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (इनपुट जो अवलोकन योग्य नहीं है) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्यों के मापन के संबंध में कंपनी के पास एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.15.3 नगद एवं नगद समकक्ष

तुलनपत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और पास में रखे नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, शामिल हैं।

2.16. उधार लेने की लागत

प्रत्यक्ष रूप से अर्हता प्राप्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन को छोड़कर उधार लेने की लागत जहां आवश्यक हो, व्यय की जाती है अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब योग्य परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

2.17 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आय कर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में वर्णित है क्योंकि इसमें आय या व्यय की मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन मदों को भी शामिल नहीं किया गया है जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारी की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होने संभावना हो जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है जो अस्थायी अंतर साख से या किसी लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर को बदलाव पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो और यह संभावना हो कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावना हो कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे जिनके विरुद्ध अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और उसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जहाँ यह संभावना नहीं रह जाती कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे परिसंपत्ति का पूरा या आंशिक भाग वसूल किया जा सके। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावना हो जाती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे आस्थगित कर परिसंपत्ति का पूरा या आंशिक भाग वसूल किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुरूप होंगे।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन वस्तुओं से संबंधित होते हैं जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में पहचाने जाते हैं, उस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब समायोजित किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहां शेष राशि को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा होता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पावधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह माह पूर्व पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगार पश्चात एक लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी की कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं:

योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर की जाती है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार उत्पाद पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाता है, जिसमें लाभ का भुगतान होने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, संपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना इत्यादि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य के रिफंड या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो कंपनी को यह आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है।

निवल परिभाषित लाभ देयता का पुन: मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभाव को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ रोजगार उपरांत लाभ और सेवा समाप्ति लाभों के अलावा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं जिनका वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बाद बारह माह से पहले पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का निवल योग लाभ एवं हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है:

क) सेवा लागत

ख) निवल परिभाषित लाभ देनदारी (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

ग) निवल परिभाषित लाभ दायित्व (संपत्ति) का पुन: माप

2.19 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं का रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अंतरण किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों के निपटान और देयताओं या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण जो उन दरों जिस पर अवधि के दौरान या उनके प्रारम्भिक मान्यता पर पिछले वित्तीय विवरणों में भिन्न अंतरों पर अंतरित किए गए थे, लाभ-हानि विवरणी में उत्पन्न विनिमय अंतरों को अवधि में मान्यता दी जाती है ।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्य लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि

खुली खदान खनन के मामले में, कोयले तक पहुँचने और उसके निष्कर्षण के लिए खदान के अपशिष्ट पदार्थ ("ओवरबर्डन"), जिसमें कोयला परत के ऊपर की मिट्टी और चट्टान शामिल हैं, को हटाना आवश्यक है। कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और यह ओपनकास्ट खदान के पूरे जीवनकाल में होती रहती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्गीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग लागत का हिसाब अलग-अलग खदानों के लिए अलग-अलग रखा जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के लिए समूह का लेखा-जोखा निम्नवत है

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत

ये निकाले जाने वाले कोयले तक पहुंच के लिए की गई प्रारंभिक ओवरबर्डन हटाने की लागत है। जब यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है तो इन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। एक बार जब उत्पादन चरण शुरू हो जाता है, तो खदान के जीवन (परिचालन समय) पर पूंजीगत विकास स्ट्रिपिंग लागत का परिशोधन किया जाता है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत :

कंपनी की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद ये ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और भविष्य में निकाले जाने वाले कोयले तक बेहतर पहुंच। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को मानक स्ट्रिप अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोयला) का उपयोग करके उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के बीच आवंटित किया जाता है। मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के पूरे जीवनकाल में निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की कुल मात्रा है। जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन की स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल के दौरान किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन का मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव पड़ सकता है। अनुपात में परिवर्तन को संभावित रूप से ध्यान में रखा जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से शामिल किया गया है।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की क्षमता वाली खदानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देती है।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयला भंडार

कोयले/कोक की सूची कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर वर्णित है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके इन्वेंट्री की लागत की गणना की जाती है। निवल वास्तविक मूल्य इन्वेंट्री की अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा करने की सभी अनुमानित लागतों और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर दर्शाता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच अंतर +/- 5% तक है, समझा जाता है और ऐसे मामलों में जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है, वहां मापे गए स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे शेयरों का मूल्यांकन निवल वस्तिक मूल्य या लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोक को कोयले के भण्डार का एक भाग माना जाता है।

कोयले और कोक-फाइन का मूल्यांकन लागत से कम या निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग), वॉशरी की मिडलिंग और सह -उत्पादों का मूल्यांकन निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है और कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

2.21.2 भंडार पुर्जे और अन्य वस्तु सूची

अन्य वस्तु सूची सहित स्टोर और स्पेयर के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित दुकानों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित न किए गए स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किए जाते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, और यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो, वहाँ प्रावधानों को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर दर्शाया जाता है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभ के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो, दायित्व को आकस्मिक दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रतिबिंबित हो।

2.23 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर पश्चात लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डायल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी।

2.24 स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (अनुपात परिवर्तन)

पहले मान्यता प्राप्त स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान, सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से लगातार अपनाई गई नीति पर आधारित है। स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान को खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में ओबी और कोयले के वर्तमान अनुपात के आधार पर मान्यता दी गई या रद्द किया गया। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी अपेक्षित मात्रा से अधिक ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा निकालने पर उत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है। ऐसा उत्क्रमण विशिष्ट खदानों के लिए उस दर पर होता है जिस पर उक्त प्रावधान को मान्यता दी गई है।

2.25 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय मानक लेखांकन के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और संपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के खुलासे और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से युक्त लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रस्तुत किया जाता है।

2.25.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.25.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की जाती हैं कि वित्तीय विवरणों में लेनदेन, अन्य गतिविधियों और उन पर लागू होने वाली शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल होती है। जब इन नीतियों को लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो उन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशेष रूप से लागू होने वाले भारतीय मानक लेखांकन की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने एक लेखांकन नीति विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी मिलती है:

क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और

ख) उस वित्तीय विवरण में विश्वसनीय: और

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है;

(ii) लेनदेन के आर्थिक सार, अन्य घटनाओं और स्थितियों को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को; (iii) तटस्थ हैं, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त हैं; (iv) विवेकपूर्ण हैं; और (v) सुसंगत आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों को संदर्भित करता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(क) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय मानक लेखांकन में आवश्यकताएं; और

(ख) फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं पर विचार करता है और उसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारण निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का इस हद तक उपयोग करते हैं कि ये भारतीय लेखा मानक और लेखा नीतियों और प्रथाओं के साथ मतभेद नहीं करते जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में बताया गया है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास उत्पादन चरण दशकों से चल रही पट्टे अवधि में फैले विभिन्न स्थलाकृतिक और भू-खनन इलाके पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है), लेखांकन नीतियां जहां अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं के आधार पर विकसित की गई है और पिछले कई दशकों से इसके लगातार इस्तेमाल के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। विकास की प्रक्रिया में चल रहे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों के अभाव में, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और भारतीय मानक लेखांकन 8 में विशेष रूप से किसी भी विकास को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार उत्तरदायी माना जाएगा।

2.25.1.2 सामग्री

भारतीय मानक लेखांकन उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन यह तय करने में निर्णय लेता है कि व्यक्तिगत वस्तुएं या वस्तुओं के समूह वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण हैं या नहीं। भौतिकता का मूल्यांकन वस्तुओं की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी जानकारी को छोड़ना या गलत बताना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य जानकारी के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं। प्रबंधन, भारतीय मानक लेखांकन के अनुपालन आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए भौतिकता के निर्णय का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से अमूर्त वस्तुओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी, पिछली अवधियों से संबंधित पाई गई त्रुटियों/चूकों को चालू वर्ष में सारहीन माना जाता है और समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल मिलाकर परिचालन (शुद्ध) वैधानिक लेवी) से कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं होती हैं ।

2.25.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौता किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और संपत्ति का उचित मूल्य, कि यह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को बरकरार रखता है और इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कार और परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए खाते हैं।

2.25.2 आकलन और धारणाएँ

भविष्य से संबंधित मुख्य धारणाएं और रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमान की अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन मात्रा में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम होता है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाने पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किया है । हालाँकि, मौजूदा परिस्थितियाँ और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएँ बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबद्ध धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित होता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा नीचे किया गया है।

2.25.2.1 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी निर्माण करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो निपटान की लागत और उपयोग में उसके मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है, तो हानि का संकेत होता है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकदी निर्माण करने वाली इकाई मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ़ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या भविष्य के महत्वपूर्ण निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्यनिष्पादन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य

राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और संबंधित नोट्स में आगे वर्णन किया गया है।

2.25.2.2 आयकर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.25.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

पारिभाषित लाभ, ग्रेच्युटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

2.25.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.25.2.5 खान बंदी, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट बहाली और डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य का निर्धारण करने में, छूट दरों, साइट बहाली और निराकरण की अपेक्षित लागत और उन लागतों के अपेक्षित समय के संबंध में धारणा और अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खदान की अवधि को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित आधार पर प्रावधान का अनुमान लगाती है:

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- छूट दर (कर-पूर्व दर) जो धन के समय मूल्य और देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करती है।

2.26 उपयोग किए गए संक्षिप्त शब्द:

क.	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई	ठ.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	रियायती नगद प्रवाह	ड.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ढ.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ण.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड.	जीएएपीई	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त	त.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च.	भा.लेखा.मा.	भारतीय मानक लेखांकन	थ.	एनसीएल	नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	द.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	लाभ एवं हानि	लाभ एवं हानि	ध.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टिट्यूड लिमिटेड
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	न.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	प.	आईआईसीएम	इंडियन इन्स्टीट्यूड ऑफ कोल मेनेजमेंट
ट.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	फ.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुल सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन आधार संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियाँ	सर्वेक्षण की गई संपत्ति	रेल कॉरिडोर	सौर एवं अन्य परिसंपत्तियां	कुल
सकल वहन राशि :																
1 अप्रैल, 2023 तक	7.09	8,194.85	407.06	1,223.68	2,575.37	36.83	36.40	40.60	42.64	412.38	686.76	1,337.60	37.63	1,124.36	0.52	16,163.77
जोड़	-	901.65	24.09	165.06	584.66	7.69	0.74	9.10	14.37	0.02	222.82	419.54	5.02	-	-	2,354.76
विलोपन / समायोजन	(0.17)	0.34	(46.97)	36.89	(104.25)	0.66	(1.65)	(5.45)	(1.58)	0.07	(30.47)	-	(6.59)	-	0.91	(158.26)
31 मार्च, 2024 तक	**6.92**	**9,096.84**	**384.18**	**1,425.63**	**3,055.78**	**45.18**	**35.49**	**44.25**	**55.43**	**412.47**	**879.11**	**1,757.14**	**36.06**	**1,124.36**	**1.43**	**18,360.27**
31 मार्च, 2023 तक	6.92	9,096.84	384.18	1,425.63	3,055.78	45.18	35.49	44.25	55.43	412.47	879.11	1,757.14	36.06	1,124.36	1.43	18,360.27
जोड़	2.04	631.17	320.97	149.97	616.07	9.24	2.76	19.03	54.90	346.34	71.42	590.48	6.03	878.45		3,698.87
विलोपन / समायोजन			(0.13)	2.03	(136.24)	(1.96)	(1.30)	(0.48)	(0.01)		(27.92)	(2.66)	(10.47)		0.69	(178.45)
31 मार्च 2025 तक	**8.96**	**9,728.01**	**705.02**	**1,577.63**	**3,535.61**	**52.46**	**36.95**	**62.80**	**110.32**	**758.81**	**922.61**	**2,344.96**	**31.62**	**2,002.81**	**2.12**	**21,880.69**
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि 3.1.4																
1 अप्रैल, 2023 तक	-	1,303.15	204.92	334.82	889.50	18.25	18.20	21.94	28.96	149.17	286.64	74.71	19.36	371.12	0.07	3,720.81
वर्ष के लिए शुल्क	-	270.67	13.57	70.20	219.52	3.24	2.91	7.15	2.99	28.67	110.76	162.32	0.38	73.53	0.08	965.99
विलोपन/ समायोजन	-	1.29	-	(15.26)	(79.67)	0.18	(1.44)	(2.50)	(0.13)	-	(4.47)	-	(3.87)	-	0.05	(105.82)
31 मार्च, 2024 तक	**-**	**1,575.11**	**218.49**	**389.76**	**1,029.35**	**21.67**	**19.67**	**26.59**	**31.82**	**177.84**	**392.93**	**237.03**	**15.87**	**444.65**	**0.20**	**4,580.98**
31 मार्च, 2023 तक	-	1,575.11	218.49	389.76	1,029.35	21.67	19.67	26.59	31.82	177.84	392.93	237.03	15.87	444.65	0.20	4,580.98
वर्ष के लिए शुल्क		303.08	19.84	87.87	280.40	5.17	2.89	9.79	7.58	39.77	94.50	160.87		78.79	0.11	1,090.66
विलोपन/ समायोजन		0.27		(0.41)	(117.92)	(1.50)	(0.84)	(3.98)	(0.02)		(25.19)		(5.12)		0.05	(154.66)

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक	**-**	**1,878.46**	**238.33**	**477.22**	**1,191.83**	**25.34**	**21.72**	**32.40**	**39.38**	**217.61**	**462.24**	**397.90**	**10.75**	**523.44**	**0.36**	**5,516.98**
निवल वहन राशि																
31 मार्च 2025 तक	**8.96**	**7,849.55**	**466.69**	**1,100.41**	**2,343.78**	**27.12**	**15.23**	**30.40**	**70.94**	**541.20**	**460.37**	**1,947.06**	**20.87**	**1,479.37**	**1.76**	**16,363.71**
31 मार्च, 2024 तक	6.92	7,521.73	165.69	1,035.87	2,026.43	23.51	15.82	17.66	23.61	234.63	486.18	1,520.11	20.19	679.71	1.23	13,779.29

3.1.1. कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और मंजूरी आदेश के बाद पूंजीकरण को समायोजित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, ओड़िशा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

3.1.2. टिप्पणी 2.8 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालांकि, परिसंपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कतिपय परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन के पूरा होने तक, इन परिसंपत्तियों पर संपत्तियों के गैर-पृथक वर्ग के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

3.1.3. भूमि सुधार/साइट बहाली लागत में अनुमानित लागत शामिल है जो खान बंद होने के चरण में मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के लिए विधिवत रूप से बढ़ी है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी गई है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

3.1.4. संचित हानि में उतार-चढ़ाव

1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91		19.36	-	-	23.75
वर्ष के लिए शुल्क													0.38			0.38
विलोपन/ समायोजन													(3.87)			(3.87)
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91	-	15.87	-	-	20.26
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91		15.87	-	-	20.26
वर्ष के लिए शुल्क													-			-
विलोपन/ समायोजन													(5.12)			(5.12)
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91		10.75	-	-	15.14

3.1.5 अधिग्रहित फ्रीहोल्ड भूमि के स्वामित्व विलेख कंपनी के अधीन हैं और कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं, सिवाय कुछ मामलों के, जहां कानूनी औपचारिकताओं के लंबित रहने के कारण यह प्रगति पर है।

3.1.6 समूह ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन अवसंरचना / विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल, 2023 तक	314.35	1,633.83	259.29	1,424.66	911.61	184.44	-	4,728.18
जोड़	163.92	495.61	277.97	527.78	44.82	110.14	-	1,620.24
पूंजीकरण/विलोपन	(104.54)	(80.35)	(11.20)	(927.73)	(254.64)	-	-	(1,378.46)
31 मार्च, 2024 तक	**373.73**	**2,049.09**	**526.06**	**1,024.71**	**701.79**	**294.58**	**-**	**4,969.96**
31 मार्च, 2023 तक	373.73	2,049.09	526.06	1,024.71	701.79	294.58	-	4,969.96
जोड़	186.89	238.45	252.45	163.42	870.94	17.66		1,729.81
पूंजीकरण/विलोपन	(35.34)	(431.38)	36.82	(49.37)	(1,203.41)	(1.00)		(1,683.68)
31 मार्च 2025 तक	**525.28**	**1,856.16**	**815.33**	**1,138.76**	**369.32**	**311.24**	**-**	**5,016.09**
संचित हानि								
1 अप्रैल, 2023 तक	16.13	12.88	0.12	98.61	-	-	-	127.74
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	**16.13**	**12.88**	**0.12**	**98.61**	**-**	**-**	**-**	**127.74**
31 मार्च, 2023 तक	16.13	12.88	0.12	98.61	-	-	-	127.74
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	(3.21)			(32.95)	-	-	-	(36.16)
31 मार्च 2025 तक	**12.92**	**12.88**	**0.12**	**65.66**	**-**	**-**	**-**	**91.58**
निवल वहन राशि								
31 मार्च 2025 तक	**512.36**	**1,843.28**	**815.21**	**1,073.10**	**369.32**	**311.24**	**-**	**4,924.51**
31 मार्च, 2024 तक	**357.60**	**2,036.21**	**525.94**	**926.10**	**701.79**	**294.58**	**-**	**4,842.22**

1.पूंजीगत कार्य हेतु समय-सीमा अनुसूची:

	31.03.2025 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
चल रही परियोजनाएं:	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	230.29	127.26	5.65	162.08	525.28
संयंत्र और उपकरण	566.56	318.43	169.46	801.71	1,856.16
रेलवे साइडिंग	505.24	189.14	10.39	110.56	815.33
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	625.48	121.54	111.47	232.37	1,090.86
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	10.36			358.96	369.32
सौर परियोजना		310.24		1.00	311.24

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य (जारी)

अन्य					
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					
संयंत्र और उपकरण					
रेलवे साइडिंग					
अन्य खनन संरचना/विकास				47.90	47.90
कुल	**1,937.93**	**1,066.61**	**296.97**	**1,714.58**	**5,016.09**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य (जारी)

(₹ करोड़ में)

	Amount in Capital work in Progress as at 31.03.2024				
चल रही परियोजनाएं:	**Less than 1 year**	**1-2 years**	**2-3 years**	**More than 3 years**	**Total**
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	64.11	55.30	15.66	238.66	373.73
संयंत्र और उपकरण	122.93	325.74	1,043.42	557.00	2,049.09
रेलवे साइडिंग	271.01	9.29	3.94	241.82	526.06
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	153.52	91.49	175.60	556.19	976.80
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	0.89	73.40	22.05	605.45	701.79
सौर परियोजना	2.69	290.89	-	1.00	294.58
अन्य				-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन संरचना/विकास				47.91	47.91
कुल	**615.15**	**846.11**	**1,260.67**	**2,248.03**	**4,969.96**

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभिक वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाएगा।

31.03.2025 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) (सकल)

2. भौतिकप्रधानकार्यप्रगति हेतु अतिदेय (सकल):

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
चालू परियोजनाएं:				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
ओएसए कॉलोनी में मुख्य पाइपलाइन उपलब्ध कराना और बिछाना	0.15			

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संयंत्र और उपकरण				
मैन राइडिंग सिस्टम के लिए 52 सेट गोलपोस्ट का निर्माण		0.01		
मैन राइडिंग की स्थापना के लिए ड्राइव हेड की रिकवरी		0.02		
रेलवे साइडिंग				
तालचेर से पारादीप बंदरगाह तक ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम				66.79
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
पीजोमीटर निर्माण-सीएमपीडीआई		0.05		
ओरिएंट माइन नं.03 के लिए एमडीओ दस्तावेज़		0.14		
10 ईट स्तंभों का निर्माण खुली खदान संख्या 1&2		0.17		
56L/2DN HR सेक पर UG स्ट्रेट्स बंकर का निर्माण		0.06		
ओरिएंट-सीएमपीडीआई में पीजोमीटर का निर्माण		0.03		
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन				
परियोजना का नाम				
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
परियोजना का नाम				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
परियोजना का नाम				
अन्य शीर्ष..				
परियोजना का नाम				
कुल	**0.15**	**0.48**	**-**	**66.79**

टिप्पणी 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2023 तक	132.05
अतिरिक्त	21.97
पीपीई/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में स्थानांतरण/हटाना	(2.27)
31 मार्च, 2024 तक	151.75
31 मार्च, 2023 तक	151.75
अतिरिक्त	25.94
पीपीई/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में स्थानांतरण/हटाना	-

टिप्पणी 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (जारी)

31 मार्च 2025 तक	177.69
संचित हानि	
1 अप्रैल, 2023 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2024 तक	-
31 मार्च, 2023 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2025 तक	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2025 तक	177.69
31 मार्च, 2024 तक	151.75

अन्वेषण और मूल्यांकन

1. समय सीमा वृद्धि अनुसूची अन्वेषण और मूल्यांकन (सकल)

	31.03.2025 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	6.90	10.19	26.20	134.40	177.69
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	**6.90**	**10.19**	**26.20**	**134.40**	**177.69**

	31.03.2024 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	Less than 1 year	**1-2 years**	**2-3 years**	**More than 3 years**	**Total**
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	21.96	11.86	40.48	77.45	151.75
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	**21.96**	**11.86**	**40.48**	**77.45**	**151.75**

2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन

	में पूरा किया जाना है				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएं:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर 2	अन्य	कुल
निवल वहन राशि:					
1 अप्रैल, 2023 तक	22.68	4.57	-	-	27.25
जोड़	0.04	-	252.96	-	253.00
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	22.72	4.57	252.96	-	280.25
31 मार्च, 2023 तक	22.72	4.57	252.96	-	280.25
जोड़	0.13		8.30	-	8.43
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	22.85	4.57	261.26	-	288.68
संचित परिशोधन					
1 अप्रैल, 2023 तक	4.49	-	-	-	4.49
वर्ष के लिए शुल्क	4.05	-	11.94	-	15.99
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	8.54	-	11.94	-	20.48
31 मार्च, 2023 तक	8.54	-	11.94	-	20.48
वर्ष के लिए शुल्क	3.74		10.14	-	13.88
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	12.28	-	22.08	-	34.36
निवल वहन राशि					
31 मार्च 2025 तक	10.57	4.57	239.18	-	254.32
31 मार्च, 2024 तक	14.18	4.57	241.02	-	259.77

3.4.1. संचित हानि में संचलन

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त संपत्ति (जारी)

3.4.2.एमसीएल की सहायक कम्पनियों एमसीआरएल के मामले में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर को अमूर्त संपत्ति माना गया है।

टिप्पणी 3.5 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	सॉफ्टवेयर विकासाधीन	रेल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
जोड़	-	0.33	0.33
पूंजीकरण/विलोपन	-	23.84	23.84
31 मार्च, 2024 तक	-	24.17	24.17
31 मार्च, 2023 तक	-	24.17	24.17
जोड़		0.50	0.50
पूंजीकरण/विलोपन	-		-
31 मार्च 2025 तक	-	24.67	24.67
संचित हानि			
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2025 तक	-	24.67	24.67
31 मार्च, 2024 तक	-	24.17	24.17

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.5 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जारी)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

1. विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों की समय सीमा वृद्धि अनुसूची

	31.03.2025 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
ईआरपी विकासाधीन	-	-	-	-	**-**
रेल कॉरिडोर विकासाधीन	-		24.67	-	**24.67**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	
कुल	**-**		**24.67**	**-**	**24.67**

	31.03.2024 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
ईआरपी विकासाधीन	-	-	-	-	**-**
रेल कॉरिडोर विकासाधीन	-	24.17	-	-	**24.17**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	
कुल	**-**	**24.17**	**-**	**-**	**24.17**

2. विकास के अंतर्गत अतिदेय भौतिक अमूर्त संपतियां

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
ईआरपी विकासाधीन				
कुल	-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के प्रारम्भ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

3. एमसीएल की सहायक कम्पनियों एमसीआरएल के मामले में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर को निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है।

टिप्पणियाँ - 4.1 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	होल्डिंग का %	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर चालू			
कुल		**-**	**-**

चालू			31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
म्यूचुअल फंड (उद्धृत)	**इकाई**	**एनएवी (₹)**		
एसबीआई म्यूचुअल फंड - अल्ट्रा मैग्नम	1213870.278 (P.Y.1907056.26)	5965.6466 (P.Y.5542.058)	724.15	1,056.90
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड फंड	173453.117 (P.Y.380824.884)	4055.9471 (P.Y.3779.282)	70.35	143.93
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	13479.216 (P.Y.537.456)	3108.1073 (P.Y.2893.527)	4.19	0.16
यूनियन म्यूचुअल फ़ंड	26884.591 (P.Y.55462.152)	2501.5470 (P.Y.2328.516)	6.73	12.91

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ - 4.1 : निवेश (जारी)

बीओआई म्यूचुअल फ़ंड	8058.251 (-)	2986.6787 (-)	2.41	-
बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फ़ंड	49812.749 (P.Y.1366.305)	2990.6861 (P.Y.2784.781)	14.90	0.38
			822.73	**1,214.28**
अन्य				
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)			-	-
कुल			**822.73**	**1,214.28**

4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर चालू		चालू	
	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
अउद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का कुल योग:	-	-	822.73	1,214.28
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:	-	-	822.73	1,214.28
निवेश के मूल्य में कुल हानि राशि:	-	-	-	-

टिप्पणी- 4.2 : ऋण

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
गैर चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट खराब	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कार्पोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	2.66	1.67
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय	-	-
- ऋण खराब	-	-
	2.66	**1.67**
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	2.66	**1.67**
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	**2.66**	**1.67**
चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.2 : ऋण (जारी)

- ऋण खराब	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
कार्पोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- ऋण खराब	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
सुरक्षित माना जाता	-	-
असुरक्षित को अच्छा माना जाता	2,676.05	2,160.29
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
ऋण ख़राब	43.65	105.94
	2,719.70	2,266.23
घटाव : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता4.3.1	43.65	105.94
कुल	**2,676.05**	**2,160.29**

4.3.1 समूह ने व्यापार प्राप्तियों के ऋण घाटे के लिए भत्ता निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	105.94	42.80
अवधि के दौरान निर्धारण	-	63.86
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(62.29)	(0.72)
अवधि के अंत में शेष राशि	**43.65**	**105.94**

4.3.2 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16- (2)(vii) देखें

4.3.3 उपरोक्त व्यापार प्राप्य राशि में कोयला गुणवत्ता भिन्नता और अतिरिक्त सतही नमी के लिए प्रावधान के कारण ₹22.53 करोड़ की कमी हुई है (पिछले वर्ष में ₹100.11 करोड़ की कमी हुई है)

4.3.4 उपरोक्त व्यापार प्राप्य में अनुमानित पीआई और मुआवजा राशि ₹278.60 करोड़ (पीवाई ₹263.04 करोड़) शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य (जारी)

4.3.5 उपरोक्त व्यापार प्राप्य में ₹6.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.38 करोड़) शामिल हैं, जो महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के देनदारों से संबंधित है।

4.3.6. व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025 तक

विवरण	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है	278.60	1,822.42	156.45	337.53	60.35		2,655.35
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि						9.03	9.03
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है					18.42	2.28	20.70
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि						34.62	34.62
कुल	**278.60**	**1,822.42**	**156.45**	**337.53**	**78.77**	**45.93**	**2,719.70**
डूबंत ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						43.65	43.65
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.04%	1.60%

31.03.2024 तक

व्यापार प्राप्तियाँ समय सीमा निर्धारण अनुसूची	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण		6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है	263.04	1,149.40	544.62	197.28	3.64	0.03	2,158.01
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि						17.62	17.62
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है						2.28	2.28
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि						88.32	88.32
कुल	**263.04**	**1,149.40**	**544.62**	**197.28**	**3.64**	**108.25**	**2,266.23**
डूबंत ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता"						105.94	105.94
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.87%	4.67%

टिप्पणी- 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष

	31.03.2025 तक	1.03.2024 तक
बैंक में शेष		
-जमा खातों में	1,719.84	533.86
-चालू खातों में	95.69	132.15
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी[4.4.1]	342.00	201.00
उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष (जारी)

उपलब्ध नकदी	-	-
भारत के बाहर उपलब्ध नकदी	-	-
अन्य 4.4.2	0.17	0.19
कुल	**2,157.70**	**867.20**

4.4.1 प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं, जिनकी मूल परिपक्वता निवेश की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच होती है।

4.4.2 अन्य में ई-खरीद खाता, जीईएम खाता, अग्रिम शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकदी और नकदी समतुल्य में उपलब्ध नकदी, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

टिप्पणी- 4.5 : अन्य बैंक शेष

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बैंकों के पास शेष राशि		
जमा खाते	9,612.91	12,022.64
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए) 4.5.1)	14.56	11.54
कुल	**9,627.47**	**12,034.18**

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी /निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशियां और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है, शामिल हैं। - नोट 16 का पैरा 3(सी) देखें।

टिप्पणी- 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा राशि	54.59	52.38
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता 4.6.1	0.09	0.13
	54.50	**52.25**
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां 4.6.3	5.25	4.85
खदान बंदी योजना के अंतर्गत बैंक में जमा4.6.2	1,758.88	1,672.90
	1,764.13	**1,677.75**
वित्त पट्टा प्राप्तियाँ 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	19.28	31.26
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1	0.16	0.16
	19.12	**31.10**
कुल	**1,837.75**	**1,761.10**

चालू	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
धारक कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष	**(0.00)**	**5.12**
घटाव: सहायक कंपनियों के पास संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता	-	-
	(0.00)	5.12
IICM के साथ शेष	-	0.01
अर्जित ब्याज	232.16	485.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

प्राप्य वित्त पट्टा 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	560.46	355.62
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता	-	0.03
	560.46	355.59
कुल	**792.62**	**845.72**

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में संचलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	0.32	0.16
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	0.16
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(0.07)	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**0.25**	**0.32**

4.6.2 खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा राशि

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31.01.2025 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए एक एस्क्रो खाता खोला गया है। कुल राशि का 50% तक एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित जमा की गई राशि दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप हर पांच साल बाद जारी किया जा सकता है। हालाँकि जिस वर्ष 5 वार्षिक प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है, वार्षिक प्रतिपूर्ति लागू नहीं होगी (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 9.1 देखें)

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष	1,672.90	1,399.01
जोड़: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	0.17	194.28
जोड़: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (निवल टीडीएस)	117.31	79.61
घटाव: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	31.50	-
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष	**1,758.88**	**1,672.90**

4.6.3. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशि वे बैंक जमाराशियाँ हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं। टिप्पणी 16 के पैरा 3(सी) को देखें।

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
पट्टा आय	-	-
वे परिवर्तनशील पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर आधारित नहीं हैं	-	-
कुल	**-**	**-**

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे :

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

प्रचालन पट्टा

(iii) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	**-**	**-**

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पाँच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**

(v) दिनांक 31.03.2025 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान योग	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरीडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान योग	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरीडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.5निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

टिप्पणी- 5.1 : वस्तु-सूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कोयला (तैयार उत्पाद)	1,630.29	1,021.11
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाव: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान 5.1.1	-	
	1,630.29	**1,021.11**
भंडार, स्पेयर्स और अन्य वस्तुसूची (निवल) 5.1.3	271.78	282.66
घटाव : धीमी गति , स्थिर तथा अप्रचलित वस्तुसूची के लिए प्रावधान 5.1.2	21.88	24.55
	249.90	**258.11**
कुल	**1,880.19**	**1,279.22**

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में संचलन का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.2 भंडार और पुर्जों की सूची में वे वस्तुएं शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलने वाली और अप्रचलित श्रेणियों में आती हैं। इन वस्तुओं के लिए कंपनी की नीति के अनुसार प्रावधानों को मान्यता दी जाती है।

धीमी गति से चलने वाली, स्थिर और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और अन्य इन्वेंटरी के प्रावधानों में संचलन का विवरण:

अवधि की शुरुआत में शेष राशि	**24.55**	**23.08**
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	1.42	3.22
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(4.09)	(1.75)
अवधि के अंत में शेष राशि	**21.88**	24.55

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

टिप्पणी - 6.1 :अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
अग्रिम पूंजी	1,360.87	2,233.22
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1	0.50	0.50
	1,360.37	**2,232.72**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	64.44	24.33
घटाव : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता6.1.1	-	-
	64.44	**24.33**
प्रगतिशील खदान बंदी पर होने वाला व्यय 6.1.2	858.38	656.38
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	**2,283.19**	**2,913.43**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 6.1 :अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति (जारी)

6.1.1खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में संचलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	0.50	0.60
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया		(0.10)
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
	0.50	**0.50**

6.1.2 उपरोक्त विवरण, खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियां

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिमs		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	48.16	80.26
घटाव : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता6.2.1	-	-
	48.16	**80.26**
अन्य जमा और अग्रिम6.2.2 and 6.2.3	2,207.18	2,199.13
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता6.2.1	5.88	5.92
	2,201.30	**2,193.21**
प्रगतिशील खदान बंदी पर होने वाला व्यय6.1.2	38.79	104.91
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य6.2.4	2,707.19	2,037.25
कुल	**4,995.44**	**4,415.63**

6.2.1 बकाया और संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं (चालू) में संचलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	5.92	5.92
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	0.05	0.17
अवधि के दौरान उपयोग किए गए	(0.09)	(0.17)
Balance at the end of the period	**5.88**	5.92

6.2.2 इसमें ""विवादाधीन जमा राशि"" (Deposit under Protest) तथा निपटाए गए मामलों के लिए अब तक प्राप्त न हुई रिफंड राशि शामिल है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

आयकर ₹1590.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1590.04 करोड़),बिक्री कर ₹6.16 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹15.60 करोड़),सेवा कर ₹0.31 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.59 करोड़),केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹3.75 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹3.69 करोड़),वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ₹1.37 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.03 करोड़), स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹शून्य (पिछले वर्ष: ₹10.00 करोड़) है।

6.2.3 इसमें अतिरिक्त सीएसआर ₹ शून्य (पी.वाई.₹ 19.28 करोड़) शामिल हैं।

6.2.4 उपयोग के लिए उपलब्ध इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) आउटपुट पर जीएसटी के मुकाबले ₹2707.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2037.25 करोड़) करोड़ तक संचित हो गया है। इसमें काफी हद तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत 18% की दर से भुगतान किए गए खनन कार्यों के खिलाफ रॉयल्टी पर जीएसटी शामिल है, जिसके खिलाफ वसूली कोयले पर देय शुल्क की दर 5% तक सीमित है। उल्टे कर ढांचे के कारण संचित हो रही राशि का वर्तमान में उपयोग नहीं होने के बावजूद आईटीसी इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार वापसी योग्य नहीं है, इसे भविष्य में संभावित उपयोग के लिए वर्तमान संपत्ति के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, यह देखते हुए कि इसके उपयोग की कोई समय सीमा नहीं है।

6.2.5 निदेशकों के बकाया शुल्क के लिए - नोट 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
अधिकृत पूंजी		
प्रति ₹ 1000/- के 1,39,58,200 इक्विटी शेयर	1,395.82	1,395.82
प्रति ₹ 1000/- के 20,41,800 अर्थात 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (प्रतिदेय)	204.18	204.18

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी (जारी)

₹1000/- प्रत्येक के 13236726 पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर (P.Y. 13236726 पूर्ण भुगतान वाले ₹1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर)	1,323.67	1,323.67
कुल	**1,323.67**	**1,323.67**

7.1.1) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

शेयरधारकों का नाम		धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामांकित	31.03.2025 तक	13236726	100.00	0.00%
	31.03.2024 तक	13236726	100.00	0.00%

* कंपनी में केवल एक प्रमोटर है जिसके पास 100% शेयर हैं

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान:-

Particular	Number of Share		Amount
31.03.2020 को शेष राशि	66,18,363		661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-		-
31.03.2021 को शेष राशि	66,18,363		661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-		-
31.03.2022 को शेष राशि	66,18,363		661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-		-
31.03.2023 को शेष राशि	66,18,363		661.84
बोनस जारी @ 1:1	66,18,363		661.83
31.03.2024 को शेष राशि	1,32,36,726		1,323.67
समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन	-		-
31.03.2025 को शेष राशि	1,32,36,726		1,323.67

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयरों है जिसका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मताधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद किया जाएगा। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	4,225.97	3,684.80
प्रतिधारित आय	12,647.54	11,016.11
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**16,873.51**	**14,700.91**

ए) पूंजी मोचन रिजर्व

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	44.29
अवधि के दौरान योग	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		(44.29)
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

(i) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, जब कोई कंपनी अपने स्वयं के शेयरों को मुक्त रिजर्व या प्रतिभूति प्रीमियम से खरीदती है, तो खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित की जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.2 :अन्य इक्विटी (जारी)

(ii) पूंजी प्रतिपूर्ति रिजर्व का विवरण

विवरण	Amount (₹ in Crore)	Year
कुल	**0**	

(बी) पूंजी रिजर्व

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान योग	-	
बोनस शेयर जारी करना	-	
अवधि के दौरान समायोजन	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

(सी) सामान्य रिजर्व

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	3,684.80	3,710.08
अवधि के दौरान योग		
वर्ष के दौरान समायोजन		(617.55)
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	541.17	592.27
अवधि के अंत में शेष राशि	**4,225.97**	**3,684.80**

सामान्य रिजर्व एक मुक्त रिजर्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(डी) (i) प्रतिधारित आय

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि [iii]	11,111.44	8,862.34
अवधि के लिए लाभ	10,823.58	11,841.37
अंतरिम लाभांश	(7,500.00)	(7,500.00)
अंतिम लाभांश	(1,100.00)	(1,500.00)
वर्ष के दौरान समायोजन		
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	(541.17)	(592.27)
अवधि के अंत में शेष राशि	**12,793.85**	**11,111.44**
(डी) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	(95.33)	(53.23)
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	(50.98)	(42.10)
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का शेयर	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
अवधि के अंत में शेष राशि	**(146.31)**	**(95.33)**
कुल (डी(i) + (ii))	**12,647.54**	**11,016.11**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.2 :अन्य इक्विटी (जारी)

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल है (शुद्ध कर)

(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की जाती है।

(e) अन्य समग्र आय की मदें

(अन्य समग्र आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा))

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
एक विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में आने वाले मतभेदों पर चर्चा		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों के अन्य व्यापक आय/व्यय में हिस्सेदारी	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

नोट - 7.3: गैर-नियंत्रित हित

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	153.30	68.62
अवधि के लिए लाभ का हिस्सा	1.54	0.18
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय का हिस्सा	-	-
हित के अधिग्रहण/निपटान और अन्य समायोजनों से उत्पन्न अतिरिक्त गैर-नियंत्रक हित		84.50
गैर-नियंत्रक हित को दिया गया लाभांश	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**154.84**	**153.30**

टिप्पणी - 8.1 : उधार

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
अन्य से 8.1.1		
सुरक्षित	2.67	3.28
असुरक्षित	-	-
	2.67	**3.28**
चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता8.1.1	**0.68**	0.67
	0.68	**0.67**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.1 : उधार (जारी)

8.1.1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा गारंटीकृत ऋण:

ऋण का विवरण	राशि करोड़ रुपये में	गारंटी की प्रकृति
बैंक्वे नेशनेल डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक्वे, फ्रांस	3.35	भारत सरकार ने हमारे सभी भुगतान देयताओं के संबंध में अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान की।

बैंक नेशनले डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस से लिए गए 0.68 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.67 करोड़ रुपये) के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान देय राशि उपरोक्त गारंटी में शामिल है।

पुनर्भुगतान अनुसूची : बैंक नेशनले डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस : इन ऋण सुविधाओं का भुगतान 30 सितंबर, 2030 को पूरा हो जाएगा।

दिनांक 31.03.2025 तक एमसीएल के पास कोई बैंक उधार नहीं था। कोल इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी, ने सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की ओर से, ₹ 430.00 करोड़ की कार्यशील पूंजी ऋण सीमा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ एक कार्यशील पूंजी संघ समझौता किया है।कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने बैंकों के समूह से लिए गए ऋण को कोयले, स्टॉक, पुर्जों और बकाया धनराशि पर गिरवी रखकर सुरक्षित किया है।

टिप्पणी - 8.2:पट्टा देयताएं

गैर-चालू	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष	2.29	2.17
इस अवधि के दौरान योग		-
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	0.12	0.15
पट्टा देयताओं का भुगतान	(0.12)	(0.03)
अवधि के समापन पर शेष राशि	**2.29**	**2.29**
चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष	0.18	0.18
इस अवधि के दौरान योग	-	
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	0.18	0.18
पट्टा देयताओं का भुगतान	(0.12)	(0.18)
अवधि के समापन पर शेष राशि	0.24	0.18

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और चालू):

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
1 वर्ष तक	0.18	0.18
1-5 वर्ष	0.71	0.71
5 वर्ष से अधिक	13.25	13.46

8.2.2 दिनांक 31.03.2025 तक प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए योग	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	1.97			1.82	0.15
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.2:पट्टा देयताएं (जारी)

दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरीडोर					
अमूर्त संपत्ति					

दिनांक 31.03.2024 तक प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन					
विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए योग**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	2.13			1.97	0.16
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरीडोर					
अमूर्त संपत्ति					

पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि, जब तक कि कंपनी के पास संपत्ति को किसी अन्य पक्ष को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, प्रयोगाधिकार संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टे को तुलन-पत्र पर प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान स्टेट लाइन के आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि प्रयोगाधिकारी परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	**As at 31.03.2025**	**31.03.2024 तक**
प्रयोगाधिकार सम्पत्तियों का मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.15	0.16
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	0.12	0.15
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय		
विक्रय और पट्टे पर वापस लेने के लेनदेन से हुआ लाभ या हानि		
	0.27	**0.31**

8.2.4 नकद प्रवाह विवरण में दर्शाया गया पट्टों का कुल नकद भुगतान

विवरण	**As at 31.03.2025**	**31.03.2024 तक**
वित्तीय पट्टा देयताओं का भुगतान	(0.12)	(0.03)
अल्पावधि पट्टों से संबंधित नकदी बहिर्वाह		
	(0.12)	**(0.03)**

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
चालू		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	4.49	24.02
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,848.05	1,547.30
कुल	**1,852.54**	**1,571.32**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं (जारी)

8.3.1व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025 तक

	अदा न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
विवरण		**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई		4.49				4.49
ii) अन्य	1,297.97	425.27	42.52	16.83	65.46	1,848.05
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई						-
iv)विवादित बकाया - अन्य						-
कुल	**1,297.97**	**429.76**	**42.52**	**16.83**	**65.46**	**1,852.54**

31.03.2024 तक

	अदा न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
विवरण		**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई	-	24.02	-	-	-	24.02
ii) अन्य	1,116.70	245.26	-	164.33	21.01	1,547.30
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
iv)विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**1,116.70**	**269.28**	**-**	**164.33**	**21.01**	**1,571.32**

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
ठेकेदारों और अन्य लोगों से प्राप्त जमा राशि	645.55	690.85
अन्य	-	-
कुल	**645.55**	**690.85**
चालू		
सीआईएल के साथ चालू खाता	23.90	0.00
आईआईसीएम का चालू खाता	-	-
ठेकेदारों और अन्य लोगों से प्राप्त जमा राशि	334.56	383.14
पूंजीगत व्यय के लिए देय	4,035.10	3,986.51
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	449.86	404.89
अन्य	320.42	291.58
कुल	**5,163.84**	**5,066.12**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	0.00	-
छुट्टी नकदीकरण	241.98	29.06
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	65.71	63.05
अन्य कर्मचारी लाभ	29.99	25.27
	337.68	**117.38**
अन्य प्रावधान		
साइट की बहाली/खान बंद करना9.1.3	1,178.11	836.33
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन 9.1.2	17,334.66	17,902.97
अन्य	-	-
कुल	**18,850.45**	**18,856.68**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	29.53	34.42
छुट्टी नकदीकरण	49.87	49.77
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	15.81	13.60
अन्य कर्मचारी लाभ	377.82	435.91
	473.03	**533.70**
साइट की बहाली/खान बंदी	-	
अन्य प्रावधान		
अन्य	417.58	267.57
कुल	**890.61**	**801.27**

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन,

	वर्ष की शुरुआत में शेष	अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग/भुगतान किया गया	अवधि के अंत में शेष राशि
अन्य कर्मचारी लाभ	461.18	388.86	(442.23)	407.81
अन्य	267.57	150.01	-	417.58

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (अनुपात भिन्नता):पूर्व में मान्यता प्राप्त स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अपनाई गई नीति पर आधारित है। स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (शुद्ध) को खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में ओबी से कोयले के वर्तमान अनुपात के आधार पर मान्यता दी गई या उसे उलट दिया गया। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी अपेक्षित मात्रा से अधिक ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा निकालने पर उत्क्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है। ऐसा प्रतिवर्तन उन खानों के लिए विशिष्ट है जिन पर उक्त प्रावधान को मान्यता दी गई है।

किसी खदान के मामले में, स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान के कारण निकाले गए अतिरिक्त ओवरबर्डन की मात्रा, प्रारंभिक औसत स्ट्रिपिंग दर से गुणा किए गए अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा से अधिक हो, तो उसे लाभ-हानि विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दिखाया जाएगा और शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान में संबंधित डेबिट दर्ज किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान (जारी)

हालांकि, वर्तमान में अपनाई जा रही स्ट्रिपिंग गतिविधि की नीति (नोट 2.20) को ध्यान में रखते हुए, कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं बनाया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बनाई गई ₹18547.88 करोड़ की राशि को यहाँ ऊपर बताए अनुसार व्यवस्थित रूप से समायोजित किया जा रहा है। तदनुसार शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान से ₹ 568.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 398.49 करोड़) की राशि समायोजित की गई है, जिसका सीधा असर लाभ-हानि विवरण पर होगा (नोट 13.6 देखें)।

स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान में संचलन का विवरण:

(i) स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष	17,902.97	18,301.46
वर्ष के दौरान रिवर्स- स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान के लिए	(568.31)	(398.49)
वर्ष के दौरान रिवर्स - अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन के लिए		
वर्ष के अंत में शेष राशि	**17,334.66**	**17,902.97**

9.1.3 साइट बहाली / खदान बंदी के लिए प्रावधान

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि सुधार और संरचनाओं के डीकमिशनिंग के लिए कंपनी के दायित्व में खुली और भूमिगत दोनों खदानों पर खर्च करना शामिल है। खदान बंदी, साइट पुनर्स्थापना और डीकमीशनिंग के लिए दायित्व का अनुमान, अपेक्षित कार्य करने के लिए भविष्य में नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है। खदान बंद करने का व्यय स्वीकृत खदान बंदी योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है; जिससे एक व्यय उत्पन्न होता है जिसे वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट - 4.6 देखें)

भूमि का पुनर्वास/स्थल का जीर्णोद्धार/खदान बंदी का समन्वय

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
शुरुआत की तिथि पर साइट बहाली का प्रावधान	836.33	836.33
साइट बहाली प्रावधान का योग	320.84	24.09
जोड़: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की अनवाइनडिंग	63.76	259.77
घटाव: अवधि/सीसीओ आदेश के दौरान निकासी	42.82	283.86
खदान बंदी प्रावधान	**1,178.11**	**836.33**

टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर-चालू देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	97.34	111.25
अन्य	1.06	1.14
कुल	**98.40**	**112.39**

टिप्पणी- 10.2 : अन्य चालू देनदारियां

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
वैधानिक बकाया	1,548.40	1,465.23
ग्राहकों / अन्य लोगों से अग्रिम राशि	4,729.96	4,416.59
स्थगित आय (सरकारी अनुदान)	13.90	13.90
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**6,292.26**	**5,895.72**

10.2.1 प्रबंधन का अनुमान है कि वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई देनदारियों के अलावा ब्याज सहित कोई अतिरिक्त भविष्य की देनदारियां उत्पन्न नहीं होंगी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आयकर परिसंपत्ति			
वर्ष की शुरुआत में शेष		19,722.42	15,775.60
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		4,155.10	4,513.58
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी		(133.69)	(566.76)
अवधि के समापन पर शेष राशि		**23,743.83**	**19,722.42**
आयकर देयताएं			
वर्ष की शुरुआत में शेष		15,584.55	12,132.61
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	(14.1 और 15.1 देखें)	3,389.44	3,452.00
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/समायोजन		0.01	(0.06)
अवधि के समापन पर शेष राशि		**18,974.00**	**15,584.55**
अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)		**4,769.83**	**4,137.87**
के रूप में खुलासे किए गए :			
गैर-चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		-	-
आयकर देयताएं (शुद्ध)		-	-
चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		4,769.83	4,137.87
आयकर देयताएं (शुद्ध)		-	-
		4,769.83	**4,137.87**

टिप्पणी - 11.2 : स्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	दिनांक 01.04.24 को शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(रिवर्स)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 तक शेष राशि
स्थगित कर देयता :				
संदिग्ध अग्रिम, दावे और ऋण के लिए प्रावधान	13.02	(0.01)		13.01
कर्मचारी लाभ	36.17	52.38		88.55
अन्य	(288.19)	362.85		74.66
कुल (क)	**(239.00)**	**415.22**	**-**	**176.22**
स्थगित कर देयता :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित	1,270.14	345.06		1,615.20
अन्य	-	-		-
कुल (बी)	**1,270.14**	**345.06**	**-**	**1,615.20**
शुद्ध स्थगित कर परिसंपत्ति/(स्थगित कर देयता) (सी= ए-बी)	(1,509.14)	70.16	-	(1,438.98)
D. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन डीटीएल(+)/डीटीए(-)	-			-
कुल स्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (ई=सी+डी)	**(1,509.14)**	**70.16**	**-**	**(1,438.98)**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11.2 : स्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं (जारी)

के रूप में खुलासे किए गए:	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
स्थगित कर देयता	1,438.98	1,509.14
	(1,438.98)	**(1,509.14)**

(₹ in Crores)

टिप्पणी - 12.1 : परिचालन से राजस्व

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
विक्रय		
विक्रय	36,606.32	37,200.78
घटाव: वैधानिक शुल्क	13,534.93	13,391.36
विक्रय (निवल) (ए) 12.1.1 and 12.1.2	**23,071.39**	**23,809.42**
अन्य परिचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	2,494.05	2,261.60
घटाव : वैधानिक शुल्क	120.18	107.63
	2,373.87	2,153.97
निकासी सुविधा शुल्क	1,301.68	1,253.22
घटाव: वैधानिक शुल्क	61.85	59.63
	1,239.83	1,193.59
अन्य सेवाओं से राजस्व	301.15	26.14
घटाव: वैधानिक शुल्क	-	0.80
	301.15	25.34
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (बी)	**3,914.85**	**3,372.90**
परिचालन से राजस्व (ए+बी)	**26,986.24**	**27,182.32**

12.1.1 उपरोक्त विक्रय अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता और सतही नमी के लिए प्रावधान (रिवर्सल के बाद शुद्ध) ₹77.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹82.71 करोड़ की कमी) से बढ़ी है।

12.1.2 विक्रय में इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) ₹226.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹340.80 करोड़) और इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त मुआवजा ₹36.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹317.57 करोड़) शामिल हैं।

12.1.3 सेवाओं से प्राप्त राजस्व में महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में ₹24.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹20.93 करोड़) की राशि शामिल है। चूँकि निष्पादन दायित्व पूरा हो चुका है, अर्थात रेक संचलन का लेन-देन पहले ही हो चुका है, इसलिए अनुमान पिछली अवधियों की उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें कोई महत्वपूर्ण उलटफेर का संकेत नहीं है।

12.1.3 सेवाओं से प्राप्त राजस्व में रेलवे ट्रैक में निवेश के लिए बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए माइलेज से प्राप्त राजस्व से संबंधित 276.99 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

टिप्पणी- 12.2 : अन्य आय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय12.2.1	1,055.66	1,288.92
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 12.2 : अन्य आय (जारी)

अन्य गैर-परिचालन आय		
परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ	4.73	3.63
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	150.80	142.63
पट्टा किराया	4.38	3.15
प्रावधान वापस लिखा गया12.2.2	64.16	2.73
देयताएं वापस लिखा गया	154.16	261.93
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	(12.91)	28.77
विविध आय	254.65	224.23
कुल	**1,675.63**	**1,955.99**

12.2.1 आयकर पर ब्याज और अन्य अप्रत्यक्ष कर ₹ 19.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16.89 करोड़) रिफंड शामिल है

12.2.2 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण देने के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्य के लिए (4.3.1)	62.29	0.72
वित्तीय जमा और प्राप्य के लिए (4.6.1)	0.07	-
कोयला और भंडार वस्तु-सूची के लिए (5.1.1 and 5.1.2)	4.09	1.76
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	-	0.10
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	0.09	0.16
घटाव : बट्टे खाते में डालने से संबंधित वापस लिखा गया प्रावधान	**(2.38)**	**(0.01)**
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	**64.16**	**2.73**

टिप्पणी - 13.1 : उपयोग की गई सामग्री की लागत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	513.14	439.63
लकड़ी	0.05	0.18
तेल और स्नेहक	386.19	426.19
एचईएमएम स्पेयर्स	116.65	128.10
अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे	85.18	88.58
कुल	**1,101.21**	**1,082.68**

टिप्पणी- 13.1(ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

टिप्पणी- 13.2 : तैयार माल की सूची में परिवर्तन, प्रगतिशील कार्य और व्यापार भंडार

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले के भंडार में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	1,021.11	757.55
प्रारंभिक स्टॉक को राजस्व में लाया गया	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	1,630.29	1,021.11

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 13.2 : तैयार माल की सूची में परिवर्तन, प्रगतिशील कार्य और व्यापार भंडार (जारी)

	(609.18)	**(263.56)**
वर्कशॉप और प्रेस कार्य की सूची में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	35.17	34.88
वर्ष के समापन पर स्टॉक	30.52	35.17
	4.65	**(0.29)**
कुल	**(604.53)**	**(263.85)**

टिप्पणी - 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरीs[13.3.1 & 13.3.2]	3,326.32	3,268.96
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	876.60	1,010.42
कर्मचारी कल्याण व्यय	290.54	271.76
कुल	4,493.46	4,551.14

13.3.1 वेतन एवं मजदूरी में भते, बोनस, प्रोत्साहन, कार्य निष्पादन संबंधी वेतन, समयोपरि वेतन और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क आदि शामिल हैं।

13.3.2 ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ से संबंधित लाभों को छोड़कर विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19 के तहत 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण, जो बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, टिप्पणी 9.1.1 में दिए गए हैं।

13.3.3 परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19 के 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण, जो बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, टिप्पणी 16 (7) में प्रकट किए गए हैं।

13.3.4 वर्ष के दौरान भविष्य निधि के लिए ₹315.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹307.43 करोड़), पेंशन निधि के लिए ₹364.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹345.55 करोड़) और सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए ₹22.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.79 करोड़) व्यय की पहचान की गई।

टिप्पणी - 13.4 : वित्तीय लागत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
छूट की समाप्ति	71.18	66.80
उचित मूल्य में बदलाव (निवल)	-	-
अन्य उधार लागत13.4.1	0.04	1.20
कुल	**71.22**	**68.00**

13.4.1 इसमें उधार पर उपार्जित ₹शून्य का ब्याज शामिल है (पिछले वर्ष ₹शून्य)

टिप्पणी - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	1,090.65	965.99
पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त संपत्तियां (नोट 3.4)	13.88	15.99
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	1,104.53	981.98

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि (जारी)

कम:		
कोयला खदानों के विकास/सीएसआर गतिविधियों के दौरान व्यय में स्थानांतरित	6.20	2.99
कुल	**1,098.33**	**978.99**

टिप्पणी - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान[13.6.1]	(568.31)	(398.49)
कोयले तक बेहतर पहुंचा [13.6.2]	(587.82)	(419.54)
	(1,156.13)	**(818.03)**

13.6.1: स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान: कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार, जब भी उलटफेर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता रिजर्व की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है।

13.6.2. कोयले तक बेहतर पहुंच: जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

टिप्पणी - 13.7: संविदात्मक व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क:	2,514.54	2,266.93
वैगन लोडिंग	75.47	91.38
कोयला और ओवरबर्डन के लिए आउटसोर्सिंग व्यय	4,214.81	3,066.37
अन्य संविदात्मक कार्य	336.85	437.03
कुल	**7,141.67**	**5,861.71**

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ऊर्जा व्यय	215.77	180.33
मरम्मत और रखरखाव	-	-
-भवन	149.51	160.77
-संयंत्र एवं उपकरण	45.94	46.32
-अन्य	10.08	2.75
यात्रा व्यय	34.90	27.63
प्रशिक्षण व्यय	3.02	5.53
टेलीफोन और इंटरनेट	27.29	30.77
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	15.57	15.68
भाड़ा प्रभार	-	-
विलंब शुल्क	32.04	2.88
लोडिंग शुल्क के अधीन	87.84	87.12
कोयला नमूनाकरण शुल्क	40.72	49.01
सुरक्षा व्यय	139.61	127.64
विधिक व्यय	8.00	7.42
सीआईएल का सेवा प्रभार	450.34	412.20

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

परामर्श शुल्क	2.67	2.27
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	66.34	40.69
विक्रय/अस्वीकार/सर्वेऑफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.94	0.05
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.28	0.24
कराधान मामलों के लिए	0.02	-
अन्य सेवाओं के लिए	0.21	0.17
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.06	0.09
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	3.14	3.28
पुनर्वास शुल्क	127.18	119.46
लीज रेंट और हायरिंग चार्ज	92.87	91.16
दरें और कर	241.78	154.60
बीमा	1.10	0.82
विनिमय दर विचरण पर हानि	0.08	0.04
बचाव/सुरक्षा हेतु अन्य व्यय	4.93	8.25
साईडिंग अनुरक्षण शुल्क	73.21	44.59
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	0.05
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	52.47	46.94
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	305.84	262.93
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.37	0.20
प्रावधान13.8.1	1.47	67.24
बट्टे खाते (पिछले प्रावधानों का शुद्ध योग)		
कुल बट्टे खाते	2.43	0.02
बट्टे खाते में पहले ही चिन्हित प्रतिलेखन का प्रावधान	(2.38)	(0.01)
बट्टे खाते (पहले से ही प्रतिलेखन प्रावधानों को वापस लिखने का निवल)	0.05	0.01
विविध व्यय	119.44	88.62
कुल	**2,355.08**	**2,087.75**

13.8.1 प्रावधानों का विवरण

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्य के लिए (4.3.1)	-	63.86
वित्तीय जमा और प्राप्य के लिए (4.6.1)	-	0.16
कोयला और भंडार सूची के लिए (5.1.1 and 5.1.2)	1.42	3.22
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए(6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	0.05	-
वर्ष के दौरान प्रतिलेखान का कुल प्रावधान	**1.47**	**67.24**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

13.8.2 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	108.86	69.44
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	61.43	33.98
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.09	0.34
पर्यावरणीय स्थिरता	12.37	8.79
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	1.45	1.25
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ	-	-
ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1.11	14.80
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान	0.10	-
इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में योगदान	-	3.12
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	37.63	27.30
स्लम क्षेत्र विकास	0.16	-
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं	0.02	0.27
प्रशासनिक लागत	4.86	3.59
कुल	**228.08**	**162.88**
बी. आवश्यक सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय विवरण		
(ए) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत होल्डिंग और अनुषंगी कंपनियों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का 2%)	305.84	262.93
(बी) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	305.84	262.93
(सी) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) (i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	80.04	109.25
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	148.04	53.63
कुल	**228.08**	**162.88**

सी. मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और व्यय किए गए सीएसआर व्यय का मिलान	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
सीएसआर (खर्च सहित)	228.08	162.88
घटाव: वर्ष के दौरान अतिरिक्त अग्रेषित/(उपयोग)।	(19.28)	(100.05)
जोड़: चालू परियोजनाओं पर अप्रयुक्त सीएसआर व्यय	58.48	-
जोड़: चालू सीएसआर व्यय के अलावा अन्य पर खर्च न किया गया व्यय	-	-
लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि	305.84	262.93

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

डी. जारी परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)]	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	-	-
6 माह के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा किया जाना चाहिए	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	-	-

ई. अधिक व्यय की गई राशि [धारा 135(5)]

वर्ष वार विवरण	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	शेष जमा
2021-22	36.90	181.62	251.76	107.04
2022-23	107.04	195.68	207.97	119.33
2023-24	119.33	262.93	162.88	19.28
2024-25	19.28	305.84	228.08	-
कुल				

अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिम और जमाराशियों के लिए फुटनोट देखें

एफ. अव्ययित चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि		305.84	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	कंपनियों के बैंक खाते से	247.36	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
शेष जमा	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	58.48	-

जी. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारम्भिक जमा	29.81
अवधि के दौरान वृद्धि	4.98
वर्ष के दौरान समायोजन	(29.81)
शेष जमा	4.98

टिप्पणी- 14.1 : कर व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	3,406.60	3,466.15
पिछले वर्ष	-	0.01
कुल चालू कर	3,406.60	3,466.16
स्थगित कर14.1.3	(70.16)	282.21
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	
कुल	**3,336.44**	**3,748.37**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 14.1 : कर व्यय (जारी)

14.1.1 कर व्यय का समाधान:

कर पूर्व लाभ/(हानि)	14161.56	15589.92
25.168% की आयकर दर पर	3,564.18	3,923.67
घटाव: छूट प्राप्त आय पर कर		
जोड़: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अतिरिक्त व्यय की अनुमति)	(227.74)	(175.31)
एमएटी प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	0.01
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**3,336.44**	**3,748.37**
प्रभावी आयकर दर :	**23.56%**	**24.04%**

14.1.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

टिप्पणी - 15.1 : अन्य व्यापक आय	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप15.1.1	(68.13)	(56.26)
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा		
	(68.13)	**(56.26)**
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	**17.15**	**14.16**
	17.15	**14.16**
मदें, जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई की हिस्सेदारी	-	
बाहरी परिचालन के वित्तीय विवरणों में अंतरण में विनिमय अंतर	-	-
	-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय मतभेद	-	-
कुल	**(50.98)**	**(42.10)**

15.1.1 यह आंकड़ा ग्रेच्युटी के संबंध में ₹(50.00) करोड़ (पिछले वर्ष ₹(53.02) करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए ₹(18.13) करोड़ (पिछले वर्ष ₹(3.24) करोड़) को दर्शाता है।

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी

1 ए) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के खिलाफ वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ करोड़ में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	5,210.27	4,508.81	8.50	195.66	9,923.24
अवधि के दौरान जोड़	442.42	268.27	6.17	1,584.12	2,300.98

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे :					
ए. प्रारंभिक शेष राशि से	601.95	1,255.08	5.38	68.94	1,931.35
बी. अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	170.66			170.66
दिनांक 31.03.2025 को शेष राशि	5,050.74	3,351.34	9.29	1,710.84	10,122.21

दिनांक 01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष					13,827.49
अवधि के दौरान जोड़					773.51
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे :					
ए. प्रारंभिक शेष राशि से					4,661.34
बी. अवधि के दौरान अतिरिक्त					16.42
दिनांक 31.03.2024 को शेष राशि					9,923.24

(₹ करोड़ में)

आकस्मिक देयता

क्रमांक.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
1	केन्द्रीय सरकार		
	आय कर	4,775.57	4,878.98
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	226.86	73.53
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	26.70	223.15
	केंद्रीय विक्रय कर		-
	सेवा कर	4.41	5.19
	अन्य	17.20	29.42
	उप कुल	**5,050.74**	**5,210.27**
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी		
	रॉयल्टी	147.74	705.11
	पर्यावरण मंजूरी	2,864.07	2,915.04
	बिक्री कर/वैट	20.41	20.75
	प्रवेश कर	5.29	5.29
	बिजली शुल्क		
	अन्य	313.83	862.62
	उप कुल	**3,351.34**	**4,508.81**
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर	9.29	8.50

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

क्रमांक.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	अन्य	-	-
	उप-कुल	**9.29**	**8.50**
4	अन्य : (यदि कोई)		
	विविध - भूमि एवं अन्य	1,622.18	29.95
	मध्यस्थता, सिविल मुकदमे, कर्मचारी संबंधी आदि	88.66	165.71
	उप-कुल	**1,710.84**	**195.66**
	कुल योग	**10,122.21**	**9,923.24**

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत मामलों के निपटान में कोई रुचि अपेक्षित नहीं है, सिवाय इसके कि जहां प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो।

समूह की लंबित विधिक कार्यवाहियों में समूह के विरुद्ध दावे तथा कर/सांविधिक/सरकारी अधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं। समूह ने अपनी सभी लंबित विधिक कार्यवाहियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है तथा जहां आवश्यक हो, समेकित वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रावधान किए हैं एवं संभावित देनदारियों का प्रकटीकरण किया है।

समूह को अपेक्षा है कि इन कार्यवाहियों का परिणाम उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा।

उपरोक्त मामलों में भविष्य में नकद बहिर्गमन (Cash Outflow) न्यायालयों/प्राधिकरणों के निर्णयों पर निर्भर करेगा।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली गतिविधियों से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की गतिविधियों के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

1) दिनांक 16.05.2011 के पत्र संख्या 7226 और प्रभागीय वन अधिकारी, सुंदरगढ़ वन प्रभाग और परियोजना अधिकारी, सियारामल ओसीपी, एमसीएल के बीच हुई बैठक के विवरण का हवाला देते हुए, एमसीएल ने ओएफडीसी के प्रभागीय प्रबंधकों को लकड़ी के बिक्री मूल्य का 75% जारी करने के लिए कई पत्र प्रस्तुत किए हैं। हालाँकि अभी तक एमसीएल को कोई राशि जारी नहीं की गई है और एमसीएल को देय राशि की कोई पुष्टि भी नहीं मिली है।

II. गारंटी

31.03.2025 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 633.54 करोड़ (प्र.वर्ष ₹ 618.67करोड़) है।

III. साख पत्र

31.03.2025 तक बकाया साखा पत्र शून्य है (पिछला वर्ष शून्य था)।

बी) प्रतिबद्धताओं

i) पूंजी प्रतिबद्धताएं:

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है : ₹3773.09 करोड़ (पिछला वर्ष ₹4494.56 करोड़) (अग्रिमों का शुद्ध ₹2412.22 करोड़ (पिछला वर्ष ₹2261.34 करोड़) को घटाने के बाद)।

ii) अंशों और आंशिक रूप से भुगतान किए गए अन्य निवेशों पर अप्राप्त देयता: ₹ शून्य

iii) अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹15.81 करोड़

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह जानकारी

i) सहायक कंपनियाँ

क्रमांक.	इकाई का नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	निगमन राष्ट्र	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2025	31.03.2024
1	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	70.00%	70.00%
2	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	60.00%	60.00%

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

क्रमांक.	इकाई का नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	निगमन राष्ट्र	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2025	31.03.2024
3	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	विद्युत उत्पादन	भारत	100.00%	100.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	रेल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण और संचालन	भारत	71.11%	71.11%

	सह-सहायक और धारक कंपनियां	प्रमुख गतिविधियाँ	निगमन राष्ट्र	संबंध
1	ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
2	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
3	सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
4	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
5	साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
6	नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	सह-अनुषंगी
7	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	कोयला एवं खनिज अन्वेषण में परामर्श	भारत	सह-अनुषंगी
8	कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल)	कोयला खनन	मोज़ाम्बिक	सह-अनुषंगी
9	सीआईएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड	सौर ऊर्जा	भारत	सह-अनुषंगी
10	सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड	नवीकरणीय ऊर्जा	भारत	सह-अनुषंगी
11	भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड	कोयला गैसीकरण	भारत	सह-अनुषंगी
12	कोल गैस इंडिया लिमिटेड	कोयला गैसीकरण	भारत	सह-अनुषंगी
13	कोल इंडिया लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	धारक

ii) रोजगार पश्चात लाभ निधि और अन्य

क्रमांक.	इकाई का नाम	प्रकृति	निगमन क्षेत्र
1	एमसीएल एम्प्लोई ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम ट्रस्ट फंड	ट्रस्ट	भारत
2	कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में वैधानिक निकाय	भारत
3	कोल इंडिया सेवानिवृत्ति लाभ निधि ट्रस्ट	ट्रस्ट	भारत
4	गैर-कार्यकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना संशोधित	ट्रस्ट	भारत
5	सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट	ट्रस्ट	भारत

iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री उदय अनंत कावळे	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक	19.12.2023
श्री ए. के. बेहुरा	निदेशक (वित्त)	01.08.2022

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री जुगल कुमार बोरा	"निदेशक (तकनीकी- योजना एवं परियोजना) निदेशक (तकनीकी-संचालन)"	19.04.2022 - 01.06.2023 23.11.2022
श्री संजय कुमार झा	निदेशक (तकनीकी- योजना एवं परियोजना)	07.03.2025
श्री केशव राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री सौभाग्य परिडा	कंपनी सचिव	25.04.2022
श्री संजीव कुमार कस्सी	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक	22.02.2023
श्री मुकेश चौधरी	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक	27.01.2023
श्री दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी	स्वतंत्र निदेशक	30.05.2023
डॉ. राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	31.05.2023

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

श्री जे.के.बोराह	अध्यक्ष	06.12.2021
सुश्री गीतिका आनंद	निदेशक	20.07.2023
श्री. एस सी सुमन	निदेशक	08.06.2022
श्री एम. पी. दरगर	निदेशक	21.03.2024
श्री रजत कुमार जैन	सीईओ	12.08.2024
श्री बी नायक	सीएफओ	27.10.2022
श्री एम. तिवारी	सीएस	20.10.2022

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

श्री अजीत कुमार बेहुरा	अध्यक्ष	16.09.2022
श्री दीपांकर पांडा	निदेशक	22.07.2021
श्री वी. शिवरामकृष्ण	निदेशक	20.07.2023
श्री चन्द्र प्रकाश तातेड़	निदेशक	17.06.2019
श्री सुभजीत सरकार	निदेशक	22.07.2021
श्री कृपा शंकर सिंह	निदेशक	18.04.2023
श्री गोबरधन महापात्र	निदेशक	12.08.2024
श्री मानस रंजन मिश्र	सीएफओ	08.04.2022
श्री सौभाग्य परिदा	सीएस	25.04.2022

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

श्री केशव राव	अध्यक्ष	10.01.2020
श्री ए के पांडे	निदेशक	01.03.2023
श्री जी महापात्र	निदेशक	01.03.2023
श्री के.एस. सिंह	निदेशक	28.04.2022
श्री एस.के. भुइयां	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	16.03.2021

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

श्री केशव राव	अध्यक्ष	01.11.2023
श्री ए.के. बेहुरा	निदेशक	01.11.2023
श्री एस.के.सिन्हा	निदेशक	21.07.2023
श्री एस.के. सेठी	निदेशक	01.11.2023
श्रीमती रागिनी अडवाणी	निदेशक	21.07.2022
श्री पराग वर्मा	निदेशक	21.07.2023
श्री प्रियरंजन पारही	निदेशक	09.05.2022
श्री एस नायक	सीईओ	05.12.2021
श्री बी.के. परिदा	सीएफओ	01.04.2022
श्री एस.के. बेहरा	कंपनी सचिव	28.06.2022

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक (₹ करोड़ में)

क्रमांक	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2025	31.03.2024
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
ए.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	4.54	3.81
बी.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क	0.09	0.11
ii)	रोजगार पश्चात लाभ	0.63	0.59
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	सेवा समाप्ति लाभ		-
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	**5.26**	**4.51**

टिप्पणी:
इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 750 किलोमीटर तक है, और इसके लिए उन्हें छूट दर पर भुगतान करना होता है। यह सुविधा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18)/PC-64 दिनांक 20.11.1964 एवं समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है।

VII) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक (₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

VII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक या सदस्य भागीदार है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

बी. समूह के भीतर संबंधित पक्ष लेन-देन
कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेनदेन किया है जिसमें शीर्ष प्रभार, पुनर्वास प्रभार, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा जमा किए गए धन पर ब्याज तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित घोषणा किए गए हैं:

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

i) सहायक कंपनियों

31.03.2025 तक बकाया शेष राशि और उस समय समाप्त अवधि के लिए लेनदेन **(₹ करोड़ में)**

संबंधित पार्टी का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लाभांश देय	परिसंपत्तियों/ भंडार सामग्री की बिक्री		अन्य (एलडीबीएम और सीआईटीएमसी)	चालू खाता शेष (देय)/ प्राप्य	बकाया शेष राशि (देय)/प्राप्य
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड				-		0.33		
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड				(0.86)				
सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड				(6.07)				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.02				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड				1.38				
नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड				(0.08)				
कोल इंडिया लिमिटेड	450.34	127.18	8,600.00				(23.90)	
	450.34	**127.18**	**8,600.00**	**(5.61)**		**0.33**	**(23.90)**	**-**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध आय या ऋण शेष को दर्शाते हैं।

दिनांक 31.03.2025 तक बकाया शेष और उस समय समाप्त अवधि के लिए लेनदेन (₹ करोड़ में)

संबंधित पार्टी का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लाभांश देय	परिसंपत्तियों/भंडार सामग्री की बिक्री		अन्य	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्य	बकाया शेष (देय)/प्राप्य
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड				(0.73)		(1.22)		
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड				0.04				
सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड				(16.04)				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.27				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड				0.42		(3.67)		
नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड				0.28				
सीएमपीडीआईएल								(31.78)
कोल इंडिया लिमिटेड	412.20	119.46	9,000.00				5.12	
	412.20	119.46	9,000.00	(15.76)		(4.89)	5.12	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

सी. सीएमपीडीआईएल के साथ लेनदेन (₹ करोड़ में)

क्रमांक.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	लाभ और हानि का विवरण			
1	पूंजीगत व्यय	3.1	0.87	15.94
2		3.2	31.60	39.12
3		3.3	25.94	4.63
4		3.4		-
5		3.5		-
6	सीएमपीडीआईएल व्यय	13.8	64.94	42.26
7	पर्यावरण व्यय	13.8	36.54	31.67
8	आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	13.8	-	-
9	विविध व्यय	13.8	0.42	0.64
	तुलन पत्र			
1	पूंजीगत व्यय के लिए देय Expenditure	10.2	16.57	5.46
2	व्यापार देनदारियां	8.3	48.61	26.32
3	तुलन पत्र के अन्य शीर्ष			

d. Entities under the control of the same government:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) है जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है तथा इसके पास अधिकांश शेयर हैं (नोट 7.1 देखें)। सरकारी इकाई होने के कारण कंपनी को संबंधित पक्ष के लेन-देन तथा नियंत्रक सरकार और उसी सरकार के अधीन किसी अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित लेन-देन उसी सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के साथ समान मूल्य पर दर्ज किए गए हैं।

3 अन्य

ए) एमसीएल प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा प्रबंधन संस्थान (एमआईएनआरईएम) का निर्माण

कंपनी ठेकेदार मेसर्स एनबीसीसी के माध्यम से 138.83 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अनुमानित कुल कीमत के साथ 'एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट (एमआईएनआरईएम), भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य रोक दिया गया था क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने पहले अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था। हालाँकि 02.11.2018 को बीडीए ने एमसीएल के पक्ष में आवश्यक अनुमति दे दी है। एमओयू को 09.01.2020 से दो साल की अवधि के लिए फिर से मान्य किया गया है और उपरोक्त कार्य 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है और संशोधित परियोजना लागत रु. 155.33 करोड़ है। एनबीसीसी ने 04.08.2021 को एमओसी के सचिव द्वारा दी गई समयसीमा के अनुसार 15 दिनों में काम फिर से शुरू नहीं किया था। कई पत्रों के बाद, एनबीसीसी को पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर यानी 12.10.2021 को काम शुरू करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया है, ऐसा न करने पर एमसीएल के पास समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एनबीसीसी के साथ एमओयू की समाप्ति के साथ-साथ एमओयू के अनुसार दंडात्मक प्रावधानों की सूचना एनबीसीसी को 05.01.2022 को दे दी गई है। शेष कार्य के लिए पीएमसी का कार्य सीएमपीडीआईएल, रांची को पत्र संख्या MCL/Sambalpur/Civil/21-22/1641 दिनांक 02.02.2022 के तहत सौंपा गया है। कंपनी ने 31.03.2025 तक संस्थान के निर्माण पर ₹ 131.18 करोड़ खर्च किए हैं। कंपनी ने चक्रवात फानी और चोरी के कारण इमारत को हुए नुकसान के कारण ₹ 12.72 करोड़ की हानि का प्रभार लगाया है। इसके अलावा, चूंकि मामला विवाद में है, इसलिए 11वें और 12वें आरए बिल को मौजूदा मोबिलाइजेशन एडवांस के साथ लेखांकन और समायोजन के लिए लंबित रखा गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

बी) बलियापांडा मौजा, पुरी में भूमि

पुरी के बलियापांडा मौजा में 5 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत रु. 0.94 करोड़ (बाउंड्री वॉल के लिए जमा राशि सहित) है, पुरी नगर पालिका से 01.04.1996 से 99 साल की लीज अवधि के लिए ली गई है। हालांकि, पुरी के तहसीलदार ने 21.08.2004 को कलेक्टर पुरी को संबोधित अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 7206 के माध्यम से एमसीएल, भुवनेश्वर को एक प्रति भेजी और कहा कि उक्त क्षेत्र "स्वेट वाटर जोन" के अंतर्गत आता है और इसे सरकार द्वारा आवास और शहरी विकास विभाग में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि उक्त भूमि स्वेट वाटर जोन के अंतर्गत आती है, लेकिन तहसीलदार पुरी ने 2008-09 तक उपकर के साथ जमीन का किराया स्वीकार किया है। इसके अलावा निदेशकडी(कार्मिक), एमसीएल ने पत्र संख्या 4707 दिनांक 08.01.2019 के माध्यम से कलेक्टर पुरी से स्टॉल परियोजना शुरू करने के लिए वैकल्पिक भूमि को जल्द सौंपने का अनुरोध किया। दिनांक 05.12.2019 को डीजीएम, एमसीएल द्वारा कलेक्टर, पुरी को वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए पत्र लिखा गया है। इसके बाद, उप महाप्रबंधक, एमसीएल और मुख्य प्रबंदक (खनन) ने 18.12.2020 को कलेक्टर, पुरी से मुलाकात की। कलेक्टर ने कहा कि नगर पालिका द्वारा एमसीएल को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर गलत तरीके से भूमि पट्टे पर दी गई थी, इसलिए नगर पालिका एमसीएल के पक्ष में कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं कर सकती है और नगर पालिका, पुरी के पास पहले जमा की गई भूमि के प्रीमियम की वापसी के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। एमसीएल ने नगर पालिका, पुरी के पास वापसी या वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन किया है और मामला प्रक्रियाधीन है।

सी) जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए) न्यायालय, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के निर्देशानुसार तथा नोट-4.5 और नोट-4.6 के तहत दर्शाए गए बैंक गारंटी जारी करने के लिए बनाए जाते हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

टिप्पणी 4.5 - ₹ 14.56 करोड़

i. सावधि जमा में न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर अनुबंधों के तहत वसूले गए मूल्य अंतर का ₹ 8.22 करोड़ हैं।

ii. सावधि जमा में ₹ 0.24 करोड़ शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेश के अनुसार रिट याचिका संख्या 3109/2015 के अंतिम निर्णय तक 40% टेपरिंग मनी के लिए किए गए थे।

iii. सावधि जमा में ₹ 0.24 करोड़ शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेश के अनुसार रिट याचिका संख्या 3109/2015 के अंतिम निर्णय तक 40% टेपरिंग मनी के लिए किए गए थे।

iv. बैंक जमा में ₹1.07 करोड़ शामिल हैं जो TAMDA के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए जमा किए गए थे, ताकि MIMSR के संस्थागत भवन योजना की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।**

v. ₹0.16 करोड़ की राशि सावधि जमा रसीद के रूप में मुख्य बांध मंडल, बुरला के अधीक्षण अभियंता के पक्ष में जमा की गई है।

vi. ₹0.25 करोड़ की राशि सावधि जमा रसीद के रूप में अंगुल सिंचाई मंडल के अधीक्षण अभियंता के पक्ष में जमा की गई है।**

vii. मेसर्स हिंदुस्तान डोर ओलिवर की बीजी के नकदीकरण के संबंध में माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एफडीआर के रूप में 1.13 करोड़ रुपये जमा किए गए।

viii. माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश पर मेसर्स उत्कल हाईवेज के लिए टीडीआर के रूप में ₹1.55 करोड़ की बैंक जमा

नोट 4.6 - ₹ 5.30 करोड़

i. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 2.80 करोड़ जमा किए गए है ।

ii. ₹1.74 करोड़ एफडीआर के रूप में अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में जमा किए गए।

iii. ₹0.23 करोड़ अधीक्षण अभियंता सुंदरगढ़ सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफडीआर के रूप में जमा किया गया है ।

iv. इब-वैली कोल वाशरी का लाइसेंस जारी करने के लिए खान कार्यालय, संबलपुर के उप निदेशक के पक्ष में ₹ 0.01 करोड़ जारी किए गए है ।

v. हस्ताक्षरित एमओयू/समझौते के तहत जल बांध प्रभाग के पक्ष में ₹0.47 करोड़ की बैंक जमा राशि गिरवी रखी गई।

vi. कार्यकारी अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 0.06 करोड़ जमा किए गए।

डी) रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 2018/Infra/12/19 दिनांक 27.02.2023, जो कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, के अनुसार झारसुगुड़ा-बरपाली-सर्दगा रेल लाइन के लिए MCL को बढ़ी हुई दूरी (Inflated Mileage) की अनुमति प्रदान की है। उपरोक्त के संबंध में रियायत समझौता दिनांक 11.03.2024 को दक्षिण पूर्व रेलवे एवं MCL के बीच संपादित किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी)

उक्त समझौते के अनुसार, रियायत की प्रतिपूर्ति बढ़ी हुई दूरी के माध्यम से 17.04.2023 से प्रभाव में आनी थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रेलवे द्वारा रेलवे रसीद (RR) विवरणों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिसके कारण MCL को दी जाने वाली बढ़ी हुई दूरी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। साथ ही, रेलवे के साथ एक परिशिष्ट (Addendum) समझौते की आवश्यकता थी, जिसे अंतिम रूप देने से पहले निष्पादित किया जाना था।

वर्तमान अवधि के दौरान, केवल MCL साइडिंग्स के लिए, रेलवे से RR विवरण प्राप्त होने के पश्चात, 17.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए ₹122.65 करोड़ की बढ़ी हुई दूरी की आय की गणना की गई है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर आय के रूप में दर्ज किया गया है।

उसी रेल खंड पर स्थित अन्य निजी साइडिंग्स के लिए RR विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण उस यातायात हेतु राजस्व की गणना एवं मान्यता नहीं की जा सकी है।

ई) कोल इंडिया लिमिटेड के समान रूप से लागू लेखा निर्देशों के अनुरूप, स्ट्रिपिंग गतिविधि का समायोजन उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टेड ओवरबर्डन आंकड़ों के आधार पर किया जाता है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक अस्थायी प्रविष्टि को मान्य किया जाता है।

जब वर्ष के लिए संबंधित आंकड़े अनुमोदित और घोषित कर दिए जाते हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन हेतु अंतिम अंतर प्रविष्टि (differential final entry) ली जाती है।

एफ) 01.04.2015 से इंड एएस (Ind AS) में परिवर्तन के पश्चात, कंपनी ने स्थिर संपत्तियों के लिए लागत मॉडल (Cost Model) के अनुसार उनकी वहन राशि (Carrying Value) को जारी रखने का विकल्प चुना है।

इसके अनुसार, संपत्ति की शुद्ध वहन राशि (Net Carrying Value) को उसकी सकल वहन राशि (Gross Carrying Value) माना गया है तथा संचित मूल्यह्रास (Accumulated Depreciation) को खातों में शून्य माना गया है।

हालाँकि, संपत्तियों की मूल क्रय लागत के रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्य से लेखा सॉफ्टवेयर में स्थित एसेट मास्टर (Asset Master) को यथावत रखा गया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

जी) किरिपसिरा गांव तथा रतंसरा गांव के कुछ हिस्सों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 13.09.2006 एवं 17.01.2008 के माध्यम से अन्य कंपनियों को स्थानांतरित किया गया था।

हालांकि प्रारंभिक चरण में मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी MCL की होगी, और यह उत्तराधिकारी कंपनी से उक्त राशि की वसूली कर सकती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जुलाई 2013) के बिंदु संख्या 6 (मुआवजे का भुगतान) में उल्लेखित है।

उपरोक्त गांवों के गैर-MCL भाग से संबंधित मुआवजे की राशि ₹656.94 करोड़ है।

हालांकि, अब तक उपरोक्त गांवों के लिए कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है।

एच) सहायक खातों से संबंधित अन्य मामले

i) 24 सितंबर 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया, क्योंकि आवंटन प्रक्रिया मनमानी थी और आवंटन अवैध थे। तदनुसार, समूह के पक्ष में पहले से आवंटित उत्कल ए (गोपाल प्रसाद पश्चिम सहित) और तालाबीरा II और III नामक कोयला ब्लॉक भी रद्द कर दिए गए।

ii) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने 17 फरवरी 2016 के पत्र के माध्यम से सूचित किए गए अनुसार नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को तालाबीरा II और III कोयला ब्लॉक आवंटित किया है। एमसीएल की सहायक कंपनी एमएचएन शक्ति लिमिटेड, भूमि अधिग्रहण, प्रगति में पूंजीगत कार्य और अमूर्त संपत्तियों के लिए इसके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए नामित प्राधिकरण, एमओसी के माध्यम से नए आवंटियों से मुआवजा पाने की हकदार है। मुआवजे का निर्धारण कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और समूह द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा।

समूह को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और रेलवे साइडिंग आदि के लिए वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 18.55 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

4 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहायक कंपनियों में समेकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के सिद्धांत

i) समेकन में प्रयुक्त सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि 31.03.2025 तक तैयार किए गए हैं,।

ii) समेकित वित्तीय विवरण महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसकी आंशिक/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों से संबंधित हैं, जिनमें एमएनएच शक्ति लिमिटेड,एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड एवं महानदी बेसिन पावर लिमिटेड शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

iii) समूह के वित्तीय विवरण इसकी चार सहायक कंपनियों के साथ समेकित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:
दिनांक 31.03.2025 तक सहायक कंपनियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

सहायक कंपनी का नाम	पता	संस्थापन की तारीख	सहायक कंपनी में हिस्सेदारी (%)		गैर-नियंत्रण हित (₹ करोड़ में)	
			31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1) एमएनएच शक्ति लिमिटेड.	आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर	16.07.2008	70.00%	70.00%	30.00%	30.00%
2) एमजेएसजे कोल लिमिटेड	मकान नंबर 42,पहली मंजिल, आनंद नगर, हाकिम पारा, अंगुल	13.08.2008	60.00%	60.00%	40.00%	40.00%
3) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड.	प्लॉट नं. जी-3, मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर	02.12.2011	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड.	एमडीएफ कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	31.08.2015	71.11%	71.11%	28.89%	28.89%

उपरोक्त सहायक कंपनियों के 31.03.2025 को समाप्त वर्ष तक के लेखापरीक्षित किए गए वित्तीय विवरणों को समेकन में शामिल किया गया है।

iv) समूह की समेकित वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ सूचनात्मक प्रकटीकरण का माध्यम और समूह की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, समूह ने केवल उन नीतियों और टिप्पणियों का ही प्रकटीकरण किया है, जो व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों से आवश्यक और उचित जानकारी प्रस्तुत करती हैं।

v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार)

संस्था का नाम	शुद्ध संपत्ति, अर्थात् कुल संपत्ति में से कुल दायित्वों की कटौती के बाद शेष राशि।		लाभ या हानि में शेयर		अन्य व्यापक आय में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित आय के % के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)
सहायक								
भारतीय								
1) एमएनएच शक्ति लिमिटेड.	0.24	43.71	0.01	0.71	-	-	0.01	0.71
2) एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0.42	76.85	0.01	1.35	-	-	0.01	1.35
3) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड.	(0.03)	(6.09)	(0.00)	(0.03)	-	-	(0.00)	(0.03)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड.	2.08	382.30	0.03	2.74	-	-	0.03	2.74
कुल (ए)	**2.71**	**496.77**	**0.04**	**4.77**	**-**	**-**	**0.04**	**4.77**
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ए+बी)	**2.71**	**496.77**	**0.04**	**4.77**	**-**	**-**	**0.04**	**4.77**

5 उचित मूल्य मापन

(a) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण (रुपये करोड़ में)

	31.03.2025		31.03.2024	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी				
निवेश * :				
सुरक्षित बांड		-		-
म्यूचुअल फ़ंड	822.73		1,214.28	
ऋण		2.66		1.67
जमा एवं प्राप्य		2,630.37		2,606.82
व्यापार प्राप्तियां**		2,676.05		2,160.29
नकद और नकद समतुल्य		2,157.70		867.20
अन्य बैंक बैलेंस		9,627.47		12,034.18
वित्तीय देनदारियों				
उधारी		3.35		3.95
व्यापार देनदारियां		1,852.54		1,571.32
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		334.56		383.14
पट्टा देयताएं		2.53		2.47
अन्य देनदारियां		5,474.83		5,373.83

* कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता व्यापार प्राप्य से काटा गया।

(ख)) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	**31.03.2025**		**31.03.2024**	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

निवेश :				
म्यूचुअल फ़ंड/ आईसीडी		-	1,214.28	-

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य 31.03.2025 को घोषणा की जाती है	**31.03.2025**		**31.03.2024**	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
वित्तीय पूंजी				
निवेश :				
सुरक्षित बांड		-		0.00
ऋण		2.66		1.67
जमा एवं प्राप्य		2,630.37		2606.82
व्यापार प्राप्तियां		2,676.05		2,160.29
नकद और नकद समतुल्य		2,157.70		867.20
अन्य बैंक बैलेंस		9,627.47		12034.18
वित्तीय देनदारियों				
उधारी		3.35		3.95
व्यापार देनदारियां		1,852.54		1571.32
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		334.56		383.14
पट्टा देयताएं		2.53		2.47
अन्य देनदारियां		5,474.83		5373.83

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है.

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में उपयोग न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके उचित मूल्य निर्धारन किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

सी उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

डी) महत्वपूर्ण अप्रत्याक्ष्य इनपुट्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य मापन

महत्वपूर्ण अप्रत्याक्ष्य इनपुट्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य मापन

ई परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्यनिष्पादन के साथ संयोग मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने पर प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को बनाए रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

6 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन संरचना पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्य और वित्तीय परिसंपत्तियाँ	समय अवधि विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण; व्यापार प्राप्तियों के प्रतिपक्ष डिफ़ॉल्ट जोखिम को सुरक्षा जमा, अग्रिम, बैंक गारंटी आदि जैसे वित्तीय आश्वासनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
चलनिधि जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

ए) ऋण जोखिम:.

ए) ऋण जोखिम:.

प्राप्तियां मुख्यतः कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती है। कोयले की बिक्री को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: ईंधन आपूर्ति समझौतों (Fuel Supply Agreements - FSAs) के माध्यम से बिक्री और ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से बिक्री।

ईंधन आपूर्ति का हिस्सा होने के कारण, मैक्रो-आर्थिक जानकारी (जैसे कि नियामकीय बदलाव) को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। agreements (FSAs) and e-auction terms

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

कंपनी ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। एफएसए को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला (कोयला) का दोहन और आवंटन करने की योजना (शक्ति) के विभिन्न खंडों के अंतर्गत राज्य विद्युत उपयोगिताओं, निजी विद्युत उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आते हैं।;

•• गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीति के अनुसार गैर-विद्युत उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित) में ग्राहकों के साथ एफएसए; तथा regulated sectior (NRS) Linkage Policy; and

•राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपनी कोयला आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनकी मानक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयला आवश्यकता और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

जब कोई प्रतिपक्ष अपने अनुबंधित दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है, तो उसे ऋण जोखिम कहा जाता है। व्यापारिक प्राप्तियों से संबंधित प्रतिपक्ष डिफॉल्ट जोखिम को सुरक्षा जमा, अग्रिम भुगतान, बैंक गारंटी आदि जैसे वित्तीय आश्वासनों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी संदिग्ध/ऋण-प्रभावित परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है, जिसे आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों (सरलीकृत दृष्टिकोण) के आधार पर किया जाता है। विवरण के लिए नोट - 4.3, व्यापारिक प्राप्तियां देखें।**

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

उपरोक्त प्रकटीकरण में वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए की गई हानि की प्रविधानों का आधार डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों से संबंधित धारणाओं पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को तय करने और हानि की गणना के लिए आवश्यक इनपुट्स के चयन में अपने विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले अनुभव, वर्तमान बाजार स्थितियों तथा प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किए गए भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

बी) चलनिधि जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथा और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

सी) बाजार जोखिम

ए) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

बी) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होता है, जिसमें ब्याज दर में परिवर्तन के कारण कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी की नीति यह है कि अधिकांश जमा को निश्चित ब्याज दर पर बनाए रखा जाए।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

डी) पूंजी प्रबंधन

चूंकि यह कंपनी एक सरकारी इकाई है, इसलिए यह अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:		
	31.03.2025	**31.03.2024**
इक्विटी शेयर पूंजी	1,323.67	1,323.67
दीर्घकालिक ऋण	2.67	3.28

7 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एएस-19)

परिभाषित लाभ योजनाएँ

ए) उपदान

कंपनी ग्रेच्युटी, रोजगार-पश्चात परिभाषित लाभ योजना (""ग्रेच्युटी योजना"") प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को शामिल करती है। ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी से अलग होने के समय ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिकतम ₹ 20 लाख तक होता है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुअरी द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजनों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ और हानि को उस वर्ष में सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं।

ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (जीवन बीमा राशि- ""एलसीएसए"") भी प्रदान करता है, जो अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 20 लाख है।

बी) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों, उनके जीवनसाथियों और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कम से कम 40% किसी भी विकलांगता से पीड़ित कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घर में केवल भारत में अधिकतम सीमा के अधीन चिकित्सा प्रदान करना है, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या सामान्य कोल कैडर के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण है। सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, जीवनसाथियों और आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है, ताकि गैर-अधिकारियों और उनके जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) को कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध बाह्य रोगी/स्थानीय अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके, जो कि अधिकतम सीमा के अधीन है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति के कारण, जो समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं या जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) की मृत्यु हो जाती है। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों और जीवनसाथी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है, योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

ए) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व-निर्धारित दरों अर्थात मूल वेतन और महंगाई भत्ते का क्रमशः 12% और 7% भविष्य निधि और पेंशन निधि पर भविष्य निधि और पेंशन निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) कहा जाता है। अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

बी) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक राशि का योगदान नहीं करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है। मूल और महंगाई भत्ते का 6.99% का वर्तमान नियोक्ता योगदान लाभ और हानि के विवरण में लगाया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ए) अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की अर्ध-भुगतान छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों की ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल को भुनाने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ भुनाने के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यकारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कर्मचारी प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित छुट्टी का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस के कारण सेवा बंद होने पर शेष छुट्टी या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए अनुमत है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों का निपटान सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी होने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम की अर्हक बीमा पॉलिसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

बी) जीवन कवर योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर स्कीम" (LCS) के रूप में जाना जाता है, जो सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करती है। सेवा में मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब चिन्हित की जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत देय लाभ होता है।

सी) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर सेटलमेंट-इन भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

डी) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना से बचाने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान सीआईएल द्वारा किया जाता है।

ई) यात्रा भत्ता योजना

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को अपने गृह नगर जाने और "भारत भ्रमण" के लिए 4 वर्षों के एक ब्लॉक में एक बार यात्रा सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है। गृह नगर यात्रा के लिए ₹10,000/- तथा "भारत भ्रमण" के लिए ₹15,000/- की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अंशकालिक मूल्यांकन (actuarial valuation) के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

एफ) खदान दुर्घटना में कामगारों को मिलने वाला मुआवजा लाभ

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। घातक खदान दुर्घटना के मामले में 07.11.2019 से कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित
- **o उपदान**
- **o अवकाश नकदीकरण**
- **o सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)**
- **o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)**

(ii) गैर वित्त पोषित
- **o जीवन कवर योजना**
- **o निपटान भत्ते**
- **o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा**
- **o अवकाश यात्रा रियायत**
- **oखदान दुर्घटना में कामगारों को मिलने वाला मुआवजा लाभ**

31.03.2025 तक बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर बीमांकिक प्रावधान, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	प्रारंभिक बीमांकिक देयता	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता / (समायोजन)	प्रारंभिक बीमांकिक देयता	अवधि के दौरान वृद्धिशील देयता/ (समायोजन)	समापन बीमांकिक देयता
	01.04.2023		01.04.2024		31.03.2025
उपदान	1,328.49	115.33	1,443.82	33.74	1,477.56
छुट्टी	537.44	113.98	651.42	36.64	688.06
निपटान भत्ते	15.35	0.07	15.42	(0.12)	15.30
अवकाश यात्रा रियायत	21.49	1.43	22.92	5.72	28.64
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	298.51	31.70	330.21	35.64	365.85
कुल	**2,201.28**	**262.51**	**2,463.79**	**111.62**	**2,575.41**

बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक 19 (2015) प्रमाण पत्र के अनुसार 31.03.2025 तक ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
	31.03.2024	**31.03.2025**
तालिका-1		
ए) लाभ तथा हानि (लाभ तथा हानि)		
1 वर्तमान सेवा लागत	41.40	46.79
2 पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	72.78	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	114.18	46.79
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(4.91)	(1.11)
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	**लाभ और हानि में निर्धारित लागत**	**109.28**	**45.68**

बी)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	31.08	17.26
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	32.08	45.61
3	अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	63.15	62.87
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(10.14)	(12.87)
5	ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	53.02	50.00

सी)	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	सेवा लागत	114.18	46.79
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(4.91)	(1.11)
3	ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	53.02	50.00
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	162.29	95.69

तालिका-2

नेट तुलन-पत्र की स्थिति

		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
		31.03.2024	**31.03.2025**
ए)	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	रिभाषित लाभ देयता (डीबीओ)	(1,443.83)	(1,477.56)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	1,409.41	1,447.98
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(34.42)	(29.58)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(34.42)	(29.58)

बी)	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का मिलान**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	6.55	(34.42)
2	सेवा लागत	(114.18)	(46.79)
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	4.91	1.11
4	ओसीआई में निर्धारित राशि	(53.02)	(50.00)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

5	नियोक्ता अंशदान	121.32	100.52
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभ की लागत		
10	**वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(34.42)**	**(29.58)**

	तालिका-3	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
	लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
ए)	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	1,328.49	1,443.83
2	वर्तमान सेवा लागत	41.40	46.79
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	91.38	95.08
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (ऋण)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	72.78	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	31.08	17.26
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएँ	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	32.08	45.61
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(153.39)	(171.02)
12	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	**1,443.83**	**1,477.56**

बी)	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**(₹ in Crore)**	**(₹ in Crore)**
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,335.05	1,409.41
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	96.29	96.19
4	नियोक्ता योगदान	121.32	100.52
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	10.14	12.87
6	भुगतान किये गये लाभ	(153.39)	(171.02)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य**	**1,409.41**	**1,447.98**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

तालिका-4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		(₹ करोड़ में)
ए)	**वर्ष के अंत में अपेक्षित लाभ का भुगतान**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
1	मार्च 31, 2026	145.93
2	मार्च 31, 2027	146.37
3	मार्च 31, 2028	141.03
4	मार्च 31, 2029	143.15
5	मार्च31, 2030	132.15
6	मार्च 31, 2031 से मार्च 31, 2035	531.48
7	10 वर्षों से अधिक	1,697.88
बी	**31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**48.99**
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**8 years**
डी	**दिनांक 31.03.2025 को अर्जित लाभ दायित्व**	**1,114.16**
ई	**दिनांक 31.03.2025 तक योजना परिसंपत्ति जानकारी**	**प्रतिशतता**
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
	संपत्ति	0.00%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
	बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
	बीमा योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**
		(₹ करोड़ में)
F	**31 मार्च 2025 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयताओं का ब्यौरा**	
1	चालू देयता	141.34
2	गैर चालू देयता	1,336.21
3	**31 मार्च 2025 तक देयता**	**1,477.56**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

तालिका-5

संवेदनशील विश्लेषण:

31 मार्च 2025 तक डीबीओ में छूट	1477.56

ए) छूट की दर

31 मार्च 2025 तक छूट दर	6.60%
छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-56.59
प्रतिशत प्रभाव	-4%
छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	61.17
प्रतिशत प्रभाव	4%

बी) वेतन वृद्धि दर

31 मार्च 2025 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%
1वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	27.22
प्रतिशत प्रभाव	2%
2तन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(28.36)
प्रतिशत प्रभाव	-2%

सी) अवधारणाएँ	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
छूट दर	7.00%	6.60%
वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी:: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%
निकासी दर	0.30%	0.30%
मृत्यु दर	कार्यकारी:: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

भारतीय लेखा मानक (भा. लेखा.मा.) 19 के अंतर्गत अवकाश लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	Year ending 31.03.2024 को समाप्त वर्ष	Year ending 31.03.2025 को समाप्त वर्ष
तालिका-1			
ए)	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	91.22	100.15
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	53.72	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	144.95	100.15
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-1.86	2.76
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	43.00	188.94
8	लाभ तथा हानि में निर्धारित लागत	186.08	291.84
बी)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	28.45	176.45
2	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	18.39	27.44
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	46.80	203.90
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(3.84)	(14.96)
5	**ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि**	**-**	**-**
सी)	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	सेवा लागत	144.94	100.15
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(1.86)	2.76
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	-	-
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	43.00	188.94
5	**परिभाषित लाभ लागत**	**186.08**	**291.84**

तालिका-2

	नेट बैलेंस शीट स्थिति	(₹ करोड़ में) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष	(₹ करोड़ में) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ए)	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(651.42)	(688.06)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	572.59	396.22

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	**(78.83)**	**(291.84)**
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	**शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(78.83)**	**(291.84)**

बी)	**निवल बैलेंस शीट स्थिति का मिलान**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(56.31)	(78.83)
2	सेवा लागत	(144.94)	(100.15)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	1.86	(2.76)
4	ओसीआई में निर्धारित राशि	(43.00)	(188.94)
5	नियोक्ता योगदान	163.57	78.83
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	**वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(78.83)**	**(291.84)**

तालिका-3

		(₹करोड़ में)	(₹करोड़ में)
	लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
ए)	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	537.44	651.42
2	वर्तमान सेवा लागत	91.22	100.15
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	35.11	35.01
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (ऋण)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	53.72	-
7	प्राप्त (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	28.45	176.45
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएँ	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं	18.39	27.44
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	-	-
12	भुगतान किये गये लाभ	(112.93)	(302.41)
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	**651.42**	**688.06**

बी)	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	(₹करोड़ में)	(₹करोड़ में)
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	481.13	572.59

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

2	प्राप्ति समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	36.97	32.26
4	नियोक्ता योगदान	163.57	78.83
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	3.84	14.96
6	भुगतान किये गये लाभ	(112.92)	(302.41)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य**	**572.59**	**396.22**

तालिका-4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

ए)	**वर्ष समाप्त होने के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
1	मार्च 31, 2026	51.48
2	मार्च 31, 2027	53.44
3	मार्च 31, 2028	56.48
4	मार्च 31, 2029	55.56
5	मार्च 31, 2030	56.37
6	मार्च 31, 2031 to मार्च 31, 2035	219.13
7	10 वर्ष से अधिक	1,198.08
बी)	**31.03.2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**111.37**
सी)	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**11 Years**
डी)	**31.03.2025 को अर्जित लाभ दायित्व**	**386.07**

ई)	**31.03.2025 तक योजना परिसंपत्ति जानकारी**	**प्रतिशतता**
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
	संपत्ति	0.00%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
	बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
	बीमा योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**

		(₹करोड़ में)
एफ)	**वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का ब्यौरा**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
1	चालू देयता	49.87
2	गैर-चालू देयता	638.20

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

3	दिनांक 31.03.2025 तक देयता	688.06

तालिका-5

	31.03.2025 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	688.06
ए)	**छूट दर**	
	दिनांक 31 मार्च 2024 तक छूट दर	6.60%
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(34.00)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
	छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	37.28
	प्रतिशत प्रभाव	5%
बी)	**वेतन वृद्धि दर**	
	दिनांक 31.03.2025 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	36.89
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(33.98)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

सी)	**मान्यताएं**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
	छूट दर	7.00%	6.60%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी : 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी : 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 19 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ए)	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	चालू सेवा लागत	9.53	10.07
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	9.53	10.07
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	4.73	4.4
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	**लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	**14.27**	**14.47**
बी)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	-11.54	0.36
2	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	11.92	17.51
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.38	17.87
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	2.87	0.26
5	**ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि**	**3.24**	**18.13**
सी)	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	9.53	10.07
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	4.73	4.4
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि	3.24	18.13
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	**परिभाषित लाभ लागत**	**17.51**	**32.59**

	नेट बैलेंस शीट स्थिति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ए)	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (DBO)	330.21	365.85
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	253.55	284.32
3	**वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]**	**(76.65)**	**(81.54)**
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	**शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(76.65)**	**(81.54)**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

बी)	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का मिलान**		
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(70.54)	(76.65)
2	सेवा लागत	(9.53)	(10.07)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(4.73)	(4.40)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(3.24)	(18.13)
5	नियोक्ता योगदान	11.4	27.71
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	भंडाफोड़	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	**वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(76.65)**	**(81.54)**

तालिका - 3

	लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
ए)	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	298.51	330.21
2	वर्तमान सेवा लागत	9.53	10.07
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	21.79	22.59
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(11.54)	0.36
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएँ	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएँ	11.92	17.51
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	नियोजित परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-	(14.89)
13	**चालू अवधि के अंत में डीबीओ**	**330.21**	**365.85**
सी)	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	227.96	253.56
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	17.06	18.2
4	नियोक्ता योगदान	11.4	27.71
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	(2.87)	(0.26)
6	भुगतान किए गए लाभ	-	(14.89)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य**	**253.55**	**284.32**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

तालिका-4

(₹करोड़ में)

	ए) समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
1	मार्च31, 2026	16.32
2	मार्च 31, 2027	18.17
3	मार्च 31, 2028	20.14
4	मार्च 31, 2029	21.73
5	मार्च 31, 2030	23.27
6	मार्च31, 2031 to मार्च 31, 2035	131.36
7	10 वर्षों से अधिक	752.57

बी) परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	**13 वर्ष**
सी) 31.03.2025 को अर्जित लाभ दायित्व	**365.85**

तालिका-5

संवेदनशीलता का विश्लेषण

31 मार्च 2025 तक आधार निर्धारण पर डीबीओ	365.85
ए) छुट दर	
31 मार्च 2025 तक छूट दर	6.60%
छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(21.67)
प्रतिशत प्रभाव	-6.00%
छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	24.02
प्रतिशत प्रभाव	7.00%

बी) मान्यताओं	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**
छुट दर	7.00%	6.60%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%**	0.00%**
मृत्यु दर - सेवाकाल में	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अनंतिम	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अनंतिम
मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)
औसत चिकित्सा लागत (आईएनआर)	कार्यकारी कर्मचारी: घरेलू लाभ - ₹36,000 प्रति वर्ष अस्पताल में भर्ती लाभ - ₹35,000 प्रति वर्ष गैर-कार्यकारी कर्मचारी: घरेलू लाभ+अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - ₹18,000 प्रति वर्ष	कार्यकारी कर्मचारी: घरेलू लाभ - ₹36,000 प्रति वर्ष अस्पताल में भर्ती लाभ - ₹35,000 प्रति वर्ष गैर-कार्यकारी कर्मचारी: घरेलू लाभ+अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - ₹18,000 प्रति वर्ष
जीवनसाथी की उम्र का अंतर	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटे हैं	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटे हैं
निकासी दर	0.30%	0.30%

** कंपनी के साथ सहमति के अनुसार, चिकित्सा मुद्रास्फीति को शून्य माना गया है क्योंकि कंपनी की चिकित्सा लागत भारत सरकार द्वारा घोषित सीएचजीएस दरों द्वारा शासित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

नमूना मृत्यु दर

भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)

आयु	दर
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा कार्यकारी और गैर-कार्यकारी के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना द्वारा कवर की जाती है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कार्यकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ की योजना अलग से "एक्जेकुटिव ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना" के माध्यम से संचालित की जाती है। चिकित्सा लाभों के लिए देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

8 अन्य सूचना

(ए) अनुभाग रिपोर्टिंग

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, समूह के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(बी) प्रति शेयर आय

Sl. No.	Particulars	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	Net profit after tax attributable to Equity Share Holders ₹ in Crore	10823.58	11841.37
ii)	Weighted Average no. of Equity Shares Outstanding	13236726	13236726
iii)	Basic and Diluted Earnings per Share in Rupees (Face value ₹1000/- per share) considering net profit after tax	₹ 8,176.93	₹ 8,945.85

(c) बीमा और वृद्धि दावे

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(d) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

f) बेनामी संपत्ति:

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत समूह के तहत कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।

g) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा भरे गए रिटर्न या विवरण:

बैंकों/वित्तीय संस्थानों की तरह कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट - 16: दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

h) **जानबूझकर चूककर्ता**

समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

i) **हटाई गई कम्पनियों के साथ संबंध:**

समूह ने हटाई गई कम्पनियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

j) **कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्क का पंजीकरण या संतुष्टि: संतुष्टि:**

समूह द्वारा वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है।

k) **कंपनियों की कई परतों का अनुपालन:**

कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

l) **व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन:**

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई।

m) **उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग:**

(क) समूह ने किसी भी इकाई (मध्यस्थ) को इस समझ के तहत कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में नहीं दी है कि वह मध्यस्थ उस धनराशि को किसी ऐसी पार्टी में ऋण देगा या निवेश करेगा, जिसे कंपनी या कंपनी की ओर से कोई अन्य व्यक्ति (अंतिम लाभार्थी) द्वारा चिन्हित किया गया हो।

(ख) समूह को किसी भी पक्ष से इस समझ के अंतर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनी उस धनराशि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य इकाई में, जिसे कंपनी या कंपनी की ओर से कोई अन्य व्यक्ति (""अंतिम लाभार्थी"") द्वारा चिन्हित किया गया हो, ऋण या निवेश करेगी अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस प्रकार की कोई अन्य सुविधा प्रदान करेगी।"

n) **क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी**

समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

o) **अघोषित आय:**

समूह का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

p) **विखंडित राजस्व जानकारी:**

नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत है:

(₹ in Crore)

Disaggregated revenue information:	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	23,071.39	23,809.42
- अन्य	301.15	25.34
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,372.54**	**23,834.76**
ग्राहकों के प्रकार		
- बिजली क्षेत्र	15,607.15	14,869.43
- गैर-विद्युत क्षेत्र	7,464.24	8,939.99
- अन्य या सेवाएँ	301.15	25.34
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,372.54**	**23,834.76**

संविदा का प्रकार	19,828.07	19,657.02
- एफएसए	3,243.32	4,152.40
- ई-नीलामी	301.15	25.34
- अन्य	**23,372.54**	**23,834.76**
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		
माल या सेवा का समय	23,071.39	23,809.42
- किसी समय पर स्थानांतरित किया गया माल	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल	301.15	25.34
- किसी समय पर हस्तांतरित सेवाएँ	-	-
- समय के साथ हस्तांतरित सेवाएँ	**23,372.54**	**23,834.76**
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		

9) विविध जानकारी

i. **वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू नवीनतम लेखांकन घोषणाएँ**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में कई संशोधन जारी किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होने वाले विभिन्न भारतीय लेखा मानकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं।

इन संशोधनों में भारतीय लेखा मानकों 117 में - बीमा अनुबंधों की शुरुआत तथा इसके फलस्वरूप भारतीय लेखा मानकों 101, 103, 105, 107, 109, 115 में किए गए आवश्यक संशोधन शामिल हैं; साथ ही भारतीय लेखा मानकों 116 - पट्टे (Leases) में संशोधन तथा कुछ बीमाकर्ताओं के लिए भारतीय लेखा मानकों में 104 को जारी रखने का प्रावधान भी शामिल है। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इनका इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ii. **जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।**

iii. **वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।**

iv. **टिप्पणी - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को दर्शाती हैं।**

टिप्पणी 3 से 11 तक की जानकारियाँ बैलेंस शीट का हिस्सा हैं, जबकि

टिप्पणी 12 से 13 तक की जानकारियाँ लाभ और हानि विवरण का हिस्सा हैं।

टिप्पणी - 16 में वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ दी गई हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कदमावाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 323212E

सनदी लेखाकार राकेश कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 063654
UDIN:25063654BMMAZI5508

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के बेहुरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

फोरम एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग "क": अनुषंगी कंपनियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	अनुषंगी कंपनियों के नाम			
		एमजेएसजे कोल लिमिटेड	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	महानदी कोल रेल्वे लिमिटेड	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
1	रिपोर्टिंग अवधि	01.04.24 से 31.03.25 तक	01.04.24 से 31.03.25 तक	01.04.24 से 31.03.25 तक	01.04.24 से 31.03.25 तक
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
3	शेअर पूंजी	95.10	35.10	382.50	0.05
4	रिजर्व और अधिशेष	(18.26)	8.61	(0.21)	(6.14)
5	कुल परिसंपत्तियाँ	84.04	46.07	458.11	29.76
6	कुल देयताएँ	7.20	2.36	75.82	35.85
7	निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
8	टर्न ओवर	0.00	0.00	24.16	0.00
9	कराधान पूर्व लाभ	1.80	0.95	3.00	(0.03)
10	कराधान हेतु प्रावधान	0.45	0.25	0.26	0.00
11	कराधान पश्चात लाभ	1.35	1.71	2.74	(0.03)
12	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00
13	31.03.2025 को शेयर धारक का %	60.00	70.00	71.11	100.00

भाग"ख" : सहयोगी और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

क्र सं.	विवरण	संयुक्त उद्यम का नाम
		-
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र दिनांक	-
2	31.03.2025 के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर	-
	सं.	-
	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	-
	धारक % का विस्तार	-
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	-
4	कारण, क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	-
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	-
6	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि	-
	i. समेकन में विचारित	-
	ii. समेकन में गैर विचारित	-

एमसीएल बोर्ड की ओर से

जीतेंद्र कुमार
महाप्रबंधक (वित्त)

एस पारिडा
कंपनी सचिव

ए के बेहरा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09712877

उदय अनंत कावळे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन: 09715213

दिनांक: 15.04.2025
स्थान : संबलपुर

महानदी कॉलफ़ील्ड्स लिमिटेड

सतत रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा 2024-25



महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी)

मुख्यालय – जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर -768020 (ओड़िशा)

www.mahanadicoal.in